बुधवार 3 मई 1994

वैशाख, 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

नौवां सत्र

(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

विषय-सूची

दसम माला, खंड 30, नौवां, सत्र 1994/1915-1916 (शक)

अंक 30, मंगलवार, 3 मई 1994/13 वैशाख, 1916 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
* तारांकित प्रश्न संख्या :	521, 522 और 524 से 528	1—23
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या :	523 और 529 से 540	23—39
अतारांकित प्रश्न सख्या :	5850 से 5878, 5880 से 5984, 5986 से 6003 और 6005 से 6079	39—241
सभा पटल पर रखे गए पत्र		252—255
याचिका समिति		255
बारहवां प्रतिवेदन-प्रस्तुत		255
नियम 377 के अधीन मामले		**256**
(एक)	केरल के पथानम्थिट्टा जिले में कोकाथोडु क्षेत्र के विद्युतीकरण के लिए केरल राज्य विद्युत बोर्ड के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता	256
	श्री कोडीकुन्नील सुरेश	
(दो)	उड़ीसा में संबलपुर–तालचेर रेल लाइन को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता	256
	श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	
(तीन)	पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना जिससे खनन उद्योग के लिए समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं, का निरसन करने की आवश्यकता	257
	श्री गिरधारी लाल भार्गव	

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(चार) उन लोगों को, जिनकी भूमि रांची, बिहारी के छावनी क्षेत्र में अर्जित की गई है, रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता	257
श्री राम टहल चौधरी	
(पाँच) देश में, विशेष कर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में आलू उत्पादकों के हितों की सुरक्षा के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता	257—258
श्री राम पूजन पटेल	
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1994-95	
(एक) **मानव संसाधन विकास मंत्रालय**	258—326
डा. एस. पी. यादव	258—262
डा. गिरिजा व्यास	263—268
श्री अन्ना जोशी	268—274
कुमारी शैलजा	274—281
डा. सुधीर राय	281—285
श्री बी. राजरवि वर्मा	285—288
श्री एस. एम. लालजान बाशा ...	288—289
श्री ई. अहमद ...	289—291
श्री के. एच. मुनियप्पा	291—293
श्री याइमा सिंह युमनाम ...	293—295
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी ...	296—298
श्री राम कृपाल यादव	299—301
श्री मोहन रावले	301—303
श्री अर्जुन सिंह	303—325

विषय	पृष्ठ
(दो) कृषि मंत्रालय, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय, नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय और नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, आदि ...	326—336
विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1994...	337—340
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव ...	337
श्री मनमोहन सिंह	337
विचार करने के लिए प्रस्ताव	337—338
श्री मनमोहन सिंह	338
श्री अन्ना जोशी	338
खंड 2 से 4 और 1	339
पारित करने के लिए प्रस्ताव	339
श्री मनमोहन सिंह ...	340

विषय	पृष्ठ

(चार) उन लोगों को, जिनकी भूमि रांची, बिहारी के छावनी क्षेत्र में अर्जित की गई है, रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता 257

श्री राम टहल चौधरी

(पाँच) देश में, विशेष कर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में आलू उत्पादकों के हितों की सुरक्षा के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता 257—258

श्री राम पूजन पटेल

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1994-95

(एक) मानव संसाधन विकास मंत्रालय 258—326

डा. एस. पी. यादव 258—262

डा. गिरिजा व्यास 263—268

श्री अन्ना जोशी 268—274

कुमारी शैलजा ... 274—281

डा. सुधीर राय ... 281—285

श्री बी. राजरवि वर्मा 285—288

श्री एस. एम. लालजान वाशा ... 288—289

श्री ई. अहमद ... 289—291

श्री के. एच. मुनियप्पा 291—293

श्री याइमा सिंह युमनाम ... 293—295

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी ... 296—298

श्री राम कृपाल यादव 299—301

श्री मोहन रावले 301—303

श्री अर्जुन सिंह 303—325

	विषय	पृष्ठ
(दो)	कृषि मंत्रालय, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय, नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय और नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, आदि ...	326—336
	विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1994...	337—340
	पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव ...	337
	श्री मनमोहन सिंह	337
	विचार करने के लिए प्रस्ताव	337—338
	श्री मनमोहन सिंह	338
	श्री अन्ना जोशी	338
	खंड 2 से 4 और 1	339
	पारित करने के लिए प्रस्ताव	339
	श्री मनमोहन सिंह ...	340

लोक सभा

मंगलवार, 3 मई 1994/13 वैशाख, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

बहु-उद्‌देश्यीय सांस्कृतिक भवन

*521. **श्री तारा सिंह :**

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहु–उद्देश्यीय सांस्कृतिक भवनों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं योजना अवधि के दौरान स्थापित किए जाने वाले ऐसे भवनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा ऐसे भवनों की स्थापना में राज्य सरकारों की क्या भूमिका होगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी हां।

(ख) अब तक, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर और मध्य प्रदेश की सरकारी के प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं।

(ग) आठवीं योजना के अंतर्गत 10.00 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गयी है। राज्य सरकार स्वायत्त संगठन का पता लगाएगी, निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराएगी, निर्माण लागत का 50 प्रतिशत अंशदान देगी और आवर्ती व्यय वहन करेगी।

[अनुवाद]

श्री तारा सिंह (कुरूक्षेत्र) : अध्यक्ष महोदय, कुछ राज्यों की संस्कृति, विशेषकर हरियाणा राज्य की संस्कृति दिन प्रति दिन खत्म होती जा रही है और विभाग द्वारा उसके संवर्धन के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं। प्रत्येक राज्य के सांस्कृतिक जीवन को संवर्धित के लिए देश में सांस्कृतिक भवन–समूहों को बनाना आवश्यक है। अतः मेरा पहला प्रश्न यह है कि हरियाणा में कितने सांस्कृतिक भवन–समूहों बनाए जायेंगें, किस स्थान पर बनाए जायेंगे और क्या राज्य सरकार से इस संबंध में परामर्श किया है।

कुमारी शैलजा : महोदय, जैसा कि सदस्य द्वारा स्वयं ही उल्लेख किया गया है कि इन सांस्कृतिक भवन–समूहों को स्थापित करने का मुख्य कारण उस राज्य की संस्कृति को संवर्धित करने और उसे संरक्षण प्रदान करना है और यह भवन–समूह उस राज्य विशेष की सांस्कृतिक गतिविधियों के केन्द्र के रूप में कार्य करेगा।

जहां तक हरियाणा का संबंध है, हमें कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और इसे स्वयं राज्य को भेजना चाहिए। लेकिन हाल ही में, हरियाणा सरकार के अधिकारियों के साथ हमारी एक बैठक हुई है, और उनसे यह कहा गया था कि वे प्रस्ताव भेज सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने सभी राज्यों को इस योजना के संबंध में लिख दिया है और जब कभी भी वे अपने प्रस्ताव भेजेंगे हम उन्हें स्वीकृत कर धनराशि आवंटित कर सकते हैं। यह राशि लागत के 50 प्रतिशत के बराबर होगी अथवा परियोजना के अनुसार 1 करोड़ रू. होगी।

हरियाणा के मामले को इस बैठक विशेष में अधिकारियों के सामने रखा गया तो उन्होंने इसका गठन कुरूक्षेत्र में करने के लिए विशेष रुचि दिखाई जो माननीय सदस्य का ही निर्वाचन क्षेत्र है।

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनाशकाठा) : मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है, यह बड़ी अच्छी स्कीम है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस स्कीम के बारे में राज्यों को कब सूचित किया गया और किन–किन राज्यों से इसका उत्तर आया है। क्या गुजरात सरकार ने भी इस स्कीम के अंतर्गत अपनी मांग रखी है ?

कुमारी शैलजा : अध्यक्ष महोदय, पिछले साल जुलाई में हमने राज्यों को पत्र लिखा था और कुछ राज्यों में कार्रवाई शुरू भी हो गई है। कुछ राज्यों जैसे मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी आदि के प्रपोजल सही नहीं पाये गये, उनको दोबारा से लिखा गया है कि वे अपने प्रपोजल कंप्लीट करके भेजें। जिन राज्यों के प्रपोज़ल सही नहीं पाए गए, उनमें गुजरात का नाम नहीं है।

[अनुवाद]

डा. वसन्त पवार (नासिक) : उत्तर में यह कहा गया है कि राज्य सरकार को उन स्वायत्त संगठनों का पता लगाना है जो निःशुल्क भूमि देने को तैयार हैं और निर्माण लागत के 50 प्रतिशत की भागीदारी करने के लिए भी तैयार हैं।

नासिक जिला मराठा विद्या प्रसारक समाज द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया है। संस्थान द्वारा 50 प्रतिशत निर्माण लागत की भागीदारी करने और निःशुल्क भूमि देने के बाद उस सांस्कृतिक भवन–समूह का स्वामी कौन होगा ?

कुमारी शैलजा : संगठन में उसे राज्य सरकार के द्वारा आना होगा जिसमें केन्द्र सरकार, सांस्कृतिक विभाग के प्रतिनिधि होंगे। यह योजना की रूपात्मकता है।

बाघों की संख्या

+

*522. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**

श्री रमेश चेन्नित्तला :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989 और 1993 की गणना के अनुसार देश में बाघों की राज्य–वार संख्या कितनी–कितनी थी;

(ख) बाघों की संख्या घटने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(ख) बाघ की हड्डियों और इसके शरीर के अन्य अंगों के व्यापार की गैर कानूनी मांग की पूर्ति के लिए इसके चोरी–छिपे शिकार में हुई वृद्धि इस देश में बाघ की संख्या में कमी आने का कारण रही है।

(ग) सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नलिखित हैं :

(1) मंत्रालय में एक बाघ संकट प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है;

(2) राज्य सरकारों को संरक्षित क्षेत्रों के आसपास सतर्कता को सुदृढ़ करने और गश्त तेज किए जाने की सलाह दी गई है; और

(3) बाघ परियोजना क्षेत्रों में विशेष प्रहारक बल स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

विवरण

अखिल भारतीय बाघ गणना, 1993

वर्ष 1989 और 1993 के लिए बाघ गणना के राज्यवार आंकड़े निम्नवत हैं :–

क्रं सं.	राज्य का नाम	वर्ष	
		1989	1993
1.	आंध्र प्रदेश	235	197
2.	दादर नगर हवेली	शून्य	शून्य
3.	गोआ	2	3
4.	बिहार	157	137
5.	मिजोरम	18	28
6.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
7.	उड़ीसा	243	226
8.	राजस्थान	99	64
9.	गुजरात	9	5
10.	महाराष्ट्र	417	276
11.	कर्नाटक	257	305
12.	हरियाणा	शून्य	शून्य
13.	मेघालय	34	53
14.	उत्तर प्रदेश	735	465
15.	अरूणाचल प्रदेश	135	180
16.	मध्य प्रदेश	985	912
17.	केरल	45	57
18.	तमिलनाडु	95	97
19.	पश्चिम बंगाल	353	335

20.	असम	376	325
21.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य
22.	नागालैंड	104	83
23.	सिक्किम	1	2
24.	मणिपुर	31	@
	कुल	4334	3750*

(@) 1993 में गणना नहीं की जा सकी।

(*) मणिपुर में बाघों की संख्या सम्मिलित नहीं है।

श्री श्रवण कुमार पटेल : मंत्री महोदय द्वारा बाघों की गणना में दिए गए आंकड़ों के अनुसार यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे देश में बाघों की संख्या कम हो रही है। हमारे देश के महाराजाओं और समृद्ध लोगों के लिए बाघ की खाल उनके बैठक खानों और पुस्तकालयों की शोभा बढ़ाती है।

आजकल शिकार–चोर अनेक बाघों को मार रहे हैं विशेषकर उनकी हड्डियों का निर्यात करने के लिए जो कि कामोत्तेजक द्रव्य और टॉनिक के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहां तक कि बाघ के दाँत और नाखूनों से भी अच्छी कमाई होती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि बाघ परियोजना आरम्भ करते समय इनकी संख्या वृद्धि को देखते हुए पाँच वर्षों के दौरान 1989–93 तक कम से कम 500 बाघ शिकार–चोरों द्वारा समाप्त किए जा चुके थे। यहां तक कि बाघ (आरक्षण) में भी बाघों की संख्या काफी कम हुई है।

तथापि मंत्री महोदय ने सरकार की योजना के बारे में बता दिया है, फिर भी वे किन विशिष्ट प्रभावी कदमों पर विचार कर रहे हैं ताकि कम से कम आरक्षण वाले स्थान में जहाँ बाघ परियोजना लागू है, वहाँ बाघों की जनसंख्या कम न हो, विशेषकर मध्य प्रदेश में जहाँ कान्हा पार्क आरक्षित और बांदवगढ़ पार्क है। मंत्री महोदय भी मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं।

वे इन दोनों आरक्षित पार्कों में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं ?

श्री कमल नाथ : यह सच है कि बाघों पर दबाव पड़ रहा है, जैसा कि मैंनें अपने उत्तर में बताया है। यह बाघ की हड्डी की बढ़ती हुई माँग के कारण है जो कि दक्षिण–पूर्व एशिया के देशों में दवाईयों में इस्तेमाल करने के उद्देश्य से उपयोग में लाई जाती है।

यह एक नया चलन है। पहले बाघ को ट्राफी के रूप में रखा जाता था और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि "यह बैठकखानों और पुस्तकालयों की शोभा बढ़ाते हैं।"

विशेष योजनाएँ आरम्भ की गई हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना, पारिस्थितिकी विकास योजना है, जिसका अर्थ है राष्ट्रीय पार्कों तथा अभ्यारण्यों के आसपास ग्रामीण लोगों के लिए पारिस्थितिकी

विकास और आर्थिक विकास। हमारे देश में 75 राष्ट्रीय पार्क और 421 अभ्यारण्य हैं जिनसे देश के कुल क्षेत्र का लगभग 4.2 प्रतिशत क्षेत्र घिरा हुआ है।

इन क्षेत्रों में प्राकृतिक आवास को यथासंभव संरक्षण प्रदान करना महत्त्वपूर्ण है। ऐसा किया जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा है प्रत्येक आरक्षित आखेट स्थल में एक प्रहारक बल गठित किया जा रहा है और मैंनें अपनी अध्यक्षता में एक बाघ संकट प्रकोष्ठ बनाया है जो समय–समय पर इसकी पुनरीक्षा करेगा।

श्री श्रवण कुमार पटेल (जबलपुर) : एक बार दिल्ली में तिब्बती शरणार्थी आवास–समूह से सहसा 30 बाघ की खालें और बाघ की हड्डियों का एक बड़ा भंडार मिला था। मैं जानना चाहता हूँ कि इस संबंध में जाँच के क्या परिणाम निकले थे ? क्या चोरी–छिपे शिकार करने वाले किसी गिरोह का पता चला था और उनकी कार्यप्रणाली क्या थी।

श्री कमल नाथ : यह मामला न्यायालय में चल रहा है। यह सच है कि लगभग कुल 125 किलो बाघ की हड्डियों का पता चला था। यह भी हमने ढूंढ निकाला है। विगत में ऐसा नहीं हुआ। यह दिल्ली पुलिस सहित प्रवर्तन अभिकरणों तथा मेरे मंत्रालय के प्रवर्तन अभिकरणों की सतर्कता तथा कोशिशों के कारण सम्भव हो पाया है। इस समय यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। यह वह गिरोह है जो बाघ की हड्डियाँ दवा बनाने के लिए चीन तथा अन्य दक्षिण पूर्व–एशिया के देशों में तस्करी करके भेजते थे।

[हिन्दी]

श्री बृशिण पटेल : अध्यक्ष महोदय, सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भी निरन्तर बाघों की संख्या में कमी हो रही है। इनके दिए हुए आंकड़ों के अनुसार मिजोरम और अरूणाचल प्रदेश में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इन दो प्रदेशों में बाघों के रख–रखाव और वहां की सुरक्षा व्यवस्था का दूसरे राज्यों से तुलनात्मक अध्ययन कोई किया है और क्या उसके अनुरूप दूसरे राज्यों में भी इस तरह की व्यवस्था लागू करेंगें, ताकि दूसरे राज्यों में बाघों की संख्या में वृद्धि हो सके ?

श्री कमलनाथ : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि समिति बनाई गई है और जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, यह बात सच है कि वृद्धि हुई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप दूसरे राज्यों के लिए भी ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं ?

[हिन्दी]

श्री कमल नाथ : दूसरे राज्यों के लिए भी पूरा प्रयास किया जा रहा है।

श्री अरविंद त्रिवेदी : अध्यक्ष महोदय, साबरकांठा में अरावली पर्वत माला है वहां पर काफी शेर थे जिनमें सफेद शेर भी थे लेकिन आज एक भी नहीं है, इसका क्या कारण है ? क्या वहां पर बाघों की वृद्धि करना चाहते हैं ? दूसरा प्रश्न यह है कि सरकस में शेर कहां से आते हैं ? क्या उसकी जांच–पड़ताल करवाई गई है या चोरी करके लाते हैं या उसके लिए लाईसेंस दिए जाते हैं या बाहर से इम्पोर्ट किए जाते हैं ? इसकी जानकारी सदन को दें। ....**(व्यवधान)** •

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही – वृत्तान्त में नहीं लिया जाएगा।

[**हिन्दी**]

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस जगह का जिक्र किया है उसको छोड़ें, लेटेस्ट सैन्सस के अनुसार गुजरात में केवल पांच टाईगर पाए गए। .... **(व्यवधान)** सफेद टाईगर के लिए हम एक योजना रीवा में कंसीडर कर रहे हैं। मैं यह जानकारी माननीय सदस्य को देना चाहता हूं कि जो गिर शेर होता था आज वही केवल गुजरात में बचा है। यह भी प्रयास किया जा रहा है कि देश के और भागों में जहां पहले यह शेर हुआ करता था इसके लिए वहां हैबीटाट की तैयारी की जाए ताकि वहां भी यह शेर हो पाए। जहां तक सरकस का प्रश्न है तो यह मामला कोर्ट में आया था। एक नियम बनाया गया था कि सरकस में शेर या अन्य जानवरों का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।

यह मामला अभी तक कोर्ट में है। इसमें हाल ही में कुछ चर्चा हुई है और मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य में इसका फैसला आने वाला है कि यह कहाँ से आते हैं। ये आयात नहीं किये जाते। ट्रेपिंग होती है, यह परम्परा सालों से चल रही थी, कोई नई नहीं है। नियम बनाये गये थे कि सर्कस में इनका उपयोग किया जा सकता है। ....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जिन्होंने जंगल में पहले टाइगर देखा है उनको पहले अवसर दिया जायेगा।

श्री दिलीप भाई संघाणी : मेरे क्षेत्र में भी है।

अध्यक्ष महोदय : जू में देखने वालों को बाद में दूँगा।

[**अनुवाद**]

श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों के संबंध में सुझाव दिए हैं और जिसमें उन्होंने कहा है कि विशेष प्रहार बल के गठन के लिए कदम उठाए गए हैं। मैं जानना चाहूँगा कि इस विशेष प्रहार बल को गठित करने के बाद इस प्रहारक

• कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

बल से कितने मामलों का पता लगा है और कितने व्यक्तियों को चोरी–छिपे शिकार करते हुए पकड़ा गया है।

श्री कमल नाथ : महोदय, प्रहारक बल का मुख्य उद्देश्य वर्तमान कार्यप्रणाली को प्रतिस्थापित करना नहीं है बल्कि उसके पूरक के रूप में काम करना है। यह प्रहारक बल गठित किया जा रहा है जिसमें वनपाल, वनरक्षक और वाहन शामिल होंगें। राज्य सरकारों से प्रहारक–बल के लिए प्रस्ताव देने को कहा गया है क्योंकि हमें राज्य प्रशासन के सभी पहलुओं को शामिल करना है।

बाघ के चोरी–छिपे शिकार की वास्तविक समस्या जिसके बारे में मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूँगा, वह यह है कि जब हमने 21 वर्ष पूर्व बाघ परियोजना आरम्भ की थी तो भारत में बाघों की संख्या विश्व की कुल बाघों की संख्या का 25 प्रतिशत थी आज वही संख्या 65 प्रतिशत है और जबकि पिछले 20 वर्ष में बाघों की संख्या बढ़ गई है फिर भी उनके प्राकृतिक आवास स्थल नहीं बढ़े हैं। बाघ के प्राकृतिक निवास स्थलों पर संख्या बढ़ने के कारण निरन्तर दबाव पड़ रहा है। इसलिए बाघों के संबंध में बात करते हुए प्राकृतिक निवास स्थलों के संरक्षण के बारे में बात करना महत्त्वपूर्ण है। प्रहारक बल सृजित करना ही केवल उत्तर नहीं है और यह उत्तरों में से एक है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य परिणाम जानना चाहते हैं।

श्री कमल नाथ : मैने उन पर अधिक प्रकाश डाल दिया है।

[हिन्दी]

श्री दिलीप भाई संघाणी : अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय : आपने टाईगर कहां देखा था, जंगल में या शहर में।

श्री दिलीप भाई संघाणी : मेरे क्षेत्र में गिर फारेस्ट का आधा हिस्सा पड़ता है। शेर तो हम वैसे भी देखते हैं। परम्परागत रूप से हमारे जिले में जो विशेष टाइगर थे वे कम हो रहे हैं। अभी सरकार ने योजना बनाई है कि गिर फारेस्ट से शेरों को निकाल कर मध्य प्रदेश में और दूसरी जगहों पर ट्रांसफर किया जायेगा। इससे मेरे क्षेत्र में जन–आन्दोलन हो रहा है कि यह नहीं होना चाहिए। सारी दुनिया में परम्परागत रूप से केवल दो जगहों पर एक तो गुजरात में हमारे यहां और दूसरे दक्षिण अफ्रीका में शेर पाये जाते हैं। गिर फारेस्ट के शेरों को ट्रांसफर नहीं करने के लिए सरकार क्या विचार कर रही है ? मेरा दूसरा प्रश्न है कि जैसे उनका ट्रांसफर किया जा रहा है वैसे ही अन्य जिलों में जो टाइगर हैं उनको दूसरी जगह भेजा जाये जिससे उनकी संख्या में बढ़ोत्तरी हो, इसके लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री कमलनाथ : लायन को दूसरी जगह भेजने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है इसका यह उद्देश्य नहीं है कि गुजरात में इसकी मोनोपली को तोड़ा जाये। शेरों की आबादी बढ़ाने की दृष्टि

से ऐसा किया जा रहा है। हर क्षेत्र की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। हर पार्क की, फारेस्ट की और सेंक्चुरी की कैरिंग केपेसिटी होती है, उसके अनुसार किया जायेगा। यह कोई लक्ष्य नहीं है कि केवल गुजरात में ही हो और दूसरी जगह उपलब्ध न हो।

यह उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य यह है कि शेरों की जनसंख्या बढ़ायी जाये। जहां तक शेरों का प्रश्न है, इसमें भी जो गुजरात के हैबिटैंट्स हैं, इनको बचाना है और टाइगर्स की पापुलेशन बढ़े, इसके लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के पलामू जिला में भारत सरकार का एक टाईगर प्राजेक्ट है जिस पर करोड़ों रूपया खर्च किया जा चुका है। पिछले साल वहां पर पीने के पानी के लिये जो 300 जल स्त्रोत (वाटर होल्स) थे, सूख जाने के कारण सभी बाघ वहां से भाग गए हैं, क्या सरकार को इसकी जानकारी है ?

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, देश में ऐसे कई पार्क हैं जहां पर पेय जल की समस्या है। जब भी पानी कम होता है तो यह समस्या आ जाती है। जो भी हमारे नेशनल पार्क हैं, उसकी स्ट्रेटेजी के अनुसार ईको डेवलेपमेंट योजनायें हैं, उसको पूरा करने के लिये जो कठिनाइयां आती हैं, उनको दूर करने का प्रयास करते हैं।

"टुवर्ड्स फ्रीडम" शोध परियोजना

*524. **श्री राम निहोर राय** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "टुवर्ड्स फ्रीडम" शोध परियोजना में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) राष्ट्रीय अभिलेखागार ने इस परियोजना पर अभी तक कुल कितनी धनराशि खर्च की है;

(ग) इसे पूरा करने के लिये क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) इस परियोजना के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर प्रस्तुत है।

(ख) 31 मार्च, 1992 तक 199.22 लाख रूपये की धनराशि जारी की गयी थी और तत्पश्चात् परियोजना का सरकारी वित्त पोषण बंद कर दिया गया था।

(ग) अधिक से अधिक 31 मार्च, 1997 तक पांच खंड प्रकाशित कर दिए जाएंगे, जो इस समय विभिन्न चरणों पर तैयार हो रहे हैं।

(घ) भिन्न प्रकार की विशाल सामग्री का संग्रह और उसकी तुलना करने में तथा परियोजना के लिए उपयुक्त संपादक की नियुक्ति करने में काफी समय लग गया। तथापि, विभिन्न खंडों पर

कार्य करने के लिए 1988 में प्रमुख संपादक तथा आठ संपादकों की नियुक्ति किए जाने से संपूर्ण परियोजना के कार्य में गति आयी है और सभी खंडों के अधिक से अधिक मार्च, 1997 तक प्रकाशित हो जाने की संभावना है।

विवरण

"टुवर्ड्स फ्रीडम" परियोजना को 10 खंडों में पूरा किया जाना है, जिनमें 1937 से अगस्त, 1947 तक के काल का चित्रण किया जाएगा। 1937 के लिए खंड I प्रकाशित किया जा चुका है। खंड II (1938), खंड III (1939), खंड IV (1940) तथा खंड VII (1943–44) के लिए पांडुलिपियां पूरी कर ली गयी हैं और इन्हें शीघ्र ही मुद्रित किया जाएगा। खंड V (1941), खंड VI (1942), खंड VIII (1945), खंड IX (1946) और खंड X (1947) की तैयारी विभिन्न चरणों पर चल रही है।

श्री रामनिहोर राय : अध्यक्ष महोदय, यह संस्था 1972–73 से काम कर रही है और मैं देख रहा हूं कि इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है जबकि इस पर करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय अभिलेखागार को मूल दस्तावेज़ सामग्री एकत्र करने में क्या प्रगति हुई है तथा किन–किन जिला मुख्यालयों तथा राज्य सरकारों के सामने प्राप्त हो चुके हैं ?

कुमारी शैलजा : अध्यक्ष महोदय, इसमें राज्य सरकारों की तो कोई बात नहीं है लेकिन आई सी एच आर के कुछ प्राजेक्ट्स के लिये 1992 तक फंडिंग करते रहे हैं लेकिन उसका नतीजा सामने नजर नहीं आ रहा था और बार बार एक्सटेंशन देने पर भी यह काम नहीं हुआ है। अब इसमें आई सी एच आर इनवाल्व है ताकि काम खत्म हो जाये।

श्री रामनिहोर राय : क्या राष्ट्रीय अभिलेखागार के मूल दस्तावेजों की सामग्री के चुनाव का काम समाप्त हो चुका है और यदि हां तो इस कार्य के लिये नियुक्त अधिकारी के वेतन का भुगतान लगातार किया जा रहा है, यदि हां तो इसका क्या औचित्य है ? क्या यह सही है कि उक्त पद मार्च 1994 में समाप्त कर दिया गया है, यदि हां तो यह कार्य अब पूरा कैसे होगा ?

[अनुवाद]

कुमारी शैलजा : महोदय, विशेष कार्य अधिकारी ....

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदस्यों का एक अधिकारी पर प्रश्न पूंछना पसंद नहीं है। इसकी आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, "टुवर्ड्स फ्रीडम" शोध परियोजना हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महत्त्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाने वाली महत्त्वपूर्ण योजना है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि यह योजना मूल रूप में कब चालू की गयी थी, इसके सम्पादक मंडल में कौन कौन सी योग्यता

धारण करने वाले सम्पादक और प्रधान सम्पादक हैं और जो सामग्री का चयन किया जायेगा, उसका क्या आधार निश्चित किया गया है ताकि देश के सामने सही तथ्य आ सकें और नयी पीढ़ी को स्वाधीनता संग्राम की पूरी जानकारी उपलब्ध हो सके ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि बेहतर होता कि आप यह जानकारी लिख कर भेजते।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, इस परियोजना "आजादी की ओर" (टुवर्ड्स फ्रीडम) का विवरण जो कि प्रकाशित होगा, सूची में दिया गया है। यह केवल एक विशेष अवधि से दूसरी विशेष अवधि तक है। स्वतंत्रता संघर्ष बहुत पहले शुरू हुआ था। अतः यदि स्वतंत्रता–संघर्ष की पूरी अवधि को जब से स्वतंत्रता संघर्ष शुरू हुआ था, इसमें शामिल नहीं किया जाता है तो क्या यह परियोजना अपेक्षाओं को पूरा कर पाएंगी ? यदि सरकार ऐसा महसूस करती है तो उसे हमारे लोगों को हमारे स्वतंत्रता–संघर्ष के बारे में जिज्ञासा को पूरा करना चाहिए, फिर मैं समझता हूं कि इसे अंग्रेजों के शासन–काल से शुरू किया जाना चाहिए। हमारे स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित लम्बी अवधि को राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। यदि इस पूरी अवधि को इसमें शामिल किया जाता, तभी यह एक सम्पूर्ण परियोजना होती।

अध्यक्ष महोदय : आप इस परियोजना को उतना व्यापक बनाना चाहते हैं जैसा कि आप सुझाव दे रहे हैं। क्या यही प्रश्न है ?

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या वह इस बात पर विचार करेंगे कि यह एक सम्पूर्ण परियोजना होगी और राष्ट्र को सारी जानकारी प्रदान करने में सहायता प्रदान करेगी। हमारे स्वतंत्रता–संघर्ष से संबंधित सभी घटनाएं इस परियोजना का भाग होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया दोहराइए नहीं। क्या आप इसे और व्यापक बनाने जा रहे हैं ?

कुमारी शैलजा : महोदय, क्या मैं आपकी अनुमति से इस बात को स्पष्ट कर सकती हूं कि हम एक विशेष परियोजना के बारे में बात कर रहे हैं। कोई इतिहास नहीं बना रहे हैं। पुरालेख सामग्री राष्ट्रीय अभिलेखागारों में है और उस सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके अतिरिक्त मौखिक साक्ष्यों का और अन्य तरीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यह विशेष परियोजना केवल 1937 से 1947 तक की है जिसे दस खण्डों में प्रकाशित किया जा रहा है। हम एक परियोजना विशेष के बारे में बात कर रहे हैं जिसे प्रस्तुत और स्वीकृत किया गया था।

नवयुवतियों के लिए योजना

+

*525. **श्री के. एच. मुनियप्पा** :

श्री टी. कृष्णा राव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवयुवतियों के लिए योजना के अन्तर्गत 600 से अधिक परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक कितनी सफलता मिली है; और

(ग) वर्ष 1994–95 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) किशोर बालिका स्कीम 507 समेकित बाल विकास सेवा ब्लाकों में स्वीकृत की गई है। स्कीम कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

(ख) इस स्कीम के अन्तर्गत, समेकित बाल विकास सेवा अवसंरचना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों की 11–18 वर्ष की आयुवर्ग की किशोर लड़कियों की स्वास्थ्य, पोषाहार, मनोरंजन, जागृति विकास तथा कौशल सुधार की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कार्रवाई की जाती है। लोगों ने इस स्कीम का स्वागत किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, 2 लाख से भी अधिक लड़कियों को कवर किया जा चुका है।

(ग) वर्ष 1994–95 के दौरान, इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित कुल अनुमानित राशि 5.58 करोड़ रूपए है।

श्री के. एच. मुनियप्पा : महोदय, क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूँ कि क्या उन्होंने देश में नवयुवतियों के स्तर के बारे में कोई सर्वेक्षण शुरू किया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : जी हाँ, हमने कुछ राज्यों में सर्वेक्षण किया है। अभी तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। संभवतः, यह रिपोर्ट हमें जून यां जुलाई में मिल जाए।

श्री के. एच. मुनियप्पा : महोदय, क्या मैं मंत्री जी से जान सकता हूं कि क्या सरकार का इस वर्ष के दौरान इस योजना का विस्तार करने का प्रस्ताव है और क्या सरकार का विचार आठवीं योजना के दौरान सभी ताल्लुकों या खण्डों को इस योजना के अन्तर्गत लाने का है ? यदि हाँ, तो मैं जानना चाहता हूं कि नवयुवतियों को इस योजना के अन्तर्गत लाने के लिए कितनी अतिरिक्त राशि निर्धारित की गई है ?

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : महोदय जहां तक इस योजना का इस वर्ष के अन्तर्गत विस्तार करने का संबंध है, इसका उत्तर यह है कि नहीं, इसका विस्तार नहीं किया जा रहा है। जब तक सर्वेक्षण और समीक्षा नहीं की जाती है, तब तक हम इस योजना का विस्तार नहीं करेंगे।

श्री वी. कृष्णाराव : महोदय, नवयुवतियों के लिए बनी इस योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ?

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : महोदय, इसके अविलम्बनीय महत्त्व को मानते हुए, हम एक बालिका और एक महिला के बीच अन्तर रखना चाहते हैं। इस तरह से हमने समन्वित बाल विकास सेवा के अन्तर्गत नवयुवतियों के लिए यह योजना तैयार की है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

(एक) 11 से 18 वर्ष की आयु–वर्ग की बालिकाओं के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार लाना;

(दो) अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से उन्हें आवश्यक साक्षरता प्रदान करना तथा गणना करना सिखाना;

(तीन) सामाजिक अभिव्यक्ति और ज्ञान के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना और उनकी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार लाने के लिए उनकी सहायता करना;

(चार) नवयुवतियों में गृह–कार्य से संबंधित कौशल में सुधार लाने और उसे अद्यतन बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना और उन्हें साधन उपलब्ध कराना।

(पाँच) स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान, पोषण और परिवार कल्याण, गृह–प्रबंधक और शिशु की देख–भाल के संबंध में जागरूकता को बढ़ावा देना और केवल 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने और यदि संभव हो, तो उसके बाद ही विवाह करने के लिए सभी उपाय करना।

श्री वी. कृष्णाराव : कितने खण्डों ....

अध्यक्ष महोदय : श्री कृष्णाराव जी, आप केवल एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मुझे दूसरे लोगों को भी अवसर देना है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, उत्तर में यह कहा गया है कि दो लाख नवयुवतियों को इसमें शामिल किया जा चुका है और इसके लिए 5.58 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। यह प्रति बालिका 200 रुपए वार्षिक आता है जो एक रुपए प्रति–दिन से भी कम है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह राशि बालिकाओं के स्तर में बहुदेशीय सुधार के लिए पर्याप्त है और क्या इससे इन उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकेगी। साथ ही, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि प्रत्येक बालिका को कब तक इस योजना में शामिल किया जाएगा और जहां तक इससे लाभान्वित होने वाली बालिकाओं का संबंध है, इस योजना के समाप्त होने के बाद उनका क्या होगा।

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : महोदय, उन्होंने दो प्रश्न पूछे हैं। प्रश्न का पहला भाग इस कार्य के लिए निर्धारित की गई राशि के बारे में है जो बहुत कम है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जहां कहीं भी यह योजना कार्यान्वित की गई है हर योजना के लिए हम नवयुवतियों के लिए बनी प्रत्येक योजना के लिए 10,10,000 रुपए दे रहे हैं। यह बच्चों की देखभाल के लिए पर्याप्त है। बच्चे के जीवन की दो अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था बालिका से बालिका की होती है।

दूसरी योजना वह है जिसमें हम प्रत्येक खण्ड से प्रत्येक योजना के अन्तर्गत केवल छः बालिकाओं का चयन करते हैं। 100 परियोजनाओं में 600 बालिकाओं का चयन होता है। हम प्रत्येक बालिका को छह माह का प्रशिक्षण देते हैं। हम उन्हें भोजन, पोषण और अन्य चीजें देते हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मैं उत्तर में दिए गए प्राक्कलन का उल्लेख कर रही हूं। वह एक रुपया प्रति–दिन से कम अ ता है।

अध्यक्ष महोदय : ऐस नहीं है। मंत्री महोदय अपनी बात जारी रखें।

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : मैं आप से कह रही हूं। हम प्रत्येक खण्ड के लिए 10,10,000 रुपए मंजूर कर रहे हैं। उसे नवयुवतियों के लिए बनी परियोजना में भोजन और अन्य चीजों पर व्यय किया जाएगा। मेरी जानकारी के हिसाब से यह राशि पर्याप्त है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मुझे थोड़ी उलझन नजर आती है। उत्तर में यह कहा गया है कि नवयुवती योजना समन्वित बाल विकास सेवा के अन्तर्गत 507 खण्डों में मंजूर की गई है। मंत्री महोदय द्वारा दी गई संख्या वह नहीं है। इसीलिए श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य को यह प्रश्न पूछना पड़ा। मैं जानना चाहती हूं कि क्या विपरीत योजनाएं बनाने और इसमें किसी क्षेत्र-विशेष में ध्यान न देने और इसे पूरा करने के स्थान पर आप किसी विकल्प पर विचार करेंगे? मैं जानना चाहती हूं कि क्या इस तरह की योजनाएं वांछित परिणाम देती हैं, मैं जानना चाहती हूं कि क्या मंत्री जी ने या मंत्रालय ने योजना की निगरानी के प्रश्न पर गौर कर लिया है और उसको दृष्टि में, रखते हुए क्या वह योजना का पुनर्मूल्यांकन करेंगें ?

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : महोदय, मैं उनका प्रश्न समझी नहीं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : उनमें से कितनों में वास्तविक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ? यह एक प्रश्न है।

प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि इन बालिकाओं से क्या सीखने की अपेक्षा है और क्या ये चीजें बहुत सारी हैं और लाभान्वित होने वाले बहुत कम।

इस बात को दृष्टि में रखते हुए मैं जानना चाहती हूं कि मानदण्डों को छोटा करना और बालिकाओं को उचित रूप से शिक्षित करना बेहतर होगा। ताकि धन खर्च करने के बाद उससे कुछ प्राप्त हो।

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : महोदय, हम जो कुछ भी व्यय कर रहे हैं, वह पर्याप्त है। 507 खण्डों के लिए हम 1,10,000 प्रति ब्लॉक के हिसाब से धन मंजूर कर रहे हैं। योजना में दो चरण हैं। पहले चरण में हम प्रति वर्ष 6 बच्चे की दर से चयन कर रहे हैं और दूसरे चरण में हम प्रति वर्ष केवल चार बच्चों का चयन कर रहे हैं। अतः छः बच्चों के लिए यह पर्याप्त है दूसरे खण्ड जिसमें हम साक्षरता, गृह--प्रबंधन कौशल, स्वास्थ्य की देखभाल और टीकाकरण करना चाहते हैं, वहां पर चुनिन्दा लोग होते हैं। एक खण्ड में उन 40 बालिकाओं के लिए हम जो राशि निर्धारित करते हैं, वह पर्याप्त है। अनेक राज्यों के अन्तर्गत योजनाओं की दर्शाते हुए इस वर्ष के कुल बजट के बारे में ब्यौरे भी मेरे पास हैं। मैं नहीं समझती कि इन बच्चों के लिए अतिरिक्त धन दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि हम बहुत कम बच्चों के लिए खान-पान की व्यवस्था कर रहे हैं। हम एक चरण में एक खण्ड में केवल छः बच्चों के लिए खाने-पीने की व्यवस्था करते हैं और दूसरे चरण में हम एक खण्ड में केवल चार बच्चों के लिए ही खान-पान की व्यवस्था करते हैं। साथ ही, हम ऐसी बालिकाओं को केवल छः माह का ही प्रशिक्षण देते हैं और विवाह योग्य आयु प्राप्त कर लेने के बाद वह विवाह करती हैं या नहीं यह बात उन पर छोड़ दी जाती है।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहती हूं कि उन्होंने बताया है किशोर बालिका स्कीम जो चल रही है, उसके अन्तर्गत

स्वास्थ्य, पोषाहार, मनोरंजन, जागृति विकास तथा कौशल–सुधार की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कार्रवाई की जाती है, तो 11 से 18 वर्ष की गांव की लड़कियां क्या गांव से बाहर इन कार्यक्रमों में भाग लेने आती हैं ? क्या यह सही है ? क्योंकि हमारा अनुभव तो यह बताता है कि गांव की 11 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियां अपने घरों से बाहर शिक्षा लेने के लिए भी नहीं जाती तो क्या यह जो स्कीम आपकी चल रही है, वह सही चल रही है ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह कागजों पर ही चल रही हो ? आपने दो लाख लड़कियों के बारे में बताया है, गांवों में जो हमें देखने को मिलता है, वह आपकी इस स्कीम से बिल्कुल अलग है, तो क्या वास्तव में इतनी लड़कियों को इस स्कीम के तहत पढ़ाया जा रहा है ? हमें तो शंका होती है और शंका होना स्वाभाविक है। इसलिए मैं यह चाहती हूं कि क्या आप इस योजना की जांच कराने के लिए तैयार हैं, क्या कोई ऐसी समिति बनाकर इस योजना की जांच कराएंगी ? और अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है ....

अध्यक्ष महोदय : नहीं, भावना जी। अब आप इसका उत्तर आने दीजिए। ज्यादा प्रश्न न करें।

[अनुवाद]

श्रीमती बासवा राजेश्वरी : महोदय, यह योजना केवल 1991–92 में शुरू की गई थी और परिणामों के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। मैंने पहले ही कह दिया है कि सर्वेक्षण किया गया है और रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। हमें रिपोर्ट जून में प्राप्त हो जाएगी।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, ये जो पिछड़े जिले हैं बिहार के आदिवासियों के, आन्ध्र प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, उनमें आपकी कितनी योजनाएं चल रही हैं और कितनी योजनाएं फलीभूत हुई हैं और फलीभूत नहीं हुई हैं, तो क्या इसको बन्द करने का विचार आप रखती हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदया ने बता दिया है कि अभी रिपोर्ट आई है, उसको देखने के बाद वे डिसाइड करने जा रही हैं। आप बैठ जाइए।

चीनी का आबंटन

[अनुवाद]

+

*526. **श्री काशीराम राणा** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 1991 की जनगणना के आधार पर राज्यों को लेवी चीनी का कोटा आबंटित करने तथा बाद के वर्षों में जनसंख्या बढ़ जाने पर इस कोटे में वृद्धि भी करने के संबंध में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए लेवी चीनी का अतिरिक्त आबंटन करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग). इस समय देश में लेवी चीनी की सीमित उपलब्धता के कारण राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 1991 की जनगणना के आधार लेवी चीनी का आबंटन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ). इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

श्री काशी राम राणा : अध्यक्ष महोदय, सरकार आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो सामान वितरित कर रही है वह 1986 की पापुलेशन के आधार पर कर रही है। 8 साल में इतनी आबादी बढ़ गई है जिसके कारण जो चीनी 1986 के आधार पर आबंटित की जा रही है वह बहुत कम है। खासकर के गांव और जनजातीय क्षेत्रों में तो लोगों को चीनी पहुंचती ही नहीं है।

मेरा सरकार से यह अनुरोध है और मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने जो संकटपूर्ण स्थिति पैदा की है, उसे दूर करके 1991 की जनगणना के आधार पर चीनी कब आवंटित की जाएगी और जो प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है, उसे मंजूरी कब मिलेगी क्योंकि नई चीनी मिलें शुरू करने के कई प्रपोज़ल सरकार के पास विचाराधीन हैं जिनमें पांच गुजरात के प्रपोज़ल्स हैं ?

श्री कल्प नाथ राय : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मित्र के प्रश्न का जवाब दे दिया है कि चीनी का उत्पादन बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। आप जानते हैं कि ऐग्रो-क्लाईमैटिक कंडीशन्स . ... **(व्यवधान)** ....

अध्यक्ष महोदय : वे पूछ रहे हैं कि क्या 1991 के सैन्सस के आधार पर चीनी का वितरण होगा ?

श्री कल्प नाथ राय : यह सवाल सरकार के पास विचाराधीन है। अभी तो 1986 के आधार पर हम जो चीनी दे रहे हैं, उसकी भी हमारे पास कमी है।

श्री काशी राम राणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न और पूछा था कि जो प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन हैं ..... **(व्यवधान)** ......

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न इसमें से नहीं निकलता है।

श्री काशी राम राणा : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो जवाब दिया है कि सीधी उपलब्धता के कारण हम लैवी चीनी कम दे रहे हैं। सरकार फ्री सेल की चीनी का जो कोटा ऐनाउंस कर रही है, वह मार्च में 6.50 लाख टन था, अप्रैल में 5.40 लाख टन था जबकि मई महीने के लिए सिर्फ 4.75 लाख टन ही रिलीज़ किया है। इसलिए बाजार में आज चीनी का दाम बढ़ता जा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि चीनी के दाम को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या प्रावधान कर रही है ? क्या किसानों को ज्यादा गन्ना उगाने के लिए कुछ ऐनकरेजमैंट देगी ?

श्री कल्प नाथ राय : अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष चीनी का उत्पादन अन्य वर्षों के मुकाबले में कम हुआ है। सरकार ने इस संकटपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए ओपन जनरल लाईसैंस की नीति अख्तियार की है। जो जितनी चीनी चाहे, विदेश से मंगा सकता है और हमारे देश में 4 लाख टन चीनी मई और जून तक आने की संभावना है जिससे चीनी का दाम नहीं बढ़ेगा।

चीनी का उत्पादन बहुत सी बातों पर मुनस्सर करता है। महाराष्ट्र जो सबसे ज्यादा चीनी पैदा करता था, वहां सूखा पड़ जाने के कारण चीनी का उत्पादन कम हुआ है। बहुत सी राज्य सरकारें जो चीनी उत्पादन में मदद करती थी, उन्होंने भी उतना काम नहीं किया है जिस कारण चीनी का उत्पादन कम हुआ है लेकिन हमें विश्वास है कि हमारी नई पॉलिसी के अनुकूल अगले साल देश में चीनी का भारी उत्पादन होगा।

श्री प्रकाश वी. पाटील : अध्यक्ष महोदय, चीनी का उत्पादन कम हुआ है और उसका इम्पोर्ट भी हो रहा है। महाराष्ट्र शुगर फैडरेशन की 140 चीनी मिलें हैं। वहां नवम्बर में उत्पादन होता है। यदि आप सितम्बर में उत्पादन करेंगे तो 72 प्रतिशत शुगर फ्री सेल के लिए ऐवेलेबल होगी और यदि पूरा 100 प्रतिशत करते हैं तो उत्पादन बढ़ेगा जिससे इम्पोर्ट कम हो सकता है। क्या आप इस पर विचार करेंगे ?

श्री कल्प नाथ राय : सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि अगस्त व सितम्बर में जो चीनी मिले चलेंगी, उनको हम अतिरिक्त/इंक्रीमैंटल उत्पादन पर 100 प्रतिशत फ्री सेल की सुविधा देंगे। .... **(व्यवधान)** ...... आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगस्त में भी चीनी मिलें चलती हैं।

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी के पास यह आंकड़ा है कि इस समय देश में कितनी चीनी की खपत होगी ?

और कितनी कमी पड़ रही है ? उसी का दूसरा भाग है कि देश में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश चीनी के सबसे बड़े उत्पादक प्रदेश रहे हैं। महाराष्ट्र में तो सूखे की वजह से चीनी का उत्पादन नहीं हुआ लेकिन क्या यह बात सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में छोटी–छोटी फैक्टरियों की कैपेसिटी कम है और वह घाटे में चल रही हैं ? गन्ने का दाम नहीं मिला इसलिए किसान ने कम गन्ना बोया और उत्तर प्रदेश में कम चीनी पैदा हुई ?

श्री कल्प नाथ राय : इसके पहले जो एक विरोधी दल की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, ... **(व्यवधान)** ... मुझे उत्तर देने दीजिए। उस जमाने में 204 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के किसानों का ......

श्री नीतीश कुमार : जो सरकार होती है, वह विरोधी दल की नहीं होती है, मंत्री महोदय को यह बता दीजिए। जो सरकार बनाता है, वह सरकारी दल कहलाता है, यह इनको बता दीजिए।

श्री कल्प नाथ राय : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी जानकारी आदरणीय नीतीश कुमार जी से लूंगा। जब मुझे नोलिज की कमी लगेगी तो मैं इनके घर चला जाऊंगा, यह हमको बताऐंगे।

मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जो सरकार थी, उस समय 204 करोड़ रुपया बकाया था। उस बकाया को लेकर लाठी गोली चली। कई किसान मर गये। हमारी सरकार ने किसानों को सारा पेमेण्ट 204 करोड़ रुपये का कर दिया। अब किसानों के अन्दर यह भावना आ रही है कि चीनी का उत्पादन वह करेंगे और अगले साल देश में चीनी का रिकार्ड उत्पादन होगा। ...**(व्यवधान)** ...

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं .....

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं होगा। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

...... **(व्यवधान)** ......

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने अभी पाकिस्तान और थाईलैण्ड से जो चीनी मंगाई है, उसका भाव हिन्दुस्तान में 1310 रुपये क्विंटल है। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि मानसून से पहले भारत सरकार ने 620 करोड़ रुपये की चीनी बाहर से आयात करने का फैसला किया है। जो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार भाव है, खास तौर से पाकिस्तान और थाईलैण्ड में, जहां से आपने चीनी मंगाई है, वहां भाव 410 डालर प्रति टन है। यदि इसी हिसाब से चीनी मंगानी है और इस साल के उत्पादन के हिसाब से हमारे देश में जितनी खपत होनी है, उसके अनुसार 12 लाख टन चीनी का उत्पादन कम हुआ है तो जितना पैसा सरकार ने आयात के मद में रखा हे, आज के बाजार भाव के हिसाब से कुल 5 लाख टन चीनी का आयात इस देश में हो सकता है।

श्रीमन, मैं इसको स्वीकार करना चाहता हूं कि क्या इतनी महंगी चीनी इस देश में मंगाकर, सरकार का जो दावा है कि आने वाले दिनों में चीनी के बाजार भाव को संतुलित कर लेंगे, वह कहां तक सम्भव है ? नम्बर दो–12 लाख टन चीनी की आपूर्ति आयात द्वारा किस रूप में पूरा करने का सरकार का इरादा है ?

श्री कल्प नाथ राय : पहले तो मैं अपने आदरणीय मित्र से बताना चाहता हूं कि भारत सरकार कोई चीनी नहीं मंगा रही है। यह चीनी ओपन जनरल लाइसेंस से आयेगी। आप भी चाहें तो विदेश से चीनी ला सकते हैं। कोई भी चीनी ला सकता है। ....**(व्यवधान)** ....

श्री नीतीश कुमार : चीनी को आप लोग अटैची में रखकर ला सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह जो सोफेस्टिकेटेड चीनी है, वह अटैची में आयेगी ?

श्री कल्प नाथ राय : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी चीनी भारत सरकार नहीं मंगा रही है। ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत जो भी चाहे, हिन्दुस्तान में चीनी मंगा सकता है। उस पर कस्टम ड्यूटी फ्री है, सेल्स फ्री है। हिन्दुस्तान में चीनी भारी मात्रा में आ रही है। मई महीने में एक लाख टन चीनी पहुंच रही है। दूसरी बात मैं अपने आदरणीय मित्र को यह बताना चाहता हूं कि आज भी दुनिया में सबसे सस्ती चीनी भारत में बिकती है। संसार के किसी भी देश में इतनी सस्ती चीनी नहीं है।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं यही कह रहा हूं कि दुनिया की महंगी चीनी मंगाकर इस देश में चीनी का भाव कैसे संतुलित किया जायेगा, इसका उत्तर नहीं आया। ...**(व्यवधान)**...

शिक्षा पर कर

\+

*527. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :**

प्रो० प्रेम धूमल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या फरवरी, 1994 के तृतीय सप्ताह में "सभी के लिए शिक्षा" विषय पर नई दिल्ली में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में की गई चर्चा के अनुसरण में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा शिक्षा पर कर लगाए जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय विकास परिषद् की सिफारिशों का विस्तृत ब्यौरा तथा सम्मेलन में भाग लेने वाले मुख्य मंत्रियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का सार क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन सिफारिशों के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग). सारक्षरता संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद् ने अन्य बातों के साथ–साथ यह सिफारिश की है कि केन्द्र और राज्य सरकारों को शहरी एवं ग्रामीण राजस्व/आय/परिसंपतियों पर शिक्षा शुल्क लगाने की संभावनाओं का पता इस प्रकार से लगाना चाहिए कि उसका लाभ केन्द्र और राज्य दोनों को मिले और यह 100% निर्धारित हो तथा इसका उपयोग प्राथमिक शिक्षा सहित साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किया जाय। 15 फरवरी, 1994 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में अन्य बातों के साथ–साथ शिक्षा के लिए संसाधन जुटाने के उपायों पर चर्चा हुई थी और इस बात पर व्यापक सहमति हुई थी कि शिक्षा शुल्क संसाधन जुटाने का एक साधन हो सकता है। गह भी महसूस किया गया कि इस तरह का शुल्क लगाने से संबद्ध सभी पहलुओं की जांच की जाए। सम्मेलन में लिए गए निर्णय

के आधार पर आगे की कार्रवाई करने का राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है। वित्त मंत्रालय से भी इस मामले की जांच करने का अनुरोध किया गया है।

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : महोदय, यह बहुत ही दुखद बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने देश से यह वायदा किया है कि 2000 ईस्वी तक 'सभी के लिये शिक्षा' के लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा, और एक चौथाई शताब्दी पहले जो राष्ट्रीय संकल्प लिया गया था कि शिक्षा के क्षेत्र में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 6 प्रतिशत निवेश किया जाएगा, उस बात को महत्वहीन बना दिया गया है। नवीं योजना तो अभी काफी दूर है, अभी चार वर्ष इन्तजार करना होगा। अतः मेरा प्रश्न यह है कि क्या शिक्षा उपकर, विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में, लगाने पर कई मुख्य मंत्रियों द्वारा व्यक्त की गई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार ने इस मामले पर पुनः विचार किया है और लक्ष्य की प्रगति के लिये शिक्षा कार्यक्रम के लिये धनराशि की व्यवस्था करने के अन्य विकल्पों का, जिनके बारे में सम्मेलन में सुझाव दिया गया था, पर विचार किया है।

यदि हां, तो क्या सरकार ने वित्तीय आयोग से इस मामले पर बातचीत की है कि राज्य सरकारों को अधिक धनराशि आबंटित की जाये और यदि हां तो आयोग की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही है।

मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है कि क्या वित्त मंत्रालय ने वर्तमान आय–कर छूट की उसी तरह व्यवस्था कराने पर विचार किया है जैसाकि विश्वविद्यालयों में तथा उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के अन्य संस्थानों में व्यवस्था की जा रही है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वे प्राथमिक शिक्षा को इसकी छूट देंगे; यदि हां, तो वित्त मंत्रालय की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कुमारी शैलजा : शिक्षा के लिये आबंटन के संबंध में विभिन्न उपायों पर विचार किया गया था और उनमें से एक उपकर लगाया जाना था। इसमें जनता की भी भागीदारी की बात की है जोकि आय–कर छूट के अन्तर्गत आती है। माननीय सदस्य ने इसके बारे में कहा है। इस पर हमने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा है।

महोदय, वित्त आयोग के बारे में हमने दसवें वित्त आयोग को पत्र लिखा है और राज्यों के लिये अतिरिक्त अनुदानों की व्यवस्था करने के लिये कहा है। अन्य उपायों के अन्तर्गत छात्रवृत्ति के लिये बैंक सहायता शामिल है। हमें बाह्य सहायता भी मिलती है और फिर केन्द्र सरकार भी हमें विभिन्न योजनाओं के लिये धनराशि उपलब्ध कराती है।

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : मुझे खुशी है कि सरकार कम से कम एक सामाजिक अभियान चलाने जा रही है जिसमें '2000 ईस्वी तक सभी के लिये शिक्षा' के लक्ष्य को पूरा करने के लिये निजी क्षेत्र को भी इस अभियान में शामिल किया जा सकता है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या केन्द्र सरकार का आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों को जिनकी वास्तव में अति पिछड़े हुए राज्यों के रूप में पहचान की गई है, अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव

है। हमारे मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा था कि वे 10,000 अतिरिक्त अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र शुरू करेंगें और इस आशय का प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा जा चुका है। क्या विभाग ने इन प्रस्तावों पर अपनी सहमति जता दी है।

कुमारी शैलजा : मैं इस विशेष प्रस्ताव के बारे में नहीं बतां सकती।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम धूमल : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने उत्तर में कहा है कि मुख्य मंत्रियों की जो बैठक ....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या उत्तर का संदर्भ देना आवश्यक है ? कृपया सीधे प्रश्न करें। मैंने अन्य सदस्यों को भी समय देना है।

प्रो. प्रेम धूमल : मैं कोशिश करूंगा।

[हिन्दी]

उन्होंने कहा है कि एजुकेशन सैस लगाया जाएगा और इसी तरह का रोड सैस रोड डेवलपमेंट के लिए, जो एजुकेशन पर ही खर्च होगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं, क्या सरकार ने कोई अगली तिथि निश्चित की है, जब तक फिर बैठक बुलाई जाए और इस दिशा में मूल्यांकन किया जाए, तब तक प्रदेश सरकारों और वित्त मंत्रालय ने क्या निर्णय लिया है ?

कुमारी शैलजा : अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो तिथि निर्धारित नहीं की है।

तम्बाकू उत्पादन

+

*528. **श्री एस. एम. लालजान वाशा :**

प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में तम्बाकू उत्पादकों को कितनी वित्तीय सहायता और क्या–क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं;

(ख) क्या भारतीय किसानों को दी जा रही वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन अन्य तम्बाकू उत्पादक देशों की तुलना में बहुत कम हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) तम्बाकू बोर्ड जरूरतमन्द किसानों को राज सहायता प्राप्त आदानों, उपचार सामग्री की सप्लाई करने तथा निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था करके प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता प्रदान करता है। गत दो वर्षों के दौरान तम्बाकू बोर्ड द्वारा तम्बाकू उत्पादकों को मुहैया की गई राज्यवार वित्तीय सहायता निम्नानुसार है :

वित्तीय सहायता (लाख रुपए)

	1992-93	1993-94
आंध्र प्रदेश	21.05	27.02
कनार्टक	18.91	20.35
उड़ीसा	–	0.80
कुल :	39.96	48.17

(ख) विश्व में तम्बाकू उगाने वाले दस प्रमुख देशों में से केवल ग्रीस (छठा सबसे बड़ा उत्पादक) और इटली (8वां सबसे बड़ा उत्पादक) ऐसे देश हैं जहां के बारे में सूचना मिली है कि भारत (तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक) की तुलना में राजसहायता अधिक है।

(ग) विश्व बाजारों में भारतीय तम्बाकू पहले ही मूल्यस्पर्द्धा योग्य है।

[हिन्दी]

श्री एस. एम. लालजान बाशा : अध्यक्ष महोदय, तम्बाकू का आज पूरी दुनिया के अंदर और आंध्र प्रदेश में तो नं. 1 पर इसका प्रोडक्शन है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 3500 करोड़ का एक्साइस ड्यूटी मिलता है। लेकिन यह सरकार इनके ऊपर बहुत कम पैसा खर्च करती है इसलिये यह इनके साथ बेइंसाफी है। यह जो इंडियन तम्बाकू बोर्ड है, जो मेरी कांस्टीट्यएंसी गुंटूर में है यह कभी तो फार्मर्स को उत्साहित करता है और कभी निरुत्साहित कर देता है। इस प्रकार से इनके साथ दो तरह का व्यवहार किया जा रहा है। पिछली बार क्रॉप होली–डे डिक्लेयर किया था, आंध्र प्रदेश के 9 जिलों में 75 हजार एकड़ क्रॉप होली–डे के अंदर एनाउंस किया था लेकिन बाद में मेरे कॉमर्स मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को रिप्रजंटेशन करने के बाद उसमें थोड़ा रिलेक्सेशन किया गया। मेरा यह कहना है कि जब गवर्नमेंट क्रॉप होली–डे एनाउंस करेगी तो जो किसानों को कम्पनसेशन दिया जाएगा, क्योंकि पहले ही जमीन पर उसका जो खर्चा है वह हरेक किसान को एक एकड़ पर तीन हजार का खर्च हो जायेगा। इसलिये यदि आप उनको कम्पनसेशन बैन करना चाहते हैं तो मैंने पांच हजार पर एकड़ उनको कम्पनसेशन देने के लिये मांग की थी। बाहर के देशों में भी जो तम्बाकू पैदा होता है उनमें भी यदि क्रॉप होली–डे एनाउंस करेंगे तो वहां के किसानों को भी कम्पनसेशन

दिया जाता है तो उसी हिसाब से इधर भी करने के लिये हमारी मांग थी। यह 50–60 साल से ट्रेडिशन क्रॉप है तो इसे चेंज करने के लिये यदि गवर्नमेंट चाहती है तो उनको कोई दूसरा क्रॉप सजेस्ट करें और उसमें उनको मिनिमम गारंटी प्राइस मिले, इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

श्री अरविंद नेताम : अध्यक्ष जी, यह बात सही है कि अभी जो तम्बाकू उत्पादक राज्य हैं उनमें किसानों को कुछ दिक्कतें हैं। जैसाकि आप जानते हैं कि पूर्व सोवियत संघ के विघटन के बाद जो सबसे बड़ा निर्यात हम वहां करते थे उसमें दिक्कतें आई हैं इस कारण से भी किसानों को निर्यात करने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। यह जो होली–डे की बात की गई है हम किसानों को उत्साहित भी कर रहे हैं ताकि वे अधिक से अधिक बोएं, इसलिये कि निर्यात के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है खास करके हमारे आंध्र प्रदेश के जो हैं और अल्टरनेटिव क्रॉप के बारे में भी हम प्रयास कर रहे हैं कि हम अल्टरनेटिव क्रॉप भी देखें ताकि किसानों को तम्बाकू के हिसाब से जो आय होती है उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं।

श्री एस. एम. लालजान बाशा : हमने जाखड़ जी और प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा था कि बाहर के देशों में जब क्रॉप होली–डे एनाउंस होता है तो किसानों को उसमें कम्पनसेशन दिया जाता है।

आंध्र प्रदेश में 9 जिलों में क्रॉप होली–डे अनाउंस किया है, जिससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के 75000 एकड़ टोबेको ग्रोइंग एरिया के किसान प्रभावित हुए हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या भविष्य में क्राप होली–डे घोषित करने पर किसानों को कम्पनसेट किया जाएगा ?

श्री अरविन्द नेताम : अध्यक्ष महोदय, फिलहाल सरकार के पास ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में भी परंपरागत रूप से तंबाकू का उत्पादन किया जाता है, लेकिन आज स्थिति यह है कि तंबाकू उत्पादन बंदप्राय हो रहा है। मध्य प्रदेश में किसानों को तंबाकू उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने के लिए क्या सरकार की कोई योजना है।

श्री अरविंद नेताम : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकारें इसके लिए काम करती हैं, भारत सरकार की तरफ से अलग से कोई प्रोत्साहन योजना तंबाकू उत्पादन के लिए नहीं हैं, केवल तंबाकू बोर्ड के माध्यम से कुछ प्रयास होता है।

कृषि मंत्री श्री बलराम जाखड़ : थोड़ा सा समय के अनुसार बदलना भी चाहिए। आज स्वाथ्य की दृष्टि से संसार भर में इसके बारे में क्रियाकलाप चल रहे हैं, इसलिए किसान को दूसरी खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, इसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। यह ठीक है कि किसान की आमदनी कम न हो, उसका घर पूरा हो जाए। जैसे सर्कस में ट्रोपीज करते हुए एक डंडा तब छोड़ते हैं जब दूसरा सामने आ जाता है, इसी तरह से हमको भी करना चाहिए।

श्री सत्यनारायण जटिया : इसके लिए उपाय बताइए।

श्री बलराम जाखड़ : इसके लिए पक्का उपाय करके आपको बताएंगे।

प्रश्नों के लिए लिखित उत्तर

[हिन्दी]

व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा

*523. **श्री मंजय लाल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एजुकेशन कंसलटैन्ट्स इंडिया लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा और शैक्षिक संस्थाओं के विकास के लिए योजनाओं अथवा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु क्या पहल की गई है;

(ख) क्या इस संस्थान द्वारा शिक्षा के व्यावसायीकरण तथा गैर सरकारी क्षेत्र में अधिक से अधिक व्यावसायिक और तकनीकी शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करने के लिए किसी कार्यक्रम को लागू किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग). एड्यकेशनल कन्सल्टेंट्स इण्डिया लि. शिक्षा विभाग का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह एक पंजीकृत कम्पनी है और इसे शिक्षा सम्बंधी मामलों में परामर्श देने के लिए स्थापित किया गया है। इसने ऐसे परामर्श कार्य मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और कई अन्य संगठनों के लिए किए हैं।

इसी संगठन के स्वरूप और इसके कार्यकरण के कारण, इसकी कार्यान्वयन के लिए अपनी कोई शैक्षिक योजना नहीं है।

[अनुवाद]

ओलावृष्टि के कारण क्षति

*529. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** :

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी से अप्रैल, 1994 के दौरान राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित देश के अनेक भागों में ओलावृष्टि से फसलों को भारी क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ओलावृष्टि; भारी वर्षा और वर्षा के बिल्कुल न होने के कारण

पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा देने हेतु सम्बद्ध राज्यों को कोई विशेष सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) तथा (ख). प्राथमिक अनुमानों के आधार पर निम्नलिखित राज्यों ने जनवरी से अप्रैल 1994 के दौरान ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की सूचना भेजी है:

राज्य	क्षतिग्रस्त फलस क्षेत्र
आंध्र प्रदेश	17218 हैक्टेयर
हरियाणा	695 हैक्टेयर
मध्य प्रदेश	69632 हैक्टेयर
महाराष्ट्र	670 हैक्टेयर
राजस्थान	19000 हैक्टेयर
उत्तर प्रदेश	19000 हैक्टेयर

(ग) तथा (घ). राहत व्यय के लिए धन की व्यवस्था सम्बन्धी चालू योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को प्राकृतिक आपदा के समय राहत एवं पुनर्वास उपायों के दिए जाने वाले व्यय की पूर्ति आपदा राहत निधि की कुल राशि में से ही करनी होती है; जिसमें 75 प्रतिशत अशंदान केन्द्र सरकार का होता है।

बंजर भूमि

[हिन्दी]

*530. **श्री राम बदन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय तथा विदेशी सहायता से उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में बंजर भूमि के विकास के लिये कौन–कौन सी परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) इन परियोजनाओं की मदद से अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि में इस प्रयोजनार्थ राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (ग). बंजर भूमि में अनावृत पहाड़ी ढ़लाने, हिमाच्छादित और ऐसे ही अन्य क्षेत्र आते हैं, जहां पर मितव्ययी लागत पर खेती नहीं की जा सकती। अतः उत्तर प्रदेश अथवा अन्य राज्यों में कृषि के प्रयोजन हेतु ऐसी बंजर भूमियों का विकास करने की कोई परियोजना नहीं है।

कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली

*531. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली का गैर–सरकारीकरण करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली के कार्यान्वयन से यात्रियों को सुविधा होगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह प्रणाली कब से लागू की जाएगी ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं.

(ख) और (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). रेलों ने अपने संसाधनों से लगभग 80% आरक्षण कार्यभार को कंप्यूटरीकृत किया है। इससे यात्रियों को आरक्षण कराने में कम समय लगता है तथा उन्हें दूर–दराज के स्थानों से शीघ्र आरक्षण प्राप्त करने में सुविधा हुई है।

[अनुवाद]

डेरी उद्योग सम्मेलन

*532. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1994 में दिल्ली में डेरी उद्योग सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन–किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई और उसके क्या परिणाम रहें; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (ग). भारतीय डेरी संघ नामक गैर–सरकारी संगठन ने बताया है कि भारतीय डेरी संघ द्वारा 24 और 25 मार्च, 1994 को 25वें डेरी उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया गया।

भारतीय डेरी संघ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जिन मुख्य विषयों पर विचार विमर्श किया गया उनका विवरण संलग्न है।

भारत सरकार का भारतीय डेरी संघ अथवा इस सम्मेलन के साथ कोई सरकारी सम्बंध नहीं है तथा भारतीय डेरी संघ ने किसी प्रकार की कार्रवाई के लिए कोई सम्पर्क स्थापित नहीं किया है।

विवरण

25वें डेरी उद्योग सम्मेलन में विचारित विषयों की सूची

1. भारतीय दुग्ध उत्पादन की प्रतिस्पर्धात्मकता।
2. दुग्ध उत्पादकों पर उदारीकरण और गैट का प्रभाव।
3. भारतीय डेरी क्षेत्र में निवेश के अवसर।
4. देश के भीतर दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के निर्यात तथा विपणन के अवसर।
5. उभरते हुए डेरी उपकरण परिदृश्य।
6. डेरी अनुसंधान शिक्षा तथा प्रशिक्षण को विश्व व्यापी बनाना।

यात्री निवास

*533. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** :

श्री सत्य देव सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्य–वार कितने यात्री–निवास हैं;

(ख) इनके रख–रखाव पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की जा रही है;

(ग) 1993 के दौरान इन यात्री निवासों को हुए लाभ अथवा हानि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) 1994 के दौरान कितने नये यात्री–निवास बनाये जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ). रेलों द्वारा हावड़ा (पश्चिम बंगाल), नई दिल्ली (दिल्ली) और गोरखपुर (उ. प्र.) में यात्री निवास सुविधाएं मुहैया करायी गयी हैं। इन यात्री निवासों के रख–रखाव पर प्रतिवर्ष लगभग 23 लाख रु. की राशि खर्च की जा रही है। वर्ष 1993 के दौरान हावड़ा और नई दिल्ली स्थित यात्री निवासों ने क्रमशः लगभग 16.8 लाख रु. तथा 23.8 लाख रु. का लाभ अर्जित किया। गोरखपुर स्थित यात्री निवास को, जिसे 26.3.93 को खोला गया था, अप्रैल–दिसम्बर, 1993 की अवधि के दौरान लगभग 1.05 लाख रु. का घाटा उठाना पड़ा।

रेलों पर संसाधनों की मौजूदा तंगी को ध्यान में रखते हुए, रेलों द्वारा अतिरिक्त रेल यात्री निवास बनाने की तत्काल कोई योजना नहीं है।

कलकत्ता में मेट्रो-रेल प्रणाली

*534. **श्री सी. श्रीनिवासन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में मेट्रो–रेल प्रणाली को पूरा करने के लिए तथा साथ ही मद्रास महानगर में द्रुत जन–परिवहन प्रणाली (एम. आर. टी. एस.) के लिए वित्त वर्ष 1994–95 में पर्याप्त धनराशि का आवंटन किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कलकत्ता और मद्रास की ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जायेंगी; और

(ग) इन परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख). (i) 1994–95 में मेट्रो रेलवे के लिए 200 करोड़ रुपये का आबंटन किया जा रहा है, जैसाकि योजना आयोग द्वारा सूचित किया गया है, इस परियोजना को 1995 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ii) वर्ष 1994–95 में व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली/मद्रास के लिए 20 करोड़ रुपये का आबंटन किया जा रहा है जैसाकि योजना आयोग द्वारा सूचित किया गया है। इस परियोजना को 1996 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) मेट्रो रेलवे, कलकत्ता –

(i) परियोजना के प्रारंभिक चरणों के दौरान पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध न होना;

(ii) राज्य सरकार द्वारा भूमि के अधिग्रहण में विलम्ब करना;

(iii) श्रमिक समस्याएं;

(iv) स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा सड़क यातायात बन्द करने में विलम्ब किए जाने, पानी के पाइपों, सीवर लाइनों, बिजली/टेलीफोन केबुलों आदि जैसे अनिर्धारित भूगत जन सुविधाओं के लिए स्थान पुनर्निर्धारण करने के कारण इसमें व्यवधान पड़ा है।

व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली मद्रास

(i) धन का अपर्याप्त आबंटन;

(ii) तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित भूमि उपलब्ध न कराया जाना;

वानिकी परियोजनाएं

*535. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

श्री एम० वी. वी० एस० मूर्ति :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत में वानिकी परियोजनाओं की सहायता के लिए दो नए ऋणों के लिए अपनी स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक योजना के लिए कुल कितना ऋण दिया गया; और

(ग) ये परियोजनाएं कहां–कहां शुरू की जाएंगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). विश्व बैंक ने आन्ध्र प्रदेश वानिकी परियोजना और वानिकी अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार परियोजना की सहायतार्थ हाल ही में ऋण स्वीकृत किया है।

आन्ध्र प्रदेश वानिकी परियोजना, जिसे कि राज्य के सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जाएगा, को 77.4 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण उपलब्ध कराया गया है।

वानिकी अनुसंधान, शिक्षा तथा विस्तार परियोजना, जिससे कि भारत में वानिकी अनुसंधान आधार को सुदृढ़ बनाया जाएगा, को 47 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण उपलब्ध कराया गया है। परियोजना पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् देहरादून और हिमाचल प्रदेश, तथा तमिलनाडु वन विभागों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।

छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

*536. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जोन–वार अनुमानतः कुल कितनी दूरी की छोटी लाइनों को बड़ी लाइन में बदले जाने की संभावना है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ धनराशि का कोई पृथक आवंटन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) ब्यौरा नीचे दिया गया है:

रेलवे	दूरी (के. मी.)
मध्य	42 + 189*
दक्षिण पूर्व	287
पश्चिम	45
	374 + 189*

* बशर्ते कि योजना आयोग इसका अनुमोदन कर दें।

(ख) लगभग 380 करोड़ रूपये

(ग) जी हां।

(घ) जोनवार आबंटन का अनुमानित ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

मध्य रेलवे	170 करोड़ रुपये
दक्षिण पूर्व रेलवे	190 करोड़ रुपये
पश्चिम रेलवे	20 करोड़ रुपये

[हिन्दी]

ईंधन लकड़ी और चारा परियोजनाएं

*537. **श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने ईंधन–लकड़ी और चारा परियोजनाओं संबंधी योजना के अन्तर्गत राज्य के 27 जिलों को शामिल करने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मामले में कितनी लागत आएगी;

(ग) क्या सरकार को अन्य राज्यों से भी ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति मिल जाएगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 50% केन्द्र द्वारा प्रायोजित क्षेत्रोन्मुखी ईंधन लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1992–93 से 1997–98 की अवधि में राज्य के 27 जिलों में वनीकरण कार्यकलाप चलाने के लिए 58.10 करोड़ रूपए की एक प्रस्ताव नवम्बर, 1991 में भेजा था। प्रस्ताव इस कारण से स्वीकृत नहीं हो सका क्योंकि क्षेत्रोन्मुखी ईंधन लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम के अन्तर्गत परियोजनाएं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली 50 प्रतिशत परियोजना धनराशि और पता लगाए गए ईंधन लकड़ी की कमी वाले जिलों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष स्वीकृत की जाती हैं। तथापि, राज्य सरकार से प्राप्त पृथक प्रस्तावों पर स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकार को राज्य के उन 15 जिलों में, जिनकी ईंधन लकड़ी की कमी वाले जिलों के रूप में पहचान की गई है, वृक्षारोपण करने के लिए वर्ष 1991–92 से 1993–94 की अवधि के दौरान कुल 6.34 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(ग) से (ङ) क्षेत्रोन्मुखी ईंधन लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता, राज्य सरकारों के योजना बजट में उपलब्ध उनके द्वारा दी जाने वाली 50% परियोजना धनराशि को ध्यान में रखकर प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है। तदनुसार क्षेत्रोन्मुखी ईंधन लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का प्रतिवर्ष कार्यान्वयन किया जाता है।

क्षेत्रोन्मुखी ईंधन लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार को पिछले तीन वर्षों (1991–92 से 1993–94) के दौरान दी गई वित्तीय सहायता के राज्यवार संलग्न विवरण दिए गए हैं।

विवरण

क्षेत्रोन्मुखी ईंधन लकड़ी/चारा परियोजना स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता

क्र. सं.	राज्य/सं. शा. प्रदे.	1991–92 दी गई केन्द्रीय सहायता	1992–93 दी गई केन्द्रीय सहायता	1993–94 दी गई केन्द्रीय सहायता	योग
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	209.17	0.00	40.00	249.17
2.	अरूणाचल प्रदेश	5.30	14.43	8.83	28.56
3.	असम	118.64	95.97	119.84	334.45
4.	बिहार	326.69	75.00	454.32	856.01
5.	गोवा	3.15	5.32	6.15	14.62
6.	गुजरात	212.98	120.85	84.87	418.70
7.	हरियाणा	306.26	143.65	191.93	641.84
8.	हिमाचल प्रदेश	102.29	72.35	118.95	293.59
9.	जम्मू और कश्मीर	20.00	0.00	15.00	35.00
10.	कर्नाटक	286.12	139.80	192.98	618.90
11.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	172.00	311.55	150.00	633.55
13.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
14.	मणिपुर	114.10	71.90	130.05	316.06
15.	मेघालय	20.00	38.86	89.24	148.10
16.	मिजोरम	244.50	374.95	294.20	913.65
17.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	200.00	191.12	262.00	653.12
19.	पंजाब	167.76	208.00	145.30	521.06
20.	राजस्थान	317.15	111.28	186.16	614.59
21.	सिक्किम	46.02	43.62	70.00	159.64
22.	तमिलनाडु	85.03	67.28	75.08	227.39
23.	त्रिपुरा	50.09	18.91	25.00	94.00
24.	उत्तर प्रदेश	285.90	125.89	278.39	690.18
25.	पश्चिम बंगाल	108.20	119.95	118.49	346.64
26.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	3401.35	2350.68	3056.78	8808.82

[अनुवाद]

झींगा मछली पालन

*538. **श्री एन० डेनिस :**

श्री तेज नारायण सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व के कुल झींगा मछली उत्पादन में भारत को कितना योगदान है;

(ख) देश मे, राज्य–वार झींगा मछली पालन के विकास के लिए कुल उपयुक्त क्षेत्र की तुलना में झींगा मछली का उत्पादन कितने क्षेत्र में होता है,

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष झींगा मछली का राज्य–वार कितना उत्पादन हुआ है;

(घ) झींगा मछली पालन के विकास के लिए विश्व बैंक तथा अन्य विदेशी स्रोतों से प्राप्त सहायता से शुरू की जा रही परियोजनाओं का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने अन्य और क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) 1991 के दौरान विश्व के कुल झींगा मछली उत्पादन में भारत का योगदान 9.24 प्रतिशत था।

(ख) तथा (ग). पिछले तीन वर्षों के दौरान उपयुक्त खारा जल क्षेत्र, झींगा मछली पालन के तहत लाये गये क्षेत्र और झींगा मछली के कुल उत्पादन का प्रत्येक वर्ष का राज्यवार ब्यौरा निम्नवत है :–

क्र. स.	राज्य	विकास के लिए उपयुक्त क्षेत्र (हैक्टेयर) (अनुमानित)	अब तक विकसित किया गया क्षेत्र (अनन्तिम) (हैक्टे.)	झींगा मछली पालन का अनुमानित उत्पादन (मीटरी टन में)		
				1990–91	1991–92	1992–93
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,50,000	9,500	7,350	9,700	12,800
2.	गोवा	18,500	550	245	300	35.0
3.	गुजरात	3,76,000	360	125	170	200
4.	कर्नाटक	8,000	2,570	1,000	1,000	1,150
5.	केरल	65,000	13,400	8,925	9,508	9,750
6.	महाराष्ट्र	80,000	1,980	800	930	1,850
7.	उड़ीसा	31,600	7,760	4,100	3,800	4,300
8.	तमिलनाडु	56,000	530	450	700	1,100
9.	पश्चिम बंगाल	4,05,000	34,050	12,500	13,800	16,300
10.	पाण्डिचेरी	800	नगण्य	नगण्य	नगण्य	नगण्य
	योग	11,90,900	70,700	35,500	40,000	47,000

(घ) झींगा मछली पालन के विकास के लिये विश्व बैंक की सहायता से तथा कुवैत कोष की सहायता से शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नवत है :—

क्र. स.	राज्य का नाम	विकसित किये जाने के लिए प्रस्तावित सकल जल क्षेत्र (हैक्टे. में)	परियोजना की कुल लागत (रूपये करोड़)
(i)	**विश्व बैंक की सहायता से झींगा मछली पालन परियोजना**		
1.	आन्ध्र प्रदेश	1147	80.78
2.	उड़ीसा	908	62.41
3.	पश्चिम बंगाल	1774	96.68
	योग	3829	239.87
(ii)	**कुवैत कोष की सहायता से झींगा मछली पालन परियोजना**		
1.	केरल	1,500	75,00

(ङ) झींगा मछली पालन के विकास के लिये सरकार द्वारा उठाए गये कुछ अन्य प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं :—

(क) खारा जल मत्स्य पालक विकास एजेंसियों की स्थापना करके झींगा मछली पालन का विकास;

(ख) सरकारी/सार्वजनिक/निजी क्षेत्रों में समेकित झींगा मछली फार्म तथा समर्थन सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहन;

(ग) झींगा मछली खाद्य के निःशुल्क आयात की अनुमति देना, आदि।

पुरी-कोणार्क समुद्र तट परियोजना

*539. **श्री रवि राय : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** 22 फरवरी, 1994 के तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पुरी–कोणार्क समुद्र तट क्षेत्र की पर्यावरणीय संवेदनशीलता को देखते हुए पुरी–कोणार्क समुद्र तट परियोजना के प्रस्ताव को पुनरीक्षा करने के लिए उड़ीसा सरकार से इस बीच उत्तर प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं। उड़ीसा राज्य सरकार से संशोधित प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

पर्यावरणीय और वानिकी परियोजनाएं

*540. **श्री डी. के. भंडारी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1992 और 1993 के दौरान पर्यावरण के सुधार और वनों के विकास के लिए विदेशी सहायता हेतु राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार प्रत्येक परियोजना में कितनी–कितनी सहायता राशि अंतर्गस्त थी; और

(ग) उनमें से कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). उपलब्ध सूचना के आधार पर, 1992 तथा 1993 के दौरान राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों और उनकी एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों तथा इस अवधि के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एजेंसी	सहायता की राशि	परियोजना की स्थिति
1.	पश्चिम बंगाल वानिकी परियोजना	पश्चिम बंगाल	विश्व बैंक	34 मिलियन अमरीकी डालर	फरवरी, 1992 में मंजूर
2.	महाराष्ट्र वानिकी परियोजना	महाराष्ट्र	विश्व बैंक	124 मिलियन अमरीका डालर	जनवरी, 1992 में मंजूर
3.	पश्चिमी घाट वानिकी तथा पर्यावरणीय परियोजना	कर्नाटक	ओडीए	कुल परियोजना लागत : 84,20 करोड़ रुपए	अप्रैल, 1992 में मंजूर
4.	अरावली पहाड़ियों के लिए वनरोपण परियोजना	राजस्थान	ओडीए	कुल परियोजना लागत : 166.9 करोड़ रूपए	अप्रैल, 1992 में मंजूर

1	2	3	4	5	6
5.	वानिकी परियोजना	आंध्र प्रदेश	विश्व बैंक	कुल परियोजना लागत 354 करोड़ रुपए	मंजूर
6.	वानिकी परियोजना	बिहार	विश्वबैंक	कुल परियोजना लागत 182 करोड़ रुपए	मूल्यांकन के लिए अपेक्षित
7.	कुल्लू मंडी जिले के लिए वानिकी परियोजना	हिमाचल प्रदेश	ओडीए	कुल परियोजना लागत 13 करोड़ रुपए	ओडीए के विचाराधीन-
8.	चैंगर घाटी के लिए पारि–विकास	हिमाचल प्रदेश	जर्मनी	कुल परियोजना लागत 18,70 करोड़ रुपए	मंजूर
9.	वन और वन्यजीव परियोजना	हिमाचल प्रदेश	ओईसीएफ	कुल परियोजना लागत 360 करोड़ रुपए	दानदाता एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत
10.	लाहोल घाटी में अल्पाइन चारागाह का विकास	हिमाचल प्रदेश	ओईसीएफ	कुल परियोजना लागत 46.20 करोड़ रूपए	दानदाता एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत
11.	शिमला विकास परियोजना	हिमाचल प्रदेश	सीडा	कुल परियोजना लागत 49 करोड़ रूपए	दानदाता एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत
12.	सामाजिक वानिकी परियोजना केरल, चरण – II	केरल	विश्व बैंक/ ओईसीएफ	कुल परियोजना लागत 120 करोड़ रूपए	दानदाता एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत
13.	कर्नाटक वानिकी परियोजना	कर्नाटक	ओईसीएफ	कुल परियोजना लागत 250.77 करोड़ रुपए	दानदाता एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत

1	2	3	4	5	6
14.	समेकित वानिकी सेक्टर परियोजना	मध्य प्रदेश	विश्व बैंक	कुल परियोजना लागत 513 करोड़ रुपए	मूल्यांकन पूरा हो गया है
15.	पौधरोपण परियोजना	नागालैंड	आईसीईएफ	कुल परियोजना लागत 41.25 करोड़ रुपए	मंजूर की जानी है।
16.	उड़ीसा वानिकी परियोजना	उड़ीसा	सीडा	कुल परियोजना लागत 256 करोड़ रुपए	सीडा के विचारा-धीन है
17.	वानिकी विकास परियोजना	राजस्थान	ओईसीएफ	कुल परियोजना लागत 114 करोड़ रुपए	दानदाता एजेंसी को प्रस्तुत
18.	चराई संसाधनों और चारागाह बीज उत्पादन का विकास	सिक्किम	एफएओ	कुल परियोजना लागत 4.12 लाख अमरीकी डालर	एफएओ के प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है
19.	तमिलनाडु सामाजिक वानिकी परियोजना चरण-3	तमिलनाडु	सीडा	कुल परियोजना लागत 265 करोड़ रूपए	सीडा के विचारा-धीन
20.	उत्तर प्रदेश गोमती सुयाल में वन संरक्षण	उत्तर प्रदेश	ओडीए	कुल परियोजना लागत 13.14 करोड़ रूपए	ओडीए के विचाराधीन
21.	वानिकी परियोजना	उत्तर प्रदेश	विश्व बैंक	कुल परियोजना लागत 932 करोड़ रूपए	संशोधन किया जा रहा है।
22.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना चरण-2	कर्नाटक, आन्ध्र-प्रदेश मध्य प्रदेश तथा राजस्थान	विश्व बैंक	कुल परियोजना लागत 180 मिलियन अमरीकी डालर	बातचीत चल रही है।

1	2	3	4	5	6
23.	पर्यावरणीय सुरक्षा और प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	आंध्रप्रदेश	सीडा	15 मिलियन एसईके	मंजूर
24.	उड़ीसा पर्यावरणीय कार्यक्रम	उड़ीसा	एनओआरएडी (नोराड)	40 मिलियन नोक	मंजूर
25.	पर्यावरणीय मास्टर प्लान अध्ययन	कर्नाटक	डान्डि	12 करोड़ रुपए	मंजूर
26.	यमुना, चेलियार तथा तुंगभद्रा नदियों की जैव निगरानी	उत्तर प्रदेश, केरल तथा कर्नाटक	नीदरलैंड	2.6 लाख डीएफएल	मंजूर
27.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना	पश्चिम बंगाल	ओईसीएफ	129 करोड़ रूपए	ओईसीएफ के विचाराधीन
28.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना	मध्य प्रदेश	नोराड	41.6 मिलियन अमरीकी डालर	नोराड के विचाराधीन
29.	प्रदूषण नियंत्रण प्रयोगशालाओं को मजबूत बनाना	दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम, याणा, गुजरात और बिहार	जर्मनी	5.5 मिलियन डी.एम.	अंतिम प्रारूप को मंजूर किया जाना है।
30.	हैदराबाद हरित पट्टी	आन्ध्र प्रदेश	नीदरलैंड	4.8 मिलियन डी.एफ.एल.	मंजूर
31.	पर्यावरणीय अनुसंधान एवं निगरानी कार्यक्रम, रामागुंडम	आंध्र प्रदेश	नीदरलैंड	1.05 मिलियन डीएफएल	मंजूर
32.	वायु प्रदूषण मूल्यांकन तथा विश्लेषण	उत्तर प्रदेश	यू.एन.आई. डी. ओ.	1.2 लाख अमरीकी डालर	मंजूर

1	2	3	4	5	6
33.	पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना	हरियाणा	जे. आईसीए	–	प्रस्तुत
34.	संकटापन्न वनस्पति प्रजातियों के वानस्पतिक उद्यान की स्थापना	हरियाणा	जेआईसीए	–	प्रस्तुत
35.	साझे बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना	हरियाणा	जेआईसीए	–	प्रस्तुत
36.	भोपाल की ऊपरी और निचली झील का संरक्षण	मध्य प्रदेश	जेआईसीए	180 करोड़ रूपए	मंजूर
37.	चिल्का झील का संरक्षण	उड़ीसा	–	–	संशोधित किया जाना है।

[हिन्दी]

विश्व खाद्य कार्यक्रम

5850. **श्री एन० जे० राठवा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के एक अंग के रूप में कोई परियोजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, हां। गुजरात सरकार ने "गुजरात में वानिकी कार्यकलापों और जनजातीय विकास के माध्यम से गरीबी दूर करना" नामक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के एक संगठन "विश्व खाद्य कार्यक्रम" के अंतर्गत खाद्य सहायता मांगी गई है।

(ख) परियोजना प्रस्ताव में 3 वर्ष की अवधि में 8.97 मिलियन अमरीकी डालर की कुल लागत पर 29,200 मीटरी टन गेहूं, 1095 मीटरी टन वानस्पतिक तेल और 2920 मीटरी टन दालों की "विश्व खाद्य कार्यक्रम" की एक खाद्य सहायता निहित है। "विश्व खाद्य कार्यक्रम" की खाद्य सहायता राज्य में वनरोपण कार्यकलापों के अंतर्गत कार्य कर रहे श्रमिकों और उनके परिवारों को राजसहायता प्राप्त दरों पर मुहैया की जाएगी।

(ग) भारत सरकार ने इस परियोजना प्रस्ताव को "विश्व खाद्य कार्यक्रम" की स्वीकृति हेतु उन्हें भेज दिया है।

[अनुवाद]

विद्यालयों में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का गाया जाना

5851. **श्री राम नाईक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने शैक्षिक संस्थाओं में राष्ट्रगीत "जन गण मन" और राष्ट्रगान "वन्दे मातरम्" के गायन हेतु राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को गत किस तारीख को परिपत्र जारी किए थे;

(ख) क्या सरकार द्वारा इसके कार्यान्वयन के बारे में कोई निगरानी की जाती है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस आदेश का कार्यान्वयन न करने वाले राज्यों/संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ). देश के सभी स्कूलों में राष्ट्रगान के सामूहिक गायन के संबंध में आदेश समय–समय पर जारी किए गए हैं। पिछला इस प्रकार का आदेश अक्तूबर, 1991 में जारी किया गया था जब मानव संसाधन विकास मंत्री ने सभी मुख्य मंत्रियों और उप राज्यपालों को लिखा कि वे स्कूलों में राष्ट्र गान के गाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें। तथापि राष्ट्रगीत के गाने के संबंध में कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं।

राष्ट्र गान से संबंधित अक्तूबर, 1991 के अनुदेशों को कार्यान्वयन न करने के संबंध में कोई विशिष्ट रिपोर्ट किसी राज्य/संघ शासित प्रदेश से अब तक प्राप्त नहीं हुई है।

भाप इंजनों का निर्यात

5852. **श्री गोविन्द राव निकम : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा ए०बी०बी० के साथ किए गए समझौते के अनुसार भारत कब तक अत्याधुनिक भाप इंजनों का निर्यात करने की स्थिति में होगा;

(ख) भारतीय रेलवे को निकट भविष्य में कितने भाप इंजनों की आवश्यकता होगी;

(ग) प्रत्येक वर्ष कितने भाप इंजनों का विनिर्माण किया जायेगा; और

(घ) नये भाप इंजनों की आवश्यकता कब तक पूरी हो जायेगी ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) अभी तक कोई आकलन नहीं किया गया है।

(ख) मौजूदा आकलन के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 930 बिजली रेल इंजन।

(ग) 1994–95 के दौरान अनन्तिम रूप से खरीदे जाने वाले रेल इंजनों की संख्या 155 है। शेष दो वर्षों के लिए खरीद कार्यक्रम उन वर्षों के लिए वार्षिक योजना के भाग के रूप में बाद में तय किया जायेगा।

(घ) ए०बी०बी० प्रौद्योगिकी से नये रेल इंजनों का स्वदेश में निर्माण 1996–97 में शुरू करने की संभावना है और आवश्यकता पूरी करने के लिए इसे उत्तरोत्तर बढ़ाया जायेगा। आशा है कि मार्च, 97 तक आवश्यकता पूरी कर ली जायेगी।

[अनुवाद]

दिल्ली दुग्ध योजना

5853. **श्री शांताराम पोतदुखे : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार घाटे में चल रही दिल्ली दुग्ध योजना के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेल लाइन का दोहरीकरण

5854. **श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के अंतर्गत बरेली और मुरादाबाद के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ख) क्या यह कार्य निर्धारित समय सीमा के अनुसार चल रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़) : (क) 1995–96 तक।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सामाजिक फार्म वानिकी

5855. **श्री पवन कुमार बंसल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ में सामाजिक फार्म वानिकी की कोई योजना आरम्भ की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में उस पर कितना व्यय हुआ ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ख). 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सामाजिक और फार्म वानिकी सहित वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलाप चण्डीगढ़ सहित सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में चलाए जाते हैं। ये कार्यकलाप केन्द्र और राज्यों की विभिन्न प्लान स्कीमों, जैसे पर्यावरण और वन मंत्रालय की समेकित वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास परियोजना स्कीम, ईंधन लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम, लघु वनोपज स्कीम, ग्रामीण विकास मंत्रालय की समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना स्कीम और सूखा प्रवण क्षेत्रों का कार्यक्रम, कृषि मंत्रालय की नदी घाटी के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण स्कीम, आदि के अन्तर्गत चलाए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों (1991–92, 1992–93 तथा 1993–94) के दौरान चण्डीगढ़ में वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलापों के वित्तीय आवंटन और उपयोग के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

	आबंटन	उपयोग
	(लाख रूपए)	
1991–92	30.00	30.00
1992–93	30.00	39.00
1993–94	170.00	उपलब्ध नहीं

[हिन्दी]

सुल्तानपुर झील

5856. **श्री जंगबीर सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सुल्तानपुर झील में सुदूर देशों से आने वाले प्रवासी पक्षियों की संख्या में हो रही कमी के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) हरियाणा राज्य सरकार ने सुल्तानपुर झील में प्रवासी पक्षियों की संख्या में कमी होने की कोई सूचना नहीं दी है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

5857. **श्री बी० देवराजन : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया और कितनों का विस्तार किया गया तथा इस पर कितनी धनराशि व्यय हुई;

(ख) क्या चालू वर्ष में कतिपय अन्य स्टेशनों का आधुनिकीकरण और विस्तार किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस हेतु कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़) : (क) गत् तीन वर्षों के दौरान 149.87 लाख रु. की लागत से 12 स्टेशनों का आधुनिकीकरण/विस्तार किया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) इस संबंध में लगभग 126.84 लाख रु. का प्रावधान किया गया है।

पारिस्थितिकी संबंधी आर्थिक सुधार

5858. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 अप्रैल, 1994 के बिजनेस स्टैण्डर्ड, कलकत्ता में "इकोनॉमिक रिफामर्स अफेक्टिंग इकोलॉजी" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मुख्य खाद्यों और प्रचलित फसलों को नकदी फसलों में शीघ्र परिवर्तित करने, समुद्री और स्वच्छ जल क्षेत्र में वाणिज्यिक मत्स्य पालन के विस्तार और कच्चे माल के निर्यात हेतु खनन कार्य तेज करने से पड़ने वाले प्रभाव तथा विशेष रूप से जैविक विविधता के क्षेत्र के बारे में कोई अध्ययन कराया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). यह ज्ञात है कि उद्योग क्षेत्र की विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों, कृषि कार्यों में तेजी लाने, वाणिज्यिक मत्स्य पालन, खनन, नदी घाटी परियोजनाओं, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, सड़कों और राजमार्गों, पुलों, हवाई अड्डों आदि के निर्माण से जैविक विविधता सहित पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन प्रतिकूल प्रभावों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा जल (प्रदूषण, निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबन्धों के जरिए विनियमित किया जाता है। इसके अलावा, सरकार ने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन की एक प्रणाली विकसित की है जिसमें चुनिन्दा विकास परियोजनाओं के संभावित प्रभावों विशेषकर संबंधित परियोजना के संबंध में पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभावों का गहन अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण प्रभाव अध्ययनों का उपयोग आमतौर पर विकास परियोजनाओं के प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने के लिए किया जाता है। पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के अंतर्गत दिनांक 27 जनवरी, 1994 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार किसी गतिविधि के विस्तार या आधुनिकीकरण से यदि विद्यमान या विशेषरूप से अधिसूचित नई परियोजना सें प्रदूषण अधिक होता है तो उसे तब तक भारत के किसी भी भाग में शुरू नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी नहीं दी जाए। इसी प्रकार, किसी परियोजना या परियोजना समूहों के संबंध में पर्यावरणीय मुद्दों की समय–समय पर जांच करने के लिए अनुसंधान निकायों तथा केन्द्रीय एंव राज्य एजेंसियों द्वारा अध्ययन किए जाते हैं।

जैव खाद

5859. **श्री बापू हरि चौरे** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जैव खादों के स्रोतों के संबंध में कोई आकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुमानतः इसकी वार्षिक खपत कितनी होगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) यह अनुमान है कि देश में वार्षिक रूप से लगभग 651 मिलियन मीटरी टन ग्रामीण और 16 मिलियन मीटरी टन शहरी कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ सुलभ है। तथापि, यह अनुमान है कि ग्रामीण और शहरी कम्पोस्ट क्रमशः केवल 272 मिलियन मीटरी टन और 6.7 मिलियन मीटरी टन का उपयोग किया जाता है।

मैरारिकुलम में यात्री सुविधा

5860. **श्री टी०जे० अंजलोज : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में मैरारिकुलम रेलवे स्टेशन पर सभी यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग). मरारीकुलम रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं, वहां पर सम्हाले जाने वाले यातायात की मात्रा के अनुरूप पहले ही उपलब्ध है। यातायात की मात्रा में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप अपेक्षित होने पर ही इन सुविधाओं में और वृद्धि की जाएगी, बशर्ते धन उपलब्ध हो।

निर्यातोन्मुखी परियोजनाएं

5861. **श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की नई आर्थिक नीति के दृष्टिगत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत आठवीं योजनावधि के दौरान निर्धारित निर्यातोन्मुखी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : कृषि क्षेत्र में विकास स्कीमें कृषि उत्पादन को बढ़ाने पर केन्द्रित होती हैं और अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू उपलब्धता में वृद्धि होती है तथा निर्यात के लिए अतिरिक्त मात्रा सृजित होती है। कृषि क्षेत्र में निर्यातोन्मुख इकाइयों की स्थापना करने को विशेष तौर पर प्रोत्साहित किया जाता है। निर्यात-आयात नी ति 1992-97 में, कृषि, पुष्पोत्पादन तथा बागवानी आदि में लगी इकाइयां अब शुल्क मुक्त आयात की सुविधा का लाभ उठा सकती हैं भले ही वे अपने उत्पादन का केवल

50 प्रतिशत ही निर्यात करती हों। कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों में प्रयुक्त पूंजीगत माल का अब शुल्क की रियायती दरों पर आयात किया जाता है।

[हिन्दी]

रेल भूमि पर अतिक्रमण

5862. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तरी नागपुर के दोवीनगर क्षेत्र में रेल–भूमि पर अतिक्रमण को हटाने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अतिक्रमण हटाने के लिए दक्षिण–पूर्व रेलवे द्वारा जारी किए गए आदेश का कार्यान्वयन रोक दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) पुलिस प्राधिकारियों के साथ विचार–विमर्श करके अतिक्रमणकर्ताओं को हटाने की तिथि निर्धारित की गई थी, तथा तदनुसार अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस जारी कर दिये गये थे।

(ग) और (घ). अतिक्रमणकर्ताओं को हटाने का कार्य रोका नहीं गया है बल्कि इसे केवल तीन महीने के लिए स्थगित रखा गया है ताकि मानवीय आधार पर प्रभावित लोगों के पुर्नवास के लिए राज्य सरकार को समय दिया जा सके।

[अनुवाद]

तलचुआ में मछली पकड़ने के लिए जेटी

5863. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्माण चरण पर ही तलचुआ के मछली पकड़ने की जेटी के टूट जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने उड़ीसा सरकार को उक्त जेटी का निर्माण बंद करने को कहा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) उक्त जेटी पर पहले ही कुल कितनी राशि व्यय की जा चुकी है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) तलचुआ स्थित मत्स्य घाट पूरी तरह धराशायी नहीं हुआ, बल्कि उसके केवल ऊपरी हिस्से का एक भाग तेज समुद्री ज्वार के थपेड़ों से क्षतिग्रस्त हो गया था।

(ख) और (ग). भारत सरकार द्वारा उड़ीसा सरकार से तलचुआ स्थित मत्स्य घाट के निर्माण को रोकने के लिए नहीं कहा गया है। बहरहाल, राज्य सरकार ने घाट के तकनीकी डिजाइन की मजबूती, उसे हुई क्षति की सीमा, किए गए कार्य की गुणवत्ता, क्षति के संभावित कारण संबंधी रिपोर्ट देने तथा घाट को भविष्य में होने वाली क्षति से बचाने के लिए किए जाने वाले उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है।

(घ) और (ङ). भारत सरकार ने तलचुआ में मत्स्य अवतरण केन्द्र के विकास हेतु 84.94 लाख रूपए की कुल लागत वाली एक परियोजना को मंजूरी दी है। इस पर लगभग 80.00 लाख रूपए व्यय किए गए हैं एवं लगभग 85 प्रतिशत परियोजना कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

मसालों के लिए प्रौद्योगिकी मिशन

5864. **श्री ए० वेंकटेश नायक :**

श्री वी० एस० विजयराघवन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल और कर्नाटक सरकारों ने अपने राज्यों में मसालों के विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना करने हेतु केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं होता।

शिक्षकों के रिक्त पद

5865. **श्री फूलचंद वर्मा :**

श्री एन० जे० राठवा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात तथा मध्य प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित शिक्षकों के कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) इन रिक्तियों को भरने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन रिक्त पदों को भरने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, गुजरात में शिक्षकों के संस्वीकृत लगभग 1200 पदों में से 294 पद खाली हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 2650 पदों में से 287 पद खाली हैं।

(ख) और (ग). केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों की श्रेणियों के तहत शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की भर्ती के लिए विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत दिनांक 16–22 अप्रैल, 1994 के रोजगार समाचार में विज्ञापन जारी किया है। आरक्षित तथा सामान्य श्रेणियों के विद्यमान और प्रत्याशित पदों को भरने के लिए अगला विज्ञापन मई, 1994 में दिए जाने की योजना है।

[हिन्दी]

अनाज बचाओ अभियान

5866. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "अनाज बचाओ अभियान" के अंतर्गत मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों में वर्ष–वार किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए कितने अनाज की कोठियां उपलब्ध कराई गईं तथा प्रत्येक का कितना मूल्य था और इसके लिए कितनी धनराशि की राजसहायता दी गई;

(ग) क्या कुछ स्वतंत्र संगठनों के माध्यम से अनाज बचाओ अभियान का कोई मूल्यांकन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) "अन्न सुरक्षा अभियान" द्वारा

पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में किए गए कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 7189 गैर–धात्विक अनाज पात्रों का निर्माण किया गया। उनमें सुधार किया गया। परम्परागत अनाज भण्डारण ढांचों में सुधार करने और पक्की कोठियों का निर्माण करने के लिए धात्विक निकासी मार्ग, प्रवेश–मार्ग, पोलीथीन की चादरों, आदि जैसे आदानों के रूप में किसानों को 300/– रूपये प्रति ढांचे के हिसाब से प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। तथापि, इस कार्यक्रम के लिए कोई राजसहायता प्रदान नहीं की जाती है।

(ग) जी, हां।

(घ) यूरोपीय आर्थिक समुदाय मिशन और यूनिसेफ द्वारा अन्न सुरक्षा अभियान कार्यक्रम के कार्य का मूल्यांकन किया गया था। अन्न सुरक्षा अभियान द्वारा किए जा रहे उपयोगी कार्यों का सामान्यतया मूल्यांकन संगठनों द्वारा समर्थन किया गया था।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में अन्न सुरक्षा अभियान द्वारा किए गए विभिन्न कार्य

क्रम संख्या	गतिविधि का नाम	1991–92	1992–93	1993–94
1.	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम			
	(1) वृत्तिका प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (संख्या)	29	23	30
	(2) प्रेरक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (संख्या)	37	38	39
	(3) गैर–वृत्तिका प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (संख्या)	156	128	104
2.	कवर किए गए गांवों की संख्या	96	96	102
3.	प्रदर्शन (संख्या)	96	96	102
4.	दिखाये गये फिल्म/स्लाइड शो की संख्या	344	246	245
5.	उन प्रदर्शनियों की संख्या जिनका आयोजन किया/ जिनमें भाग लिया गया।		170	148
6.	गैर–धात्विक भण्डारण ढांचों की संख्या जिनका निर्माण/सुधार किया गया (अनाज पात्र/कोठी)	2326	2304	2559

[अनुवाद]

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा

5867. **श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या 31 जनवरी, 1994 को कोई राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (प्रथम चरण) आयोजित हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परीक्षा में भाग लेने के लिए छात्रों को कौन–कौन सी औपचारिकताएं पूरी करने की आवश्यकता होती है;

(ग) क्या इस परीक्षा में छात्रों के चयन हेतु कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हे और द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए श्रेष्ठता सूची में आने हेतु न्यूनतम कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होती है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के द्वितीय चरण की परीक्षा 8 मई, 1994 को आयोजित की जाएगी; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चुने हुए छात्रों को क्या–क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग). मान्यता प्राप्त स्कूलों की कक्षा IX में पूर्णयोग का 60% अंक प्राप्त करने वाले सामान्य श्रेणी के विद्यार्थी तथा 55% अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी परीक्षार्थियों के चयन के प्रथम चरण की लिखित परीक्षा के लिए पात्र होते हैं।

(घ) राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के द्वितीय चरण के लिए श्रेष्ठता सूची में से ऊपर से 50 सामान्य श्रेणी के तथा 5 अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के विद्यार्थियों की सिफारिश की जाती है।

(ङ) जी, हाँ।

(च) ऐसे पुरस्कृत विद्यार्थी जो बेसिक और सामाजिक विज्ञान विषय लेते हैं वे पी.एच.डी. स्तर तक छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र होते हैं जबकि चिकित्सा शास्त्र/अभियांत्रिकी में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी निर्दिष्ट शर्तों के पूरा करने के आधार पर द्वितीय डिग्री तक छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र होते हैं। इन दोनों प्रकार की छात्रवृत्तियों की वर्तमान दरें निम्नलिखित हैं:—

पी.एच.डी.—पहले दो वर्षों के लिए 600/– रु. प्रतिमाह

अगले दो वर्षों के लिए 700/– रु. प्रतिमाह + आकस्मिक अनुदान के रूप में 3000/– रु.

द्वितीय डिग्री – 400/– रु. प्रतिमाह

आवश्यक वस्तुएं

5868. **श्री अमर राय प्रधान : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की सूची से कुछ मदों को हाल ही में हटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो हटाये गये मदों के नाम क्या हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित आठ वस्तुएं, जो पहले आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अधिसूचित थीं, हटा दी गई हैं :—

1. प्रैस मड
2. कार्बन ब्लैक
3. पॉलिथिलीन एंड पॉलिएथीन मोल्डिंग पाक्डर
4. पालिस्टाईरीन एंड पॉलिस्टाइरीन मोल्डिंग पाक्डर
5. कार्बनिक भारी रसायन
6. अकार्बनिक भारी रसायन
7. सिनेमा फिल्म्स (अपरिष्कृत)
8. सोडा राख

(ग) उपर्युक्त वस्तुओं के उत्पादन, उपलभ्यता तथा स्वरूप के परिवर्तित परिदृश्य को देखते हुए, उन्हें 27 दिसम्बर, 1993 से आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है।

स्क्रेप की बिक्री

5869. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खंडूरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्क्रेप की बिक्री के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाली धनराशि को रेल बजट में "प्राप्ति" के रूप में लिया जाता है तथा बाद में सम्पूर्ण प्राथमिकता के अनुसार इसका उपयोग किया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इस धनराशि को किस तरह उपयोग में लाया जाता है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष–वार इस धनराशि का किस तरह उपयोग किया गया ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). स्क्रेप की बिक्री से प्राप्त रकम को खर्च की कटौती के रूप में लिया जाता है और शुद्ध रकम को केवल संगत लेखा शीर्ष के अंतर्गत ही लेखे में बुक किया जाता है।

केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा पोस्टरों का क्रय

5870. **श्री मुही राम सैकिया :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 19 अप्रैल, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3960 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्यूपिल्स फंड के प्रबंध हेतु कोई स्थानीय समिति हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी समिति के सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "प्यूपिल्स फंड समितियां" केन्द्रीय विद्यालयों के मुख्यालय के आदेशों का पालन करने को बाध्य हैं; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय विद्यालयों के नियमों एवं विनियमों में इस प्रकार के उपबंधों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में) उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). जी, हाँ। शिष्य निधि समिति (प्यूपिल्स एंड कमेटी) नामक समिति में प्रधानाचार्य, एक वरिष्ठ स्नातकोत्तर शिक्षक, एक वरिष्ठ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, एक वरिष्ठ प्राइमरी शिक्षक और कक्षा 9, 10, 11 और 12 से एक–एक छात्र होता है। यदि स्कूल में कक्षा 9, 10, 11 और 12 नहीं है तो इनसे नीचे की कक्षा (ओं) से एक–एक छात्र समिति में प्रतिनिधि होना चाहिए। छात्र सदस्य प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में मनोनीत किया जाना चाहिए।

(ग) और (घ). जी, हाँ। केन्द्रीय विद्यालय संगठन छात्र निधि के उपयोग के सम्बंध में मार्गदर्शी रूपरेखाएं समय–समय पर जारी करता है।

अपशिष्ट पदार्थों और कचरे का आयात

5871. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :

श्री सैयद शहबुद्दीन :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हालैंड के साथ हस्ताक्षर किये गये एक समझौते के अनुसार भारत हालैंड से एक करोड़ टन सूअर की लीद का आयात करेगा और कनाडा सरकार के साथ किये गये एक समझौते के अनुसार भारत प्रतिमाह 20,000 टन अपशिष्ट पदार्थों का आयात करेगा और अमरीका के साथ किये गये एक समझौतें के अनुसार भारत 20 लाख टन कचरा आयात करेगा;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या अपशिष्ट पदार्थों और कचरे के आयात से पर्यावरण प्रदूषित करने वाले कीटाणुओं से देश में अनेक बीमारियां हो सकती हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस खतरे का सामना करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ). पर्यावरण और वन मंत्रालय ने सुअर की लीद और इसी प्रकार के अन्य अपशिष्ट और कचरे के आयात के बारे में किसी देश के साथ कोई करार नहीं किया है। तथापि, अन्य मंत्रालयों से विस्तृत सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

रेलवे अस्पताल और औषधालय

5872. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 फरवरी, 1994 के "जनसत्ता" में "रेल अस्पताल में मरीजों को प्रदूषित सुईयां लगायी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले की जांच करायी गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या रेलवे अस्पतालों और औषधालयों के असंतोषजनक कार्य के बारे में कोई आम शिकायत मिली है; और

(ङ) वर्तमान स्थिति में और रेलवे अस्पतालों तथा औषधालयों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जायेंगे ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख). जनवरी 1994 में मंडल रेलवे अस्पताल, मुरादाबाद में इंजेक्शन एबसेस के 84 मामलों की रिपोर्ट मिली थी। इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए चिकित्सा अधिकारियों द्वारा स्थानीय रूप से समय पर कार्रवाई की गई थी।

(ग) जी हां। जांच रिपोर्ट से यह पता चला था कि उन अधिकांशतः रोगियों को, जिन्हें स्थानीय रूप से खरीदे गए आसवित जल में द्रवीभूत इंजेक्शन लगाए गए थे, फोड़े (एबसेस) हो गए थे।

(घ) जी नहीं।

(ङ) (i) उत्तर रेलवे पर भविष्य में किसी भी प्रकार की खरीद के लिए विनिर्माता फर्म को काली सूची में रख दिया गया है।

(ii) सभी क्षेत्रीय रेलों से कहा जा रहा है कि वे इस फर्म से कोई खरीद न करें।

(iii) भारत के औषध नियंत्रक को इस संबंध में फर्म के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है।

दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स

5873. **डा० के० डी० जेस्वाणी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने इटैलियन इंस्टीट्यूट ऑफ फारेन ट्रेड के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे भारत को कितना लाभ होने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के वाणिज्य विभाग (दिल्ली विश्वविद्यालय) ने दिनांक 3 मार्च, 1994 को इटैलियन इंस्टीट्यूट ऑफ फारेन ट्रेड (आई.सी.ई.) के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर इस विचार से किया गया है कि आई. सी.ई. इटली की छवि विदेश में सुधारने और विपणन और व्यापार के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए मित्र और सहयोगी देशों की आर्थिक और औद्योगिक स्थिति से संबंधित सूचना के प्रसार

के लिए करार करने की ओर उन्मुख हैं और अपनी–अपनी गतिविधियों के संबंध में दोनों संस्थान दो देशों के बीच सूचना के आदान–प्रदान में वृद्धि करने और उनका परिष्कार करने के उद्देश्य से कदम उठाने के लिए पारस्परिक सहयोग प्रदान करने में सहमति रखते हैं।

इस सहमति ज्ञापन में अनेक ऐसी कार्रवाइयों की परिकल्पना की गई है जिनका वित्त पोषण आई.सी.आई. द्वारा किया जाएगा और जिनके उद्देश्य इस प्रकार हैं :

– दोनों देशों से संबंधित आर्थिक और औद्योगिक सूचनाओं के आदान–प्रदान की व्यवस्था का विकास करना,

– इटली और भारत में कार्यशालाओं, विचार–गोष्ठियों और सम्मेलनों के आयोजन के माध्यम से दोनों देशों के शैक्षिक और व्यापार क्षेत्रों के उन व्यावसायिकों में परस्पर संपर्क स्थापित करना जो मुख्यतः द्विपक्षीय व्यापार से जुड़े हुए हैं। इसमें प्रख्यात शिक्षाविदों और इटली के मुख्य व्यापारिक समूह के प्रतिनिधियों की भागीदारी भी रहेगी।

– व्यापार, अनुसंधान अथवा अर्थशास्त्र की उन प्रमुख हस्तियों के लिए पुरस्कार की व्यवस्था करना जिन्होंने भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए महत्त्वपूर्ण और नवीन योगदान प्रदान किया है,

– भारतीय स्नातकोत्तर और अनुसंधान छात्रों और संकाय सदस्यों के दलों के लिए इतालवी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ दौरों, विचार–गोष्ठियों, बैठकों और यात्राओं का आयोजन करना,

– योग्य विदेशी विद्यार्थियों को विदेशी व्यापार, प्रवर्तन गतिविधियों, बाजार विश्लेषण और औद्योगिक सहयोग में अनुसंधान परियोजनाएं चलाने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना,

– साथ–साथ किए जाने वाले इन कार्यकलापों को जारी रखने और सूचनाओं के नियमित प्रवाह को बनाए रखने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि होंगे और जिसका कार्य भविष्य के कार्यकलापों के लिए समान कार्यक्रम तैयार करना होगा।

इस समिति में दोनों ओर से तीन–तीन सदस्य होंगे जिसकी अध्यक्षता मेज़बान देश की सरकार की प्रतिनिधि करेगा।

इस सहयोग के प्रथम चरण में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा।

मौजूदा ज्ञापन एक वर्ष तक जारी रहेगा और प्रत्येक वर्ष स्वतः ही नवीनीकृत हो जाएगा जब तक कि उसे दोनों पक्षों में से किसी भी एक पक्ष द्वारा रद्द न कर दिया जाए, जिसके निर्णय से समझौते के नवीनीकरण की तारीख के तीन महीने पूर्व अवगत कराया जाएगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेज गई सूचना के अनुसार दो संस्थानों के बीच सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर के माध्यम से दोनों देशों में विश्वव्यापी सहयोग और आपस में व्यापार के लिए सुविज्ञता का आदान–प्रदान होगा और शैक्षिक तथा शोध सामग्री के आदान–प्रदान के अवसर प्राप्त होंगे। इसके माध्यम से संकाय और विद्यार्थियों के आदान–प्रदान और सह–विचार–गोष्ठियों, सम्मेलन और अंतर्देशीय कार्यशालाओं के आयोजन के अवसर भी प्राप्त होंगे। ये विश्वव्यापी आर्थिक गतिविधियों और व्यापार संचालन के क्षेत्रों में सुविज्ञता के विकास में लाभप्रद सिद्ध होंगे और सरकारी संगठनों को नीति और प्रकार्यात्मक स्तरों पर कोटिपरक सहयोग प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य बातों के साथ–साथ प्राप्त होने वाले अन्य लाभ इस प्रकार हैं :

(i) भारतीय विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों के लिए बेहतर सूचना क्षेत्र और प्रशिक्षण के मार्ग बनाना।

(ii) इटली और भारत में अध्ययन यात्राओं और दौरों का आयोजन करना।

(iii) भारतीय व्यापारिक फर्मों को विश्वव्यापी संचालनों, प्रतिपूरक सामग्रियों, वित्तीय और प्रौद्योगिक संसाधनों और प्रबंधकीय सुविज्ञता उपलब्ध कराने के उनके प्रयासों को सहयोग प्रदान करना।

(iv) भारतीय व्यापार के लिए इतालवी और यूरोपीय बाजारों के रास्ते खोलना।

(v) इतालवी विश्वविद्यालयों और दिल्ली विश्वविद्यालय के बीच शैक्षिक विनिमय और संपर्क स्थापित करना, विशेषकर व्यापार शिक्षा, अनुसंधान और विश्वविद्यालय स्तर के प्रशिक्षण के क्षेत्रों में।

(vi) दो देशों के बीच आपसी सूझबूझ और सांस्कृतिक आदान–प्रदान।

(vii) सभी स्तरों पर भारत–इतालवी सहयोग को सुदृढ़ करना।

फालतू भूमि

5874. **श्री हरिन पाठक :**

श्री अरविन्द त्रिवेदी :

श्री हरिलाल ननजी पटेल :

श्री शिवलाल नागजीभाई बेकारिया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जामनगर और सुरेन्द्र नगर में रेलवे की फालतू भूमि के लिए बाजार मूल्य मांग रही है;

(ख) क्या रजवाड़ों के समय में उक्त भूमि रेलवे विभाग को मुफ्त आवंटित की गई थी;

(ग) यदि हां, तो बाजार मूल्य मांगने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार इस मामले को शीघ्र निपटाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) नियमों के अनुसार, फालतू रेलवे भूमि वर्तमान बाजार मूल्य वसूल करके ही दी जा सकती है।

(घ) और (ङ). राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा भूमि का मूल्य अदा कर दिये जाने पर फालतू भूमि छोड़ी जा सकती है।

[हिन्दी]

भारतीय चीनी मिलों में स्वचलन

5875. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**

श्री सत्य देव सिंह :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय चीनी मिलों में स्वचलन की नई प्रक्रिया आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह नई प्रक्रिया अपनाने से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी;

(घ) क्या स्वचलन की यह नई प्रक्रिया अपनाने से खोई की बचत की जायेगी और चीनी उत्पादन में वृद्धि होगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) केन्द्र सरकार देश में चीनी फैक्ट्रियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली किसी स्वचलन प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट नहीं करती है, यह प्रत्येक चीनी फैक्ट्री पर निर्भर करता है कि वह उच्चतर दक्षता प्राप्त करने तथा ऊर्जा संरक्षण के लिए किसी स्वचलन प्रक्रिया को अपनाती है या नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

साबी पुल

5876. प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्राधिकरण ने हिन्दुस्तान प्रोफेब लिमिटेड को दिल्ली–जयपुर मार्ग साबी पुल के निर्माण का कार्य सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो इसकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) क्या कार्य के शुरू होने में कोई विलम्ब है और यदि नहीं, तो कंपनी को कार्य कब तक पूरा कर देने की आशा है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) 3.65 करोड़ रुपए की लागत पर निविदा स्वीकार की गई थी तथा कार्य 16.3.93 से 15.3.94 तक की अवधि में पूरा किया जाना था।

(ग) जी हां। अवधि 7.6.94 तक बढ़ाई गयी है।

[हिन्दी]

चीनी मिलें

5877. श्री ललित उरांव : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र में चल रही चीनी मिलों की संख्या कितनी है;

(ख) रुग्ण चीनी एककों की वर्तमान राज्य–वार संख्या कितनी है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन एककों को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं, और

(ङ) रुग्ण चीनी एककों के संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) 31.3.94 तक की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में चीनी मिलों की संख्या निम्न प्रकार है :

सार्वजनिक क्षेत्र	–	72
सहकारी क्षेत्र	–	240
निजी क्षेत्र	–	117

(ख) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के तहत जो कंपनियां रुग्ण हो जाती हैं उनके मामलों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) को भेजना होता है। इन उपबंधों में अब सरकारी कंपनियों को भी कवर कर लिया गया है। बी. आई. एफ. आर. ने सूचित किया है कि 31.3.1994 तक उनके पास रुग्ण चीनी कंपनियों के 14 मामले पंजीकृत थे। बी. आई. एफ. आर. द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार ऐसी रुग्ण चीनी कंपनियों का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) रुग्णता के विभिन्न कारण हो सकते हैं जैसे गन्ने की अपर्याप्त उपलब्धता, प्लांट तथा मशीनरी का आकार, अवस्था और स्थिति, तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमता, बिक्री वसूली के अनुपात में गन्ने का अत्यधिक ऊंचा मूल्य तथा अन्य विभिन्न कारण।

(घ) और (ङ). चीनी मिलों को पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण योजनाएं स्वयं तैयार करनी होती हैं तथा वित्तीय संस्थाओं से उनका अनुमोदन करवाना होता है। ऐसी पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण परियोजनाओं के लिए चीनी विकास निधि (एस. डी. एफ.) से भी रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है बशर्ते कि वे निहित शर्तें पूरी करती हों।

विवरण

31.3.1994 तक बी. आई. एफ. आर. के पास पंजीकृत रुग्ण चीनी कंपनियों की राज्य–वार सूची

क्रम सं.	राज्य/कंपनी
	आन्ध्र प्रदेश
1.	चल्लापल्ली शुगर

2. किरलामपुड्डी शुगर मिल्स

बिहार

3. चम्पारन शुगर

कर्नाटक

4. दावनगेरे शुगर कंपनी

5. सलारजंग शुगर

6. गंगावती शुगर

मध्य प्रदेश

7. जीवाजी राव शुगर

महाराष्ट्र

8. गोदावरी शुगर मिल्स

पंजाब

9. भगवानपुरा शुगर मिल्स

राजस्थान

10. मेवाड़ शुगर

उत्तर प्रदेश

11. लक्ष्मी शुगर मिल्स

12. कानपुर शुगर वर्क्स लि.

13. शेरवानी शुगर सिंडिकेट लि.

पश्चिमी बंगाल

14. रामनुगेर केन (खेतान एग्रो कॉम्पलेक्स)

अप्रेंटिस इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स – III

5878. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे भर्ती बोर्ड, मुम्बई सेन्ट्रल द्वारा वर्क्स – III के प्रशिक्षु निरीक्षक के पद हेतु 11 मार्च, 1993 को कुछ अभ्यर्थियों का चयन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चयनित अभ्यर्थियों को अब तक प्रस्ताव/नियुक्ति प्रस्ताव नहीं भेजे गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख). रेल भर्ती बोर्ड, बम्बई द्वारा मार्च, 1993 में 1400–2300 रू. के वेतनमान में 42 प्रशिक्षु निर्माण निरीक्षण, ग्रेड III चुने गए थे, जिनमें से 33 मध्य रेलवे के लिए और 9 पश्चिम रेलवे के लिए चुने गए थे।

(ग) पश्चिम रेलवे पर, सभी 9 उम्मीदवारों को आफर भेजी गयी थी, परन्तु केवल 4 उम्मीदवार ही आए और वे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं लेकिन, मध्य रेलवे पर अभी तक आफर नहीं भेजी गई हैं।

(घ) और (ङ). मध्य रेलवे पर कोई आफर नहीं भेजी जा सकी क्योंकि निर्माण कार्यकलापों के उत्तरोत्तर पूरा हो जाने के कारण कई निर्माण निरीक्षक फालतू हो गए हैं। अन्य कोटियों पर जिनके पुनर्नियोजन को भर्ती की अन्य सभी पद्धतियों की तुलना में तरजीह दी जानी है, और इन 33 उम्मीदवारों को नियुक्ति की पेशकश किए जाने के लिए रिक्तियों उपलब्ध नहीं थी।

[अनुवाद]

भारत भवन न्यास में वित्तीय संकट

5880. **श्री गुरूदास कामत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत भवन न्यास में वित्तीय संकट है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार कर रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). भारत भवन न्यास मध्य प्रदेश सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। न तो न्यास ने और न ही मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को भारत भवन के किसी वित्तीय संकट के बारे में सूचित किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विद्यालयों को असम्बद्ध करना

5881. श्री भीम सिंह पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने गत तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार कितने विद्यालयों को असम्बद्ध किया है;

(ख) उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप छात्रों को नुकसान न हो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान, बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश, चण्डीगढ़ और नई दिल्ली में स्थित एक–एक स्कूलों का जिन्हें अस्थायी सम्बद्धन प्रदान किया गया था, बोर्ड द्वारा सम्बद्धन समाप्त किया गया। उत्तर प्रदेश और चण्डीगढ़ के दो स्कूलों को इसलिए असम्बद्ध कर दिया गया क्योंकि वे बोर्ड के सम्बद्धन संबंधी उपनियमों में निर्धारित की गई शर्तों को पूरा नहीं करते थे। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दिल्ली के स्कूल का असम्बद्धन दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों पर शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली द्वारा स्कूल की मान्यता समाप्त किये जाने के अनुपालन में किया गया।

(ग) सम्बन्धित स्कूलों को उनके विद्यार्थियों के लिए समुचित समय दिया गया था ताकि वे बोर्ड की परीक्षाओं में बैठ सकें और होने वाली असुविधा से वे बच सकें।

[हिन्दी]

कृषक सेवा केन्द्र

5882. श्री चेतन पी० एस० चौहान :

श्री बलराज पासी :

श्री सत्य देव सिंह :

श्री महेश कनोडिया :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में नये कृषक सेवा केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा ये केन्द्र कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे;

(ग) अब तक किन-किन स्थानों पर ऐसे केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं; और

(घ) वर्ष 1993 के दौरान इन केन्द्रों के माध्यम से किये गये कार्य का केन्द्र-वार ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ). एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से कृषक कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना का कार्य दिसम्बर, 1983 से शुरू किया गया था।

1.4.1992 से इस योजना को राज्य क्षेत्र को स्थानान्तरित कर दिया गया है। इस प्रकार, 1993 के दौरान ऐसे केन्द्रों के नाम और उन केन्द्रों द्वारा किए जा रहे कार्यों के ब्यौरे के बारे में केन्द्रवार सूचना राज्य सरकारों के पास उपलब्ध है।

[अनुवाद]

गुजरात में रेल परियोजनाएं

5883. डा० अमृत लाल कालिदास पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में विभिन्न निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं को पूरा करने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में 1994–95 हेतु क्या लक्ष्य रखे गए हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) फुलेरा–मारवाड़–अहमदाबाद (572 कि. मी., जिसमें से 142 कि. मी. गुजरात में है), वीरमगांव–मेहसाना (65 कि. मी.) के आमान परिवर्तन को 1995–96 तक पूरा करने का लक्ष्य है। राजकोट–वेरावल (185 कि. मी.) के आमान परिवर्तन को 1994–95 के बजट में शामिल कर लिया गया है और 97–98 में पूरा कर दिया जायेगा।

(ग) गुजरात में किसी भी लाइन को 1994–95 में पूरा करने का लक्ष्य नहीं है। बहरहाल, रेवाड़ी–जयपुर और फुलेरा–मारवाड़ जो दिल्ली–अहमदाबाद मीटर लाइन ट्रंक मार्ग का भाग है, का आमान परिवर्तन 1994–95 के दौरान करने का लक्ष्य है।

(घ) 125.40 करोड़ रुपये।

[हिन्दी]

रेलवे के ज़ोनल कार्यालय

5884. **श्री राम कृपाल यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान ज़ोनल रेलवे कार्यालयों का गठन किस तारीख को किया गया था;

(ख) क्या रेलवे के आंचलिक और डिवीजनल कार्यालयों का गठन अत्यधिक यातायात कार्य में अत्यधिक वृद्धि और उसका स्वरूप, अर्थव्यवस्था और कार्यक्षमता और ध्यान में रखते हुए किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो बिहार में रेलवे ज़ोनल कार्यालय के गठन हेतु 31 जनवरी, 1994 तक सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया था ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) प्रारंभ में, 1951–52 में 6 क्षेत्रीय रेलें यथा मध्य, पूर्व, उत्तर, पूर्वोत्तर, दक्षिण और पश्चिम रेलवे स्थापित की गयी थीं। बाद में, 1955 में दक्षिण–पूर्व रेलवे, 1958 में पूर्वोत्तर–सीमा रेलवे और 1966 में दक्षिण–मध्य रेलवे की स्थापना की गई थी।

(ख) रेल मंडलों/जोनों की स्थापना आकार, कार्य भार, यातायात में वृद्धि और उसके स्वरूप तथा किफायत और कुशलता की आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य परिचालनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

(ग) इस बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था। जोनों के सृजन/पुनर्गठन करने से संबंधित मामले का अध्ययन तथा जांच की जा रही है।

सवारी डिब्बों को बदलना

5885. **श्री सत्यनारायण जटिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) रतलाम–उज्जैन–गुना के मध्य चल रही सवारी गाड़ियों में तथा उज्जैन और इंदौर से बन कर चलने वाली और इन दोनों स्थानों पर खत्म होने वाली रेलगाड़ियों में पुराने सवारी डिब्बों की स्थिति क्या है;

(ख) क्या उपर्युक्त रेल मार्गों की गाड़ियों में पुराने सवारी डिब्बों को बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) इन क्षेत्रों में गाड़ियों में चलाए जा रहे सवारी डिब्बों को अभी बदला नहीं जाना है। बहरहाल, नव–निर्मित सवारी डिब्बे सामान्यतः महत्त्वपूर्ण मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में लगाए जाते हैं।

(ख) और (ग). पुराने सवारी डिब्बों का बदलाव एक सतत प्रक्रिया है लेकिन यह आयु, हालत और मरम्मत पर आने वाले खर्च पर आधारित होती है। सवारी डिब्बे तब बदले जाते हैं जब ऐसा करना आवश्यक समझा जाता है।

[अनुवाद]

चीनी का उत्पादन

5886. **श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या गन्ने की काफी मात्रा का उपयोग गुड़ और खंडसारी के उत्पादन के लिए किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चीनी के उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (ग). 1992–93 के पिछले चीनी मौसम के दौरान 2308.32 लाख टन के गन्ना उत्पादन की तुलना में चालू 1993–94 चीनी मौसम के दौरान गन्ने का उत्पादन 2398.64 लाख टन होने का अनुमान है। 1992–93 चीनी मौसम के दौरान चीनी का उत्पादन 106.09 लाख टन हुआ था जबकि चालू 1993–94 चीनी मौसम के दौरान चीनी उत्पादन की वर्तमान प्रवृत्ति से पता चलता है कि चीनी का कुल उत्पादन 1992–93 मौसम के उत्पादन से काफी कम होगा। चीनी उत्पादन में गिरावट की प्रवृत्ति से लगता है कि गुड़ व खांडसारी क्षेत्रों की ओर गन्ने का अत्यधिक विपथन हुआ है।

[हिन्दी]

रेल लाइनें

5887. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विहार, विशेषरूप से उत्तरी बिहार में, 1994–95 के दौरान और अधिक रेल लाइनें बिछाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. ज़ाफ़र शरीफ़) : उत्तरी बिहार में छितौनी–बगहा रेलवे लाइन को पुनः बिछाने और छपरा–औंड़िहार, समस्तीपुर–दरभंगा और मुजफ्फरपुर–नरकटियागंज तथा सगौली–रक्सौल आमान परिवर्तन के कार्य अच्छी प्रगति पर हैं। दुमका–मंदारहिल नई लाइन परियोजना रिपोर्ट योजना आयोग को उनके अनुमोदन के लिए भेजी गई है। रांची–हजारीबाग–गया नई लाइन तथा पटना–गया खांड के दोहरीकरण और मशरक तक विस्तार सहित महाराजगंज–दरौंदा के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू किये गये हैं।

मध्य प्रदेश में रेल-परियोजनाएं

5888. **श्री खेलन राम जांगड़े :**

डा० रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में मीटर गेज लाइनों की बड़ी लाइनों में बदलने संबंधी परियोजनाओं सहित उन रेल परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो निर्माणधीन हैं परन्तु जिन्हें समय पर पूरा नहीं किया जा सकता; और

(ख) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें पूरा करने की अवधि पहले भी बढ़ाई गई थी अथवा जिनका निर्माण कार्य वित्तीय अड़चनों के कारण प्रभावित हुआ था ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़) : (क) मध्य प्रदेश में जिन निर्माणाधीन परियोजनाओं के समय पर पूरा होने की संभावना नहीं है, वे हैं :

(i) गुना–इटावा नई रेल लाइन

(ii) इन्दौर–दाहोद और देवास–मकसी नई रेल लाइन।

(ख) विगत में जिस परियोजना का निर्माण कार्य वित्तीय तंगियों के कारण प्रभावित हुआ था, वह सतना–रीवा नई रेल लाइन है।

[अनुवाद]

पॉम आयल

5889. **श्री अन्ना जोशी : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र को हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए बड़ी मात्रा में दिया गया पॉम आयल खराब पाया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस पॉम आयल की मात्रा कितनी थी; और

(ग) इसकी अनुमानित कीमत कितनी थी ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

छोटी रेलगाड़ियाँ (ट्वाय ट्रेनें)

5890. **श्री अजय मुखोपाध्याय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दार्जिलिंग जिले में चल रही छोटी रेलगाड़ियों (ट्वाय ट्रेनों) को आधुनिक बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारणं हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हाँ।

(ख) हाल ही में खरीदें गए 18 नये सवारी डिब्बे सेवा में लगाए गये हैं। इन सवारी डिब्बों में यात्री–सुविधा संबंधी बेहतर फिटिंगें लगाई गई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में रेलवे के क्वार्टर

5891. **श्री आनन्द अहिरवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में रेल क्वार्टर रेल कर्मचारियों की संख्या से कम हैं;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा कर्मचारियों हेतु और अधिक क्वार्टरों के निर्माण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). धन की उपलब्धता और विभिन्न स्टेशनों की सापेक्ष आवश्यकताओं के अनुसार आवास व्यवस्था में और सुधार करने के लिए हर वर्ष अतिरिक्त क्वार्टरों की व्यवस्था करने हेतु निर्माण–कार्य शुरू किये जाते हैं, तदनुसार, मध्य प्रदेश में टाइप–I के 53 यूनिट, टाइप–II के 69 यूनिट और टाइप–III के 16 यूनिट क्वार्टरों का निर्माण शुरू किया गया है।

बिहार में रेलवे उपरि पुल

5892. **श्री मोहम्मद अलीी अशरफ फातमी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत वर्ष रेल सुरक्षा कोष का उपयोग करते हुए बिहार में रेलवे उपरि पुल के निर्माण का कार्य शुरू किया था;

(ख) यदि हाँ, तो इन उपरि पुलों के स्थान–वार नाम क्या हैं; और

(ग) आगामी वर्ष के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) से (ग). समपारों के बदले ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण रेलों और राज्य सरकारों द्वारा लागत में भागेदारी के आधार पर अपने संसाधनों में से किया जाता है।

रेलवे संरक्षा निर्माण कार्य निधि का उपयोग उनके खाते में उपलब्ध धन की उपलब्धता की सीमा तक राज्य सरकार द्वारा ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति करने हेतु किया जाता है।

शोध करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ

5893. **श्री प्रेम चन्द राम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पटना और रांची विश्वविद्यालयों के शोध करने वाले विद्यार्थियों को दी जा रही छात्रवृत्तियाँ समाप्त कर दी गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोई प्रतिनिधिमंडल इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मिला है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, किसी प्रतिनिधिमण्डल ने इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष से भेंट नहीं की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

धर्मवरम स्टेशन का आधुनिकीकरण

5894. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे के धर्मवरम स्टेशन के आधुनिकीकरण की किसी योजना को स्वीकृति दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). 20.37 लाख रू. की लागत पर प्लेटफार्म संख्या 1 को ऊंचा करने, प्लेटफार्म सायवान का विस्तार करने आदि जैसे कार्य किए गये हैं। इन कार्यों को 1995–96 में पूरा करने का लक्ष्य है, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

कमल नयन काबरा समिति .

5895. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलहन उत्पादों की जांच करने हेतु नियुक्त की गई कमल नयन काबरा समिति को तिलहन तेल एक्सचेंज, मुम्बई ने कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया था;

(ख) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

राजकोट में उपरि पुल

5896. **श्री शिवलाल नागजी भाई बेकारिया : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम रेलवे के अंतर्गत राजकोट में आम्रपाली सिनेमा और महिला कालेज के निकट उपरि पुल का निर्माण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसका निर्माण कार्य पूरा करने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) से (ग). राजकोट–बक्तीनगर खंड के बीच आम्रपाली सिनेमा और महिलां कालेज के निकट 4/6–7 कि. मी. पर समपार सं. 7 के बदले सड़क ऊपरी पुल के निर्माण का एक प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है। जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी हैं। राज्य सरकार द्वारा पूर्व अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी कर लिये जाने के बाद इस कार्य को रेलों के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के बारे में विचार किया जाएगा। निर्माण कार्य के स्वीकृत हो जाने के बाद पुल का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों को पूरा किये जाने पर निर्भर होगा।

[हिन्दी]

श्रमिकों का शोषण

5897. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक रेलवे गोदामों में माल को गाड़ियों में चढ़ाने उतारने वाले श्रमिकों को ठेकेदार अत्यधिक शोषण कर रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सरकार क्या उपचारात्मक उपाय कर रही है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख). ठेकेदारों और रेल प्रशासनों के बीच हुए ठेका करारों में उपचारात्मक तथा सुधारात्मक उपबंधों सहित पर्याप्त उपबंध किये गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ठेकेदार श्रमिकों के लिए संगत विधियों, अर्थात् कर्मकार प्रतिकार अधिनियम, 1923, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, नियोजन काल विनियम, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 तथा समय समय पर उनके अधीन बनाई गई अन्य अधिनियमितियों, सांविधिक नियमों के अंतर्गत यथापेक्षित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

चावल और धान का मूल्य

5898. **श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर)** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अन्य राज्यों की तरह पंजाब में भी चावल के लेवी मूल्यों में आनुपातिक वृद्धि की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमें वर्तमान खरीफ विपणन मौसम, 1993–94 के लिए लेवी चावल के राज्यवार वसूली मूल्यों का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

वर्तमान खरीफ विपणन मौसम, 1993–94 के लिए लेवी चावल के राज्यवार वसूली मूल्य

(रूपये प्रति क्विंटल)

राज्य	साधारण	बढ़िया	उत्तम
आंध्र प्रदेश	518.90	550.40	581.90
असम	514.70	554.30	586.00
बिहार	500.20	535.90	566.50
गुजरात	484.45	513.80	543.15
हरियाणा/दिल्ली	529.20	578.25	616.00
कर्नाटक	494.05	524.00	553.95
मध्य प्रदेश	512.85	543.95	575.10
उड़ीसा	528.80	560.90	593.05
राजस्थान	521.30	565.35	606.75
पंजाब	533.40	582.90	620-90
उत्तर प्रदेश	501.45	531.75	574.75
पश्चिम बंगाल	488.25	530.90	561.20
महाराष्ट्र	501.65	531.90	562.20

पांडिचेरी	489.65	518.70	548.30
चंडीगढ़	524.25	572.90	610.25

[अनुवाद]

तकझी और पुनलूर के बीच रेल सम्पर्क

5899. **प्रो. पी. जे. कुरियन : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में तकझी और पुनलूर के बीच सम्पर्क रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या मंत्रालय ने इस परियोजना की व्यावहारिकता का अध्ययन किया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

(घ) संसाधनों की तंगी।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम में घाटा

5900. **श्री नवल किशोर राय : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992–93 और 1993–94 में खाद्यान्नों की ढुलाई पर भारतीय खाद्य निगम को वर्ष–वार कितना घाटा हुआ;

(ख) उपरोक्त अवधि में कितनी मात्रा में खाद्यान्नों की ढुलाई की गई; और

(ग) इन घाटों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) 1992–93 के दौरान भारतीय खाद्य निगम को गेहूं, चावल और धान (चावल के हिसाब से) की ढुलाई पर 3.48 लाख मीटरी टन

की मार्गस्थ हानि हुई। 1993–94 के दौरान हुई हानियों के आंकड़े लेखों को अन्तिम रूप देने के पश्चात् उपलब्ध होंगे।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने 1992–93 के दौरान 210.37 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों (गेहूं, चावल और धान) का संचलन किया था। तथापि, 1993–94 के संबंध में आंकड़े लेखों को अन्तिम रूप दे दिए जाने के बाद ही उपलब्ध होंगे।

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने हानियों को रोकने/कम से कम करने के लिए कई एक उपाय किए हैं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस संबंध में किए गए कुछेक महत्त्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं :–

(1) गोदामों में तोल–सेतु लगाना;

(2) बोरियों की मशीन से सिलाई करवाने को प्रोत्साहित करना;

(3) गतिमान वैगन तोल–सेतु लगाना;

(4) प्रत्येक बोरी में भरे जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा में कमी करना;

(5) डिपुओं में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करने, अचानक निरीक्षणों में तेजी लाने, नियमित रूप से स्टाक का सत्यापन करने आदि जैसे प्रशासनिक उपाय करना।

[अनुवाद]

चिल्का झील

5901. **श्री के० प्रधानी :**

श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को चिल्का झील के विकास के लिए कोई परियोजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना पर कितनी लागत आएगी; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). उड़ीसा सरकार

ने द्विपक्षीय कार्यक्रम के तहत सहायता हेतु पांच वर्ष की अवधि के लिए 60 करोड़ रूपए की कुल लागत वाली "सस्टेनेबल इकोलाजीकल प्रिजर्वेशन एंड एन्वायरनमेंटल मैनेजमेंट ऑफ चिल्का" नामक परियोजना प्रस्तुत की है। इस परियोजना के मुख्य घटकों में जलगुणवत्ता एवं क्षारीयता के ग्रेड में सुधार, गादजमाव को रोकने के लिए झील की परिधि का प्रबन्ध; झील संसाधन विकास; स्वस्थ्यवार प्रबंध; जल पक्षी; सामुदायिक भागीदारी में सामान्य गुणधर्म संसाधन विकास और प्रबंध; रोजगार सृजन स्कीमें अवसरंचना और संस्थागत विकास शामिल हैं।

(ग) इस परियोजना प्रस्ताव की यूरोपीय समुदाय द्वारा वित्तीय सहायता की व्यवस्था के लिए जांच की जा रही है।

वनभूमि की सफाई

5902. **श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही :**

श्री रवि राय :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने समुद्र अपरदन से प्रस्तावित सतभाया और कान्हूपुर के ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए उड़ीसा के भीतर कनिका अभ्यारण्य के कच्छ वन के कुछ क्षेत्रों के वनों की कटाई के लिए अनुमति देने के लिए केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र की जांच की गई है जहां पुनर्वास कार्य करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं और उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है;

(घ) क्या अनुमति लेने के पहले ही राज्य सरकार की जानकारी में वन क्षेत्र की सफाई कर दी गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) समुद्र अपरदन से प्रभावित सतभाया और काहनुपुर गांवों के ग्रामीणों के 395 परिवारों के पुनर्वास के लिए भीतर कनिका अभ्यारण्य के भीतर 532.97 हेक्टेयर वन भूमि को उपयोग में लाने का एक प्रस्ताव 1992 में उड़ीसा राज्य सरकार से प्राप्त हुआ था।

(ख) और (ग). जी हां।

समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार से सतभाया और काहनुपुर के ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए वैकल्पिक प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है।

(घ) और (ङ). राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने से पहले ही वन क्षेत्र के एक भाग से पेड़ काट लिए गए थे। राज्य सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के लिए जिम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

भारत और मलेशिया के बीच समझौता

5903. **डा० रमेश चन्द तोमर :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और मलेशिया के बीच हाल ही में डीज़ल इंजनों की बिक्री के बारे में कोई समझौता किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो मलेशिया ने प्रथम चरण में भारत से कितने इंजन खरीदने का प्रस्ताव किया है;

(ग) इस समझौते से भारत द्वारा कुल कितने करोड़ रूपये की विदेशी मुद्रा अर्जित किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या भारत और मलेशिया के बीच पहले भी ऐसा कोई समझौता किया गया था; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विद्युत इंजन

5904. **श्री हाराधन राय :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत इंजनों की आवश्यकता और उपलब्धता में कोई अंतर है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हाँ।

(ख) योजना के दौरान निर्धारित लक्ष्यों के लिए अपेक्षित बिजली इंजनों की अनुमानित कुल संख्या 933 है जबकि योजना के दौरान 775 रेल इंजनों की खरीद की संभावना है जो कि निर्धारित लक्ष्य से 158 रेल इंजन कम है।

जगन्नाथ मंदिर

5905. **श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उड़ीसा में पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के रख रखाव और परिरक्षण पर कितनी धनराशि खर्च की है;

(ख) क्या खर्च की गई धनराशि इसके परिरक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने इसके परिरक्षण और रख रखाव के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष–वार, भगवान जगन्नाथ मंदिर पुरी के रखरखाव और परिरक्षण पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा व्यय की गई राशि इस प्रकार है :–

1991–92	6,11,169.00 रु.
1992–93	71,49,848.00 रु.
1993–94	1,19,85,833.00 रु.

(ख) यह आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी का आयात

5906. **श्री राम कापसे** . क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के प्रथम छह माह के दौरान कितनी मात्रा में (विदेशी मुद्रा मूल्य में) चीनी का आयात करने का विचार है;

(ख) किन एजेंसियों के माध्यम से इसका आयात करने का विचार है; और

(ग) इस व्यापार में कितनी धनराशि व्यय होगी ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (ग). सरकार ने खुले सामान्य लाइसेंस (ओ. जी.एल.) के तहत चीनी के आयात की अनुमति दे दी है। चूंकि विदेशी मुद्रा मूल्य में आयात की जाने वाली चीनी की मात्रा तथा इसके लेन देन में व्यय की जाने वाली धनराशि आयातकों द्वारा किए गए अनुबंधों पर निर्भर करेगी जिनसे यह आशा की जाती है कि वे आयात की जाने वाली चीनी के लिए सप्लायरों/एजेंसियों, मूल्य आदि के चयन में अपने सर्वोत्तम वाणिज्यिक निर्णय का प्रयोग करेंगे।

[हिन्दी]

आरक्षण काउन्टर

5907. **श्री महेश कनोडिया :**
श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा इस ग्रीष्मकाल के दौरान आरक्षण काउन्टरों पर भीड़ भाड़ कम करने तथा जनता को तत्काल और सुविधाजनक ढंग से टिकट उपलब्ध कराने हेतु प्रमुख स्टेशनों पर और अधिक आरक्षण काउन्टर खोलने के लिए प्रयास किए जा रहे है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) . (क) और (ख). ग्रीष्मकाल, पूजा/क्रिसमस की छुट्टियों, मेलों आदि के दौरान भीड़भाड़ कम करने के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बुकिंग/आरक्षण काउन्टर खोले जाते हैं। गर्मी के चालू सीजन के लिए मद्रास, कलकत्ता, टाटानगर, कटिहार, गुवाहाटी आदि जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर अतिरिक्त काउन्टरों की व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

विश्व पर्यावरण में गिरावट

5908. **श्री छीतुभाई गामीत** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकसित देशों ने, जो विश्व पर्यावरण खराब करने के लिए मुख्य रूप से ज़िम्मेदार हैं, सरकारी विकास सहयता के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 0.7 प्रतिशत अंशदान देने का आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह कितने डालर के बराबर है;

(घ) क्या यह आवर्ती राशि है अथवा एकमुश्त राशि है; और

(ङ) विश्व पर्यावरण में गिरावट की समस्या के समाधान हेतु कितनी वित्तीय सहायता की आवश्यकता है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जून, 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में अपनाये गए कार्रवाई कार्यक्रम एजेन्डा 21, में विकासशील देशों में एजेन्डा–21 के 1993–2000 के दौरान कार्यान्वयन की वार्षिक औसत लागत मोटे तौर पर 600 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अनुदान अथवा रियायती शर्तों पर प्राप्त होने वाले लगभग 125 बिलियन अमरीकी डालर शामिल हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों में रिक्तियां

5909. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालयों में अ/र नवोदय विद्यालयों में पृथक पृथक राज्यवार शिक्षकों के कितने पद तीन वर्ष से रिक्त पड़ें हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों को भारी नुकसान होता है चूंकि उनका अध्ययन अवरूद्ध होता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). चूंकि विद्यालयों को क्षेत्रीय कार्यालयों के अन्तर्गत समूहित किया जाता है, अतः राज्यवार कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। चूंकि 1991/1992 के वर्षों के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा शिक्षकों की बड़े पैमाने पर कोई भर्ती नहीं की गई थी, अतः वर्ष 1993 तक इकट्ठी हुई रिक्तियों की कुल संख्या लगभग 9000 है जिनमें से अब तक हाल ही की भर्तियों में लगभग 6500 व्यक्ति चुने गए हैं। नवोदय विद्यालयों में, वर्ष 1991, 1992 और 1993 में रिक्त अध्यापन पद क्रमशः 1421, 1638 और 1281 थे।

(ग) जी नहीं। शैक्षिक कार्य को विघटन से बचाने के लिए अस्थायी प्रबन्ध किए गए हैं।

(घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की पिछली बकाया 680 रिक्तियों को भरने के लिए विशेष विज्ञापन पहले से ही जारी कर दिया गया है और इसके अतिरिक्त मई, 1994 में सभी श्रेणियों की रिक्तियों के लिए विज्ञापन की योजना है। नवोदय विद्यालय समिति ने भी मार्च और दिसम्बर, 1993 में नियुक्ति की है और इसके अतिरिक्त जून–जुलाई, 1994 में विज्ञापन देने की योजना है।

विदेशी पर्यटकों को कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा

5910. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी पर्यटकों को भारतीय रेल में कम्प्यूटरों द्वारा आरक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव प्रारम्भिक चरण में है और कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

सुपर बाजार में सेवानिवृत्ति लाभ

5911. **श्री सोमजीभाई डामोर : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ दिए जाते हैं;

(ख) क्या इन कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना शुरू करने तथा अन्य लाभ देने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार को कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के संबंध में कर्मचारी संघ से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां।

(ख) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उनका अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस भंडार के कर्मचारियों के लिए उपदान, अंशदायी भविष्य निधि, छुट्टियों का नकद भुगतान, चिकित्सा सुविधा, वाहन के लिए अग्रिम, अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति या अनुग्रह राशि की अदायगी जैसी सुविधाएं पहले ही उपलब्ध हैं।

(ग) जी हां।

(घ) सुपर बाजार के विभिन्न संघों के प्रतिनिधियों से समय–समय पर विभिन्न लाभों, जैसे मकान किराए भत्ते में बढ़ोतरी, मजदूरी में संशोधन आदि के लिएं ज्ञापन प्राप्त हुए हैं और उनकी उचित मांगों को पूरा किया गया है।

[हिन्दी]

कृषि विकास के लिए धनराशि

5912. **श्री राजेश कुमार** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में निवास करने वाले आदिवासियों को कृषि सवर्द्धन हेतु अनुदान और ऋण के माध्यम से प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में चालू वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित विशिष्ट योजनाओं के संबंध में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता मुहैया की जाती है ताकि आदिवासियों सहित किसानों के लाभ के लिए त्वरित कृषि वृद्धि हेतु उनके प्रयासों में सहयोग किया जा सके।

[अनुवाद]

कोंकण रेलवे बाण्ड

5913. **श्री मोहन रावले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेलवे बाण्डों की बिक्री में कोई कमीशन अथवा प्रबन्धन शुल्क का भुगतान किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कमीशन अथवा प्रबन्धन शुल्क का भुगतान किसको किया गया था ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). दलालों और प्रापण एजेंटों को कमीशन के रूप में 8.37 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था, जबकि विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को प्रबन्धन शुल्क के रूप में 10.35 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान किया गया था।

शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए शिक्षा संबंधी सुविधाएं

5914. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय शारीरिक रूप से विकलांग और नेत्रहीन लोगों के लिए राज्य–वार कितने स्कूल और कालेज चलाये जा रहे हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार 1994–95 के दौरान शारीरिक रूप से विकलांग और नेत्रहीन लोगों के लिए नए स्कूल और कालेज खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मथुरा और वृन्दावन के बीच रेलगाड़ी

5915. **डा० साक्षीजी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा और वृन्दावन के बीच तीन रेल गाड़ियां चलाने से भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार इस घाटे को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(घ) क्या सरकार का विचार इनमें से एक गाड़ी को अलीगढ़ तक चलाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) से (ग). खर्च, आय और लाभ के आंकड़े गाड़ी–वार और खंड–वार नहीं रखे जाते हैं, यात्री सेवाएं यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिचालित की जाती हैं, यद्यपि समग्र रूप में रेलों को यात्री गाड़ियों के परिचालन पर घाटा हो रहा है। घाटा कम करने और राजस्व की हानि को रोकने के लिए बिना टिकट यात्रियों को पकड़ने के लिए व्यापक टिकट जांच अभियान चलाए जाते हैं।

(घ) और (ङ). मथुरा–वृंदावन मीटर लाइन की शटलों को अलीगढ़ से/तक बढ़ाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है क्योंकि अलीगढ़ बड़ी लाइन पर है।

गन्ना अनुसंधान केन्द्र

5916. **श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चीनी प्रौद्योगिकी केन्द्र तथा गन्ना अनुसंधान केन्द्र कहां–कहां पर स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार कर्नाटक और विशेषरूप से माण्डया जिले में चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान तथा गन्ना अनुसंधान केन्द्र खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो ये किन–किन स्थानों पर खोले जायेंगे ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) देश में जहां चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान तथा गन्ना अनुसंधान केन्द्र स्थित हैं, उन स्थानों को संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं। कर्नाटक के जामखंडी में गन्ना प्रजनन संस्थान का एक उप केन्द्र कार्य कर रहा है तथा ये केन्द्र कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर के तहत अखिल भारतीय समन्वित गन्ना अनुसंधान केन्द्र, मंड्या तथा कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ के तहत कार्य कर रहे सांकेश्वर के केन्द्र हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

I. गन्ना प्रौद्योगिकी संस्थान

(1) राष्ट्रीय गन्ना संस्थान, कानपुर (उ. प्र.)

II. गन्ना अनुसंधान केन्द्र

(क) गन्ना अनुसंधान संस्थान

1. भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ

2. गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर

उप केन्द्र तथा क्षेत्रीय केन्द्र

(i) मोतीहारी	बिहार
(ii) केनेनूर	केरल
(iii) करनाल क्षेत्रीय केन्द्र	हरियाणा
(iv) कोबूर	आंध्र प्रदेश
(v) जामखंडी	कर्नाटक

(ख) अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना

केन्द्र का नाम	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	राज्य
1. अनाकापल्ले	आ. प्र. कृ. वि. हैदराबाद	(आन्ध्र प्रदेश)
2 पाडेगाव	म. प्र कृ वि., राहुरी	(म. रा.)
3. कोल्हापुर	म फु कृ. वि राहुरी	(म. रा.)
4. जालधर	पं. कृ. वि. लुधियाना	(पंजाब)
5. नवसारी	गु. कृ. वि., आनन्द	(गुजरात)
6. उचैनी	ह. कृ. वि., हिसार	(हरियाणा)
7. जोरहाट	अ. कृ. वि., जोरहाट	(असम)

8. कुड्डालोर	त. ना. कृ. वि., कोयम्बतूर	(तमिलनाडु)
9. पूसा	रा. कृ. वि., बिहार	(बिहार)
10. सिहोर	ज. ला. ने कृ. वि. वि., पन्तनगर	(उ. प्र.)
11. पन्तनगर	गो. व. पं. कृ., तथा प्रो. वि., पंतनगर	(उ. प्र.)
12. मंड्या	कृ. वि. वि., बंगलौर	(कर्नाटक)
13. शाहजहांपुर	गन्ना अनुसंधान की उ. प्र. परिषद, शाहजहांपुर	(उ.प्र.)
14. चिपलिमा	उ. कृ. तथा प्रो. वि., भुवनेश्वर	(उड़ीसा)
15. थिरूविल्ला	केरल कृ. वि., त्रिचूर	(केरल)
16. बंथुआधारी	राज्य विभाग	(पं बंगाल)
आठवीं योजना के दौरान खोले गये नये केन्द्र		
17. शंकेश्वर	कृ. वि. वि., धारवाड़	(कर्नाटक)
18. कोटा	राजस्थान कृ. वि., बीकानेर,	(राजस्थान)
19. नागपुर	पंजाब रावे कृ. वि., अकोला	(महाराष्ट्र)
20 गोवा	भा. कृ. अ. प. अनुसंधान केन्द्र	(गोवा)

प्रदूषण नियंत्रण योजना

5917. **श्री देवी बक्स सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्योगों से होने वाले प्रदूषण विशेष रूप से राज्य के चमड़ा उद्योग से होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए कोई योजना भेजी है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). मंत्रालय को उत्तर प्रदेश सरकार से तीन प्रस्ताव मिले थे जिनमें से दो उन्नाव और मथुरा में साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने से संबंधित थे। तीसरा प्रस्ताव उन्नाव में एक इकाई द्वारा क्रोम रिकवरी प्लांट की स्थापना के बारे में था।

(ग) सरकार ने उन्नाव में साझे बहिस्राव शोधन संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है तथा इकाई को केन्द्रीय इमदाद भी बंटित की जा चुकी है। मथुरा में साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र के प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश सरकार को टिप्पणियां भेजी जा चुकी हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को उन्नाव में क्रोम रिकवरी प्लांट एवं साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र पर समन्वित प्रस्ताव तैयार करने के लिए भी कहा है।

[हिन्दी]

राजस्थान की पर्यावरण तथा वानिकी परियोजनाएं

5918. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत् तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में पर्यावरण और वनों को बचाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीयपोषित कौन–कौन सी परियोजनाएं चलाई गई हैं;

(ख) इस संबंध में क्या उपलब्धियां रही हैं;

(ग) प्रत्येक मामले में कितनी वित्तीय सहायता दी गई; अऔर

(घ) निकट भविष्य में चालू की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). राजस्थान में पर्यावरण और वनों को बचाने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान आरम्भ की गई केन्द्रीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं और प्रत्येक मामले में दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। परियोजनाएं संतोषजनक रूप से चल रही हैं।

(घ) परियोजनाएं अनवरत रूप से चलती रहेंगी।

विवरण

(लाख रूपये)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	मुख्य उद्देश्य	भारत सरकार द्वारा वित्तपोषण की मात्रा	स्थिति	गत तीन वर्षों 1991–92, 1992–93 1993–94 के दौरान बंटित की गई धनराशि
1.	राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य	राष्टीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों का विकास	100%	चालू	227.55
2.	राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों क आसपास पारि–स्थितिकी विकास	राष्ट्रीय उद्यानों के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक जीविका मुहैया करना	100% गैर आवर्ती 50% आवर्ती	चालू	80.93
3	साइबेरियन सारस	साइबेरियन सारसों को जंगली सारसों के झुंड में छोडने के प्रयोग	100%	चालू	4.71
4.	बाघ परियोजना	बाघों की जीवनक्षय संख्या सुनिश्चित करना	100% गैर–आवर्ती 50% आवर्ती	चालू	304.56
5.	क्षेत्रोन्मुख ईंधन की लकड़ी एवं चारा स्कीम	अभिनिर्धारित ईंधन की लकडी की कमी वाले जिलों में ईंधन	50%	चालू	614.59 (दिसम्बर, 1993 तक)

1	2	3	4	5	6
		की लकडी एवं चारे की आपूर्ति में वृद्धि करना।			
6.	समन्वित वनरोपण एवं पारि–विकास स्कीम	पारि–विकास एव वनरोपण को बढ़ावा देना	100%	चालू	1974.4
7.	औषधीय पौधों सहित लघु वन उत्पाद	औषधीय पौधों समेत लघु वन उत्पाद उगाना	100%	चालू	98.61
8.	बीज विकास स्कीम	उत्तम बीजों के लिए आधारभूत ढांचे का विकास	100%	चालू	8.00
9.	हवाई बीजीकरण स्कीम	कठिन एवं दुर्गम क्षेत्रों को हरा–भरा बनाना	100%	चालू	11.64
10.	अवक्रमित वनों के पुनरूद्धार में अनुसूचित जन जातियों और गरीब ग्रामीणों की सहायता लेना	अवक्रमित वनों में जैव द्रव्य ससाधन आधार को सुधारना	100%	चालू	27.76
11.	जोधपुर विश्वविद्यालय	मरू पारिस्थितिकी	100%	धनराशि	6.00

1	2	3	4	5	6
	में मरू पारि स्थितिकी अध्ययेतावृत्ति	पर अध्ययनों को प्रोत्साहन देना		एक बार ही बंटित की गई थी।	
12.	पर्यावरण वाहिनी	लोगों की सक्रिय भागीदारी से पर्यावरणीय जाग-रूकता लाना	100%	चालू	2.88

[अनुवाद]

यूरोपीय अध्ययन केन्द्र

5919. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भारतीय विश्वविद्यालयों में यूरोपीय अध्ययन केन्द्र खोलने की योजना है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह सूचित किया है कि मामला उनके विचाराधीन है।

पौधा-घर

5920. **श्री प्रकाश वी. पाटील** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पौधा–घर योजना कौन–कौन से राज्यों में चल रही है और कब से;

(ख) अब तक ऐसे पौधा–घर राज्य–वार किन स्थानों पर स्थापित किये गये हैं; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी गई अथवा दिये जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) (1) आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मणिपुर, पंजाब और राजस्थान में 1991–92 से।

(2) बिहार, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरूणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, और जम्मू तथा कश्मीर में 1992–93 से।

(3) सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में 1993–94 से।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ग) सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित वित्तीय सहायता संलग्न विवरण–II में दी गई है।

विवरण-I

विभिन्न राज्यों में ग्रीनहाउस संरचना वाले जिले

(उपलब्ध सूचना के अनुसार)

राज्य	जिले
जम्मू और कश्मीर	लद्दाख, लेह
हिमाचल प्रदेश	शिमला
हरियाणा	करनाल, गुरदासपुर
महाराष्ट्र	पुणे, नासिक, महाबालेश्वर, लोनावाला, बम्बई
दिल्ली	दिल्ली
चण्डीगढ़	चण्डीगढ
पंजाब	लुधियाना, गुरदासपुर, भटिण्डा
उत्तर प्रदेश	अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल
मध्य प्रदेश	इन्दौर
असम	जोरहाट
बंगाल	मिदनापुर, कलकत्ता
कर्नाटक	बंगलौर, मैसूर

1	2
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद, बिजयवाड़ा
तमिलनाडु	ऊटी
गुजरात	बड़ौदा
राजस्थान	उदयपुर, जोधपुर

विवरण-II

(राशि लाख रूपए में)

क्र. सं.	राज्य	कुल परिव्यय (8वीं योजना)	परिव्यय 1992–93	परिव्यय 1993–94	परिव्यय 1994–95	परिव्यय 1995–96	परिव्यय 1996–97
	श्रेणी क						
1	महाराष्ट्र	250	4	26	81	80	59
2.	हिमाचल प्रदेश	250	51	26	80	70	23
3.	कर्नाटक	235	4	27	80	80	44
	कुल :	735	59	79	241	230	126
	श्रेणी ख						
1.	मध्य प्रदेश	84	4	9	29	29	13
2	असम	84	1	9	28	28	18
3.	जम्मू और कश्मीर	84	51	8	9	9	7
4.	आंध्र प्रदेश	84	0	9	27	30	18
5.	गुजरात	79	4	8	28	29	10
6.	हरियाणा	79	5	8	28	27	11
7.	पंजाब	79	5	8	27	27	12

1 2	3	4	5	6	7	8
8. उत्तर प्रदेश	78	25	8	19	18	8
9. तमिल नाडु	78	13	8	24	26	7
कुल :	729	108	75	219	223	104
श्रेणी ग						
1. मेघालय	37	1	4	12	11	9
2. मणिपुर	37	1	4	12	11	9
3. मिजोरम	37	0	4	12	11	10
4. सिक्किम	37	1	4	12	11	10
5. दिल्ली	37	0	4	12	11	10
6. राजस्थान	37	0	4	12	11	5
7. पश्चिम बंगाल	37	5	4	12	11	5
8. अंडमान व निको.	37	0	4	12	11	10
9. अरूणाचल प्रदेश	37	1	4	12	11	9
10. बिहार	36	2	4	12	11	7
11. चण्डीगढ़	36	0	4	12	12	8
12. दादर नगर हवेली	36	0	4	12	12	8
13. दमन तथा दीव	36	0	4	12	12	8
14. गोवा	37	0	4	12	12	9
15. लक्षद्वीप	37	0	4	12	12	9
16. उड़ीसा	37	0	4	12	12	9
17. पांडिचेरी	37	0	4	12	12	9
18. त्रिपुरा	37	1	4	12	12	8
19. नागालैंड	37	1	4	12	11	9
20. केरल	37	5	4	12	11	5
कुल :	736	18	80	240	228	170
सकल योग :	2200	185	234	700	681	400

नई रेल लाइनें

5921. **श्री रतिलाल वर्मा :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भावनगर से अलाग तक नई रेल लाइनें बिछाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक मंजूरी दे दी जाएगी और इस पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) (क) जी नहीं;

(ख) प्रश्न नहीं उठता

(ग) संसाधनों की तंगी।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम

5922. **श्री अवतार सिंह भडाना : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जिला मंच और अन्य संगठन मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण कार्य नहीं कर पा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि कुछ जिला मंचों को जगह की कमी, कर्मचारियों की कमी, निधि के अभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारों से नियमित रूप से कहा गया है कि वे मानदंडों के अनुसार ये सुविधाएं जिला मंचों को मुहैया कराने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई करें और इस स्थिति में काफी हद तक सुधार हुआ है।

[हिन्दी]

विदेश भेजे गये शिष्टमंडल

5923. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कृषि मंत्रालय द्वारा कितने शिष्टमंडल विदेश भेजे गए;

(ख) इन शिष्टमंडलों ने कौन–कौन से देशों की यात्रा की;

(ग) प्रत्येक शिष्टमंडल पर किनती धनराशि खर्च हुई; और

(घ) ऐसी यात्राओं से क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग). कृषि मन्त्रालय द्वारा, विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में, विदेशों में भेजे गए शिष्टमण्डलों की संख्या, दौरा किए गए देशों का नाम तथा उस पर किया गया व्यय, को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) इन दौरों के परिणामतः कृषि, कृषि अनुसंधान तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिला जिसके लिए समझौता ज्ञापनों/करारों को अन्तिम रूप दिया गया उन पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, वैज्ञानिक जानकारी सामग्री तथा उपकरणों, द्विपक्षीय कृषि परियोजनाओं का आदान–प्रदान करना, तकनोलोजी अन्तरण तथा इन देशों के साथ चल रहे सहयोग की समीक्षा करना आदि अन्तर्ग्रस्त है।

विवरण

क्रम संख्या	वर्ष	1991, 1992 तथा 1993 के दौरान कृषि मंत्रालय द्वारा विदेश भेजे गए शिष्ट–मंडलों की संख्या	देश का नाम	किया गया व्यय
1	2	3	4	5
1	1991	4	इटली	1,83,520/– रुपए
			जापान	76,745/– रुपए

1	2	3	4	5
			यू. के., इटली और दुबई	4,70,645/– रुपए
			क्यूबा	2,09,147/– रुपए
2.	1992	19	इंडोनेशिया	1,33,862/– रुपए
			इंडोनेशिया	45,501/– रुपए
			इटली	78,583/– रुपए
			मैक्सिको, यू. एस. ए. और	
			थाईलैंड	6,48,927/– रुपए
			फ्रांस	39,570/– रुपए
			जर्मनी/यू. के.	1,20,673/– रुपए
			जर्मनी	1,27,000/– रुपए
			नीदरलैंड	2,30,586/– रुपए
			इटली	1,06,390/– रुपए
			जापान/वियतनाम	
			और थाईलैंड	5,94,330/– रुपए
			पाकिस्तान	5,346/– रुपए
			चीन	1,91,000/– रुपए
			नेपाल	42,500/– रुपए
			यू. एस. ए.	4,78,006/– रुपए
			इटली	2,59,317/– रुपए
			फिलीपीन्स	30,664/– रुपए
			इटली	10,510/– रुपए
			मॉरीशस	92,000/– रुपए
			अलजीरिया	2,54,334/– रुपए

1	2	3	4	5
3	1993	27	न्यूजीलैंड एवं आस्ट्रेलिया	1,49,479/– रुपए
			इटली	1,94,338/– रुपए
			नेपाल	19,000/– रुपए
			इटली	81,553/– रुपए
			यू. एस. ए.	5,34,677/– रुपए
			इजराइल	1,88,000/– रुपए
			फ्रांस	30,664/– रुपए
			इटली	43,270/– रुपए
			इजराइल	34,222/– रुपए
			इटली	37,222/– रुपए
			तुर्की	1,24,144/– रुपए
			स्विटजरलैंड	1,09,504/– रुपए
			बंगलादेश	10,233/– रुपए
			इटली	8,02,475/– रुपए
			स्विट्जरलैंड	1,22,117/– रुपए
			ईरान	2,26,542/– रुपए
			चीन	1,29,342/– रुपए
			त्यूनीशिया	1,81,465/– रुपए
			चीन	2,23,293/– रुपए
			ईरान	27,235/– रुपए
			उज्बेकिस्तान	32,497/– रुपए
			स्विटजरलैंड	14,265/– रुपए
			मॉरीशस एवं कैरिबियन द्वीप समूह	2,79,177/– रुपए

1	2	3	4	5
			साइप्रस और इजराइल	1,60,406/– रुपए
			फिलीपीन्स व थाईलैंड	88,457/– रुपए
			फिलीपीन्स व हांगकांग	44,390/– रुपए

| अनुवाद |

कपास का उत्पादन

5924. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों मे प्रति हेक्टेयर कपास के उत्पादन में भिन्नता है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में इसकी उत्पादन दर सर्वाधिक है और किन राज्यों में यह दर सबसे कम है; और

(ग) सरकार ने आठवी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस उत्पादन–अन्तर को दूर करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) कपास की औसत उपज पजाब में अधिकतम है जिसके बाद हरियाणा और राजस्थान का नम्बर है जबकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में इसकी उपज न्यूनतम है।

(ग) देश में कपास की उच्चतर उत्पादकता तथा उत्पादन प्राप्त करने के लिए, आठवी पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष, 1996–97 के लिए 14.00 मिलियन गांठों (170 किलोग्राम प्रति गांठ) का लक्ष्य रखा गया है।

पटना-हटिया और अमृतसर-टाटा एक्सप्रेस को और आगे तक ले जाना

5925. **कुमारी फ्रिडा तोपनों : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पटना–हटिया और अमृतसर–टाटा एक्सप्रेस को और आगे राउरकेला तक ले जाना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के विस्तार की समय सारणी क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राउरकेला स्टेशन पर टर्मिनल सुविधा उपलब्ध कराने का भी कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो इसके निर्माण के लिए कितनी धनराशि दी गई और क्या समय सीमा निर्धारित की गई; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) से (ग). 1.7.94 से 8621/8622 पटना–हटिया पाटलीपुत्र एक्सप्रेस गाड़ी को राउरकेला के रास्ते झारसुगुडा तक बढ़ाने का विनिश्चिय किया गया है, तथापि, 8101/8102 अमृतसर–टाटा एक्सप्रेस गाड़ी को राउरकेला तक बढ़ाना परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) मौजूदा सुविधायें इस समय सम्हाले जा रहे यातायात के लिए पर्याप्त हैं।

स्वायत्तशासी कॉलेज

5926. **डा. सुधीर राय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य–वार कितने स्वायत्तशासी कॉलेज हैं;

(ख) सम्बद्ध कॉलेज की तुलना में स्वायत्तशासी कॉलेज को कितनी सुविधाएं प्राप्त हैं;

(ग) क्या ये स्वायत्तशासी कॉलेज अपने संसाधन स्वयं जुटाते हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार स्वायत्तता कालेजों की योजना

के अन्तर्गत 112 कालेजों की स्वायत्तता स्तर प्रदान किया गया है, जिसके राज्य–वार ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :

राज्य का नाम	स्वायत्त कालेजों की संख्या
आंध्र प्रदेश	23
गुजरात	2
मध्य प्रदेश	30
उड़ीसा	5
राजस्थान	6
तमिलनाडु	44
उत्तर प्रदेश	2
	112

आयोग ने सूचित किया है कि आंध्र प्रदेश में तीन कालेजों ने तथा मध्य प्रदेश में एक कालेज ने योजना को नहीं अपनाया है।

(ख) स्वायत्त कालेजों की योजना सम्बन्धी संशोधित दिशानिर्देशों में यह परिकल्पना की गई है कि एक स्वायत्त कालेज को निम्नलिखित के लिए स्वतंत्रता होगी :

- अध्ययन के अपने पाठ्यक्रम व पाठ्यचर्चा निर्धारित करना;
- राज्य सरकार को आरक्षण नीति के अनुसार प्रदेश के नियम निर्धारित करना;
- मूल्याकन व परीक्षाए आयोजित करने की प्रणालियाँ तैयार करना;

(ग) और (घ). स्वायत्त कालेजो की योजना से सम्बधित संशोधन दिशानिर्देशों के अनुसार स्वायत्त कालेजों को आई.सी.एस.एस.आर., आई.सी.ए.आर., सी.एस.आई.आर., डी.एस.टी., उद्योग आदि जैसी एजेंसियों से अनुसधान परियोजनाओं की संभावनाओं की खोज करने की स्वतंत्रता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन संस्थाओं को जिन्हें आयोग ने 100% निधियाँ प्राप्त होती हैं यह सलाह दी है कि वे व्यय की सभी मदो पर बचत करें तथा शैक्षिक कार्यकलापो को बढ़ाने के लिए अपने आंतरिक ससाधनो का सृजन करे।

[हिन्दी]

आरक्षण कोटा

5927. **डा. परशुराम गंगवार** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ–जयपुर–जोधपुर से पीलीभीत, मथुरा जंक्शन के बीच चलने वाली "मरुधर एक्सप्रेस" के वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में आरक्षण–कोटा उपलब्ध नहीं कराया गया है और इस गाड़ी में पूरणपुर से रलीपर बर्थ का कोटा उपलब्ध नहीं कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपरोक्त रेलगाड़ी में उपरोक्त स्टेशनों के लिये आरक्षण कोटा उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) से (ग). पीलीभीत स्टेशन पर 5313 अप मरुधर एक्सप्रेस गाड़ी से पहले दर्जे की 2 शायिकाओं का कोटा उपलब्ध है और उसका पूर्णतया उपयोग नहीं किया जा रहा है। अतः इस गाड़ी के वातानुकूल शयनयान में किसी कोटे के आवंटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक पूरनपुर स्टेशन पर कोटा आबंटित करने का संबंध है, वहां टिकटों की बिक्री बहुत कम होने के कारण आरक्षण कोटे के आवंटन का औचित्य नहीं बनता।

धार्मिक संस्थानों को सहायता अनुदान

5928. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मुस्लिम धार्मिक संस्थानों को शत–प्रतिशत सहायता अनुदान देती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश के सभी धार्मिक संस्थानों को एक समान सुविधा प्रदान कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं। सरकार मदरसों में शिक्षा का आधुनिकीकरण करने के लिए कुछ सहायता प्रदान करती है ताकि छात्र भाषा, विज्ञानों तथा सामाजिक विज्ञानों का भी अध्ययन कर सकें।

(ख) से (घ). सामान्य तौर पर सरकार धार्मिक संस्थाओं को सहायता प्रदान नहीं करती है। तथापि संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए सरकार संस्कृत पाठशालाओं को सहायता प्रदान करती है।

[अनुवाद]

साहित्य अकादमी पुरस्कारों के लिए भाषाएं

5929. **श्री सी. पी. मुदालगिरियप्पा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों के लिए कौन–कौन सी भाषाएं चुनी गई हैं;

(ख) क्या पुरस्कार पाने वाली पुस्तकों का अनुवाद अन्य सभी भारतीय भाषाओं में किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) सूची विवरण I में प्रस्तुत है।

(ख) और (ग). अकादेमी की परिकल्पना पुरस्कार प्राप्त पुस्तकों को अकादेमी द्वारा मान्यता प्रदत्त अन्य भाषाओं में अनूदित करने की है। अन्य भाषाओं में अनूदित हो चुकी पुस्तकों की सूची संलग्न विवरण II में प्रस्तुत है।

विवरण

असमी	कोंकणी
बंगला	मैथिली
अंग्रेजी	मलयालम
गुजराती	मणिपुरी
हिन्दी	मराठी
कन्नड़	नेपाली
कश्मीरी	उड़िया

पंजाबी तमिल

राजस्थानी तेलगु

संस्कृत उर्दू

सिंधी

विवरण-II

वर्ष	भाषा शीर्षक और लेखक	भाषाएं जिनमें अनुवाद उपलब्ध है	भाषाएं जिनमें अनुवाद किया जा रहा है
असमी			
1961	**इयारूइंगम** वीरेन्द्र कुमार भट्टाचार्य	बंगला, डोगरी, गुजराती, हिन्दी, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मराठी, तेलुगु, उर्दू, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल	कन्नड़, मणिपुरी
1972	**अघारी अत्मार काहिनी** सैय्यद अब्दुल मलिक	हिन्दी	बंगला
1980	**प्रतिबीर आशुख** जोगेश दास	हिन्दी	
1983	**सुदिर्गा दीन अरू रीतू** निर्मल प्रभा बारदोलोई	बंगला	
1988	**पाताल भैरवी** लक्ष्मी नंदन बोरा		हिन्दी
बंगाली			
1955	**श्रेष्ठ कविता** जीवननंदा दास		हिन्दी

वर्ष	भाषा शीर्षक और लेखक	भाषाएं जिनमें अनुवाद उपलब्ध है	भाषाएं जिनमें अनुवाद किया जा रहा है
1956	**आरोग्य निकेतन** ताराशंकर बंदोपाध्याय	गुजराती, हिन्दी, मलयालम, मराठी, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू	कोंकणी
1958	**आनंदीबाई इत्यादि गल्पा** परसुराम (राजशेखर बोस)	अंग्रेजी, हिन्दी	
1964	**याता दुरेई जय** सुभाष मुखोपाध्याय		अंग्रेजी, गुजराती हिन्दी
1966	**निशि कुतुंभा** मनोज बसु		कन्नड़, उड़िया, तमिल
1967	**तपस्वी ओ. तरंगिनी** बुद्धादेव बोस		अंग्रेजी
1970	**आधुनिक ओ. रवीन्द्रनाथ** आबू सईद अयूब		अंग्रेजी
1974	**उलंग राजा** नरेंन्द्रनाथ चक्रवर्ती	अंग्रेजी, हिन्दी	उड़िया
1975	**असमय**	गुजराती, सिंधी	कन्नड़, तमिल, तेलुगु
1977	**बबरेर वृतांत** शंख घोष	अंग्रेजी	
1979	**अरनयेर अधिकार**		असमी, अंग्रेजी, सिंधी, तमिल
1980	**संबा** समरेश बसु		असमी, मणिपुरी, मराठी, तेलुगु
1983	**जेते परि किंटू केनो जाबो** शक्ति चटोपाध्याय	अंग्रेजी	

वर्ष	भाषा शीर्षक और लेखक	भाषाएं जिनमें अनुवाद उपलब्ध है	भाषाएं जिनमें अनुवाद किया जा रहा है
बंगला			
1988	**बारी बदले जय** रामपादा चौधरी	हिन्दी	अंग्रेजी
1989	**मानव जमीन** सिरशेंदु मुखोपाध्याय	हिन्दी	अंग्रेजी, हिन्दी, मलयालम, उड़िया
1985	**सेई समय भाग II** सुनील गंगोपाध्याय		अंग्रेजी, उड़िया
1990	**तीस्ता परेर वृतांत** देबेस राय		गुजराती, हिन्दी, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु
1992	**सदा खाम** द्वारा मोती नंदी	हिन्दी	अंग्रेजी, मलयालम
1984	**कालबेला** समरेश मजुमदार		मैथिली
1987	**खुजले खुजते एसा दुर** अरूण मित्रा		अंग्रेजी
1993	**शहजादा दारासुकोह** श्यामल गंगोपाध्याय		हिन्दी
डोगरी			
1970	**नीला अंबर काले बादल** नरेन्द्र खजुरिया	हिन्दी	
1971	**मेरी कविता मेरे गीत** पद्मा सचदेव	हिन्दी	
1979	**नांगा रूख** ओ.पी. शर्मा "सारथी"	बंगला, अंग्रेजी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु	कश्मीरी, कोंकणी

वर्ष	भाषा शीर्षक और लेखक	भाषाएं जिनमें अनुवाद उपलब्ध है	भाषाएं जिनमें अनुवाद किया जा रहा है
1986	**सुनी दि चिरी** ओम गोस्वामी	हिन्दी, अंग्रेजी	बंगला
1982	**आले वेद राही**	पंजाबी, उर्दू	
अंग्रेजी			
1960	**दि गाइड** आर. के. नारायण	कन्नड़, मलयालम, तमिल	
1977	**आजादी** चमन नहाल	हिन्दी, कश्मीरी, पंजाबी, तमिल, उर्दू	बंगला
1971	**मॉर्निंग फेस मुल्क** राज आनंद	पंजाबी, तेलुगु	बंगला, मलयालम, तमिल
1982	**दि लास्ट लैब्रिंथ** अरूण जोशी		हिन्दी, उड़िया उर्दू
1981	**रिलेशनशिप** जयंत महापात्र		मराठी, कन्नड़
1963	**दि सर्पेंट एंड दि रोप** राजा राव	हिन्दी	बंगला, कन्नड, कश्मीरी, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु, उर्दू
1985	**रिच लाइक अस** नयनतारा सहगल		हिन्दी, मैथिली, मराठी, उड़िया
अंग्रेजी			
1979	**इंसाइड दि हवेली** राम मेहता		असमी, हिन्दी, उर्दू
1976	**जवाहरलाल नेहरू** (1889–1947) एस. गोपाल	उर्दू	बंगला, हिन्दी, कन्नड़, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु
1987	**ट्रैपफाल्स इन दि स्काई** शिव के. कुमार	हिन्दी, उर्दू	कन्नड़, तमिल
1983	**लैटर डे साल्म्स निसीम एजकील**		असमी, बंगला, मराठी

वर्ष	भाषा शीर्षक और लेखक	भाषाएं जिनमें अनुवाद उपलब्ध है	भाषाएं जिनमें अनुवाद किया जा रहा है
1978	**फायर ऑन दि माउंटेन** अनीता देसाई	हिन्दी	कन्नड़, मैथिली, तमिल, तेलगु, उर्दू
1967	**शैडो फ्रॉम लद्दाख** भवानी भट्टाचार्य		तमिल, तेलुगु
1989	**दि शैडो लाइन्स** अमिताभ घोष		बंगला, हिन्दी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उर्दू
1990	**दैड लांग साइलेंस** शशि देशपांडे		हिन्दी, कन्नड़, तमिल, उर्दू
1992	**अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा** रस्किन बांड		असमी, पंजाबी
गुजराती			
1985	**सत पगलान आकाशमान** कुंदानिका कपाड़िया	हिन्दी, सिंधी	अंग्रेजी, कोंकणी, मराठी, तेलुगु
1977	**ऊपरवास कथात्रेयी** रघुवीर चौधरी	हिन्दी	
1988	**असूर्यलोक** भगवती कुमार शर्मा	हिन्दी	
1980	**अनुनय** जयंत पाठक	हिन्दी	
1986	**धूलमणि पगलिओ** चंद्रकांत सेठ		राजस्थानी
हिन्दी			
1963	**प्रेमचंद : कलम के सिपाही** अमृत राय		बंगला, उर्दू,

वर्ष	भाषा शीर्षक और लेखक	भाषाएं जिनमें अनुवाद उपलब्ध है	भाषाएं जिनमें अनुवाद किया जा रहा है
1965	**रास सिद्धान्त** नागेन्द्र		कन्नड़
1967	**अमृत और विष** अमृतलाल नागर	मराठी, पंजाबी,	बंगला, मलयालम, तमिल, तेलुगू, उर्दू
1986	**कौए और कालापानी** निर्मल वर्मा	बंगला, पंजाबी	असमी, अंग्रेजी, मणिपुरी, तमिल, तेलुगु, उर्दू
1976	**मेरी तेरी उसकी बात** यशपाल	पंजाबी, उर्दू	बंगला, मलयालम
1973	**आलोक पर्व** हजारी प्रसाद द्विवेदी	डोगरी, पंजाबी	बंगला
1983	**खूंटियों पर टंगे लोग** सर्वेश्वर दयाल सक्सेना	बंगला, अंग्रेजी	उर्दू
1989	**अकाल में सारस** केदार नाथ सिंह	डोगरी, पंजाबी	बंगला, उड़िया, राजस्थानी
हिन्दी			
1975	**तमस** भीष्म साहनी		मैथिली, मणिपुरी, सिंधी
1990	**नीला चाँद** शिव प्रसाद सिंह		बंगला, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू
1988	**अरण्य** नरेश मेहता	पंजाबी	उड़िया
1966	**मुक्तिबोध** जैनेन्द्र कुमार		पंजाबी
1992	**ढाई घर** गिरिराज किशोर	पंजाबी	अंग्रेजी
1993	**अर्धनारीश्वर** विष्णु प्रभाकर		पंजाबी, उर्दू
कन्नड़			
1975	**दातु** एस. एल. भैरप्पा	मराठी	गुजराती, उड़िया, संस्कृत, तेलुगु, उर्दू

वर्ष	भाषा शीर्षक और लेखक	भाषाएं जिनमें अनुवाद उपलब्ध है	भाषाएं जिनमें अनुवाद किया जा रहा है
1982	**विशाख** चाडुरंगा	पंजाबी, तमिल, उर्दू	बंगला, अंग्रेजी, हिन्दी
1986	**बंदाया** व्यासाराया बलाल	मराठी	पंजाबी
1985	**दुर्गास्टमान** टी. आर. सुब्बा राव		हिन्दी, पंजाबी
1972	**शून्यासपदनेया परमार्शे** एस. एस. भूस्नूर्मत	तमिल	
1958	**अरालू मरालू** डी. आर. बेंद्रे		तेलुगु
1983	**कथेयाडालु हुडुगी** यशवन्त चित्तल		कोंकणी
कन्नड़			
1987	**चिदम्बरा रहस्य** के. पी. पूर्णचन्द्र तेजस्वी		अंग्रेजी, मलयालम
1968	**सन्नाकथेगालू (12-13)** "श्रीनिवास"		तमिल, तेलुगु, उर्दू
1991	**श्री सम्पीग** चन्द्रशेखर कम्बर		तमिल, तेलुगु
1990	**कुसुम बाले** देवनूर मद्यदेव		कोंकणी
कश्मीरी			
1958	**सत संगर** अख्तर मोइउद्दीन	गुजराती, हिन्दी, मराठी, सिंधी	
1988	**पुन-ते-पाप** जी. एन. गौहर		हिन्दी
1986	**शिहील कुल** दीनानाथ नदीम		अंग्रेजी

वर्ष	भाषा शीर्षक और लेखक	भाषाएं जिनमें अनुवाद उपलब्ध है	भाषाएं जिनमें अनुवाद किया ..ा रहा है
कोंकणी			
1983	**कर्मेलीन** दामोदर मौजी	हिन्दी, मराठी	
1990	**सवुल घोरी** रमेश वेलुस्कर		हिन्दी
मैथिली			
1969	**दु पुत्र** उपेन्द्रनाथ झा	हिन्दी	
1973	**नायिका बंजारा** ब्रज किशोर वर्मा	हिन्दी	
मलयालम			
1957	चेमीन तक़जी शिवशंकर पिल्लै	असमी, बंगला, गुजराती, हिन्दी, कश्मीरी, कोंकणी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी	डोगरी
1960	**सुंदरीकालुम सुन्दरनमारूम** पी. सी. कुट्टीकृष्णन्	हिन्दी, तमिल	
1964	**आयलकार** पी. केशव देव	अंग्रेजी, हिन्दी, मराठी, उड़िया	कोंकणी
1970	**कालम** एम. टी. वासुदेवन नायर	कन्नड़, तमिल	
1985	**तत्वामासी** सुकुमार अषीकोड	हिन्दी	कन्नड़, तमिल
1987	**स्पंदमापिनीकलीनंदी** सी. राधाकृष्णन	अंग्रेजी	
1977	**अग्निसाक्षी ललितांबिका** अंतर्जन्म		हिन्दी, तमिल, तेलुगु,

वर्ष	भाषा शीर्षक और लेखक	भाषाएं जिनमें अनुवाद उपलब्ध है	भाषाएं जिनमें अनुवाद किया जा रहा है
मैथिली			
1972	**उर देशततिंडे कथा** एस. के. पोट्टेकट्ट		अंग्रेजी, कन्नड़, तमिल
1980	**स्मारका सिलाकल** पुनातिल कुंजब्दुल्ला		बंगला, अंग्रेजी, हिन्दी, कन्नड़
1984	**अय्यप्पा पणीकरूडे किरीटीकल** के. अयप्पा पणिकर		बंगला
मराठी			
1955	**वैदिक संस्कृति का विकास** टी. लक्ष्मणशास्त्री जोशी	हिन्दी	
1960	**यायाती** द्वारा वी. एस. खांडेकर	पंजाबी	बंगाल, सिंधी, तेलुगु
1968	**युगांत** इरावती कार्वे	गुजराती, कन्नड़ सिंधी, तेलुगु	बंगला
1975	**सौंदर्य मीमांसा** आर. वी. पाटंकर	हिंदी	
1976	**स्मरण गाथा** जी. एन. दंडेकर	हिन्दी, सिंधी	गुजराती
1980	**सलाम** मंगेश पडगांवकर	हिंदी	
1981	**उपारा** लक्ष्मण माने	हिंदी	अंग्रेजी
1974	**नटसम्राट** वी. वी. शिखाडकर		सिंधी
1988	**उचाल्या** लक्ष्मण गायकवाड़	हिन्दी	अंग्रेजी, गुजराती
1985	**एक जाद अनी दोन बखी** विश्राम बेदेकर		हिंदी
1989	**हरखेलेल दिवस** प्रभाकर उर्ध्वर्शे	हिंदी	
1990	**जोंबी** अनंत यादव		बंगला, अंग्रेजी, कन्नड़

वर्ष	भाषा शीर्षक और लेखक	भाषाएं जिनमें अनुवाद उपलब्ध है	भाषाएं जिनमें अनुवाद किया जा रहा है
उड़िया			
1955	**अमृततारा संतन** गोपीनाथ मोहंती	बंगला, हिंदी पंजाबी	अंग्रेजी
1972	**मनोअदासनके कथा ओ. कहानी** मनोज दास	अंग्रेजी, हिंदी	
1974	**सब्दारा आकाश** सीताकांत महापात्र	हिंदी	असमी, बंगला, गुजराती, अंग्रेजी, डोगरी, पंजाबी, तमिल, उर्दू
1987	**घरडिहा** नित्यानंद महापात्र	हिंदी	
1976	**ठाकुरा घका** के. सी. दास	अंग्रेजी, हिंदी	बंगला
1988	**आकाशपरी** निबिधान सौरेंद्र पारिख	हिंदी	
1981	**ओ अंधागली** अकिल मोहन पटनायक	हिंदी	
1991	**अहनिका** जे. पी. दास	हिंदी, अंग्रेजी	बंगला
1992	**बिचित्र बरना** द्वारा रवि पटनायक		हिंदी
1971	**अरण्य फज़ल** द्वारा मनोरंजन दास		असमी
1990	**पाटा देई** बीणापाणि मोहंती		अंग्रेजी
पंजाबी			
1955	**मेरे सैंया जियो** भाई वीर सिंह	हिंदी	
1964	**पब्बी** प्रभजोत कौर	अंग्रेजी, हिंदी	सिंधी
1976	**बा मुलाहा होशियार** नरेन्द्रपाल सिंह		कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु .

वर्ष	भाषा शीर्षक और लेखक	भाषाएं जिनमें अनुवाद उपलब्ध है	भाषाएं जिनमें अनुवाद किया जा रहा है
1985	**खाना बदोश** अजीत कूर	बंगला	
1969	**ना धूप्पे ना छांवो** हरभजन सिंह	हिंदी	
1965	**इक छीट चानन दी** के. एस. दुग्गल	अंग्रेजी, हिंदी उर्दू	असमी, कन्नड़ उड़िया
1990	**उनिंद वर्तमान** मंजीत त्रिवाना		अंग्रेजी, हिंदी
1992	**खुर्ज अनकिहा** वी प्रेम प्रकाश		उर्दू
राजस्थानी			
1974	**बातन री फुलवारी** विजयदान देथा	हिंदी	उड़िया, बंगला
1978	**मेवा रा रूंख** अन्ना राम "सुदामा"		अंग्रेजी
संस्कृत			
1984	**सिंधु कन्या** एस. एस. हसूरकार	हिंदी	
सिंधी			
1982	**मुहिनजी हयाति-ए-जा सोना रोपा वर्ग**	हिंदी	तमिल
तमिल			
1961	**अगल विलाक्कू** एम. वरदराजन	कन्नड़, मलयालम तेलुगु,	
1971	**समुदय वीधी** नी पार्थसारथी	अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु	उर्दू,
1984	**औरू-कावेरियांई पोला लक्ष्मी**	अंग्रेजी, हिंदी	कन्नड़

वर्ष	भाषा शीर्षक और लेखक	भाषाएं जिनमें अनुवाद उपलब्ध है	भाषाएं जिनमें अनुवाद किया जा रहा है
1977	**कुरूतिपी-पुनाल** इंदिरा पार्थसारथी	बंगला, हिंदी	
1979	**शक्ति वैतियाम** टी. जानकीरमण		अंग्रेजी, कन्नड़
1983	**भारती कलामूम करूतम** टी. एम. सी. रघुनाथन		हिंदी, तेलुगु
1986	**इलाविकयातुक्कू या इयाक्कम** का. ना. सुब्रमण्यम्		हिंदी, अंग्रेजी
1973	**वेरूक्कू नीर** राजम कृष्णन्	तेलुगु	कन्नड़, अंग्रेजी
1987	**मुदालील इरावु वरम्** आधवन सुंदरम		अंग्रेजी
1991	**कुट्टरालक्कुरिंजी** कोव मणिशेखरन्		हिंदी, मलयालम
1993	**कतुकाल** एम. एस. वेंकटराम		अंग्रेजी तेलुगु
तेलुगु			
1955	**अंधरुला संधिके चरित्रम्** सुख राम प्रताप रेड्डी	हिंदी	
1963	**पंडित परमेश्वर शास्त्री वेलुनामा** टी. गोपीचंद	तमिल	हिंदी
1985	**गालीवाना** पी. पद्मराजू	हिन्दी	बंगला, तमिल
1982	**स्वर्ण कमलालु** आई. सरस्वती देवी	हिन्दी	कन्नड़
उर्दू			
1965	**एक चादर मैली सी** राजेन्दर सिंह बेदी	बंगला, अंग्रेजी, कन्नड़, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु	मैथिली

वर्ष	भाषा शीर्षक और लेखक	भाषाएं जिनमें अनुवाद उपलब्ध है	भाषाएं जिनमें अनुवाद किया जा रहा है
1967	**पतझड़ की आवाज़** क्वार्तुलेन हैदर	हिन्दी, सिंधी	बंगला, डोगरी, अंग्रेजी, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी
उर्दू			
1987	**ख़्वाब का दर बंद है** शहरियार	अंग्रेजी	हिन्दी
1985	**परिंदों भरा आसमां** बलराज कोमल	हिन्दी, अंग्रेजी	
1989	**बाज गोई** सुरेन्द्र प्रकाश		अंग्रेजी, हिन्दी, पंजाबी
1960	**गुल-ए-नगमां** फिराक़ गोरखपुरी		पंजाबी, तेलुगु
1990	**दो गज़ ज़मीन** अब्दुस समद		अंग्रेजी, हिन्दी
1992	**चौथा आसमान** मोहम्मद आल्वी		अंग्रेजी
1993	**पखेरू** रामलाल		हिन्दी

[हिन्दी]

तबला वादक की स्थिति

5930. **श्री मोहन सिंह (देवरिया) :**

श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान घोर विपन्नता की स्थिति में जीवनयापन कर रहे पद्मभूषण तबला वादक श्री समता प्रसाद के बारे में 12 अप्रैल, 1994 के पायोनियर में प्रकाशित रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनके जीवनयापन के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) श्री समता प्रसाद को 1.4.1994 से 1500/- रू. प्रति माह की दर से वित्तीय सहायता संस्वीकृत की गई है।

रेलवे की भूमि का उपयोग

5931. **श्री श्रीकान्त जेना :**

श्री हरि किशोर सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल लाइनों के निकट वाणिज्यिक कम्पलैक्स बनाने के लिए रेलवे की भूमि को बेचने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या कठिनाइयां हैं और क्या दिल्ली और मास्टर योजना में भू-भाग उपयोग पैर्टन पर प्रभाव और अन्य सम्बंधित मामलों के संबंध में सरकार द्वारा जांच कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या संबंधित मामलों को रेलवे से बातचीत करके निपटा लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़)

(क) जी नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

बाढ़ सहायता

5932. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने 1993-94 में आज तक राज्य में बाढ के कारण हुई क्षति को पूरा करने और पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सहायता देने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं होता।

महिलाओं के लिए बुकिंग काउन्टर

5933. **श्री साईमन मरांडी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोन–वार कितने रेलवे स्टेशनों और रेल आरक्षण केन्द्रों पर महिलाओं के लिए अलग बुकिंग काउन्टरों की अब तक व्यवस्था की गई है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे कितने काउन्टर खोले जायेंगे; और

(ग) इस पर अनुमानतः कितना व्यय आएगा ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) उन रेलवे स्टेशनों/आरक्षण कार्यालयों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है, जहाँ महिलाओं के लिए पृथक काउंटरों की व्यवस्था की गई है :

रेलवे	काउंटरों की संख्या
मध्य	1
पूर्व	11
उत्तर	6
पूर्वोत्तर	कुछ नहीं
पूर्वोत्तर सीमा	कुछ नहीं
दक्षिण	1
दक्षिण–मध्य	2
दक्षिण–पूर्व	1
पश्चिम	कुछ नहीं

इसके अलावा, ऐसे कुछ स्टेशनों पर जहाँ महिलाओं के लिए पृथक काउंटरों की व्यवस्था नहीं है, वहां महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए पृथक पंक्ति की व्यवस्था की गई है।

(ख) और (ग). महिलाओं के लिए पृथक काउंटरों की व्यवस्था की आवश्यकता की समय–समय पर समीक्षा की जाती है और जब कभी अपेक्षित होता है एक काउंटर महिला काउंटर के रूप में निर्धारित कर दिया जाता है। इसमें कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होता।

यात्री सुविधाएं

5934. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी जोनल रेलवे यात्री सुविधाओं के लिए दी गई अल्प राशि को भी अभ्यर्पित कर रहे है;

(ख) यदि नहीं, तो यात्री सुविधाएं मुहैया कराने हेतु राशि का उपयोग न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) यात्री सुविधाओं के स्तर में सुधार करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) से (ग). स्थल के उपलब्ध होने में विलम्ब होने, ठेकेदारों के काम करने में असफल रहने, सामग्री के उपलब्ध न होने, जलवायु संबंधी कारकों आदि जैसे अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण हाल के वर्षों में धन का अभ्यर्पण किया गया। बहरहाल, रेलों का यह सतत् प्रयास रहा है कि आबंटित धन का पूरा उपयोग हो और 1993–94 में यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया गया कि धनराशि अभ्यर्पण न करनी पड़े। रेलों से प्राप्त नवीनतम स्थिति के अनुसार 1993–94 के दौरान धन का उपयोग पिछले वर्षों की तुलना में काफी बेहतर होगा। रेलें कमियां दूर करने के वास्ते कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए समय–समय पर सर्वेक्षण करती हैं और स्टेशनों पर सम्हाले जा रहे यातायात की मात्रा के अनुसार अपेक्षित होने पर अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करती हैं। यात्री सुविधाओं में व्यापक रूप से कमियां दूर करने के लिए रेलों को बड़े स्टेशनों की पहचान करने के अनुदेश भी दिए गए हैं ताकि वे उपयोगकर्ताओं को स्पष्टतः दिखाई दे सकें।

[हिन्दी]

रेलवे में जन सम्पर्क अधिकारियों के पद

5935. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में जन सम्पर्क अधिकारियों के पदों को भरने सम्बंधी नियमों का ब्यौरा क्या है, और

(ख) क्या इन पदों को पदोन्नति अथवा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाने की आवश्यकता है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख). नियमों में यह व्यवस्था है कि जन सम्पर्क अधिकारियों के पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जाए। ऐसा न हो पाने की स्थिति में इन पदो को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाए। पदोन्नति के लिए, जन सम्पर्क संगठन के ग्रुप "सी" के वे कर्मचारी पात्र होते हैं जो कुछ सेवा शर्तें पूरी करते हैं। सीधी भर्ती के लिए, वे व्यक्ति पात्र होते हैं जो शैक्षिणक योग्यता, आयु सीमा तथा अनुभव की कुछ शर्तें पूरी करते हैं सीधी भर्ती द्वारा पदों को भरने के लिए, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित होता है।

जयपुर-दिल्ली-अहमदाबाद लाइन से भिवाड़ी को जोड़ा जाना

5936. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भिवाड़ी में औद्योगिक विकास को बढावा देने के लिए भिवाड़ी को जयपुर–दिल्ली–अहमदाबाद बड़ी रेल लाइन से जोड़न का है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय लिया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख). पलवल–भिवाड़ी–रेवाड़ी के रास्ते खुर्जा से रोहतक तक नई लाइन के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई सर्वेक्षण के परिणामों और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

कृषि क्षेत्र के लिए धनराशि

5937. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा आठवीं योजनावधि के दौरान कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि क्षेत्र को आबंटित धनराशि का बड़ा भाग बागवानी पर खर्च करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सीमित कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कितने प्रतिशत आबंटित राशि व्यय करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) आठवीं योजना में कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित कुल 7,400 करोड़ रुपये में से 1,000 करोड़ रुपये का परिव्यय बागवानी कार्यक्रमों

के लिए आबटित किया गया है। विभिन्न फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्रियान्वित की जा रही स्कीमों से भी निर्यात मे वृद्धि होगी।

(ख) कृषि के लिए, आठवीं योजना के कुल परिव्यय में से लगभग 93% भाग कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए निर्धारित किया गया है।

| अनुवाद |

राष्ट्रीय स्मारक

5938. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने प्रत्येक राज्य में अब तक कितने स्मारकों/स्थलों/मंदिरों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है;

(ख) 1993–94 के दौरान प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय स्मारक की दृष्टि से महत्वपूर्ण इन मंदिरों के रख–रखाव और इनकी मरम्मत हेतु कितनी धनराशि का उपयोग किया है; और

(ग) ऐसे कितने स्मारक हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने पर विचार किया जा रहा है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जिन स्मारकों/स्थलों/मंदिरों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, उनकी राज्य–वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) इन राष्ट्रीय स्मारकों के रखरखाव और संरक्षण पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और सभा–पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) विभिन्न राज्यों में पाए गए अड़तालीस स्मारकों को राष्ट्रीय स्मारकों के रूप में घोषित किए जाने पर विचार किया जा रहा है।

विवरण

दिनांक 31.12.1993 को संरक्षित स्मारकों/स्थलों/मंदिरों की राज्यवार संख्या

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्मारकों/स्थलों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	134
असम	49

अरूणाचल प्रदेश	5
बिहार	77
दिल्ली	166
दमन और दीव (सं. क्षेत्र)	10
गोवा	25
गुजरात	199
हरियाणा	88
हिमाचल प्रदेश	35
जम्मू और कश्मीर	63
कर्नाटक	505
केरल	28
मध्य प्रदेश	325
महाराष्ट्र	284
मणिपुर	1
मेघालय	8
नागालैंड	4
उड़ीसा	69
पांडिचेरी (सं. क्षेत्र)	8
पंजाब	24
राजस्थान	151
सिक्किम	3
तमिलनाडु	403
त्रिपुरा	5
उत्तर प्रदेश	783
पं. बंगाल	113

[हिन्दी]

कोयले की चोरी

5939. **श्री एन. जे. राठवा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात राज्य बिजली बोर्ड को कोयला पहुँचाते समय मार्ग में माल गाड़ी से कोयले की चोरी हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संब... ...रा क्या है;

(ग) क्या गत तीन ... दौरान ऐसी शिकायतों की कोई जांच करायी गयी है; और

(घ) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ)

(क) हाल ही में किसी ऐसे मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

विमान द्वारा बीजों का छिड़काव

5940. **श्री गोविन्दराव निकम : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत मानसून से पहले सरकार द्वारा विमान से बीजों के कराए गए छिड़काव का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विमान द्वारा छिड़काये गए बीजों में से अधिकांश बीज वर्षा के पानी के साथ बह जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार बीजों के छिड़काव की प्रक्रिया में कुछ और सुधार करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) विमान द्वारा बीज छिडकाव योजना के अन्तर्गत वर्ष 1988–89 से 1993–94 के दौरान विमान द्वारा किए गए बीज छिड़काव संबंधी कार्यों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (ङ). विमान द्वारा बीजों का छिड़काव बीहड़ों, पहाड़ियों तथा दूर तक फैली बंजर भूमि जैसे दुर्गम और ऊबड़–खाबड़ भू भागों में बहुत उपयुक्त रहता है क्योंकि इन भागों में परम्परागत विधियों से व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण संभव नहीं होता। विमान द्वारा छितराए गए बीजों पर वर्षा के पानी का प्रभाव पड़ने की कुछ सम्भावना रहती है। तथापि, योजना के अन्तर्गत मृदा कार्य करने और

बीजों की गृट्टिकाएं तैयार करने की भी व्यवस्था है जिससे विमान द्वारा छितराए गए बीजों पर वर्षा के पानी का कम से कम विपरीत प्रभाव पड़ता है।

विवरण

राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 1988–89 से 1993–94 के दौरान किए गए हवाई बीजारोपण कार्यों के ब्यौरे

(सम्मिलित क्षेत्र हैक्टेयर में)

क्र. सं.	राज्य/सं. शा. क्षेत्र	1988–89 सम्मिलित क्षेत्र	1989–90 सम्मिलित क्षेत्र	1990–91 सम्मिलित क्षेत्र	1991–92 सम्मिलित क्षेत्र	1992–93 सम्मिलित क्षेत्र	1993–94 सम्मिलित क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	–	6500.00	4000.00	–	5000.00	–
2.	हरियाणा	–	–	1000.00	–	–	–
3.	कर्नाटक	–	1200.00	3000.00	3742.00	–	–
4.	केरल	–	–	–	–	–	–
5.	मध्य प्रदेश	–	3000.00	–	5375.00	3820.00	–
6.	मेघालय	–	–	–	–	–	–
7.	राजस्थान	–	–	2510.00	4000.00	–	–
8.	तमिलनाडु	1000.00	7500.00	15000.00	18000.00	18500.00	10000.00
9.	पश्चिम बंगाल	–	566.00	1066.00	1000.00	–	–
	योग	1000.00	18766.00	26576.00	32117.00	27320.00	10000.00

[अनुवाद]

चन्डीगढ़ के विद्यालयों को सहायता

5941. **श्री पवन कुमार बंसल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे** कि :

(क) क्या चन्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन संघ राज्य क्षेत्र में आने वाले गैर सरकारी विद्यालयों और कालेजों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करता है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष संस्था–वार दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में दाखिला

5942. **श्री सनत कुमार मंडल :**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 अप्रैल, 1994 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "ला आफ द जंगल इन ला फैकल्टी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में दाखिले में कथित अनियमितताओं की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं, अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ). समाचार पत्र में लगाए गए आरोपों के बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय की टिप्पणियाँ मांगी गई हैं और इन टिप्पणियों के प्राप्त होने के पश्चात् ही इस मामले में कोई अगली कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश में विश्राम गृह

5943. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992–93 और 1993–94 के दौरान उत्तर प्रदेश में किन–किन रेलवे स्टेशनों पर विश्राम गृह बनाये गये; और

(ख) वर्ष 1994–95 के दौरान राज्य में किन–किन रेलवे स्टेशनों पर यह सुविधा प्रदान किये जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) कोई नहीं।

(ख) इलाहाबाद और चित्रकूट धाम कारवी में विश्राम गृहों की व्यवस्था/वृद्धि संबंधी कार्य शुरू कर दिये गये हैं।

अम्बाला-पुझा उपरिपुल

5944. **श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बालापुझा उपरिपुल का निर्माण कार्य निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है; और

(ख) परियोजना की बढ़ी लागत क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हाँ।

(ख) यह अलेप्पी–कायनकुलम परियोजना का एक हिस्सा है जिसके पूरा होने की बढ़ी हुई अनुमानित लागत 59.09 करोड़ रूपये है जिसमें से कुल की लागत 4.38 करोड़ रूपये होगी।

[हिन्दी]

चीनी विकास निधि

5945. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान चीनी विकास निधि से राज्य–वार चीनी मिलों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) क्या इस सहायता का मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में चीनी मिलों द्वारा पूर्ण उपयोग किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान चीनी मिलों को चीनी विकास निधि से प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I और II में दिया गया है।

(ख) और (ग). इस निधि का इस्तेमाल करने के लिए कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। इस निधि का इस्तेमाल विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुए आवेदन पत्रों पर निर्भर करता है।

विवरण - I

पिछले तीन वर्षों के दौरान आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिए चीनी विकास निधि से मंजूर किए गए/वितरित किए गए ऋणों की राज्यवार/वर्षवार स्थिति

(लाख रूपयों में)

क्रम सं०	राज्य का नाग	1991-92			1992-93			1993-94		
		मिलों की संख्या	मंजूर की गई राशि	वितरित की गई राशि	मिलों की संख्या	मंजूर की गई राशि	वितरित की गई राशि	मिलों की संख्या	मंजूर की गई राशि	वितरित की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	4	2190.00	500.00	1	690.76	2035.38	2	738.68	1084.06
2.	बिहार	1	400.00	200.00	-	-	200.00	1	387.00	-
3.	गुजरात	1	530.40	364.00	2	847.76	530.40	-	-	236.00
4.	कर्नाटक	1	386.58	-	1	747.60	386.58	-	-	805.10
5.	मध्य प्रदेश	-	-	90.375	2	427.71	90.375	-	-	373.76
6.	महाराष्ट्र	8	3190.77	1404.50	1	466.30	2209.37	5	2513.202	2008.03
7.	पजाब	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	तगिलनाडु	-	-	-	5	3078.42	1133.60	-	-	1192.41
9.	उत्तर प्रदेश	14	6659.69	1354.00	3	660.00	2692.67	2	1112.60	1667.07
10.	नड़ीसा	-	-	-	-	-	-	1	767.264	383.632
	जोड़	29	13357.44	3912.875	15	6918.55	9278.375	11	5518.746	7750.062

विवरण - II

पिछले तीन वर्षों के दौरान गन्ने का विकास करने के लिए चीनी विकास निधि से मंजूर/वितरित किए गए ऋणों की राज्यवार/वर्षवार स्थिति बताने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	1991–92			1992–93			1993–94		
		मिलों की सं	मंजूर की गई राशि	वितरित की गई राशि	मिलों की संख्या	मंजूर की गई राशि	वितरित की गई राशि	मिलों की संख्या	मंजूर की गई राशि	वितरित की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	134.48	87.94	1	270.45	144.87	2	537.35	172.44
2.	असम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	बिहार	–	–	–	–	–	–	–	–	25.18
4.	गुजरात	2	46.16	–	–	–	12.60	–	–	–
5	कर्नाटक	1	239.45	65.96	2	464.64	386.74	1	269.45	488.06
6.	मध्य प्रदेश	–	–	–	–	–	81.74	–	–	75.57
7.	महाराष्ट्र	4	361.85	330.37	4	738.54	325.52	12	2781.13	1480.47
8	पंजाब	1	229.82	93.24	4	960.80	265.98	1	267.773	378.32
9.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	राजस्थान	1	404.57	–	–	–	–	–	–	–
11	तमिलनाडु	4	687.17	184.51	2	593.74	73.44	1	274.48	459.46
12	उत्तर प्रदेश	5	708.81	191.63	1	125.19	196.54	–	–	296.92
13	उड़ीसा	–	–	–	–	–	–	1	259.65	130.95
14.	हरियाणा	–	–	85.89	2	374.46	39.05	4	676.29	270.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	गोवा	–	–	–	1	88.44	–	–	–	–
16.	पश्चिम बंगाल	1	287.55	–	–	–	132.19	–	–	–
	जोड़	21	3099.86	1039.54	17	3616.26	1658.67	22	5066 123	3777.81

[अनुवाद]

रेल सप्ताह

5946. **श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल ने 10 अप्रैल से 16 अप्रैल 1994 तक रेल सप्ताह मनाया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या उद्देश्य थे;

(ग) क्या इस सप्ताह के दौरान यात्रियों के लिए कोई विशेष कार्यक्रम चलाए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो रेल सप्ताह मनाने की क्या उपयोगिता हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) भारत में रेलों के अभ्युदय का स्मरणोत्सव मनाने, रेल कर्मचारियों में भाई–चारे की भावना को बढ़ावा देने और जन सेवा के प्रति उनकी चेतना बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष रेल सप्ताह मनाया जाता है। रेल सप्ताह समारोहों के दौरान रेल अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट तथा प्रशंसनीय कार्य के लिए पुरस्कृत करके सम्मानित किया जाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पुस्तकें

5947. **श्री अमर रायप्रधान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पुस्तकों के प्रकाशन में कुछ अशुद्धियों का पता चला है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इन अशुद्धियों को पुनर्मुद्रण के समय सुधार दिया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) (क) से (घ). राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार परिषद इस बात का पूरा–पूरा ध्यान रखती है कि रा.शै.अ. एवं प्र. प. की जिन पाठ्यपुस्तकों की पांडुलिपियाँ प्रकाशन के लिए भेजी जाए, उनमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि न हो। तथापि पूरा–पूरा ध्यान देने के बावजूद मुद्रण की गलतियों और पुरानी सूचना हो जाने के कारण कभी–कभी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। रा.शै.अ. एवं प्र.प. की पाठ्यपुस्तकों में पिछले तीन वर्षों के दौरान वस्तुतः पाई गई अशुद्धियाँ निम्नलिखित हैं:

(I) कक्षा–X के लिए "हमारा शासन कैसे चलता है" नामक पाठ्यपुस्तक के हिन्दी रूपान्तर में ग्रुप 77 के गठन के वर्ष के संबंध में एक विसंगति है।

(एक पृष्ठ में 1961 तथा दूसरे में 1964)।

(II) कक्षा XI के लिए "सरकार के अंग" शीर्षक से पाठ्य पुस्तक के हिंदी रूपांतर में यह उल्लेख है कि मध्य प्रदेश द्विसदन वाले विधान मण्डल वाले राज्यों में से एक है। रा. शै. अ. एव प्र. प. ने अगले सस्करण में इस कथन को ठीक करने का निर्णय लिया है।

तथापि अपनी पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन के तुरन्त बाद रा. शै.अ. एव प्र.प. विशेषज्ञों तथा स्कूल शिक्षकों की सहायता से इन पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा करती है। सामान्यता रा.शै.अ. एवं प्र. प. की पाठ्यपुस्तकें प्रत्येक वर्ष पुनर्मुद्रित की जाती हैं और पुनर्मुद्रण प्रति में अशुद्धियाँ ठीक कर दी जाती है। अगर कोई पाठ्य पुस्तक पुरानी हो जाती है तो रा. शै. अ. एव प्र. प. इसे पुनः लिखवाने के लिए कदम उठाती है और इस बात को सुनिश्चित करती है कि संशोधित रूपातरण अत्यधिक अद्यतन सूचना के अनुकूल हो। यदि कम समय के भीतर नई पाठ्य पुस्तक प्रकाशित करने में कठिनाई होती, रा शै.अ. एव प्र.प. पूरक प्रकाशित करता है जो रा.शै.अ. एव प्र.परि की पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करने वाले स्कूलों को उपलब्ध कराई जाती हैं।

रेल परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण

5948. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रेल की पूंजी–प्रधान परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु हाल ही मे विश्व बैक से ऋण के लिए अनुरोध किया है

(ख) यदि हां, तो जिन परियोजनाओं के लिए ऋण का अनुरोध किया गया है, उनका ब्यौरा क्या है, तथा कितनी राशि का ऋण मांगा गया है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु देश में ऋण उपलब्ध नहीं था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) विश्व बैंक के ऋण के साथ रखी जाने वाली शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(च) विश्व बैंक ऋण से संबंधित औपचारिकताएं कब तक पूरी कर दी जायेगी और परियोजनाओं का कार्यान्वयन कब से शुरू हो जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) से (च). प्रश्न नहीं उठता।

वाहनजन्य प्रदूषण नियंत्रण हेतु नये उपकरण का विकास

5949. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खण्डूरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि** :

(क) क्या राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर द्वारा वाहन जन्य प्रदूषण नियंत्रण हेतु एक नया उपकरण विकसित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उपकरण के वाणिज्यिक उपयोग हेतु कोई परीक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) क्या इस क्षेत्र में कोई और कार्य किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर ने पैट्रोल से चलने वाले वाहनों से कार्बन मोनो–आक्साइड और हाइड्रोकार्बनों जैसे उत्सर्जनों को कम करने के लिए एक उत्प्रेरक कन्वर्टर विकसित किया है। इस प्रौद्योगिकी की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं :

(1) सिरेमिक हनीकाम्ब सपोर्टो पर आक्सीकर उत्प्रेरक परत।

(2) गैर संक्षारक ऊष्मा रोधित धात्विक केसिंग में रखना।

(3) इंजन की क्रियाहीन ऊष्मा स्तर पर लगभग 50 से 60 प्रतिशत कार्बन मोनोआक्साइड और हाइड्रो कार्बन का ऑक्सीकरण।

(4) सीसा विष सह्यता।

(5) इंजन की सह्यता के भीतर प्रेशर ड्राप के साथ एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड से कन्वेक्टर को जोड़ा जा सकता है।

(ग) प्रयोगशाला तथा उत्सर्जन निष्पादन के क्षेत्र में 15 उत्प्रेरक कन्वेर्क्टरों का प्रयोग करके परीक्षण संचालित किए गए हैं।

(घ) इन परीक्षणों के परिणामों से पता लगता है कि इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग वाहनों के समुचित देखरेख के अधीन कार्बन मोनोआक्साइड और हाइड्रो कार्बनों के उत्सर्जनों को 50% तक कम करने के लिए किया जा सकता है।

(ङ) मौजूदा प्रौद्योगिकी में उत्प्रेरक कन्वर्टर की क्षमता में वृद्धि के लिए और सुधार का कार्य उक्त संस्थान में चल रहा है।

केन्द्रीय विद्यालय में योग शिक्षकों की नियुक्ति

5950. **श्री मुही राम सैकिया :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 19 अप्रैल, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4022 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981–92 में केन्द्रीय विद्यालयों में योग शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति के समय पर्याप्त पाये गए शैक्षिक एवं व्यावसायिक अहर्ताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासीमंडल ने इन अहर्ताओं में परिवर्तन करने का निर्णय कब लिया;

(ग) क्या यह ये भूतलक्षी प्रभाव से लागू हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में अपेक्षित अहर्ताप्राप्त करने के लिए योग शिक्षकों को कोई सुविधा प्रदान की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ). केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, केन्द्रीय विद्यालयों में योग शिक्षण योजना प्रारंभ में एक वर्ष के लिए केवल प्रयोगात्मक आधार पर आरंभ की गई थी। चूंकि योजना की अस्थायी और प्रयोगात्मक रूप से परिकल्पना की गई थी, अतः इसकी निर्धारित आवश्यक अर्हताएं योग प्रशिक्षण के व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव के साथ मैट्रिकुलेशन/हायर सेकेंडरी थी। योजना के समय को वार्षिक आधार पर बढ़ाया गया। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड ने दिनांक 27.12.88 को हुई अपनी बैठक में योजना को नियमित बनाने का निर्णय लिया। नियमित योजना में योग शिक्षकों को सौंपे गए कार्यों और पद के लिए निर्धारित वेतनमान तथा कक्षाएं जिनके लिए योग शिक्षण का विस्तार किया गया, पर विचार करते हुए निम्नलिखित अर्हताएं निर्धारित की गई :

(1) किसी विषय में स्नातक

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में योग में कम से कम 9 माह से 1 वर्ष का प्रशिक्षण।

(ङ) जी हाँ।

(च) और (छ). सक्षम प्राधिकारी ने योग शिक्षकों को उनके द्वारा उच्चतर अर्हताओं को प्राप्त करने के लिए उन्हें समर्थ बनाने के प्रयोजन से ही केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षा संहिता में निर्धारित 10% की सीमा से भी परे उच्चतर परीक्षाओं में बैठने की अनुमति प्रदान की।

आरक्षण के बावजूद ट्रेन से उतारने के कारण रेलवे पर हर्जाना शीर्षक से समाचार

5951. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 मार्च, 1994 के "जनसत्ता" में "आरक्षण के बावजूद ट्रेन से उतरने के कारण रेलवे पर हर्जाना" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जिला उपभोक्ता मंच ने इस मामले में अपना निर्णय दिया था;

(घ) यदि हां, तो इस निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). जी हां। श्री माखनलाल महेश्वरी नामक एक यात्री के पास दिनांक 10.8.1992 को 1449 डाउन महाकौशल एक्सप्रेस गाड़ी में जबलपुर से

मुरैना तक शयनयान दर्जे के डिब्बे (एस 6) में शायिका सं. 3 का पुष्टिशुदा आरक्षण था। उसने बांदा रेलवे स्टेशन पर गाड़ी में चढ़ने वाले यात्रियों को प्रवेश करने से रोका था। बांदा स्टेशन की रा. रे. पु. द्वारा हस्तक्षेप करने पर, यात्रियों को स्थान दिया जा सका और रा. रे. पु., बांदा ने श्री माखनलाल महेश्वरी को गाड़ी से उतार दिया था।

(ग) और (घ). आज तक रेलवे प्रशासन को मंच के निर्णय से अवगत नहीं कराया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की टंकण परीक्षा

5952. **श्री वी. कृष्ण राव :**

श्री के. जी. शिवप्पा :

श्री के. एच. मुनियप्पा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 मार्च, 1994 को दिल्ली में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा XII की टंकण परीक्षा में पचीस अंकों का एक प्रश्न गायब था;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा केन्द्रों को केन्द्र स्थल पर पचीस अंकों का एक प्रश्न तैयार करने को कहा गया था;

(ग) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या सरकार ने कोई सुधारात्मक कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ). केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बोर्ड द्वारा 5.3.1994 को संचालित कक्षा XII के छात्रों की टंकण (हिन्दी) की प्रायोगिक परीक्षा में दिल्ली में दिए गए प्रश्न पत्र में 25 अंक का एक प्रश्न नहीं था। जब यह गलती बोर्ड की जानकारी में लाई गई तब बोर्ड ने संबंधित परीक्षा केन्द्रों के परीक्षकों से मौके पर ही 25 अंक का एक प्रश्न तैयार करने की सलाह दी तथा यही प्रश्न छात्रों को दिया गया। मुद्रण के दौरान प्रैस की चूक से प्रश्न पत्र में यह गलती हुई।

2. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस चूक के लिए मुद्रक के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।

3. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के लिए मुद्रकों से मुद्रित प्रश्न पत्रों के मोहबंद पैकेट प्राप्त किए जाते हैं तथा इन्हें सुरक्षित भंडारण के लिए और परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा वाले दिनों को वितरित करने के लिए तुरंत संबंधित स्थानों पर भेज दिया जाता है। गोपनीयता की दृष्टि से मुद्रकों से प्राप्त मोहरबंद पैकटों को परीक्षा केन्द्रों पर छात्रों के बीच इन्हें वितरित करने से पूर्व नहीं खोला जाता है।

गैर सरकारी सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थान

5953. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गैर–सरकारी सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थानों को किसी केन्द्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना संसद के अधिनियमों द्वारा स्वायत्त संगठन के रूप में की जाती है। इनमें से कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को उनके क्षेत्राधिकार में स्थित कालेजों तथा संस्थाओं को उनके अधिनियमों तथा संविधियों के अन्तर्गत सम्बद्धता की स्वीकृति हेतु विशेषाधिकार प्रदान किया गया है।

रेलवे मैन्यूफैक्चरिंग यूनिटों का निजीकरण

5954. **श्री तारा सिंह** :

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे को 300 मिलियन डालर का ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार को पांच रेलवे मैन्यूफैक्चरिंग यूनिटों के निजीकरण हेतु कोई प्रस्ताव मिला था;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा इस पर वित्त मंत्रालय का क्या विचार है और इसं संबंध में रेलवे ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है;

(ग) इस प्रस्ताव की स्थिति क्या है और मोटे तौर पर इनमें से प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का आर्थिक दृष्टि से कार्य निष्पादन कितना है;

(घ) क्या इन उपक्रमों को बहुत कम आर्डर और वित्तीय सहायता मिलती है और इनकी अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इन उपक्रमों को अर्थक्षम बनाने इनका पुनर्गठन करने और आधुनिकीकरण करने हेतु किए गए अथवा किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) बैंक ने सुझाव दिया था कि भारतीय रेलों को अपनी पांच उत्पादन इकाइयों का प्रबंधन पृथक करने के उपाय करने चाहिए ताकि उनकी कार्यप्रणाली में सुधार लाया जा सके और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। भारतीय रेलों ने इस सुझाव को व्यावहारिक नहीं पाया था।

(ग) प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया था। सभी पांचों उत्पादन इकाइयों यथा, चितरंजन रेल इंजन कारखाना, चितरंजन, डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी, सवारी डिब्बा कारखाना, मद्रास, रेल कोच फैक्टरी, कपूरथला और पहिया और धुरा संयंत्र, बेंगलूर की संस्थापित क्षमताओं का वर्ष 1993–94 के दौरान पूरा–पूरा उपयोग किया गया।

(घ) सवारी डिब्बों की कम मांग के कारण संभवतः 1994–95 में सवारी डिब्बा कारखाना, मद्रास और रेल कोच फैक्टरी, कपूरथला की क्षमता का पूरा–पूरा उपयोग न हो पाया।

(ङ) सवारी डिब्बे बनाने वाली इकाइयों की पूर्ण क्षमताओं का उपयोग करने के लिए वैकल्पिक कार्यभार की व्यवस्था करने के उपाय किए जा रहे हैं। निर्यात आदेशों को पूरा करने और नई गतिविधियां आरंभ करने हेतु इन इकाइयों का पुनर्गठन किया गया है।

प्रतिभा पलायन

5955. **श्री हरिन पाठक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से प्रति वर्ष कितने प्रतिभाशाली व्यक्ति अर्थात् उच्च शिक्षा प्राप्त युवा, रोजगार की तलाश में अन्य देशों •. जाते हैं तथा इनमें से कितने प्रतिशत लोग वहां स्थायी रूप से बस जाते हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा उठाये गये कदमों से प्रतिभा पलायन रोकने में सफलता मिली है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई कानून बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ). कुछ भारतीय वैज्ञानिक, इंजीनियर, चिकित्सा स्नातक उच्चतर अध्ययन के लिए अन्य देशों/काम करने के लिए विदेशों में जाते हैं और उनमें से कुछ की वहाँ पर रह जाने की प्रवृत्ति है। किन्तु ऐसे प्रवासियों और वहाँ पर स्थायी रूप से बसने वालों का रिकार्ड रखना संभव नहीं हुआ। ऐसे कार्मिकों को देश में पुनः लाने के वास्ते आकृष्ट करने के लिए सरकार ने उपाय किए हैं जिनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिव्ययों में वृद्धि, नए वैज्ञानिक विभागों/संगठनों का सृजन, वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं को बढ़ी हुई प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियां का प्रत्यायोजन, वैज्ञानिक पूल के अंतर्गत वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की अस्थाई नियुक्ति, इत्यादि शामिल हैं।

[हिन्दी]

आदर्श सहकारी कानून

5956. **श्री संतोष कुमार गंगवार :**

श्री मानवेन्द्र शाह :

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी सहकारी संस्थाओं में आदर्श सहकारी कानून लागू करने संबंधी कोई योजना केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग). योजना आयोग ने स्वर्गीय ब्रह्म प्रकाश की अध्यक्षता में "आदर्श राज्य सहकारी समिति विधेयक" पर विचार करने और उसे अन्तिम रूप देने के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उसने अन्य बातों के साथ-साथ, राज्यों के मार्गदर्शन के लिए आशयित आदर्श सहकारी अधिनियम बनाने की सिफारिश

की थी। "आदर्श अधिनियम" के उपबन्धों का उद्देश्य सहकारी समितियों को वास्तविक स्वरूप देना, उन पर सरकार के नियंत्रण और हस्तक्षेप को कम करना तथा सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर बनने में समर्थ बनाना और सहकारी कानूनों में प्रतिबन्धात्मक उपबन्धों को दूर करना है।

"सहकारी समितियां" राज्य सरकार का विषय है तथा इस बारे में कार्रवाई राज्य सरकारों द्वारा की जानी होती है, इसलिए, समिति की रिपोर्ट सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को, अपने-अपने सहकारी समिति अधिनियमों में संशोधन करने के लिए, भेज दी गई है। तथापि, "आदर्श अधिनियम" के अनुरूप बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 को पुनः निरूपित करने का निर्णय लिया गया है।

कर्नाटक में चीनी एकक

5957. **श्री के. एच. मुनियप्पा :**

श्री के. जी. शिवप्पा :

श्री वी. कृष्णा राव :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में चीनी मिलों की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (ग). कर्नाटक राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से 31.3.1994 तक 64 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से औद्योगिक विकास विभाग द्वारा मार्च, 1994 में 5 आशय-पत्र जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

पशमीना ऊन का उत्पादन

5958. **श्री सत्यदेव सिंह :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पशमीना ऊन का कुल कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या लद्दाख स्थित च्यांग, बर्फीले रेगीस्तानी क्षेत्र में भयंकर सूखा ठंड और चारे की कमी के कारण दुर्लभ गुणवत्ता वाली पशमीना ऊन का उत्पादन संकट में है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जाएंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जम्मू तथा कश्मीर राज्य से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग). चेंगथांग रेगिस्तान में लम्बे समय तक सूखे और बर्फ पड़ने के कारण पशमीना बकरियों, विशेष रूप से बकरी के बच्चों और मेमनों का जीवन संकट में पड़ गया था। तथापि, पशमीना के उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

(घ) जम्मू तथा कश्मीर सरकार ने उत्पादकों को रियायती दरों पर आहार तथा चारा उपलब्ध कराया है। किसी आकस्मिकता की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त भंडार भी रखा गया है।

महिलाओं से छेड़-छाड़

5959. **श्री भीम सिंह पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) 6 दिसम्बर, 1992 की घटना के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार और छेड़खानी की कितनी घटनाओं की जानकारी मिली;

(ख) क्या आयोग द्वारा ऐसी घटनाओं की जांच की गई है या कराई जा रही है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवराजेश्वरी) : (क) 6 दिसम्बर, 1992 के पश्चात् इस प्रकार के 23 मामले आयोग के. नोटस में आये।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). आयोग ने इन सभी शिकायतों के संबंध में उपयुक्त प्राधिकारियों को लिखा है, जैसा कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 10 (1) (च) में निर्धारित है। इनमें से 3 मामलों में अर्थात् सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से प्राप्त तथाकथित अत्याचारों का मामला (उषा धिमन का मामला), ग्राम जयशंकरपुर, उड़ीसा में पुलिस द्वारा महिला के साथ तथाकथित सामूहिक बलात्संग का मामला, और ग्रम बोपास, हरियाणा में एक हरिजन महिला पर तथाकथित अत्याचारों के मामले में आयोग ने विस्तृत जांच कराई है। सहारनपुर मामले में संबंधित अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया

है तथा मुकदमा दायर कर दिया गया है और जयशंकर में घटित मामले में उड़ीसा सरकार ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत एक न्यायिक जांच आयोग नियुक्त किया है। अन्य मामलों में मुकदमा दायर करने तथा जांच करने की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है।

पर्यावरण और वानिकी परियोजनाएं

5960. **श्री राम कृपाल यादव :**

श्री प्रेम चन्द राम :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में पर्यावरण में सुधार लाने और वनों के विकास के संबंध में केन्द्रीय सहायता से शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सम्बंध में अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कितनी वित्तीय सहायता दी है; और

(घ) निकट भविष्य में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क), से (ग). बिहार में पर्यावरण के सुधार और वन विकास के बारे में गत तीन वर्षों के दौरान आरंभ की गई केन्द्रीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं एवं इस उद्देश्य के लिए दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। परियोजनाओं की प्रगति संतोषजनक है।

(घ) परियोजनाएं अनवरत रूप से चलती रहेंगी।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	मुख्य उद्देश्य	भारत सरकार द्वारा वित्त पोषण की मात्रा	स्थिति	गत तीन वर्ष, 1991–92, 1992–93, तथा 1993–94 के दौरान बंटित की गई राशि
1	2	3	4	5	6
1.	राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य	राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों का विकास	100%	चालू	28.15

1	2	3	4	5	6
2.	राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों के आसपास पारिविकास	राष्ट्रीय उद्यानों के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वैकल्पिक जीविका मुहैया कराना	100% गैर–आवर्ती 50% आवर्ती	चालू	69.11
3.	हाथी परियोजना	हाथियों का दीर्घ–कालीन अस्तित्व सुनिश्चित करना	100% गैर–आवर्ती 50% आवर्ती	चालू	23.50
4.	बाघ परियोजना	बाघों की जीवनक्षम सं. सुनिश्चित करना	100% गैर–आवर्ती 50% आवर्ती	चालू	139.07
5.	काबर झील का संरक्षण	काबर झील की प्रबंध कार्य योजना का कार्यान्वयन	100%	चालू	31.36
6.	आधुनिक वन अग्नि शयन पद्धति स्कीम	वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए वन अग्नि शयन	100%	चालू	6.00
7.	अवक्रमित वनों के पुनरुद्धार में अनुसूचित जनजातियों एवं निर्धन ग्रामीणों की सहायता लेना	अवक्रमित वनों से जैव–द्रव्य संसाधन आधार को सुधारना	100%	चालू	53.63
8.	पर्यावरण वाहिनी स्कीम	लोगों की सक्रिय भागीदारी से पर्यावरणीय जागरूकता लाना।	100%	चालू	1.75
9.	क्षेत्रोन्मुख ईंधन एवं चारा परियोजना स्कीम	ईंधन की लकड़ी की कमी वाले जिलों में ईंधन की लकड़ी तथा चारे की आपूर्ति में वृद्धि करना	50%	चालू	856.01

1	2	3	4	5	6
10.	औषधीय पौधों समेत लघु वन उत्पाद	औषधीय पौधों समेत लघु वन उत्पाद उगाना	100%	चालू	189.88
11.	बीज विकास स्कीम	उत्तम बीजों के लिए आधारभूत ढांचे का विकास	100%	चालू	6.00
12.	गंगा कार्य योजना	बिहार के 5 शहरों में गंगा नदी का प्रदूषण निवारण	100%	चालू	158.00
13.	समन्वित वनरोपण एवं पारिविकास परियोजनाएं	वनरोपण एवं पारि–विकास को प्रोत्साहन देना	100%	चालू	41.20

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तुएं

5961. **श्री रमेश चेन्नित्तला :**

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों के दौरान खाद्य तेल सहित आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा मूल्यों पर अंकुश रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख). जनवरी 1994 फरवरी 1994 और मार्च 1994 के महीनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों और उनके उतार–चढ़ाव का प्रतिशत संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से उपयुक्त उपाय करती रही है तथा, चुनिन्दा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों, उनकी उपलब्धता और पूर्वानुमान की परिवीक्षा के लिए एक अन्तर्मंत्रालयिक समन्वय समिति गठित करना, तिलहनों और तेलों के उत्पादकों, विनिर्माताओं और व्यापारियों द्वारा स्टॉक जमा करने की सीमा में 50% की कमी करना, जमाखोरों, कालाबाजारियों और अनुचित व्यापारियों व्यवहारों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मजबूत बनाना। आपूर्ति बढ़ाने और मूल्यों को नियंत्रित करने की दृष्टि से चीनी, रुई और पामोलीन के आयात को खुले आम लाइसेंस (ओ जी एल) के तहत रखा गया है।

विवरण

जनवरी, 1994 फरवरी 1994 और मार्च, 1994 के महीनों के दौरान चुनिन्दा आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक तथा उनके उतार–चढ़ाव का प्रतिशत

वस्तु		थोक मूल्य सूचकांक (आधार 1981–82=100)			मासिक उतार–चढ़ाव		
	थोक मूल्य सूचकांक में भार	जनवरी 1994	फरवरी 1994	मार्च 1994	फरवरी, 94 / जनवरी, 94	मार्च, 94 / फरवरी, 94	मार्च, 1994 / जनवरी, 94
चावल	3.69	265.6	269.2	268.6	+1.4	−0.2	+1.1
गेहूं	2.25	261.3	293,7	281,4	+8.6	−0.8	+7.7
चना	0.41	406.6	419.1	367.7	+3.1	−12.3	−9.6
अरहर	0.27	346.2	335.1	333.9	−3.2	−0.4	−3.6
आलू	0.47	258.2	205.6	210.3	−20.4	+2.3	−18.6
प्याज	0.16	460.7	306.9	257.2	−33.4	−16.2	−44.2

1	2	3	4	5	6	7	8
चाय	0.56	364.4	364.7	362.7	+0.1	−0.5	−0.5
चीनी	2.01	214.9	226.3	227.7	+5.3	+0.6	+6.0
नमक	0.04	236.5	236.5	236.5	स्थिर	स्थिर	स्थिर
वनस्पति	0.52	238.3	237.6	238.1	−0.3	+0.2	−0.1
सरसों का तेल	0.28	222.3	214.0	210.5	−3.7	−1.6	−5.3
मूंगफली का तेल	0.53	227.4	226.5	228.9	−0.4	+1.1	+0.7
समग्र वस्तु	100.00	252.7	252.9	255.5	+0.1	+1.0	+1.1

जिला उपभोक्ता मंच

5962. **श्री काशीराम राणा : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य–वार किन–किन जिलों में अभी तक जिला उपभोक्ता मंच नहीं बनाए गए हैं; और

(ख) देश के प्रत्येक जिले में उपभोक्ता मंच गठित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना के अनुसार 455 जिला मंच गठित किए गए हैं और वे सारे देश में कार्य कर रहे हैं। कुछ नए गठित जिलों में अभी मंच गठित किए जाने हैं। जिलों के नाम उपलब्ध नहीं हैं और उन्हें एकत्र करके सभा–पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

विश्राम-कक्ष सुविधाएं

5963. **श्री आनन्द अहिरवार :**

श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे स्टेशनों पर विश्राम–कक्ष तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध की हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्टेशनों की राज्य–वार तथा मंडल–वार संख्या कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार सभी रेलवे स्टेशनों पर विश्राम–कक्ष तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग). राज्यवार और मंडलवार विश्राम कक्षों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

सभी प्रमुख तथा महत्त्वपूर्ण स्टेशनों पर विश्राम कक्षों की व्यवस्था की जाती है। विश्राम कक्ष की व्यवस्था करने की जरूरत की समय–समय पर समीक्षा की जाती है और जहां इसे औचित्यपूर्ण पाया जाता है वहां इससे संबंधित प्रस्ताव निर्माण कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं, और धन की उपलब्धता के अध्यधीन इनका निर्माण किया जाता है। जहां तक चिकित्सा सुविधाओं का संबंध है, सभी रेलवे स्टेशनों पर अनिवार्य दवाइयों सहित प्राथमिक उपचार बक्से मुहैया किए गए हैं जिनका उपयोग आपातिक स्थिति में मरीजों का इलाज करने के लिए किया जा सकता है। गंभीर मामलों के लिए निर्धारित प्रभारों पर रेलवे डाक्टरों की सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

विवरण

राज्यवार विश्राम कक्षों की संख्या

आन्ध्र प्रदेश	–	41
असम	–	21
बिहार	–	49
चण्डीगढ़	–	1
दिल्ली	–	3
गुजरात	–	23
गोवा	–	2
हरियाणा	–	3

हिमाचल प्रदेश	–	4
केरल	–	13
कर्नाटक	–	23
मध्य प्रदेश	–	25
महाराष्ट्र	–	26
नागालैण्ड	–	1
मणिपुर	–	1
उड़ीसा	–	11
पंजाब	–	7
पांडिचेरी	–	1
राजस्थान	–	17
तमिलनाडु	–	43
त्रिपुरा	–	2
उत्तर प्रदेश	–	70
पश्चिम बंगाल	–	32
		419

मंडलवार विश्राम कक्षों की संख्या

मध्य रेलवे	**मंडल**		**स्टेशन**
	बम्बई	–	2
	भोपाल	–	6
	भुसावल	–	8
	जबलपुर	–	6
	झांसी	–	9

	नागपुर	–	4
	सोलापुर	–	5
	7		**40**
पूर्व रेलवे	हावड़ा	–	6
	सियालदह	–	6
	आसनसोल	–	7
	धनबाद	–	3
	दानापुर	–	6
	मुगलसराय	–	4
	मालदा टाउन	–	4
	7		**36**
उत्तर रेलवे	इलाहाबाद	–	8
	लखनऊ	–	8
	मुरादाबाद	–	10
	दिल्ली	–	4
	अम्बाला	–	7
	फिरोजपुर	–	7
	जोधपुर	–	4
	बीकानेर	–	5
	8		**53**
पूर्वोत्तर रेलवे	इज्जतनगर	–	7
	लखनऊ	–	17
	वाराणसी	–	12

	सोनपुर	–	8
	समस्तीपुर	–	17
	5		**61**
पूर्वोत्तर सीमा	अलीपुरद्वार	–	10
रेलवे	लमडिंग	–	14
	कटिहार	–	7
	तिनसुकिया	–	4
	4		**35**
दक्षिण रेलवे	मद्रास	–	6
	बेंगलूर	–	1
	पालघाट	–	16
	तिरुचि	–	14
	मदुरै	–	12
	मैसूर	–	8
	तिरुवनन्तपुरम	–	10
	7		**67**
दक्षिण	सिकन्दराबाद		7
मध्य रेलवे	हैदराबाद		6
	विजयवाड़ा		19
	हुबली		11
	गुंतकल		11
	5		**54**
दक्षिण	खड़गपुर	–	3
पूर्व रेलवे	आद्रा	–	6

	चक्रधरपुर	–	4
	खोरधा रोड	–	7
	वाल्तेरू	–	2
	नागपुर	–	4
	बिलासपुर		5
	संबलपुर	–	2
	8		**33**
पश्चिम रेलवे	बम्बई	–	3
	बड़ोदरा	–	7
	रतलाम	–	6
	कोटा	–	4
	जयपुर	–	2
	अजमेर	–	7
	राजकोट	–	6
	भावनगर	–	5
	8		**40**

[अनुवाद]

चीनी का उत्पादन

5964. **श्री एस. एम. लालजान बाशा :**

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में चीनी उत्पादन की क्षमता का आकलन करने के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश में गन्ने की वर्तमान उपलब्ध मात्रा से कितनी चीनी मिलें स्थापित की जायेंगी ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख). केन्द्र सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में चीनी उत्पादन की क्षमता का आकलन करने के संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ग) चीनी वर्ष 1993–94 (अक्तूबर–सितंबर) के दौरान आंध्र प्रदेश में गन्ने की वर्तमान उपलब्धता तथा गन्ने के विकास की क्षमता के आधार पर नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए 15 आशय–पत्र जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

गाड़ियों की छतों पर यात्रा

5965. **श्री प्रेम चन्द राम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः माह के दौरान प्रत्येक जोन में विशेषतः बिहार में गाड़ियों की छतों पर यात्रा करते समय कितने यात्रियों की मौत हुई; और

(ख) इस प्रकार की यात्रा पर रोक लगाने हेतु क्या कार्यबाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) केवल उत्तर रेलवे से ही गाड़ियों की छत पर यात्रा करने के कारण मारे गए व्यक्तियों के पांच मामलों की रिपोर्ट मिली है।

(ख) गाड़ियों की छतों पर यात्रा न करने देने तथा उसे हतोत्साहित करने के उपायों में स्टेशन परिसरों में नोटिस और इश्तहार लगाना, गाड़ी की छत पर यात्रा करने के खतरों से आगाह करने के लिए महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के जरिए घोषणा करना, चल टिकट परीक्षकों द्वारा जांच करना और रे.सु.ब./रा.रे.पु. द्वारा छापों/जांच के दौरान पकड़े गए अपराधियों पर मुकदमा चलाना शामिल है। त्यौहारों आदि के दौरान गाड़ियों में स्थान की अतिरिक्त मांग होने पर अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाकर अथवा गाड़ियां चलाकर यथासंभव क्षमता भी बढ़ाई जाती है।

[अनुवाद]

नारियल का उत्पादन

5966. **डा. के.वी.आर. चौधरी** :

डा. आर. मल्लू :

क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993–94 के दौरान नारियल का राज्यवार कुल कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्/कृषि मन्त्रालय द्वारा की गई जांच के अनुसार गत कई वर्षों से कीटनाशकों के कारण नारियल अत्यधिक संदूषित हो जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गये हैं/ जाएंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) वर्ष 1993–94 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 1992–93 के उत्पादन के अद्यतन आंकड़े निम्नवत हैं :

राज्य	उत्पादन (मिलियन नारियल)	राज्य	उत्पादन (मिलियन नारियल)
आन्ध्र प्रदेश	1081.8	त्रिपुरा	4.9
असम	103.2	पश्चिम बंगाल	285.1
गोवा	113.0	अंडमान और निकोबार	
कर्नाटक	1251.9	द्वीप समूह	84.4
केरल	5236.2	लक्ष द्वीप	21.0
महाराष्ट्र	131.0	पांडिचेरी	26.1
उड़ीसा	219.5		
तमिलनाडु	2817.3	योग :	11375.4

(ख) और (ग). कृषि मन्त्रालय के अन्तर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने नारियल को कीटनाशकों द्वारा नुकसान पहुंचाने के बारे में कोई मत व्यक्त नहीं किया है।

[**हिन्दी**]

पंजाब में रेलवे क्वार्टर

5967. **श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर)** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में रेल कर्मचारियों के लिए पर्याप्त क्वार्टरों का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो कर्मचारियों की आवश्यकता से क्वार्टरों की संख्या इस समय कितनी कम है; और

(ग) कब तक क्वार्टरों की आवश्यकता पूरी की जाएगी ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) क्वार्टरों की और व्यवस्था करना एक सतत प्रक्रिया है और इससे संबंधित निर्माण कार्य प्रतिवर्ष शुरू किए जाते हैं, लेकिन यह धन की उपलब्धता और विभिन्न स्टेशनों की सापेक्ष जरूरतों पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

केरल में रेल लाइन

5968. **श्री पी. जे. कुरियन : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में अंकामाली से अंचकोविल तक पर्वतीय रेल लाइन के निर्माण के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रेल लाइन का सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या रेल कार्यान्वयन समिति ने इस नई रेल लाइन के निर्माण के लिए धनराशि के स्त्रोत का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़)

(क) जी हां।

(ख) और (ग). जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दोहरी रेल लाइन

5969. **श्री लाल बाबू राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छपरा से ओडिहार तक दोहरी रेल लाइन बिछाने के कार्य को अब तक पूरा नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्य को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) इस तरह का कोई कार्य नहीं है। संभवतः आशय औंडिहार और छपरा के बीच आमान परिवर्तन कार्य से है।

(ख) आमान परिवर्तन कार्य अच्छी प्रगति पर है और इसे दिसम्बर, 1995 में पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) इस लक्ष्य के अनुरूप धन/रेलपथ सामग्री की व्यवस्था की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में आमान परिवर्तन

5970. **श्री राम बदन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश में शाहगंज माऊ–बलिया रेल लाइन के गेज परिवर्तन में हुए विलम्ब की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक पूरा किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). प्रस्ताव अनुमोदन हेतु योजना आयोग को भेजा गया है।

योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा। कार्य शुरू हो जाने के बाद ही समय सीमा बतायी जा सकती है।

पेड़ों की अवैध कटाई

5971. **श्री रमेश चन्द तोमर :**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बड़े पैमाने पर पेड़ों की अवैध कटाई की जानकारी है;

(ख) क्या हाल ही में अवैध रूप से काटी गई लकड़ी से भरे माल डिब्बे पकड़े गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). बड़ी मात्रा में पेड़ों के गैर कानूनी तौर पर काटे जाने और वन उत्पाद की दुलाई में प्रयुक्त माल गाड़ी के वैगन पकड़े जाने की राज्यों से कोई खबरें नहीं मिली हैं।

इमारती लकड़ी और अन्य वन उत्पादों की गैर–कानूनी दुलाई के लिए प्रयुक्त वाहनों के पकड़े जाने पर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत जब्त करने के लिए कार्रवाइयां की जाती हैं।

वन उत्पादों के गैर–कानूनी दुलाई में लिप्त वाहनों के ब्यौरे संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में डिवीजनल स्तर पर रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

रेलवे कार्यालय

5972. **श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या ए.ई.एन. (आई) के कार्यालय को कटक रेलवे स्टेशन दक्षिण–पूर्व रेलवे के खुरदा रोड डिवीजन में से भद्रक रेलवे स्टेशन पर स्थानान्तरिक करने का निर्णय 1992 में लिया था और अधिकारियों को इसकी सूचना भेज दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो कार्यालय के लिए भवन आदि के लिए की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गयी हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख). सहायक इंजीनियर कार्यालय को कटक से भद्रक में स्थानान्तरिक करने का निर्णय दक्षिण–पूर्व रेलवे द्वारा लिया गया था। समीक्षा करने के

बाद रेल मंत्रालय ने सहायक इंजीनियर–I/कटक के मुख्यालय को जाजपुर–क्योंझर रोड में स्थानांतरित करने का विनिश्चय किया गया है। भद्रक में स्थान की कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं की गई है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में रेल लाइनों का दोहरीकरण

5973. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय कितनी रेल लाइनों पर दोहरीकरण का कार्य चल रहा है;

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ग) इस पर कितना खर्च होगा ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) रामपुर–बरेली लाइन।

(ख) 1995–96 तक।

(ग) 45.88 करोड़ रुपए।

चीनी की खपत

5974. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चीनी की खपत में निरन्तर वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति कितनी चीनी की खपत हुई ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन चीनी वर्षों के दौरान चीनी की प्रति व्यक्ति खपत निम्नानुसार है :

चीनी वर्ष	प्रति व्यक्ति अनुमानित खपत (किलोग्राम/वार्षिक)
1990–91	12.7
1991–92	13.0
1992–93 (अ)	13.6

(अ) अनंतिम।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के गोदाम

5975. **श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के गोदाम खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की भंडारण संबंधी नीति क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख). जी, नहीं। आंध्र प्रदेश में 1.3.1994 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय भण्डारण निगम के भाण्डागारों का 92 प्रतिशत क्षमता–उपयोग हुआ है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम एक प्रमुख एजेन्सी है जो खाद्यान्नों के लिए भण्डारण क्षमता मुहैया करती है। निगम स्वयं अपने गोदामों का निर्माण करने के अलावा, केन्द्रीय भण्डारण निगम, राज्य भाण्डागार निगमों, राज्य सरकारों और प्राइवेट पार्टियों जैसे अन्य साधनों से भी भण्डारण क्षमता किराये पर लेता है। केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्य भण्डारण निगमों के प्रमुख कार्य कृषि उत्पादों, उर्वरकों और कुछ अन्य वस्तुओं का भण्डारण करना है। कृषि मंत्रालय और राज्य सरकारों के दायरे में आने वाली सहकारी समितियों द्वारा तालुक/ब्लाक/ग्राम स्तर पर भण्डारण सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं। सरकार स्थान विशेष पर सरकारी क्षेत्र की भण्डारण संबंधी आवश्यकताओं के प्रबंध में समन्वय करने की जरूरत से अवगत है और उसने केन्द्र में एक केन्द्रीय भण्डारण समिति और राज्यों में राज्य स्तरीय समन्वय समितियों का गठन किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न एजेन्सियों द्वारा एक ही स्थान पर जरूरत से ज्यादा भण्डारण क्षमता का निर्माण न किया जाए अथवा निर्माण प्रयासों में द्विरावृत्ति न होने पाए।

मेहसाना में गाड़ी रोकने की व्यवस्था करना

5976. **श्री छीतूभाई गामीत : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर गुजरात में मेहसाना के महत्त्व को देखते हुए पालनपुर जंक्शन के स्थान पर मेहसाना स्टेशन पर "आश्रम एक्सप्रेस" को रोकने की व्यवस्था करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इसके कारण पालनपुर के यात्रियों की शिकायतें होंगी।

[हिन्दी]

नवोदय विद्यालय

5977. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे** कि :

(क) क्या बिहार में लगभग पचार प्रतिशत नवोदय विद्यालयों के पास अपने भवन नहीं हैं और पचहत्तर प्रतिशत शिक्षकों के पास कोई सरकारी आवास नहीं है;

(ख) यदि हां, तो पिछड़े क्षेत्रों में स्थित नवोदय विद्यालयों की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सभी नवोदय विद्यालयों को भवन, शिक्षकों के लिए रिहायशी आवास तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गयी हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन सभी मामलों में क्या सुधारात्मक कदम उठाये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) बिहार में वर्ष 1993–95 के दौरान खोले गए 6 विद्यालयों सहित, अब तक 34 जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए हैं। 25 विद्यालयों में कार्य प्रगति पर है जिनमें से 18 विद्यालय अपने भवनों में चले गए हैं जहां स्टाफ के लिए आवास का भी प्रावधान किया गया है।

(ख) जी, नहीं। जवाहर नवोदय विद्यालयों को, उनके स्थानों पर ध्यान दिए बिना एक समान सुविधाएं प्रदान की गयी हैं।

(ग) और (घ). नवोदय विद्यालय अपने अस्थायी आवासों में उस समय से कार्य करना आरंभ करते हैं जब वे संबंधित राज्य सरकार द्वारा मुहैया करा दिए जाते हैं। राज्य सरकारों द्वारा नवोदय विद्यालय समिति को भूखण्ड के स्थानान्तरण और निधियां उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य को स्थायी भूखण्ड पर चरणबद्ध रूप से किया जाता है।

[अनुवाद]

दलहन की खेती

5978. **श्री सी. श्रीनिवासन :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कुल कितने क्षेत्र में दलहन की खेती होती है;

(ख) क्या विगत वर्षों की तुलना में दलहन की खेती के क्षेत्र में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या दलहन के उत्पादन में भी उतनी ही वृद्धि हुई है जितनी उसके क्षेत्र में हुई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने दलहन के उत्पादन में वृद्धि करने और अधिक क्षेत्र पर इसकी खेती करने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) 1993–94 के दौरान देश में कुल मिलाकर लगभग 23.72 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र (सम्भावित) में दालों की खेती की जा रही है।

(ख) 1980–81 से 1992–93 के दौरान, दालों की खेती के तहत क्षेत्र में वृद्धि की दर 0.13 प्रतिशत प्रतिवर्ष आंकी गई है।

(ग) 1980–81 से 1992–93 के दौरान दालों के उत्पादन की वृद्धि की दर उसी अवधि के दौरान दालों की खेती के तहत आने वाले क्षेत्र में हुई वृद्धि की दर की तुलना में अधिक है अर्थात् 0.13 प्रतिशत प्रतिवर्ष ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। किसानों को बीजों, उन्नत फार्म उपकरणों, छिड़कावक सैटों, राईजोबियम कल्चर, सूक्ष्म–पोषक तत्वों का उत्पादन एवं वितरण, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा फ्रन्टलाइन प्रदर्शन तथा कृषि राज्य विभागों द्वारा सामान्य प्रदर्शन आदि जैसे आधारभूत आदानों के रूप में प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

विश्वविद्यालय-उद्योग में परस्पर तालमेल

5979. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1994 में तिरूपति में विश्वविद्यालय उद्योग के परस्पर तालमेल के संबंध में कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैठक में क्या–क्या विचार विमर्श हुआ; और

(ग) उक्त बैठक में दिये गये सुझावों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नवीन शिक्षा कार्यक्रम

5980. **श्री सोमजीभाई डामोर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राम मूर्ति समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में इन सिफारिशों पर विचार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में शिक्षा पर गठित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (रा.शि.नी.) समीक्षा समिति की मुख्य सिफारिशों के सारांश का एक विवरण संलग्न है।

(ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति समीक्षा समिति की रिपोर्ट पर 9 मार्च, 1991 को हुई केन्द्रीय शिक्षा सलाहाकार बोर्ड (केब) की बैठक में विचार किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति समीक्षा समिति की सिफारिशों की जांच के लिए 31 जुलाई, 1991 को आन्ध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में नीति पर एक केब समिति गठित की गई थी। नीति पर केब समिति की रिपोर्ट पर केब द्वारा विचार किया गया था। केब ने मोटे तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.पी.ई.), 1986 का समर्थन किया और कहा कि आने वाले लम्बे समय के लिए शिक्षा के विकास हेतु दिशा निर्देश देने के लिए इतने विस्तृत कार्यढांचा प्रदान करना जारी रखा है। तथापि वर्ष 1986 में नीति के तैयार होने के बाद से नीति के कार्यान्वयन में हुई विभिन्न नई बातों और अनुभव को ध्यान में रखते हुए

केब ने नीति में कतिपय संशोधनों की सिफारिश की। 7 मई, 1992 को संशोधित नीति निर्धारण सभा पटल पर रख दिए गए थे। तदुपरांत 19 अगस्त, 1992 को संशोधित कार्रवाई योजना, 1992 भी सभा पटल पर रख दी गई थी।

विवरण

आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय शिक्षा नीति समीक्षा समिति की सिफारिशों का सारांश इस प्रकार है :

1. प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा को शामिल करने हेतु प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के संवैधानिक निदेश (अनुच्छेद 45) के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जाना।

2. सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को मौलिक अधिकार बनाने की गुंजाइश की जांच करना।

3. स्कूलों में औपचारिक शिक्षा को अनौपचारिक बनाया जाना, सरल तथा लागत–प्रभावी प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को सुकर बनाना, यह प्रक्रिया धीरे–2 कार्यान्वित की जाए।

4. प्रारंभिक शिशु देखभाल और शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण का अंग बनाया जाए।

5. महिलाओं की शिक्षा के लिए ढेर सारे उपाय जिसमें शिक्षा तक उनकी पहुंच और उन्हें कक्षा में रोके रखने को बाधित करने वाली शिक्षा से बाहर की समस्याओं की ओर ध्यान देना शामिल है।

6. कामन शिक्षा प्रणाली का चरणबद्ध कार्यान्वयन, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों के लिए ऐसी अर्थपूर्ण कार्य नीतियां जिनमें समानता एवं सामाजिक न्याय पर बल दिया गया हो, अनु. जा./अनु.ज.जा. के लिए प्रोत्साहन योजनाओं के प्रभाव की पुनरीक्षा करना, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक वातावरण में सुधार लाने हेतु एक समग्र कार्यनीति विकसित करना, विशेष संघटक योजना तथा जनजातीय उप योजना के लिए विशेष बजट आरंभ करना।

7. शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए न्याय दिलाना, अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में गहन क्षेत्र दृष्टिकोण का पालन किया जाना। अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास के लिए उनके बीच कार्यरत प्रगतिशील स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता जुटाना।

8. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के लिए किए गए शैक्षिक उपायों की प्रगति पर निगरानी रखने हेतु अर्थपूर्ण अनुश्रवण प्रबंध स्थापित करना।

9. हालांकि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन तथा जनअभियान जारी रखे जाएं तथापि उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाए और वैकल्पिक कार्यनीतियां विकसित की जाएं, अल्पसंख्यकों के लिए मूल विकासात्मक कार्यक्रमों से उनके प्रौढ़ साक्षरता की ओर अग्रसर होने के लिए एक नया दृष्टिकोण, इसे उनकी जरूरत के रूप में लिया जाना जो कि वास्तव में यर्थाथ नहीं है, दूसरे शब्दों में जरूरत के आधार पर प्रौढ़ साक्षरता प्रदान करना, प्रौढ़ शिक्षा के लिए महिला समाख्या जैसे वैकल्पिक माडल को प्रयोग में लाना, शिक्षा विभाग की पहल पर समन्वयकारी प्रयासों के जरिए अन्य विभागों के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं को प्रौढ़ शिक्षा के लिए उपलब्ध कराना।

10. व्यावसायीकरण की पृथक धारा को समाप्त करते हुए व्यावसायीकरण का समेकित पाठ्यक्रम शुरू किया जाना।

11. उच्च शिक्षा के स्तर पर अपने शैक्षिक कार्यकलापों के अंग के रूप में शिक्षक और छात्र समुदाय की सामाजिक कार्य में भागीदारी, स्कूली शिक्षा तथा खासकर प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए इस कार्यनीति का विशेषकर उपयोग किया जाना।

12. मुख्य बल वाले क्षेत्र से संबंधित योजनाओं का क्या प्रभाव पड़ा है इस संबंध में विस्तृत अध्ययन किया जाना, पिछड़ा वर्ग समिति की रिपोर्ट के वित्तीय अनुमानों को अद्यतन करना तथा इस रिपोर्ट को शीघ्र लागू करना ताकि उन ग्रामीण जनों की सेवा में सामुदायिक पालिटेकनिकों को सार्थक ढंग से लगाया जा सके जिन्हें इस प्रक्रिया में व्यावसायिक कौशल तथा प्रौढ़ साक्षरता प्रदान की जानी है।

13. शिक्षा के सभी स्तरों पर क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षण माध्यम बनाने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम, जिन राष्ट्रीय भाषा संस्थाओं को अभी तक स्वायत्तता का दर्जा नहीं मिला है, उन्हें स्वायत्तता प्रदान करके उनको युक्तियुक्त बनाना, त्रिभाषा सूत्र को समान रूप से लागू करना, संस्कृत शिक्षा की प्रगति और प्रोन्नति के लिए मानक निर्धारित करने वाले एक राष्ट्रीय स्तर के निकाय का गठन किया जाना, सभी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए मातृभाषा शिक्षण का सुलभीकरण सुनिश्चित किया जाना, राज्य विहीन भाषा के विकास के लिए उपाय करना।

14. संस्कृति, मूल्य और युवा संघटकों के संबंध में शैक्षिक विषय–वस्तु के विकास में शिक्षा विभाग द्वारा प्रमुखता का सुनिश्चय किया जाना, देश में कक्षा संबंधी असमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम को अत्यधिक सावधानी से लागू करना तथा प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए संसाधनों की प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकता।

15. परीक्षा सुधारों को सुव्यवस्थित ढंग से लागू करने के लिए एक आयोग का स्थापित किया जाना, परीक्षा सुधारों को सेमेस्टर प्रणाली सहित पैकेज आधार पर लागू करना, छात्रों के लिए औपचारिक शिक्षा प्रणाली में विभाजित (स्टैगर्ड) क्रेडिट अर्जन की सुविधा सहित निश्चयात्मकता और लचीला प्रवेश और निकासी।

16. विश्वविद्यालय, संकाय, शिक्षक सहित सभी स्तरों पर योजना का विकेन्द्रीकरण, संसाधन का आबंटन, कार्यान्वयन तथा अनुवीक्षण।

17. खासकर प्राथमिक शिक्षा के लिए व्यापक पैमाने पर शिक्षकों का प्रावधान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में बुनियादी परिवर्तन लाना, शिक्षक प्रशिक्षण के इंटर्नशिप माडल का विकास।

18. शैक्षिक विकास के लिए पृथक–पृथक लक्ष्य निर्धारित करना, और उसी आधार पर कार्यक्रम तैयार करना।

19. विकेन्द्रीकृत स्कूली प्रबंधन और सुधार के लिए मार्गदर्शी आधार पर शैक्षिक परिसरों की स्थापना करना।

20. केन्द्रीय और राज्य स्तर पर परिषद् के सदस्यों की सहभागिता, विशेषकर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में।

21. शैक्षिक कार्यक्रम में स्वैच्छिक एजेंसियों की उनके कार्य संबंधी पारदर्शिता के सुनिश्चिय सहित महत्वपूर्ण किन्तु सुविचारित सहभागिता।

22. मंत्रालय स्तर से लेकर निचले स्तर तक सहयोग और सेवाओं का अभिसरण।

23. कमजोर वर्गों के लिए रिआयतों और छात्रवृत्तियों को जारी रखते हुए उच्च शिक्षा के लिए शुल्कों में वृद्धि करके शिक्षा के लिए आंतरिक संसाधनों को बढ़ाना, ऋण की सुविधाओं का प्रावधान करना, शैक्षिक आधारभूत ढांचे के विकास के लिए निर्धारित अवधि के लिए ऋण प्रदान करने वाले संस्थानों की सहभागिता, छात्रवृत्तियों की योजनाओं को युक्तियुक्त बनाना, और इन सबसे बढ़कर कोठारी आयोग के समय से ही संस्तुत 6% के मानदंड की भी पर्याप्तता की दृष्टि से जांच करते हुए सकल राष्ट्रीय उत्पादन की प्रतिशतता के रूप में शिक्षा के लिए आवंटनों में पर्याप्त वृद्धि लाना।

24. विधि आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में शिक्षकों और विद्यार्थियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करना, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाओं में विद्यार्थियों को विरोध करने का अधिकार, शिक्षा जगत के भीतर और बाहर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शिक्षकों और विद्यार्थियों की सहभागिता।

25. नवोदय विद्यालयों के भविष्य पर निम्नलिखित तीन विकल्पों के संदर्भ में सरकार द्वारा निर्णय लिया जा सकता है :

(i) स्कूलों की संख्या को पहले से ही चल रहे 261 स्कूलों तक सीमित रखना और उन्हें चलाने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करना जैसाकि योजना को अनुमोदन प्रदान करने के सरकारी निर्णय में मूल रूप से परिकल्पना की गई है।

(ii) योजना को राज्य क्षेत्र में हस्तांतरित करना तथा इसे आन्ध्र के आवासीय स्कूलों के मॉडल के अन्तर्गत कार्यान्वित करना जिसके अन्तर्गत विद्यार्थियों से शुल्क कतिपय आर्थिक मानदण्ड के आधार पर लिए जाते हैं।

(iii) इसी योजना को विस्तृत रूप में प्रतिभा तैयार करने तथा प्रगति के लिए आदर्श स्थापित करने के नवोदय विद्यालय कार्यक्रम के रूप में परिवर्तित करना।

भोगाधिकार सहभागिता के आधार पर नष्ट वनों को विकसित करना

5981. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन् :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अनुसूचित जातियों और ग्रामीण निर्धनों की भोगाधिकार सहभागिता के आधार पर नष्ट वनों को विकसित करने संबंधी संघ की योजना को कार्यान्वित करने में हुई किसी प्रगति की जानकारी प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). जी, हां। स्कीम के कार्यान्वयन के प्रथम दो वर्षों अर्थात् 1992–93 और 1993–94 के दौरान इस मंत्रालय ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में 19 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के लिए कुल 1,86,93,700/– रुपए रिलीज किए गए और अवकृमित वनों के पुनरुद्धार के लिए इसमें कवर किए जाने वाला क्षेत्र 7781 हेक्टेयर हैं जिससे आदिवासियों तथा निर्धन ग्रामीणों के 5009 परिवारों को लाभ पहुंचेगा।

हिमाचल एक्सप्रेस में वातानुकूलित शयन यान जोड़ना

5982. **प्रो. प्रेम धूमल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली और उना के बीच चलने वाली हिमाचल एक्सप्रेस में वातानुकूलित शयन यान/वातानुकूलित कुर्सी यान जोड़ने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) जांच की गई है परन्तु वातानुकूलित सवारी डिब्बों की कमी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया।

उपनगरीय परिवहन प्रणाली

5983. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्करलु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपनगरीय परिवहन प्रणाली का वित्तपोषण करने के लिए रेल सम्पत्ति का विकास करने की क्षमता का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वित्तपोषण की इस योजना के अंतर्गत दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा किस उपनगरीय परिवहन प्रणाली को शुरू किया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं। ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कर्मचारियों की छंटनी

5984. **डा- साक्षीजी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1993–94 की तुलना में 1994–95 के दौरान कम वैगनों का क्रय करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप इस उद्योग में लगे कर्मचारियों की छंटनी की जायेगी; और

(ग) क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना बनाई है जिससे कर्मचारियों की छंटनी न करनी पड़े ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) उद्योग मंत्रालय से यह पता लगाया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र की मालडिब्बा बनाने वाली इकाइयों में कोई छंटनी नहीं हुई है। निजी क्षेत्र की इकाइयों के कर्मचारियों की छंटनी के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को जापानी संचार प्रौद्योगिकी

5986. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कैम्पस में जापान से अनुदान सहायता के अंतर्गत संचार प्रौद्योगिकी में एक अत्याधुनिक प्रणाली स्थापित किये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शिक्षा के प्रसार में इस सुविधा से क्या–क्या लाभ प्राप्त होंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). जी, हां। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार "इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शैक्षिक माध्यम उत्पादन सुविधाओं में सुधार" परियोजना को जापान सरकार की जापान अंतर्राष्ट्रीय सहकारी एजेंसी द्वारा लगभग 47 करोड़ रू. की कुल लागत की राशि प्रदान की जा रही है।

इस परियोजना में मुख्यतः दो श्रव्य/दृश्य स्टूडियों का निर्माण एवं संबंधित तकनीकी क्षेत्र और उन्हें अत्यधिक आधुनिक उत्पादन उपकरणों से सज्जित करना शामिल है। यह परियोजना, बेहतर कोटि के शैक्षिक दृश्य/श्रव्य कार्यक्रमों के उत्पादन में विश्वविद्यालय की क्षमता को सुदृढ़ करेगी और इस प्रकार सारे देश में शिक्षा के व्यापक प्रसार में सहायता करेगी।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रावास सुविधा

5987. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रों के लिए छात्रावास सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सुविधायुक्त विद्यालयों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सुविधा, शिक्षकों, महिला शिक्षकों और इन विद्यालयों के अन्य कर्मचारियों को भी उपलब्ध करायी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). केवल निम्नलिखित केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध हैं :

क्रम संख्या	**राज्य**	**केन्द्रीय विद्यालय का नाम**
1.	बिहार	जवाहर नगर
2.	हरियाणा	झज्जर
3.	कर्नाटक	ए.एस.सी., बेंगलूर
4.	मध्य प्रदेश	पंचमढ़ी
5.	महाराष्ट्र	किर्की, पुणे, वी.एस.एन. नागपुर
6.	पंजाब	1. संख्या 1, फिरोजपुर कैंट
		2. संख्या 1, जालंधर कैंट
7.	मद्रास	आई.आई.टी. मद्रास
8.	उत्तर प्रदेश	1. वी.के.वी. गाजियाबाद
		2. लैंसडाउन
9.	दिल्ली	संख्या 1, दिल्ली कैंट

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

त्रिभाषा फार्मूला

5988. **श्री एन. डेनिस : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य अपने राज्यों में त्रि–भाषा फार्मूला कार्यान्वित कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). तमिलनाडु को छोड़कर शेष सभी राज्यों ने सैद्धांतिक रूप से त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार कर लिया है। त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन के मामले में केन्द्र सरकार की भूमिका सिफारिश करने की ही है। त्रिभाषा सूत्र के शीघ्रता से निष्ठापूर्ण कार्यान्वयन के लिए कारगर कदम उठाने हेतु राज्य सरकारों से समय समय पर आग्रह किया जाता रहा है।

राष्ट्रीय बीज परियोजना तृतीय चरण

5989. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक की सहायता से देश में राष्ट्रीय बीज परियोजना तृतीय चरण किस तारीख को शुरू की गयी थी;

(ख) यह परियोजना किन–किन राज्यों में लागू की जा रही है और इसके अंतर्गत क्या–क्या कार्यक्रम चल रहे हैं;

(ग) उपरोक्त परियोजना के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं;

(घ) इस संबंध में अब तक राज्य–वार कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) आन्ध्र प्रदेश में किन–किन कार्यक्रमों को लागू किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण-III को 237.01 करोड़ रूपये की कुल लागत से मार्च, 1990 में शुरू किया गया है जिसमें 150 मिलियन अमरीकी डालर की विश्व बैंक कम सहायता भी शामिल है।

(ख) इसमें भाग लेने वाले राज्यों की संख्या 12 है जहां परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है – जैसे आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल। इस परियोजना के अंतर्गत 12 राज्यों के बीज निगमों को अपनी कार्य–क्षमता में सुधार लाने के लिए दी जाने वाली सहायता के अलावा, इन राज्यों की बीज प्रमाणीकरण एजेंसियों (पश्चिम बंगाल को छोड़कर जहां ऐसी कोई एजेन्सी नहीं है) मजबूत बनाने की परिकल्पना की गई है।

(ग) राष्ट्रीय बीज परियोजना-III के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं :

(I) उपयुक्त किस्मों के प्रमाणीकृत/गुणवत्ता वाले बीजों को समय पर उचित कीमत पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता को सुनिश्चित करके किसानों को मदद देना।

(II) राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के सार्वजनिक क्षेत्र के बीज निगमों की कार्यक्षमता में सुधार लाना ताकि उन्हें आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य बनाया जा सके; और

(III) पर्याप्त संस्थागत वित्तीय सहायता के माध्यम से निजी क्षेत्र के बीज उद्योगों के विकास के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दे दिया गया है।

(ङ) राष्ट्रीय बीज परियोजना-III के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश में कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं :

(I) आन्ध्र प्रदेश राज्य बीज विकास निगम को पुनर्संरचना करते हुए इसे वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर और लाभप्रद संगठन बनाना। सर्वस्वीकृत कार्ययोजना का क्रियान्वयन करने के लिए निगम को 376 लाख रूपये की धनराशि प्रदान की गई है।

(II) बुनियादी सुविधाओं का विकास करके राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेन्सी को सृदृढ़ करना। इस उद्देश्य के लिए इस एजेन्सी को 110 लाख रूपये की राशि प्रदान की गयी है।

विवरण

राष्ट्रीय बीज परियोजना-III

क्रियान्वयन की प्रगति

राज्य		प्रगति
(क) राज्य बीज निगम		
चरण–I	(1) आन्ध्र प्रदेश	इन निगमों को सर्वस्वीकृत कार्ययोजनाओं को अंतिम रूप दे
	(2) गुजरात	दिया गया है और वे अपने क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों
	(3) उत्तर प्रदेश	में हैं। इस परियोजना के अंतर्गत इन संगठनों को आवश्यक
		धनराशि प्रदान कर दी गयी है।
चरण–II	(1) असम	जहां तक कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का संबंध है,
	(2) कर्नाटक	सर्वस्वीकृत कार्ययोजना को अंतिम रूप देने के साथ नैदानिक
	(3) मध्य प्रदेश	अध्ययन पूरा कर लिया गया है तथा कार्यान्वयन की प्रक्रिया

	(4) महाराष्ट्र (5) पश्चिम बंगाल	आरंभ कर दी गई है। इस परियोजना के अंतर्गत इन निगमों को आवश्यक धनराशि जारी कर दी गयी है। असम और मध्य प्रदेश के मामले में नैदानिक अध्ययन पूरा कर दिया गया है।
चरण–III	(1) हरियाणा (2) उड़ीसा (3) बिहार (4) राजस्थान	हरियाणा और उड़ीसा के लिए प्रचालन परामर्शदाताओं का चयन और नियुक्ति पहले ही कर ली गयी है। राजस्थान और बिहार के मामले में इन निगमों का नैदानिक अध्ययन कराने के लिए प्रचालन परामर्शदाताओं के चयन की प्रारम्भिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

(ख) राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेन्सियाँ

(क) आन्ध्र प्रदेश, असम, हरियाणा गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश उड़ीसा और उत्तर प्रदेश	इन राज्यों की राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेन्सियों की गुणवत्ता नियंत्रण संरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए इनका चयन पहले ही किया जा चुका है और इस परियोजना के तहत आवश्यक धनराशि जारी कर दी गयी है।
(ख) बिहार तथा राजस्थान	इन एजेंसियों के प्रस्तावों को संबंधित एजेन्सियों द्वारा अद्यतन किया जा रहा है।

जराईकेला स्टेशन पर उपरिपुल

5990. **कुमारी फ्रिडा तोपनो** : क्या रेल मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दो आदिवासी महिलायें जराईकेला रेलवे स्टेशन पर गीतांजलि एक्सप्रेस के नीचे आकर मर गयीं;

(ख) यदि हां, तो पीड़ितों के आश्रितों को मुआवजे की कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ग) क्या सरकार का उक्त स्टेशन पर एक उपरिपुल का निर्माण करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस निर्माण के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है और निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गयी है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) इस दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजे के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह दुर्घटना रेल अधिनियम 1989 के खंड 124 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आती।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चावल का विकास

5991. **श्री तेज नारायण सिंह :**

श्री ब्रह्मानंद मंडल :

प्रो. पी. जे. कुरियन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में समेकित चावल विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस समय यह कार्यक्रम किन किन जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ग) प्रत्येक राज्य में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के बाद क्या उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं;

(घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को 1993–94 के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा 1994–95 के दौरान कितनी धनराशि आंबटित की जा रही है;

(ङ) क्या इसे और जिलों में भी कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) तथा (ख). 1990–91 से 1993–94 के दौरान क्रियान्वित किये गये समेकित चावल विकास कार्यक्रम (आई.पी.आर.डी.) में संशोधन किया जा रहा है। 1994–95 से चावल आधारित फसल पद्धति क्षेत्रों में समेकित खाद्यान्न विकास कार्यक्रम

(आई.सी.डी.पी.–आर.आई.सी.ई.) नामक इस संशोधन योजना को बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश, असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा, आन्ध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गोआ राज्यों और पाण्डिचेरी संघ शासित क्षेत्र के अभिज्ञात ब्लाकों में क्रियान्वित किये जाने का विचार है।

(ग) समेकित चावल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले राज्यों में चावल की उपज के रूप में प्राप्त उपलब्धियों का एक ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले राज्यों को 1993–94 के दौरान भारत सरकार के हिस्से के रूप में आवंटित की गयी धनराशि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। 1994–95 के लिए धनराशि का आवंटन समेकित खाद्यान्न विकास कार्यक्रम–चावल के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार चलाये जाने वाले ठोस कार्यक्रमों पर निर्भर करता है।

(ङ) तथा (च). समेकित खाद्यान्न विकास कार्यक्रम–चावल नामक इस संशोधित योजना को 16 राज्यों और संघ राज्य पाण्डिचेरी के अभिज्ञात ब्लाकों में क्रियान्वित करने का विचार है।

विवरण-I

राज्यवार औसत चावल उपज

(चावल उपज कि० है०)

राज्य		1989–90/1990–91* को समाप्त तीन वर्ष का औसत	1992–93 को समाप्त होने वाले तीन वर्ष का औसत
1.	आन्ध्र प्रदेश	2379	2469
2.	अरूणाचल प्रदेश	1147×	1095@
3.	असम	1124	1286
4.	बिहार	1107	937
5.	गोआ	2347	2549@
6.	गुजरात	1321	1337
7.	हरियाणा	2501	2729
8.	हिमाचल प्रदेश	977	1306

1	2	3	4
9.	जम्मू और कश्मीर	1936	2226
10.	कर्नाटक	1973	2217
11.	केरल	1770	2006
12.	मध्य प्रदेश	901	1085
13.	महाराष्ट्र	1507	1488
14.	मणिपुर	1634×	1968@
15.	मेघालय	1053×	1163@
16.	मिजोरम	1141×	1326@
17.	नागालैण्ड	1148×	1277@
18.	उड़ीसा	1183	1375
19.	पंजाब	3156	3380
20.	तमिलनाडु	2944	3005
21.	त्रिपुरा	1689	1830@
22.	उत्तर प्रदेश	1619	1796
23.	पश्चिम बंगाल	1840	2053
24.	पाण्चिरी	2327	2498@

× समेकित चावल विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के पूर्व 1990–91 को समाप्त चार वर्ष के लिए

@ 1991–92 और 1992–93 के दो वर्षों का औसत।

विवरण-II

(केन्द्रीय शेयर के तौर पर रूपये लाख में)

राज्य	1993–94 के सं. चा. वि. का. के अंतर्गत आवण्टित धनराशि	1994–95 के लिए आई. सी. डी. पी. चावल के लिए आवंटित कोष
आन्ध्र प्रदेश	846.340	×
अरूणाचल प्रदेश	9.667	×

1	2	3
असम	141.483	×
बिहार	524.224	×
गोवा	6.578	×
गुजरात	119.543	आई.सी.डी.पी.—मोटे अनाज के तहत शामिल
हरियाणा	258.692	आई. सी. डी. पी.—गेहूं के तहत शामिल
हिमाचल प्रदेश	20.882	आई. सी. डी. पी.— गेहूं के तहत शामिल
जम्मू व कश्मीर	22.982	आई. सी. डी. पी. — गेहूं के तहत शामिल
केरल	150.632	×
कर्नाटक	166.854	आई. सी. डी. पी. मोटे अनाज के तहत शामिल
मध्य प्रदेश	390.926	×
महाराष्ट्र	323.807	आई. सी. डी. पी. — मोटे अनाज के तहत शामिल
मणिपुर	12.892	×
मेघालय	7.485	×
मिजोरम	19.516	×
नागालैण्ड	22.831	×
उड़ीसा	228.889	×
त्रिपुरा	28.129	×
तमिलनाडु	571.233	×
पंजाब	479.640	आई. सी. डी. पी. — गेहूं के तहत शामिल
पाण्डिचेरी	14.10	×
उत्तर प्रदेश	1043.429	×
पश्चिम बंगाल	219.064	×

× राज्यों से प्रस्ताव/विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन

5992. **श्री जंगबीर सिंह : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेवाड़ी–हिसार–भटिंडा रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है;

(ख) क्या निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अब तक कार्य–निष्पादन में कुछ विलंब हुआ है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) 60%

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बंगलौर और चित्रदुर्ग के बीच सीधी रेल लाइन

5993. **श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर और चित्रदुर्ग के बीच सीधी रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान धनराशि का कोई नियतन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रोजगारोन्मुखी शिक्षा

5994. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर अथवा कालेज स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को रोजगार देने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). विद्यार्थियों को मजदूरी या स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाने हेतु उनमें रोजगार संबंधी कुशलताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ की गई माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आगामी शैक्षिक सत्र से प्रथम डिग्री स्तर पर कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरूआत करने के लिए एक योजना आरंभ की है।

भारत महोत्सव

5995. **श्री के. प्रधानी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी भारत महोत्सव किस देश में आयोजित किया जायेगा;

(ख) इस महोत्सव के आयोजन की निर्धारित तिथि क्या है; और

(ग) इसकी तैयारियों का ब्यौरा क्या है और इस पर अनुमानतः कितनी राशि व्यय होगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) आगामी भारत महोत्सव चीन में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) चीन में भारत महोत्सव का उद्घाटन 9 मई, 1994 को बीजिंग में किया जाएगा।

(ग) महोत्सव के घटकों–प्रदर्शन कलाओं, प्रदर्शनियों, फैशन शो, फिल्मोत्सव व साहित्यिक सेमिनारों– को अन्तिम रूप दे दिया गया है, कार्यान्वयन एजेंसियों का निर्धारण करके आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। महोत्सव के लिए अनुमानित व्यय लगभग 3.5 करोड़ रूपये का है।

नींबू का उत्पादन

5996. **श्री प्रकाश वी. पाटिल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन राज्यों में नींबू का उत्पादन होता है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में नींबू का कुल कितना वार्षिक उत्पादन हुआ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान नींबू की कुल कितनी खपत हुई; और

(घ) नींबू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) नींबू का उत्पादन सम्पूर्ण देश में हो रहा है। फिर भी, नींबू के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं—आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश।

(ख) नींबू के उत्पादन के संबंध में अलग से सांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित नहीं किय जाते हैं। बहरहाल, 1991–92 के दौरान हुए राज्यवार उत्पादन का एक मोटा अनुमान संलग्न विवरण में यिा गया है।

(ग) सम्पूर्ण नींबू उत्पादन की खपत देश में ही हो जाती है। केवल बहुत थोड़ी मात्रा में संसाधित नींबू फलों का निर्यात किया जाता है।

(घ) केन्द्र सरकार आठवीं योजनावधि के दौरान समशीतोष्ण, उष्ण–कटिबन्धीय और शुष्क क्षेत्रीय फलों के लिए समेकित विकास की एक योजना का क्रियान्वयन कर रही है, जिसमें नींबू भी शामिल है। कुछ प्रमुख कार्यक्रम हैं—निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में नर्सरियों की स्थापना करके गुणवत्ता वाले पौध रोपण सामग्रियों का उत्पादन करना, क्षेत्र विस्तार करना, पुररुद्धार के माध्यम से उत्पादकता में सुधार लाना, प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण। इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी विकास बोर्ड फलों को तोड़े जाने के पश्चात् जिसमें नींबू भी आते हैं, रख–रखाव के लिए सहायता भी प्रदान कर रही है।

विवरण

नींबू उत्पादक राज्य

		1991-92 उत्पादन मीटरी टन में
1.	आन्ध्र प्रदेश	15504
2.	अरूणाचल प्रदेश	517*
3.	असम	15000
4.	बिहार	168960*
5.	गुजरात	123000*
6.	हरियाणा	32630*
7.	हिमाचल प्रदेश	7742*

1	2	3
8.	जम्मू और कश्मीर	16318*
9.	कर्नाटक	307079*
10.	मध्य प्रदेश	26000**
11.	महाराष्ट्र	68848
12.	मणिपुर	2200
13.	मिजोरम	1136
14.	नागालैण्ड	1860*
15.	उड़ीसा	60400*
16.	पंजाब	5665*
17.	राजस्थान	19545
18.	तमिलनाडु	91674
19.	त्रिपुरा	5350
20.	उत्तर प्रदेश (पहाड़ी)	56000*
21.	उत्तर प्रदेश (मैदानी)	2003*
22.	चण्डीगढ़	175*
23.	दिल्ली	160
24.	पाण्डिचेरी	620

* नींबू सहित खट्टे फलों के उत्पादन के आंकड़े

** नींबू के उत्पादन के आंकड़े।

लड़कियों को बेचा और खरीदा जाना

5997. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हमारी युवा लड़कियों को विश्व बाज़ार में बेचे और खरीदे जाने से सम्बन्धित समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या हैदराबाद में ऐसा देह–व्यापार बढ़ता जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासव राजेश्वरी) : (क) और (ख). मध्य–पूर्व देशों से बड़ी उम्र के अपात्र पुरुषों के, अवयस्क लड़कियों के साथ विवाह के मामलों की कुछ रिपोर्टें सरकार को मिली हैं। ये लड़कियां अधिकांशतः हैदराबाद की प्रतीत होती हैं।

(ग) गरीबी तथा कौशल एवं संसाधनों की अप्राप्ति ही इस प्रकार के शोषण की संभावना का मुख्य कारण है। अतः विभाग ने वर्ष 1991–92 तथा 1992–93 में एक कार्यक्रम शुरू किया, ताकि ऐसे परिवारों की विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित किशोर लड़कियों का पता लगाया जा सके तथा उन्हें गैर–सरकारी संगठनों की मार्फत पारिश्रमिक रोजगार तथा स्वः रोजगार प्रदान किया जा सके। 73.22 लाख रूपए की लागत से 1,780 लड़कियों को गैर–पारम्परिक क्षेत्रों जैसे कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग, सचिवालय पद्धति, टेक्सटाइल डिजाइनिंग इत्यादि में 32 परियोजनाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। देश में आप्रवासन प्राधिकारियों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वयोवृद्ध पुरूषों, विशेष रूप से मध्य–पूर्व देशों के पुरुषों के साथ पत्नी के रूप में विदेश जाने वाली अवयस्क लड़कियों के यात्रा संबंधी दस्तावेजों की जांच करते समय अधिक सर्तक रहें, ताकि उनकी आयु संबंधी जाली/कपटपूर्ण प्रविष्टि का पता लगाया जा सके।

चीनी का उत्पादन

5998. **श्री मोहन सिंह (देवरिया) :** क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1994–95 के दौरान चीनी का अनुमानित उत्पादन, मांग और आपूर्ति कितनी–कितनी है; और

(ख) चीनी के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के

लिए चीनी उद्योग के लिए विकास कार्यक्रम तैयार करने हेतु गठित समिति ने देश में 1994–95 चीनी मौसम के लिए चीनी के उत्पादन का 134.13 लाख टन तथा चीनी की घरेलू खपत का 132.73 लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया था।

(ख) चीनी की आवश्यकता को पूरा करने हेतु चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए नई चीनी मिलों तथा विस्तार परियोजनाओं को लाइसेंस दिए गए हैं। चीनी उत्पादन से संबंधित लाइसेंसशुदा क्षमता जो 30.9.1993 को 176.7225 लाख टन थी वह 31.3.1994 तक बढ़कर 199.9979 लाख टन हो गई है। नई चीनी मिलों की स्थापना तथा विस्तार परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना भी तैयार की गई तथा इसे 10.3.1993 को जारी कर दिया गया है।

पुराने सवारी डिब्बों को बदलना

5999. **श्री प्रवीन डेका : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर सीमान्त रेल के गुवाहाटी तिनसुखिया मार्ग पर गाड़ियों में प्रयुक्त किये जाने वाले पुराने और जीर्ण–शीर्ण सवारी डिब्बों और इंजनों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या ऐसे सवारी डिब्बों को चरणबद्ध ढंग से बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) लमडिंग–तिनसुकिया खंड में चलाए जा रहे 102 सवारी डिब्बों में से 10 सवारी डिब्बे गतायु हैं जिनमें से 2 जीर्ण–शीर्ण हालत में हैं।

(ख) और (ग). जी हां। सवारी डिब्बों का बदलाव एक सतत प्रक्रिया है जो सवारी डिब्बों की आयु एवं हाल पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

मिस्र के साथ सांस्कृतिक संबंध

6000. **श्रीमती शीला गौतम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मिस्र के साथ सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान दोनों देशों के बीच कितने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आदान–प्रदान किया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). भारत और मिस्र ने एक सांस्कृतिक करार पर 1958 में हस्ताक्षर किए थे और इसके अनुसरण में, कई कार्यकारी सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम संपन्न करके उन्हें कार्यान्वित किया गया। सांस्कृतिक विनियमों में शिक्षा, कला और संस्कृति, युवा खेल–कूद कार्यक्रमों, जन संचार माध्यमों और पर्यटन एवं प्रदर्शनियों के क्षेत्र में विशेषज्ञों, अध्येताओं, कलाकारों, खिलाड़ियों, युवकों और पत्रकारों के विनिमय की परिकल्पना की गई है।

वर्तमान सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत मिस्र में मार्च, 1994 के दौरान "भारतीय संस्कृति के दिवसों" का आयोजन किया गया, जिनमें प्रदर्शन कलाएं, फिल्मोत्सव और प्रदर्शनियां शामिल थीं।

(ग) कार्यक्रम की वैधता के दौरान दोनों देशों के बीच होने वाली अनेक सांस्कृतिक विनिमय पारस्परिक परामर्श के जरिए तय किए जाते हैं।

पशुधन विकास परियोजनाएं

6001. **श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कृत्रिम गर्भाधान एकक स्थापित करने संबंधी एक कार्य योजना प्रस्तुत की है जिसके अंतर्गत प्रशीतित वीर्य रखने की सुविधा, द्रवित वीर्य प्रयोग केन्द्र, नियंत्रित पशु प्रजनन कार्यक्रम, मुर्गीपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने और उसका विपणन करने तथा चारा विकास कार्यक्रम होंगे; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशीतित वीर्य सुविधा, द्रवित वीर्य प्रयोग केन्द्र, नियंत्रित पशु प्रजनन कार्यक्रम, मुर्गीपालन क्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण से युक्त कृत्रिम गर्भाधान एकक स्थापित करने और उसकी विपणन प्रणाली तथा चारा विकास कार्यक्रम के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत की है।

(ख) कृत्रिम गर्भाधान एकक की स्थापना के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए लागत अनुमानों के वास्तविक न होने के कारण निधियां निर्युक्त नहीं की जा सकीं। इसी प्रकार गहन मुर्गीपालन विकास कार्यक्रम के लिए भी कोई निधि निर्मुक्त नहीं की गई क्योंकि ऐसे कार्यक्रम को सहायता देने की कोई केन्द्रीय प्रायोजित योजना नहीं है। तथापि मध्य प्रदेश सरकार को चारा विकास के लिए 15,000 मिनीकिटों की आपूर्ति की गई।

| अनुवाद |

चल खाद्य और पोषाहर संवर्धन एकक

6002. **श्री मोहन रावले :**

श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा :

क्या **मानव संसाधन विकास विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चल खाद्य और पोषण संवर्धन एककों की मौजूदा स्थान–वार संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार का विचार भविष्य में और एककों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक जिले में ऐसे एककों की स्थापना कब तक कर दी जाएगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासव राजेश्वरी) : (क) वर्तमान में 43 सामुदायिक खाद्य और पोषाहार विस्तार एकक हैं जो कि अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, बम्बई, कलकत्ता, चण्डीगढ़, अर्नाकुलम, फरीदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हिसार, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, लखनऊ, लुधियाना, मद्रास, मदुरई, मण्डी मंगलौर, नागपुर, पणजी, पटना, पांडिचेरी, पोर्टब्लेयर, पुणे, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, सिलवासा, तिरूवांथापुरम्, उदयपुर, वलसाड़, विजयवाड़ा व विशाखापट्नम् में एक–एक तथा दिल्ली में तीन एकक स्थित हैं।

(ख) से (घ). भविष्य में विभिन्न राज्यों में और अधिक एकक स्थापित करना प्रतिवर्ष उपलब्ध होने वाले बजट प्रावधान पर निर्भर करता है।

| हिन्दी |

शयनयान श्रेणी

6003. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शयनयान श्रेणी के टिकट प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दिन के समय में शयनयान श्रेणी में कम दूरी के यात्रियों के चलने पर जुर्माना करने का क्या औचित्य है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख). उन सभी रेलवे स्टेशनों पर जहाँ शयनयान दर्जे के लिए आरक्षण कोटा आबंटित किया गया है, शयनयान दर्जे की टिकटें उपलब्ध हैं।

(ग) पूर्णतः आरक्षित डिब्बे में लम्बी दूरी के यात्रियों की यात्रा को और अधिक आरामदायक और सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलों पर 1.4.93 से शयनयान दर्जा शुरू किया गया था। शयनयान दर्जे के डिब्बों में केवल उन्हीं यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति है जिनके पास उस दर्जे के टिकट हों। चूंकि शयनयान दर्जा दूसरे दर्जे से उच्चतर है इसलिए दूसरे दर्जे के टिकट पर यात्रा करते हुए पाए जाने वाले यात्रियों से जुर्माना वसूल किया जा सकता है।

[अनुवाद]

मानखुर्द-बेलापुर रेल लाइन का पनवेल तक विस्तार

6005. **प्रो. राम कापसे : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र से मानखुर्द बेलापुर रेल लाइन को पनवेल तक बढ़ाने और बेकापुर–न्हावा–शेवा–उरान के बीच रेल लाइन बिछाने के प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन कामों के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). **(i) मानखुर्द-बेलापुर लाइन को पनवेल तक बढ़ाना**

परियोजना के चल–स्टाक सहित बेलापुर–पनवेल नई लाइन (10.9 कि. मी.) की अनुमानित लागत 239.00 करोड़ रुपये है। इस योजना के लिए धन की व्यवस्था करने के संबंध में प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य सरकार को भेज दिया गया है। उनका उत्तर प्राप्त होने के बाद इस परियोजना पर आगे विचार किया जाएगा।

(ii) **बेलापुर-न्हावा-शेवा-उरान रेल लाइन का निर्माण**

संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रेल इंजन कारखाने

6006. **श्री राम नाईक : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में रेल इंजन कारखाने कौन–कौन से हैं और ये कहां–कंहा स्थित हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक कारखाने की क्षमता कितनी है और 1991–94 के दौरान कितनी क्षमता का उपयोग किया गया; और

(ग) उक्त कारखानों की अधिकतम क्षमता का उपयोग करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जहां से भारतीय रेलों द्वारा रेल इंजन खरीदे जा रहे हैं, उन रेल इंजन कारखानों के नाम और स्थान इस प्रकार हैं :

रेलवे क्षेत्र

(i) चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना–चितरंजन (पश्चिम बंगाल)

(ii) डीजल रेल इंजन कारखाना–वाराणसी (उ. प्र.)

सार्वजनिक क्षेत्र

(i) भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड–झांसी (उ. प्र.)

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रत्येक कारखाने की क्षमता का इष्टतम उपयोग किया जा रहा है।

विवरण

भारतीय रेल उत्पाद–कारखानों और भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के रेल इंजनों का उत्पादन क्षमता–लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन इस प्रकार रहा है :–

कारखाने का नाम	रेल इंजनों की किस्म	1991–92		1992–93		1993–94	
		ल.	वा.	ल.	वा.	ल.	वा.
चितरंजन रेल इंजन कारखाना, चितरंजन (पश्चिम बंगाल)	बिजली	105	115	120	125	135	140
	डीजल	44	45	30	30	–	–
डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	डीजल	150	150	145	151	150	152

1	2	3	4	5	6	7	8
भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स, लिमिटेड, झांसी (उत्तर प्रदेश)	बिजली	12 (*)	12	12 (*)	12	18 (')	12

टिप्पणी : ल. – लक्ष्य

वा. – वास्तविक

(*) यह भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड के लिए आदिष्ट मात्रा की सूचक है।

[हिन्दी]

पाटलिपुत्र एक्सप्रेस में वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के सवारी डिब्बे

6007. **श्री साईमन मरांडी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना और रांची के बीच चलने वाली पाटलिपुत्र एक्सप्रैस और टाटा–पटना एक्सप्रैस से प्रथम श्रेणी और वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के सवारी डिब्बों को हटा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इन दोनों गाड़ियों में इन सवारी डिब्बों को पुनः लगाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख). रेलों के एकीकरण सहित परिचालनिक कारणों से टाटा–पटना एक्सप्रेस गाड़ी से एक पहला दर्जा कुर्सीयान और पाटलीपुत्र एक्सप्रेस गाड़ी से एक पहला दर्जा सवारी डिब्बा तथा एक पहला एवं दूसरा दर्जा सवारी डिब्बा हटा लिए गए हैं।

(ग) और (घ). चूंकि पहले दर्जे के सवारी डिब्बों का उत्पादन अब बंद कर दिया गया है, इसलिए इन सवारी डिब्बों की अत्यधिक कमी के कारण उपर्युक्त सवारी डिब्बों को पुनः लगाना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

बाज़ार हस्तक्षेप

6008. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी रबी के मौसम में कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा प्रभावी बाजार हस्तक्षेप सुनिश्चित करने हेतु नई दिल्ली में केन्द्र और राज्य निगम विपणन संघ तथा तिलहन उत्पादक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारियो की कोई बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या–क्या मुख्य निर्णय लिए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने प्रभावी बाजार हस्तक्षेप सुनिश्चित करने हेतु कोई नीति बनायी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सबधी ब्यारा क्या ह ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) चुनिन्दा तिलहनों और दलहनों के सम्बंध में मूल्य समर्थन कार्य करने वाली नोडल एजेन्सी भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) ने राज्य सहकारी विपणन संघों तथा तिलहन उत्पादक संघ के मुख्य कार्यकारियों की बैठक बुलायी।

(ख) से (घ). इस बैठक में खरीफ तिलहनों और दलहनों की फसल सम्भावनाओं की समीक्षा की गई थी। जब मूल्य समर्थन कार्यों की आवश्यकता पड़े तो तिलहनों और दलहनों की अधिप्राप्ति के लिए परिचालनात्मक व वित्तीय प्रबन्धों को अन्तिम रूप दिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विशिष्ट अच्छी औसत गुणवत्ता वाले तिलहनों और दलहनों के मूल्य समर्थन मूल्यों से कम न हों तथा किसान आपद बिक्री से बच सकें।

[अनुवाद]

गंजम रेलवे स्टेशन पर उपरिपुल

6009. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में गंजम रेलवे स्टेशन पर एक उपरिपुल बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसका अभी तक निर्माण न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस उपरिपुल के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

दुर्घटना के कारणों की जांच संबंधी समिति

6010. **श्री एन. जे. राठवा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने मई 1992 में रेल दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने के लिए कोई समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इन समितियों ने अपनी अपनी रिपोर्टें दे दी हैं;

(ग) यदि हां, तो उनमें क्या सुझाव दिए गए हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) यदि नहीं, तो ये रिपोर्टें कब तक प्रस्तुत कर दी जायेगी; और

(ङ) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं। गाड़ी दुर्घटनाओं के समूचे परिप्रेक्ष्य की समीक्षा और जांच करने तथा गाड़ियों के सुरक्षित चालन तथा दुर्घटनाओं की रोकथाम करने के उपाय सुझाने के लिए पिछली रेल दुर्घटना जाचं समिति न्यायाधीश एस. एम. सीकरी की अध्यक्षता में 1978 में गठित की गई थी।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ता संरक्षण

6011. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण को मजबूती प्रदान करने तथा इसे बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों पर कार्यक्रमवार प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार अंशकालिक राज्य आयोग तथा जिला मंच को बदलकर पूर्णकालिक कर दिया गया है। चंडीगढ़ उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं। उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए प्रशासन उपभोक्ता संगठनों के सहयोग से उपभोक्ता मेलों का भी आयोजन कर रहा है, जहां उपभोक्ता संरक्षण के बारे में उपभोक्ताओं को साहित्य भी वितरित किया जाता है।

(ख) 1991–92 से 1993–94 तक चंडीगढ़ प्रशासन ने उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित राशि व्यय की है :

वर्ष	व्यय
1991–92	5.92 लाख रू.
1992–93	7.15 लाख रू.
1993–94	10.77 लाख रू.

शोलापुर-होटगी-बीजापुर लाइन का आमान परिवर्तन

6012. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शैक्षिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का एक स्थान होने की दृष्टि से शोलापुर–होटगी–बीजापुर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम आरम्भ कर लिया गया है या आरम्भ किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो 1993–94 और 1994–95 के दौरान इस कार्य के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं; और

(ग) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हाँ।

(ख) 1994–95 के लिए एक करोड़ रु.।

(ग) आमान परिवर्तन का कार्य योजना आयोग की स्वीकृति मिलने के बाद शुरू किया जाएगा।

एर्णाकुलम से त्रिवेन्द्रम तक रेल सेवा

6013. **श्री थाइल जॉन अंजलोज :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिची एक्सप्रेस और शोसवव्णूर यात्री गाड़ी को एलेप्पी तक चलाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) जांच की गई लेकिन परिचालनिक कठिनाइयों तथा संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान

6014. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :**

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पुनैया समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार–विमर्श करने के लिए हाल ही में दो विचार गोष्ठियाँ आयोजित की थीं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस विचार–गोष्ठी में किन–किन नतीजों पर पहुँचा गया;

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). जी, हाँ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निधियाँ देने पर न्यायमूर्ति पुनैया समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार विमर्श करने के लिए 12 व 14 मार्च 1994 को क्रमशः भोपाल व मद्रास में दो क्षेत्रीय सेमिनार आयोजित किए। दोनों सेमिनारों में भाग लेने वाले व्यक्ति केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों के चुनिन्दा कुलपति तथा सम्बंधित मण्डलों के उच्च शिक्षा के सचिव व निदेशक थे। इन सेमिनारों में जो विशिष्ट निष्कर्ष निकाले गए वे नीचे दिए गए हैं :

(I) उच्च शिक्षा को वित्त प्रदान करने के लिए पुनैया समिति की सिफारिशों को सम्पूर्ण पैकेज के रूप में लिया जाना चाहिए।

(II) उच्च शिक्षा की सहायता के लिए राज्य द्वारा निधि दिये जाने को आवश्यक व अनिवार्य आवश्यकता के रूप में जारी रखना चाहिए।

(III) अपने संसाधन बढ़ाने तथा व्यय की सभी मदों पर बचत करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(IV) शिक्षा शुल्क को बढ़ाया जाना चाहिए।

(V) उच्च शिक्षा की सहायता हेतु विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा निर्मित किए गए अतिरिक्त संसाधन अलग रखें जाएं।

(VI) अनुदान परिकलन की यूनिट लागत पद्धति को अधिक युक्तिसंगत आधार पर तैयार किया जाना चाहिए तथा तब तक निधि देने की सामान्य पद्धति अपनाई जाए।

(VII) अध्यापन व गैर–अध्यापन अनुपात, छात्र अध्यापक अनुपात का जैसा कि पुनैया समिति ने तैयार किया है, अनुसरण किया जाए।

(ग) और (घ). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार आयोग ने पुनैया समिति की रिपोर्ट पर, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक में विचार विमर्श करने के अतिरिक्त 2 फरवरी, 1994 को आयोजित आयोग की बैठक में भी विचार विमर्श किया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है समिति की रिपोर्ट उनके विचारों के साथ उस पर विचार विमर्श करने तथा संगत सिफारिशों को अपनाने के लिए केन्द्रीय, राज्य व समविश्वविद्यालयों के कुलपतियों तथा राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को भेज दी गई है।

बायो गैस पर अनुसंधान

6015. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान ने बायो गैस मिश्रित उर्वरक पर कोई अनुसंधान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसकी उपयुक्तता का पता लगाने के लिए कोई परीक्षण कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी हां।

(ख) बायोगैस स्लरी (घोल) के उर्वरक मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए केन्द्रीय कृषि इंजीनियरी संस्थान (सी.आई.ए.ई.), भोपाल में विभिन्न प्रकार की चिकनी मिट्टियों पर 1987–88 से 1991–92 के दौरान गेहूँ और सोयाबीन की फसलों पर क्षेत्र परीक्षण किए गये।

अध्ययन से पता चला कि गेहूँ और सोयाबीन की नाईट्रोजन सम्बंधी 75% जरूरतों को बायोगैस स्लरी के प्रयोग से पूरा किया जा सकता है। इससे अनाज की पैदावार को अधिक क्षति भी नहीं पहुंचती।

(ग) जी, नहीं।

(घ) केन्द्रीय कृषि इंजीनियरी संस्थान की उपलब्धियों को भोपाल जिले के इस्लाम नगर गांव में गेहूं की फसल के लिए क्षेत्र/व्यावहारिक अनुसंधान प्रायोजना परीक्षणों में रखा गया था।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली; पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, असम कृषि विश्वविद्यालय जोरहाट; केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़; राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर और तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर में भी क्षेत्र परीक्षण किए गए। ये परीक्षण अनेक फसलों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, रागी सरसों चुकन्दर तथा कपास पर किए ताकि पैदावार पर बिना प्रतिकूल असर के स्लरी के प्रयोग की अनुकूलतम जरूरतों का पता लगाया जा सके।

[हिन्दी]

सोनपुर में रेलवे साइडिंग

6016. **श्री राम कृपाल यादव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोनपुर स्थित रेलवे साइडिंग को अन्यंत्र ले जाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त साइडिंग को पुनः सोनपुर में स्थापित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) से (घ). सोनपुर रेलवे स्टेशन पर न तो कोई रेलवे साइडिंग थी और न कोई रेलवे साइडिंग है। तथापि, सोनपुर और पहलेजाघाट के बीच एक रेलवे साइडिंग थी जिसे 1985 में यातायात के लिए बंद कर दिया गया था और अंततः 1989 में इसे उखाड़ दिया गया। वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण न होने के कारण इस साइडिंग को पुनः चालू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सुपर बाजार

6017. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 12 महीनों में सुपर बाजार में ग्रोसरी, टायलेट और उपभोक्ता विभाग में कौन–कौन सी नई मदें बिक्री के लिए शामिल की गई हैं;

(ख) इन नई मदों को शामिल करने के क्या कारण हैं जबकि सुस्थापित कम्पनियों की समान मदें पहले से ही सुपर बाजार में उपलब्ध हैं;

(ग) गत 12 महीनों में इन नई मदों की कितने मूल्य की खरीद और बिक्री हुई;

(घ) क्या इस सामान सूची में शामिल मदों की संख्या सुपर बाजर में सामान्य सूची के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बिक्री को देखते हुए अधिक है;

(ङ) यदि हां, तो सामान सूची का ब्यौरा क्या है और सामान सूची में अधिक मदें होने के क्या कारण हैं; और

(च) सामान सूची के निर्धारित मानदंडों के ब्यौरे सहित सुपर बाजार में सामान–सूची में शामिल मदों की संख्या को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (च). सुपर बाजार ने सूचित किया है कि सुपर बाजार में किसी नई वस्तु की बिक्री आरम्भ करना एक सामान्य व्यापार पद्धति है। उपभोक्ता की मांग तथा रुचियों के बदलते हुए प्रतिमानों के अनुरूप चलने के लिए यह आवश्यक है। सुपर बाजार, ध्यानपूर्वक विचार करने तथा इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि बाजार में उक्त उत्पाद ने अपनी पहचान बना ली है, नई वस्तुओं की बिक्री की अनुमति देता है। आरम्भ में उत्पाद की प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता पर निर्भर करते हुए उसकी बिक्री या तो सभी खुदरा बिक्री–केन्द्रों से शुरू कर दी जाती है अथवा उन्हें प्रमुख बिक्री केन्द्रों और विभागीय भण्डारों के माध्यम से सीमित बिक्री हेतु रखने की अनुमति दी जाती है। ऐसी खरीदों की बारीकी से परीवीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपयुक्त वस्तु–सूची स्तर बनाए रखा गया है। नई वस्तुओं की संख्या, पिछले 12 माह में प्रत्येक माह खरीदी तथा बेची गई वस्तुओं के मूल्य तथा उनकी माहवार वस्तु सूची आदि के बारे में मांगी गई विस्तृत सूचना के एकत्रीकरण में कड़े श्रम तथा जनशक्ति की आवश्यकता है तथा उससे मिलने वाले परिणाम उसके अनुरूप नहीं होंगे.

विश्वविद्यालय को अनुदान

6018. **श्री रमेश चेन्नित्तला :**

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं को दिये जा रहे अनुदानों को 1992 को ही स्थिर कर रखा है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को अतिरिक्त संसाधन जुटाने में सक्षम बनाने हेतु क्या नीतियाँ बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) छात्रों के प्रवेश ; पाठ्यक्रम आरं किए जाने के स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). केन्द्रीय विश्वविद्यालय संसद के अधिनियमों द्वारा गठित किये जाते हैं और उनका पूरा विकास और अनुरक्षण संबंधी व्यय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जरिए सरकार द्वारा वहन किया जाता है। राज्य विश्वविद्यालय के मामले में अनुरक्षण अनुदान पूर्णतः सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा दिये जाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, निर्धारित मानदण्डों के अनुसार राज्य विश्वविद्यालयों को केवल विकास अनुदान देता है और वह भी केवल उनकी आंशिक आवश्यकताओं के लिए। यह मुख्यतः सम्बन्धित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उनके द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय को उपयुक्त स्तर के योजनागत और योजनेत्तर अनुदान प्रदान करें।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सरकार द्वारा प्रदान किये जा रहे योजनेतर अनुदानों में कई वर्षों से लगातार वृद्धि हो रही है।

(ग) कार्रवाई योजना, 1992 के अनुसरण में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने न्यायाधीश के. पुनैया की अध्यक्षता में, नवम्बर, 1992 में एक समिति गठित की। समिति ने विश्वविद्यालयों द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए निम्नलिखित सिंफारिशें की हैं :

यद्यपि सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रमुख वित्त पोषण एजेंसी होना चाहिए विश्वविद्यालयों को आन्तरिक संसाधन जुटाने चाहिए जो यथा समय, पर्याप्त होने चाहिए। छात्र समुदाय को संसाधन जुटाने, जहाँ उनके हित प्रभावित होते हों, से सम्बन्धित विचार–विमर्शों में शामिल किया जाना चाहिए।

शिक्षा शुल्क को तत्काल संशोधित किया जाना चाहिए और उसको मुद्रा स्फीति की दर को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर समयोजित किया जाए। विश्वविद्यालय में अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा शुल्क अलग–अलग होना चाहिए। यह संशोधित शिक्षा शुल्क नए प्रवेश लेने वालों पर लागू होना चाहिए।

आवर्ती लागत के पर्याप्त भाग को वसूल करने के लिए पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेलों के लिए शुल्क को संशोधित किया जाना चाहिए।

पूर्ण वास्तविक आवर्ती लागत और यथा समय, पूंजीगत लागत के भाग को वहन करने के लिए छात्रावास शुल्क को तत्काल से संशोधित किया जाना चाहिए।

- आय बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों को खेल के मैदान, आडिटोरियम इत्यादि जैसे अपनी बुनियादी सुविधाएं सुलभ करानी चाहिए और ऐसे अंशकालिक पाठ्क्रम भी आयोजित करने चाहिए, जिनके लिए माँग है।

- केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा निवेश वित्त पोषण और छात्र वित्त पोषण पद्धतियों के उपयुक्त समिश्रण को अपनाया जा सकता है, जिसे तुलनीय पाठ्यक्रमों के लिए मानकीकृत किया जाए और इसका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कालान्तर में अध्ययन किया जाए।

- विश्वविद्यालयों को अपने संसाधन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वे आजकल की अपेक्षा शिक्षा की लागत का एक बड़ा भाग वहन कर सकें और बढ़ा हुआ भार मुख्य रूप से उनके द्वारा वहन किया जाना चाहिए जो इसके समर्थ हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि समिति की रिपोर्ट, तत्संबंधी उनके विचारों के साथ, केन्द्र/राज्य और सम–विश्वविद्यालय के कुलपतियों तथा राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासनों को उनके विचार हेतु तथा उनसे सम्बन्धित सिफारिशों को अपनाने के लिए भेज दी गई है।

(घ) दाखिल नीति और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर छात्रों के दाखिले और नए पाठ्यक्रम शुरू करने के संबंध में संस्थाओं द्वारा स्वयं ही निर्णय लिया जाता है।

[हिन्दी]

रेल कर्मियों की संख्या

6019. **श्री के. एच. मुनियप्पा :**

श्री के. जी. शिप्पा :

श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा :

श्री वी. कृष्णा राव :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कर्मचारी संख्या में 5% की कटौती का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे स्टेशनों और माल गोदामों जहां पर यातायात फायदेमंद नहीं है को बन्द करने सहित एक 16 सूत्री कार्यनीति अपनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मात्स्यिकी विकास

6020. **श्री काशीराम राणा :**

श्री गोपीनाथ गजपति :

श्री द्वारका नाथ दास :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य–वार अनुमानतः कितना क्षेत्र मात्स्यिकी विकास हेतु अनुकूल है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य–वार कुल कितना क्षेत्र मात्स्यिकी के अन्तर्गत लाया गया ?

अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	अनुमानित अन्तर्देशीय जल संसाधन नदियों की लम्बाई (कि. मी.)	जलाशयों का क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)	टैंको और तालाबों के तहत क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)	बोल्सआक्स–बो–झीलें तथा त्यक्त जल निकाय (लाख हैक्टेयर)	खारा–जल क्षेत्र (लाख हे.)	निम्नलिखित वर्षों के** दौरान मात्स्यिकी के तहत लाया गया क्षेत्र (हैक्टेयर में) 1990–91	1991–92	1992–93
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	11514	2.34	5.17	–	0.64	838	1857	5136
2.	अरूणाचल प्रदेश	2000	–	0.01	0.03		14	16	22
3.	असम	4820	0.55	0.21	1.10	–	242	103	59
4.	बिहार	3200	0.60	0.95	0.05	–	1261	1032	703
5.	गोवा	250	0.03	0.03	–	–	शून्य	शून्य	5
6.	गुजरात	3865	2.43	0.71	–	0.95	1900	13697	3947
7.	हरियाणा	5000	नगण्य	0.10	0.10	–	1178	3007	1806
8.	हिमाचल प्रदेश	3000	0.40	0.01	–	–	104	22	36
9.	जम्मू और कश्मीर	27781	0.07	0.17	0.06	–	600	355	300
10.	कर्नाटक	9000	2.11	3.52	–	0.08	1762	3188	2731

11.	केरल	3092	0.30	0.03	*	2.43	613	469	580
12.	मध्य प्रदेश	20661	2.91	1.17	–	–	1904	2843	3745
13.	महाराष्ट्र	3200	2.79	0.32	–	0.10	1029	506	1237
14.	मणिपुर	3360	0.01	0.05	0.40	–	132	159	116
15.	मेघालय	5600	0.08	0.02	नगण्य	–	–	–	25
16.	मिजोरम	1748	–	0.02	–	–	20	6	22
17.	नागालैण्ड	1600	0.17	0.50	नगण्य	–	–	378	60
18.	उड़ीसा	4500	2.56	0.64	1.80	4.33	3030	5079	5629
19.	पंजाब	15270	नगण्य	0.07	–	–	3769	3086	523
20.	राजस्थान	उ.न.	1.20	1.80	–	–	533	350	429
21.	सिक्किम	900	–	–	0.03	–	–	11	25
22.	तमिलनाडु	7420	0.53	2.24	5.24	0.56	367	887	177
23.	त्रिपुरा	1200	0.05	0.12	–	–	78	154	39
24.	उत्तर प्रदेश	31200	1.50	1.62	1.33	–	9545	2010	6009
25.	पश्चिम बंगाल	2526	0.17	2.76	0.42	2.10	6299	5794	4936

* खारा जल क्षेत्रों में शामिल।

** कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित खारा जल मत्स्य पालक विकास अभिकरण और "समेकित खारा जल मत्स्य फार्म विकास" योजनाओं के माध्यम से।

उ.न. उपलब्ध नहीं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों में वैकल्पिक विषय

6021. **श्री मुही राम सैकिया :**

डा. सुधीर राय :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुजंगराव समिति ने केन्द्रीय विद्यालयों में बारहवीं कक्षा के स्तर पर और अधिक वैकल्पिक विषय आरंभ करने का समर्थन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर अमल न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग). संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए सभी केन्द्रीय विद्यालयों में +2 स्तर पर अतिरिक्त वैकल्पिक विषयों को आरंभ करना संभव नहीं था।

पामोलीन तेल

6022. **श्री सनत कुमार मंडल :**

श्री जे. चोक्का राव :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत नवम्बर में आयातित पामोलीन उपभोग के योग्य नहीं रहा है कि इसके खराब होने की अवधि गत 30 अप्रैल को समाप्त हो गई है;

(ख) गत माह के दौरान कितना पामोलीन निपटाया गया और किस एजेंसी द्वारा इसकी बिक्री की गई;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या एहतियाती उपाय किए गए कि मानव उपभोग के लिए इस का उपयोग न किया जाए जो विनिर्देश के अनुरूप नहीं है और उपभोग के योग्य भी नहीं है;

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा इसका पूरा उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं, और

(ङ) इसके कारण सरकार को कितना नुकसान हुआ है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा मार्च, 1994 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उन्हें किए गए आबंटन के प्रति 3574 मी. टन पामोलीन की मात्रा बेची गई थी।

(ग) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(घ) खुले बाजार में उचित मूल्यों पर देशीय तेल आसानी से उपलब्ध होने के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पामोलीन कम मात्रा में उठाया गया।

(ङ) सरकार को कोई हानि नहीं हुई है।

[अनुवाद]

अन्य देशों के साथ सहयोग

6023. **श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी सहयोग से देश में कुछ कृषि परियोजनाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये परियोजनाएं किन–किन राज्यों में स्थापित की जाएंगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कृषि विज्ञान केन्द्र

6024. **श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बरेली में कृषि विज्ञान केन्द्र कब से कार्यरत है; और

(ख) आज तक इसकी क्या उपलब्धि रही है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) कृषि विज्ञान केन्द्र, बरेली सन् 1986 से ही भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली (उ.प्र.) के तहत कार्य कर रहा है।

(ख) केन्द्र की उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :

केन्द्र ने 462 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये हैं जिनसे 5646 किसान लाभान्वित हुए हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से 229 पशुपालन में, 106 सस्य विज्ञान में और 127 गृह विज्ञान में थे। इस अवधि के दौरान केन्द्र ने 381 फसल प्रदर्शन भी किए हैं।

केन्द्र ने 93 गांवों के 968 कृषक परिवारों का सर्वेक्षण भी किया है। केन्द्र द्वारा किए गए अन्य प्रसार सम्बंधी क्रिया–कलापों में 26 फिल्म शो, 265 सामूहिक विचार–विमर्श और 32 क्षेत्र निरीक्षण शामिल हैं।

[अनुवाद]

माल भाड़े और यात्री भाड़े से होने वाली आय

6025. **श्री हरिन पाठक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993–94 के दौरान माल भाड़े और यात्री भाड़े से होने वाली आय में कितने प्रतिशत कमी आई; और

(ख) उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) वर्ष 1993–94 के लेखें अभी बन्द नहीं किये हैं। बहरहाल, फरवरी, 1994 के अंत तक की वास्तविक आमदनी के आंकड़े उपलब्ध हैं, जो फरवरी, 94 के अंत के लक्ष्य की तुलना में निम्न प्रकार हैं :

(करोड़ रुपयों में)

	आमदनी का लक्ष्य	वास्तविक आमदनी	कमी
यात्री यातायात	4438.36	4430.58	7.78
माल यातायात	11539.48	11277.19	262.29

(ख) आमदनी में कमी होने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :

(I) यात्री यातायात की दर में प्रत्याशित वृद्धि नहीं हुई।

(II) संगठित क्षेत्रों से यातायात, माल–लदान के प्रत्याशित स्तरों से कम प्राप्त हुआ।

(III) माल यातायात की औसत गमन दूरी में कमी।

[हिन्दी]

यात्री सुविधाएं

6026. **श्री सत्य देव सिंह :**

श्री बृज भूषण शरण सिंह :

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर प्रदान की गयी यात्री सुविधाएं अपर्याप्त हैं;

(ख) क्या राज्य में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर एस.टी.डी./सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों सहित आधार भूत सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने रेलवे स्टेशनों पर अब तक इन सुविधाओं को उपलब्ध करा दिया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा राज्य के उपनगरीय स्टेशनों पर पर्याप्त यात्री सुविधाएं तथा शेष स्टेशनों, विशेष रूप से हरदोई और लखीमपुर खीरी जिलों में एस. टी. डी./सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) से (घ). उत्तर प्रदेश में कोई उपनगरीय रेलवे स्टेशन नहीं है। बहरहाल, इस राज्य में दैनिक यात्री गाड़ियों द्वारा सेवित स्टेशनों पर सम्हाले जा रहे यातायात की मात्रा के अनुसार सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

जहाँ तक एस.टी.डी./पी.सी.ओ. सुविधा का संबंध है, स्टेशन पर सम्हाले जा रहे यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखकर आवश्यकता के अनुसार विभिन्न स्टेशनों पर इनकी व्यवस्था की जाती है। इसकी समय–समय पर समीक्षा की जाती है और जहाँ आवश्यक होता है इसकी व्यवस्था कर दी जाती है। इस समय उत्तर प्रदेश में यह सुविधा 28 स्टेशनों पर उपलब्ध है।

[अनुवाद]

जमाखोरों को दण्ड

6027. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :** क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को जमाखोरी और मुनाफाखोरी द्वारा कृत्रिम मूल्य–वृद्धि को जन्म देने वाले व्यापारियों को निवारक दंड देने के निदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे जमाखोरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी; और

(घ) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क). जी हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से समय–समय पर आग्रह किया है कि वे सतर्क रहें और प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाएं तथा जमाखोरी, मुनाफाखोरी और चोरबाजारी जैसे कदाचारों को रोकने के लिए कार्यवाही तेज करें। इस संबंध में नवीनतम पत्र 4.4.94 को नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मुख्यमंत्रियों/प्रशासकों को भेजा गया था।

(ग) वर्ष 1993 तथा 1994 (31.3.94 तक दी गई सूचना के अनुसार) के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही नीचे दी गई है :

	1993	1994
(1) मारे गए छापों की संख्या	112889	18199
(2) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	3579	226
(3) अभियोजित व्यक्तियों की संख्या	4959	177
(4) दोष सिद्ध व्यक्तियों की संख्या	2854	251
(5) जब्त वस्तुओं का मूल्य (लाख रू. में)	1808.58	35.63

(घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई हैं कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी विभिन्न नियंत्रण आदेशों का कड़ाई से प्रवर्तन सुनिश्चित करें।

चूजों का उत्पादन

6028. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :**

श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा :

डा. के. बी. आर. चौधरी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार चूजों का अनुमानित उत्पादन कितना था;

(ख) क्या हाल के वर्षों के दौरान चूजों के उत्पादन में नियमित वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (घ). चूजों की संख्या की गणना पशुधन संगणना के माध्यम से की जाती है जो हर पांच वर्षों के बाद की जाती है। 1987 की पशुधन

संगणना के दौरान परिकलित, चूजों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। विगत समय में चूजों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है और 1982–87 के दौरान चूजों की संख्या में 4.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है।

विवरण

चूजों की संख्या – 1987

		('000')
1.	आन्ध्र प्रदेश	38363
2.	अरूणाचल प्रदेश	1084
3.	असम	8457
4.	बिहार	14632
5.	गोवा*	608
6.	गुजरात	5462
7.	हरियाणा	5329
8.	हिमाचल प्रदेश	753
9.	जम्मू और कश्मीर	3544
10.	कर्नाटक	15530
11.	केरल	17090
12.	मध्य प्रदेश	9202
13.	महाराष्ट्र	24769
14.	मणिपुर	2346
15.	मेघालय	1590
16.	मिजोरम	830
17.	नागालैंड	1062
18.	उड़ीसा	11820
19.	पंजाब	15149
20.	राजस्थान	2590
21.	सिक्किम	248

22.	तमिलनाडु	21152
23.	त्रिपुरा	1396
24.	उत्तर प्रदेश	9022
25.	पश्चिम बंगाल	25741
26.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	412
27.	चण्डीगढ़	169
28.	दादरा और नगर हवेली	100
29.	दमण और दीव	*
30.	दिल्ली	218
31.	लक्षद्वीप	49
32.	पाण्डिचेरी	98
	अखिल भारत	238815

* गोवा में शामिल है।

स्रोत : राज्य के पशुपालन विभाग

कोल्लेरू झील

6029. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील के पारिस्थितिकीय संरक्षण के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है; और

(ख) गत तीन वर्षों में सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). कोल्लेरू झील देश की उन 21 नमभूमियों में से एक है जिनको पर्यावरण और वन मंत्रालय के नम भूमि कार्यक्रम के तहत संरक्षण और प्रबंध के लिए चुना गया है। इस झील के एक भाग को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अभयारण्य भी घोषित किया गया है।

वर्ष 1991–92 से 1993–94 की अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा सुरक्षा, विकास, अनुसंधान, पर्यावरणीय जागरूकता आदि के लिए राज्य सरकार को 8.67 लाख रूपए की राशि बंटित की गई है। इससे पूर्व 1987–88 में भारत सरकार ने खरपतवार हटाने, सुरक्षा और निगरानी आदि जैसी गतिविधियां शुरू करने के लिए राज्य सरकार को 7.50 लाख रूपए की राशि बंटित की थी।

बंगलौर और नागर कोईल के बीच रेल सेवा

6030. **श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर और नागर कोईल के बीच कोई सीधी रेल सेवा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या त्रिवेन्द्रम तक यात्रा करने वाले लोगों की भी सहायता करने के लिए उक्त स्टेशनों के बीच सीधी रेलगाड़ी आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) नागरकोइल के रास्ते बेंगलूर और कन्याकुमारी के बीच 6525/6526 एक्सप्रेस गाड़ी उपलब्ध है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

रेल परिवहन संग्रहालय

6031. **श्री उदय सिंह राव गायकवाड़ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि** :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न स्थानों पर कुछ रेल परिवहन संग्रहालयों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे कहां–कहां स्थित हैं;

(ग) लोगों की जानकारी और मार्ग दर्शन के लिए इन संग्रहालयों की मुख्य मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार भविष्य में देश के विभिन्न स्थानों पर कुछ और संग्रहालयों की स्थापना करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(च) क्या इन संग्रहालयों का संचालन कुछ कर्मचारी कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख). रेल परिवहन संग्रहालय, दिल्ली और रेल संग्रहालय, मैसूर।

(ग) इन संग्रहालयों में बड़ी संख्या में मॉडलों और अन्य रेलवे उपस्करों के अलावा पुरातन रेल इंजनों, सैलूनों और मालडिब्बों का एक बड़ा संग्रह है।

(घ) और (ङ). जी हां। वाराणसी और मद्रास में।

(च) दिल्ली में 35 कर्मचारी और मैसूर में 6 कर्मचारी संग्रहालयों में तैनात हैं।

आमान परिवर्तन

6032. **श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंगलोर और टुमकुर के बीच बड़ी रेलवे लाइन को दोहरी लाइन में बदलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी मिलों को औद्योगिक लाइसेंस

6033. **श्री प्रकाश वी. पाटील** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में विशेष रूप से विदर्भ में चीनी मिलें लगाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस देना स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों के विवरण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन पार्टियों के आवेदन पत्रों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिनके लिए महाराष्ट्र सरकार पहले ही अग्रसारित कर चुकी है; और

(घ) इन आवेदकों को कब तक लाइसेंस दे दिया जायेगा और ये चीनी मिल शुरू कर सकेंगे ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (घ). महाराष्ट्र राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से 31.3.1994 तक 237 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 225 आवेदन पत्रों की जांच समिति द्वारा जांच कर ली गई है। जांच के बाद खाद्य

मंत्रालय की सिफारिशें लाइसेंस समिति द्वारा विचार के लिए उद्योग मंत्रालय को भेजी गई थी। 31.3.1994 तक उद्योग मंत्रालय द्वारा 17 आशय–पत्र जारी किए जा चुके हैं। शेष 12 आवेदन पत्र खाद्य मंत्रालय में अभी भी विचारार्थ लंबित हैं। लाइसेंस जारी करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है। इन लंबित आवेदन पत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए खाद्य मंत्रालय में अभी तक विचारार्थ लंबित 12 आवेदन–पत्रों का ब्यौरा

क्रम सं.	आवेदक का नाम	स्थान
1.	वयाघेश्वर एसएसके लि.	अम्बीवाली, ता. पेन, जिला रायगढ़
2.	सहस्रकुन्ड आदिवासी एसएसके लि.	राजगढ़, जिला नान्देड
3.	श्री शिरूर तालुका एसएसके लि.	दहीवाडी, ता. शिरूर जिला पुणे
4.	श्री जगदम्बा अनुसूचित जाति शेतकारी एसएसके लि.	उजानी, ता. मधा, जि. शोलापुर
5.	महात्मा फूले बीसीओबीसी एसएसके लि.	राजीवनगर (निम्बालक बराड) तालुका फाल्टन, जिला सतारा
6.	नागनाथ विमुक्ता जाति एसएसके लि.	मनूर, ता. पाटोदा, जिला बीड
7.	श्री नटवर भाई एम. पटेल	तह. लोनी, जि. अहमदपुर
8.	श्री नटवर भाई एम. पटेल	स्थान व तह. बारामाह जिला पुणे
9.	श्री नटरवर भाई एम. पटेल	खेड, तह. व जि. पुणे
10.	– वही –	स्थान व तह. मिराज, जिला सौगली
11.	– वही –	बरशी तकली, जिला अकोला
12.	श्री एन. जी. वाटक (मै. शोलापुर मागस्वर्गीय एसएसके लि.)	अकाले–कन ता. व जिला शोलापुर

स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं

6034. **श्री प्रबीन डेका :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में नलबाड़ी और पाठशाला स्टेशनों पर यात्रियों के लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इन स्टेशनों पर किए जा रहे प्रबन्धों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख). दोनों स्टेशनों पर सम्हाले जा रहे यातायात की मात्रा के अनुसार पीने के पानी की व्यवस्था पहले ही मौजूद है।

[हिन्दी]

पशुओं में खुर और मुँह की बीमारी

6035. **श्री सूरज भानु सोलंकी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पशुओं में खुर और मुँह की बीमारी पर नियंत्रण करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्यों को 25 प्रतिशत धन देती है;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश और अन्य राज्य सरकारों ने इस राशि को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत वर्षवार और राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान "मुखपका तथा खुरपका रोग नियंत्रण" की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत प्रदत्त वित्तीय सहायता

(लाख रूपये में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1991–92	1992–93	1993–94
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.60	2.40	3.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.35	2.25	0.75
3.	असम	1.00	6.00	–*
4.	बिहार	1.00	5.25	12.00
5.	गोवा	1.00	0.53	–*
6.	गुजरात	4.10	4.04	20.14
7.	हरियाणा	3.50	22.39	11.61
8.	हिमाचल प्रदेश	3.50	4.70	4.00
9.	जम्मू और कश्मीर	4.00	6.00	4.00
10.	कर्नाटक	1.00	12.82	7.00
11.	केरल	2.30	0.50	3.99
12.	मध्य प्रदेश	5.60	5.68	6.00
13.	महाराष्ट्र	4.00	16.67	31.88
14.	मणिपुर	0.60	1050	1.50
15.	मेघालय	0.60	0.55	0.72
16.	मिजोरम	3.10	3.50	6.00
17.	नागालैण्ड	2.00	0.75	–*

1	2	3	4	5
18.	उड़ीसा	2.40	. 4.50	11.50
19.	पंजाब	20.00	15.00	30.00
20.	राजस्थान	2.60	3.66	5.50
21.	तमिलनाडु	2.60	5.50	10.00
22.	त्रिपुरा	0.60	1.40	1.30
23.	उत्तर प्रदेश	15.90	18.00	17.62
24.	पश्चिम बंगाल	2.30	4.50	6.00
25.	सिक्किम	8.00	8.00	4.00
	कुल राज्य	94.85	156.09	198.51
संघ शासित प्रदेश				
1.	अंडमान व निकोबाद द्वीप समूह	0.30	1.00	1.25
2.	चण्डीगढ़	0.30	0.07	0.41
3.	दादरा और नगर हवेली	0.30	0.40	0.20
4.	दिल्ली	1.00	2.50	19.00
5.	लक्षद्वीप	0.20	0.92	—*
6.	पाण्डिचेरी	1.60	0.67	0.50
	कुल (संघ शासित प्रदेश)	3.70	5.56	21.36
	सकल योग	98.55	161.65	219.87

* धनराशि का पुनर्वधीकरण किया गया।

[अनुवाद]

नारियल का विकास

6036. **प्रो. पी. जे. कुरियन** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की सरकार ने नारियल विकास के संबंध में एक परियोजना केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजना को स्वीकृति दे दी गयी है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना में, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश को शामिल करते हुए उसके लिए सहायता प्राप्त करने की दृष्टि से उसे यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सामने रखने का निर्णय लिया गया था। परियोजना का प्रमुख उद्देश्य नारियल में उत्पादन में वृद्धि करना और जड़ मुर्झान बीमारी के नियन्त्रण, प्रक्रिया तकनीक का विकास और संस्थागत सुदृढ़ीकरण सहित इसकी उत्पादकता में सुधार करना है।

(ग) और (घ). परियोजना अभी डाटा एजेंसी द्वारा पूरी की जानी है। डाटा एजेंसी ने परियोजना का समर्थन नहीं किया है, क्योंकि यह खेत में जड़ मुर्झान बीमारी के नियन्त्रण पर विचार करती है जो एक असम्भव सा कार्य है। तथापि, एजेंसी ने परियोजना को संशोधित करने की सलाह दी है, ताकि वह उस पर विचार कर सके।

वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के सवारी डिब्बों में सुधार

6037. **डा. के. वी. आर. चौधरी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी (टू टियर) डिब्बों में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आशय पत्रों को औद्योगिक लाइसेंस में बदलना

6038. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने नयी चीनी मिलों के लिए आशय पत्रों को औद्योगिक लाइसेंसों में बदलने की प्रक्रिया को सरल बनाया है;

(ख) यदि हां, तो नये नियमों को सरल बनाने के लिए मुख्य मुद्दे क्या हैं;

(ग) क्या एक विशेष ग्रुप ने इन संशोधनों की सिफारिश की थी;

(घ) यदि हां, तो अब तक इस अध्ययन दल ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं; और

(ङ) कितने सुझावों को स्वीकार करके कार्यान्वित किया गया है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (ङ). जी, हां। आशय-पत्र प्रदान करने के पश्चात् स्थापित की गई चीनी फैक्ट्रियों के आशय-पत्रों को औद्योगिक लाइसेंस में बदलने, पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने तथा उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करने की प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए अपर सचिव (खाद्य) की अध्यक्षता में एक दल गठित किया गया था। इस संबंध में 16.2.1994 को जारी किए गए एक प्रेस नोट, जिसमें दल द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं दर्शायी गई हैं, की प्रति संलग्न विवरण में है।

सरकार ने दल द्वारा की गई सिफारिशों को मान लिया है तथा इन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है।

विवरण

सं० एक 27(38)/93-सं. त.

भारत सरकार

खाद्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 फरवरी, 1994

प्रेस नोट

विषय : चीनी फैक्ट्रियों के आशय-पत्रों को औद्योगिक लाइसेंस में बदलने, पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने तथा उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करने की वर्तमान शर्तों/प्रक्रिया की जांच के लिए गठित दल की सिफारिशें।

आशय-पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में बदलने, पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने तथा चीनी फैक्ट्रियों को प्रोत्साहन प्रदान करने की वर्तमान शर्तों/प्रक्रिया की जांच के लिए अपर सचिव (खाद्य) की अध्यक्षता में 07.9.1993 को एक दल गठित किया गया था। आशय-पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में बदलने, पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने तथा चीनी फैक्ट्रियों को प्रोत्साहन प्रदान करने में होने वाली देरी को कम करने के लिए यह महसूस किया गया था कि काफी क्षेत्रों में इस प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकता है। वर्तमान आशय-पत्रों में ऐसी बहुत सी शर्तें हैं जो पुरानी हो चुकी हैं तथा जिनकी पुनरीक्षा की जानी आवश्यक है।

दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है। दल की सिफारिशें संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :

क. आशय-पत्र की शर्तें :

(1) यह निर्णय लिया गया है कि आशय–पत्र को लाइसेंस में बदलवाने के लिए निम्नलिखित से अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेना अपेक्षित नहीं होगा क्योंकि बदली हुई परिस्थिति/उदारीकरण को ध्यान में रखते हुए यह अब मान्य नहीं रहे हैं :

1. रैलवे बोर्ड

2. कोल इंडिया लि.

3. तकनीकी विकास महा निदेशालय का पेपर पल्प एवं टिंबर निदेशालय (खोई के संबंध में)

4. तकनीकी विकास महा निदेशालय का ऊर्जा संरक्षण प्रभाग (फरनेस आयल के संबंध में)

(2) सरकार की अपेक्षानुसार वायु, जल व भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।

आशय–पत्र को लाइसेंस में बदलने से पहले उस शर्त पर जोर दिया जाएगा क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण के मामले में कोई ढील नहीं दी जा सकती। इस संबंध में खाद्य मंत्रालय, शर्करा निदेशालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 31.3.1993 के पत्र सं. एफ 27(7)/92–श.त. तथा दिनांक 26.10.1993 के पत्र सं. 27(27/93–श.त.) में निहित प्रक्रिया अपनाई जाए।

(3) लाइसेंसधारक को शीरे के वार्षिक उत्पादन की कम से कम 50 प्रतिशत क्षमता के भंडारण के लिए टैंक बनवाने चाहिए।

आशय–पत्र को लाइसेंस में बदलवाते समय उद्यमी को यह बात प्रमाणित करनी होगी कि शीरे के वार्षिक उत्पादन की कम से कम 50 प्रतिशत क्षमता के भंडारण के लिए आई. एस. आई. विशिष्टयों के अनुरूप भंडारण टैंक के लिए आदेश दे दिए जाएंगे।

(4) प्लांट तथा मशीनरी के लिए आदेश देने से पहले औद्योगिक उपक्रम वित्तीय संस्थाओं से वित्त पोषण के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।

उद्यमी वित्तीय संस्थाओं, वाणिज्यिक बैंकों या किन्हीं अन्य स्रोतों से लिए जाने वाले ऋण के मंजूरी पत्र की प्रति प्रस्तुत करें।

(5) आशय–पत्र को लाइसेंस में बदलने के समय निम्नलिखित शर्तों को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि अब इनकी आवश्यकता नहीं है :

1. गन्ना क्षेत्र का पुनः निर्धारण शर्करा निदेशालय के साथ मिलकर तय किया जाना चाहिए (विस्तार परियोजनाओं के मामले में)

2. फैक्ट्रियां गन्ने के विकास के लिए एक प्रभावी समयवद्ध कार्यक्रम तैयार करें।

3. 40 किलोमीटर के भीतर मूल भूत सुविधाएं जैसे सड़क, परिवहन आदि मुहैया की जाएं।

4. औद्योगिक उपक्रम सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मानदंड प्राप्त करने के लिए समुचित उपाय करेंगे।

5. सरकार लाइसेंसधारक को चीनी फैक्ट्री में उत्पादित सारी खोई या उसके कुछ भाग को पेपर या न्यूज प्रिंट के उत्पादन के लिए पल्प में बदलने हेतु रिलीज करने के आदेश दे सकती है।

6. शर्करा निदेशालय द्वारा निर्धारित दक्षता मानदंडों को प्राप्त करने के लिए किए गए समुचित उपायों के संबंध में सूचना।

(6) गन्ने का मूल्य गन्ने में निहित सुक्रोज तत्वों के आधार पर देय होगा।

उद्यमी को आशय–पत्र को लाइसेंस में बदलवाने के समय उक्त वचनबद्धता देनी चाहिए।

ख. नई चीनी फैक्ट्रियों तथा विस्तार परियोजनाओं को पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में मंत्रालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

चीनी फैक्ट्रियों से इस समय मंगाए जा रहे आवश्यक दस्तावेजों की प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा।

खाद्य मंत्रालय, शर्करा निदेशालय द्वारा वायु, जल एवं भूमि प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में जारी किए गए दिनांक 31.3.1993 के पत्र सं0 एफ 27(7)/92–श.त. तथा दिनांक 26.10.1993 के पत्र सं. एफ 27(27)/93–श.त. में निहित प्रक्रिया को अपनाया जाएगा।

ग. नई/विस्तार परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

1. चीनी फैक्ट्री के प्रोत्साहन दावों की जांच शर्करा निदेशालय में ही की जाए तथा टीम द्वारा चीनी फैक्ट्रियों के दौरे की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाएगा। शर्करा निदेशालय फैक्ट्रियों द्वारा भेजी जाने वाली सूचना का प्रपत्र तैयार करेगा। फैक्ट्रियों से भारी–भरकम रिकार्ड नहीं मंगाए जाएंगे। प्रपत्र चार्टड अकाऊंटेंट और चार्टर्ड इंजीनियर से प्रमाणित कराया जा सकता है। केवल असाधारण मामलों में जहां शर्करा निदेशालय जरूरी समझे, फैक्ट्रियों की स्थल जांच के लिए एक टीम भेजी जा सकती है।

2. मंत्रालय में प्रोत्साहन दावे की प्राप्ति की तारीख से, अंतिम प्रमाण–पत्र जारी करने में यदि दो मास से अधिक का समय लगने की संभावना है तो ऐसी स्थिति में अनंतिम प्रमाण–पत्र जारी कर दिये जाएं। प्रोत्साहन दावे की जांच करने के बाद फैक्ट्री को अंतिम पात्रता प्रमाण–पत्र जारी कर दिये जाएंगे।

विस्तार परियोजनाओं को अनंतिम प्रमाण–पत्र जारी न किए जाएं क्योंकि मौजूदा चीनी फैक्ट्रियों के पास विस्तार परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त कोष उपलब्ध होता है।

ह./–

(लवलीन कक्कड़)

निदेशक

[हिन्दी]

गुजरात में रेल कोच फैक्ट्री

6039. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान गुजरात में रेल कोच फैक्ट्री स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कहां लगाया जाएगा और इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने इस परियोजना को मंजूरी दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

नई रेल लाइनें

6040. **श्री भीम सिंह पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई रेल लाइनों (मीटर गेज) के लिए सर्वेक्षण का कार्य शुरू करने का है;

(ख) क्या रीवा (मध्य प्रदेश) रेल लाइन, जिसे सतना से जोड़ा गया है को मनिगपा, देवतालान, मऊगंज, हनुमना तक बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो उक्त स्थानों का सर्वेक्षण कब तक पूरा कर लिया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) संसाधनों की तंगी।

आलू विकास बोर्ड

6041. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आलू की खेती के विकास हेतु एक आलू विकास बोर्ड बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा आलू उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं; और

(घ) आलू के लाभकारी मूल्यों के ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जब कभी इन जिन्सों के मूल्य, उस अवधि के दौरान जब आवक अपनी चरम सीमा पर होती है, अनार्थिक स्तर से नीचे आने लगते हैं तो उस समय भारत सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने तथा उन्हें आलू सहित बागवानी मदों के उत्पाद के लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकारों के विशेष अनुरोध पर मण्डी हस्तक्षेप योजना का क्रियान्वयन करती है।

(घ) 1992 से आलू के सम्बन्ध में मण्डी हस्तक्षेप करने हेतु अभी तक ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है, अतः इस योजना को संचालित करने तथा आलू उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने का 1992 से कोई अवसर नहीं आया है।

विश्व मराठी कांग्रेस की बैठक

6042. **श्री राम कापसे :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मराठी भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए हाल ही में राजधानी में विश्व मराठी सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या सुझाव दिये गये;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन सुझावों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई सम्मेलन प्रायोजित नहीं किया गया था।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बिहार में विश्वविद्यालय

6043. **श्री साईमन मरान्डी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में कुछ नये विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खड़गपुर-भुवनेश्वर रेल लाइन

6044. **श्री के. प्रधानी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण–पूर्व रेलवे के अन्तर्गत खड़गपुर–भुवनेश्वर लाइन के सुधार हेतु बजट संबंधी आवंटन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) 1994–95 के वित्त वर्ष के दौरान इस लाइन के सुधार हेतु धनराशि आवंटन के संबंध में पुनर्विचार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) से (ग). खड़गपुर–भुवनेश्वर रेल लाइन के सुधार के लिए बजटीय आबंटन कर दिया गया है। इस खंड पर लगभग 31 करोड़ रूपए की लागत से कई रेलपथ नवीकरण कार्य स्वीकृत किए गए हैं जिनमें में 13.4 करोड़ रुपए की लागत के कार्य 1994–95 में पूरा करने का लक्ष्य है।

रेलगाड़ियों का उन्नयन

6045. **श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि** :

(क) क्या दक्षिण–मध्य रेलवे में गुंटूर के आस–पास और अन्य स्थानों में रेलगाड़ियों को चलाने के लिए पुराने इंजनों का उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी सभी रेलगाड़ियों के कार्यकरण में सुधार करने तथा उनका उन्नयन करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं। गुंटूर क्षेत्र में सभी गाड़ियां डीजल/बिजली रेल इंजनों द्वारा चलायी जाती हैं। इन गाड़ियों को चलाने के लिए कोई गतायु रेल इंजन नहीं लगाये जा रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

6046. **श्री एन. जे. राठवा : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि** :

(क) गुजरात में भारतीय खाद्य निगम के बेस–डिपुओं का जिला वार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में ऐसे जिलों का ब्यौरा क्या है जिनमें बेस–डिपो नहीं हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का गुजरात के सभी जिलों, विशेष रूप से आदिवासी जिलों में बेस-डिपो खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां चालू वित्त वर्ष के दौरान बेस-डिपो खोले जाएंगे और गुजरात के आदिवासी जिलों में कितने ऐसे डिपों खोले जाएंगे ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) भारतीय खाद्य निगम के आधार डिपो (जिला-वार) निम्नानुसार हैं :

राजस्व जिला	डिपो
गांधीनगर	अदालाज
अहमदाबाद	साबरमती
बनासकांठा	पालनपुर
मेहसाना	मेहसाना
खेडा	नाडियाड
पंचमहल	गोधरा/बोमैया
बड़ोदरा	बड़ौदा
भड़ौंच	भड़ौंच
राजकोट	राजकोट
सुरेन्द्रनगर	सुरेन्द्रनगर
भावनगर	भावनगर
जामनगर	जामनगर
कच्छ	गांधीधाम
वलसाड	निर्माणाधीन

(ख) साबरकंठा, सूरत, डांग, अमरेली और जूनागढ़ के राजस्व जिलों में आधार डिपो नहीं हैं।

(ग) तैयार गोदामों/उपयुक्त भूमि की उपलब्धता के अभाव में कुछेक जिलों में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम नहीं हैं।

(घ) और (ङ). भारतीय खाद्य निगम के लिए प्रत्येक राजस्व जिले में गोदामों का निर्माण करना आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है।

(च) वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय खाद्य निगम ने 21 करोड़ रुपये के परिव्यय से 1.04 लाख मीटरी टन क्षमता का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया है। संबंधित राज्य सरकारों की सलाह से आधार डिपुओं के स्थान के बारे में निर्णय किया जाता है।

भारतीय खाद्य निगम में पद

6047. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न कार्यालयों में ग्रुप "ग" और "घ" के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद रिक्त पड़े हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पदों को भरने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न कार्यालयों में 31.12.1993 को स्थिति के अनुसार सीधी भर्ती और पदोन्नति में श्रेणी–3 और श्रेणी–4 के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

		श्रेणी-3		श्रेणी-4	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
(1)	सीधी भर्ती के कोटे में	556	988	332	637
(2)	पदोन्नति कोटे में	154	317	20	142
	जोड़ :	710	1305	352	779

चूंकि भारतीय खाद्य निगम श्रेणी–3 और 4 के पदों में अधिशेष जनशक्ति की समस्या का सामना कर रहा था, इसलिए पिछले 15 वर्षों से वास्तव में कोई भर्ती नहीं की जा रही है। निगम अब जरूरत के आधार पर 3 और 4 श्रेणियों के 2028 महत्वपूर्ण पदों को भरने की अनुमति प्राप्त करने के लिए

अपने निदेशक मंडल की स्वीकृति प्राप्त कर रहा है जिसमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित पिछले बचे पदों को नियमों के अनुसार भर लिया जाएगा।

[अनुवाद]

चीनी मिलें

6048. **श्री काशी राम राणा :**

श्री महेश कनोडिया :

श्री अन्ना जोशी :

श्री एस.एम. लालजान बाशा :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक क्षेत्र में नई चीनी मिलें स्थापित करने के संबंध में राज्यों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) इस समय विचाराधीन ऐसे प्रस्तावों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) अभी तक राज्य–वार कितने प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(घ) बकाया प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दे दी जायेगी ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) विभिन्न राज्यों में नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से 31.3.94 तक 871 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनका ब्यौरा (राज्य–वार और क्षेत्र–वार) संलग्न विवरण–I पर है।

(ख) 31.3.94 तक खाद्य मंत्रालय में 58 प्रस्ताव विचारार्थ लंबित हैं जिनका राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–II पर दिया गया है।

(ग) 31.3.94 तक उद्योग मंत्रालय द्वारा 74 आशय–पत्र जारी किए गए हैं जिनका राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–III पर दिया गया है।

(घ) जांच समिति द्वारा आवेदन–पत्रों की संवीक्षा के बाद जांच समिति/प्रशासनिक मंत्रालय की सिफारिशों पर लाइसेंस समिति द्वारा विचार किया जाएगा। इसके बाद उद्योग मंत्रालय द्वारा आवेदकों को आशय–पत्र/लाइसेंस जारी किए जाएंगे। इस संबंध में इस समय कोई समय सीमा का उल्लेख करना संभव नहीं होगा।

विवरण-I

नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

(31.3.1994 की स्थिति)

क्रम सं.	राज्य	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या			
		सार्वजनिक	निजी	सहकारी	कुल
1.	उत्तर प्रदेश	–	296	10	306
2.	महाराष्ट्र	–	5	232	237
3.	आन्ध्र प्रदेश	–	98	–	98
4.	मध्य प्रदेश	–	16	–	16
5.	हरियाणा	–	13	5	18
6.	पंजाब	8	15	11	34
7.	गुजरात	–	–	13	13
8.	कर्नाटक	–	55	9	64
9.	तमिलनाडु	–	40	3	43
10.	बिहार	3	18	6	27
11.	उड़ीसा	4	3	–	7
12.	असम	–	1	1	2
13.	केरल	1	–	–	1
14.	राजस्थान	–	2	–	2
15.	हिमाचल प्रदेश	–	2	–	2
16.	अरूणाचल प्रदेश	–	1	–	1
	कुल	16	565	290	871

विवरण-II

खाद्य मंत्रालय में विचारार्थ लंबित आवेदन–पत्रों की राज्य–वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

(31.3.1994 की स्थिति)

क्रम सं.	राज्य	विचारार्थ लंबित आवेदन–पत्रों की संख्या
1.	उत्तर प्रदेश	32
2.	महाराष्ट्र	12
3.	पंजाब	4
4.	आन्ध्र प्रदेश	1
5.	मध्य प्रदेश	2
6.	हरियाणा	–
7.	गुजरात	–
8.	कर्नाटक	4
9.	तमिलनाडु	2
10.	बिहार	–
11.	उड़ीसा	–
12.	असम	–
13.	केरल	–
14.	राजस्थान	–
15.	हिमाचल प्रदेश	1
16.	अरूणाचल प्रदेश	–
	कुल	58

विवरण-III

1993–94 चीनी मौसम के दौरान जारी किए गए आशय–पत्रों की राज्य–वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

(31.3.1994 को स्थिति)

क्रम सं.	राज्य	जारी किए गए आशय–पत्रों की संख्या
1.	हरियाणा	4
2.	उत्तर प्रदेश	25
3.	मध्य प्रदेश	2
4.	गुजरात	2
5.	महाराष्ट्र	17
6.	बिहार	1
7.	उड़ीसा	1
8.	आन्ध्र प्रदेश	15
9.	कर्नाटक	5
10.	तमिलनाडु	2
	कुल	74

[हिन्दी]

अम्बाला और लखनऊ के बीच रेल लाइन का विद्युतीकरण

6049. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बाला और लखनऊ के बीच रेल लाइन के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख). अम्बाला–मुरादाबाद खंड का विद्युतीकरण एक अनुमोदित कार्य है। मुरादाबाद–लखनऊ खंड के विद्युतीकरण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) अम्बाला–मुरादाबाद खंड पर विद्युतीकरण कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है।

[अनुवाद]

6050. **श्री हरिन पाठक :**

श्री गोविन्द राव निकम :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980, 1990 और 1993 की गणना के अनुसार सिंहों की संख्या कितनी–कितनी थी;

(ख) इस अवधि के दौरान सिंहों की संख्या वास्तव में कितनी कम हुई है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन विलुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा और संरक्षण हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) गुजरात के गिर वनों में ही पाये जाने वाले शेरों की गणना समय–समय पर की जाती है। अलग–अलग गणनाओं के दौरान शेरों की संख्या गुजरात सरकार द्वारा इस प्रकार बताई गई है:

वर्ष	आबादी
1979	205
1985	239
1990	284

(ख) 1989 की गणना के अनुसार देश में बाघों की अनुमानित संख्या 4334 थी और 1993 में की गई गणना के अनुसार इनकी अनुमानित संख्या 3750 है। इस प्रजाति की आबादी में कमी के मुख्य कारण अत्यधिक जैवीय दबाव और हड्डियों तथा खालों के लिए चोरी–छिपे शिकार किया जाना है।

(ग) संकटापन्न प्रजातियों की सुरक्षा और परिरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. अनुसूचित वन्यजीवों का शिकार करने पर कानून द्वारा पाबंदी लगा दी गई है।

2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को शिकार–रोधी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

3. बाघों, हाथियों और गैंडों और उनके वास–स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विशेष स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं।

4. जब कभी वन्यजीवों के अवैध व्यापार की सूचना मिलती है तो वन्यजीव प्राधिकारियों द्वारा छापे मारे जाते हैं।

5. वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात के संरक्षण के लिए वन्य जीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया हैं। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए राज्य सरकारों के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

6. जीवों की संकटापन्न प्रजातियों तथा उनसे बनी वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वन्य प्राणिजात तथा वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन (साइट्स) के प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है।

7. वन्य जीव उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के अधिकांश प्रमुख निर्यात केन्द्रों पर वन्यजीव परिरक्षण के क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गई है।

8. अवैध शिकारियों और अवैध व्यापारियों को पकड़ने में पुलिस, तटरक्षक, सीमा सुरक्षा बल और सेनां का भी सहयोग लिया जाता है।

9. क्षेत्र विशेष पर जैवीय दबाव को कम करने और वन्यजीव संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों का समर्थन जुटाने के लिए पारि–विकास की एक स्कीम भी शुरू की गई है।

केन्द्रीय भांडागार निगम

6051. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भांडागार निगम ने अनिवासी भारतीयों की ईक्विटी में भागीदारी से विदेश में भांडागार एककों को बढ़ावा देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीका और ब्रिटेन से प्रस्ताव मिले हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है; और

(ङ) भांडागार परियोजनाएं किन–किन राज्यों में शुरू की जायेंगी ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ). उपर्युक्त (क) की दृष्टि में ये प्रश्न ही नहीं उठते।

सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र

6052. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षकों में संस्कृति के संदेश का प्रचार–प्रसार करने हेतु कोई कृतिक बल स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा किये गये प्रयास इस कृतिक बल के लिए सहायक सिद्ध हो रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस चयन प्रक्रिया के क्या मानदंड हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं। तथापि "संस्कृति के प्रचार–प्रसार" तथा "शिक्षा को संस्कृति के साथ जोड़ने" की स्कीमों को सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) सांस्कृतिक शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रदान किया जा रहा प्रशिक्षण बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है और राज्य सरकारों व संघ शासित क्षेत्रों ने शिक्षकों की भरती में बढ़ोत्तरी करने की पुरजोर मांग की है।

(ग) प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों का अंतिम चयन केन्द्र द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार तथा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा शिक्षकों को पाठ्यक्रम की विषय–वस्तु और शिक्षकों की उपयुक्तता के आधार पर प्रायोजित किया जाता है।

तेनाली जंक्शन पर रेलगाड़ी का स्टॉप

6053. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में तेनाली जंक्शन पर जी. टी. तथा नव जीवन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का स्टॉप बनाने के लिये कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां।

(ख) जांच की गयी थी परन्तु औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

महाराष्ट्र में चीनी क्षेत्र

6054. **श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरों के सुझाव पर लेवी चीनी मूल्य निर्धारण के लिए महाराष्ट्र को तीन क्षेत्रों में विकसित करने के बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो (बी. आई. सी. पी.) ने सिफारिश की थी कि दक्षिण महाराष्ट्र के दो क्षेत्रों — दक्षिणी महाराष्ट्र (कोल्हापुर, सांगली तथा सतारा जिले) तथा मध्य महाराष्ट्र (पुणे, नासिक, अहमदनगर तथा शोलापुर जिले) में उपविभाजित कर दिया जाए। सरकार द्वारा ये सिफारिशें मान ली गई हैं। तथापि, उत्तरी महाराष्ट्र क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

विश्वविद्यालयों को अनुदान

6055. **श्री प्रबीन डेका : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेजपुर और सिल्चर में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने काम करना आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1993–94 के दौरान इन विश्वविद्यालयों को अलग अलग कुल कितनी धनराशि जारी कर दी गई;

(ग) क्या इन विश्वविद्यालयों को मिली धनराशि इनकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ). असम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1989 और तेजपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1993 15 जनवरी, 1994 को अधिसूचित हुए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया कि वर्ष 1993–94 के दौरान, आयोग ने आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति, उपयुक्त स्थान के किराए और

वाहन इत्यादि के लिए इन विश्वविद्यालयों में प्रत्येक को 30 लाख रु. प्रदान किए। आयोग द्वारा दिया गया अनुदान इन विश्वविद्यालयों के प्रारम्भ को सुकर बनाने के लिए है।

[हिन्दी]

रामतिल की खेती

6056. **श्री सूरजभानु सोलंकी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामतिल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इसकी अधिक उपज देने वाली किस्म विकसित करने हेतु कोई अनुसंधान कार्य कराया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशों में रामतिल की बड़ी मांग है; और

(घ) यदि हां, तो रामतिल के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) तिल और रामतिल पर एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म. प्र.) में स्थित तिलहन अनुसंधान निदेशालय के अधीन चल रही है। गत तीन वर्षों के दौरान 400–450 किलो हैक्टेयर पैदावार तथा 39 से 42% तेल की मात्रा वाली रामतिल की अधिक पैदावार वाली कुछ महत्त्वपूर्ण किस्मों, जैसे जी.ए. 5, जी. ए. 10 और आर. सी. आर 317 का विकास किया गया है। इसके अलावा, इस फसल के लिए एक मुश्त कृषि क्रियाओं और विभिन्न फसल अनुक्रमों का भी विकास किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (फैडरेशन) और भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड के द्वारा रामतिल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं।

[अनुवाद]

सुपर बाजार में हार्डवेयर की वस्तुएं

6057. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार में हार्डवेयर की वस्तुएं मिलती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मदों की खरीद की जाती है और यदि हां, तो इन मदों के नाम क्या हैं तथा इन मदों की आपूर्ति कौन–कौन सप्यालर करते हैं;

(ग) क्या इन मदों के सप्लायर सुपर बाजार में पंजीकृत हैं;

(घ) ये सप्लायर सुपर बाजार को कब से सामानों की आपूर्ति कर रहे हैं और क्या ये सप्लायर उत्पादक अथवा प्राधिकृत वितरक हैं और यदि वे प्राधिकृत वितरक हैं तो वे किन उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करते हैं; और

(ङ) गत वर्ष के दौरान इन सप्लायरों से माहवार कितने मूल्य की वस्तुएं खरीदी गई ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां।

(ख) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि हार्डवेयर अनुभाग में अगणित वस्तुओं का मांग–पत्र भेजा जाता है, जिसकी सूची हजारों मे है। हार्डवेयर का सामान प्रतियोगी दरों पर थोक बाजार से प्राप्त कया जाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि हार्डवेयर का सामान सरकारी विभागों/उपक्रमों से समय–समय पर मिलने वाली पक्की मांगों पर अधिप्राप्त किया जाता है तथा यह अधिप्राप्ति स्थानीय बाजार, जिनमें से कुछ विनिर्माता; वितरक अथवा एजेंट होते हैं, ये प्रतियोगी दरों पर की जाती हैं। सुपर बाजार ने आगे बताया है कि चूंकि ये मदें एक बार की सप्लाई के लिए प्राप्त की जाती हैं, इसलिए सप्लायरों की सूची नहीं रखी जाती है।

(ङ) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि 1993–94 के दौरान हार्डवेयर अनुभाग द्वारा 59.27 लाख रूपए का सामान खरीदा गया है।

काली मिर्च की फसल को हुई क्षति

6058. **श्री पी. जे. कुरियन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को काली मिर्च की बेल को नष्ट करने वाली "फाइटोफ्थोरा" नामक रोग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस रोग के फलस्वरूप गत दो वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी प्रतिशत बेल नष्ट हुई;

(ग) क्या इस रोग की रोकथाम के लिए कोई शोध कराया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, हाँ।

(ख) पिछले दो वर्षों में शीघ्र मुरझान रोग (फाइटोफ्थोरा) द्वारा काली मिर्च की बेलों को हुई क्षति की मात्रा के सम्बन्ध में कोई आकलन नहीं किया गया है। फिर भी, एक केन्द्रीय दल ने अक्तूबर, 1991 में केरल के वायनाड और इदुक्की जिलों का दौरा किया और औसतन 70 प्रतिशत हानि होने की सूचना की।

(ग) तथा (घ). नेशनल रिसर्च सेन्टर फॉर स्पीशीज, कालीकट में काली मिर्च के फाइटोफ्थोरा तल बिगलन रोग पर अनुसंधान किया जा रहा है। इस रोग का समेकित प्रबन्ध कर लिया गया है, जिसमें कृषिगत पद्धतियां, जैव–नियन्त्रण व रासायनिक नियन्त्रण शामिल हैं।

रेलवे गेस्ट हाउस

6059. **श्री सोमजी भाई डामोर : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र और गुजरात में विभिन्न स्टेशनों पर 31 अक्तूबर, 1993 को रेलवे गेस्ट हाउसों की संख्या कितनी थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख). रेलों द्वारा स्टेशनों पर गेस्ट हाउस की व्यवस्था नहीं की जाती है। बहरहाल बहुत से महत्वपूर्ण स्टेशनों पर विश्रामालयों की सुविधा उपलब्ध है।

पर्यावरण प्रबन्धक

6060. **श्री भीम सिंह पटेल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उद्योगों में पर्यावरण प्रबन्धकों की नियुक्ति को आवश्यक बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने उत्सर्जनों और बहिस्रावों के मानक अधिसूचित किए हैं और उद्योगों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों द्वारा अनिवार्य रूप से एक पर्यावरणीय विवरण प्रस्तुत करने की शर्त भी रखी है। यद्यपि सरकार औद्योगिक इकाइयों द्वारा पर्यावरणीय प्रबंधकों की नियुक्ति को प्रोत्साहन देगी लेकिन ऐसा अनुभव किया जाता है कि ऐसी नियुक्ति को अनिवार्य बनाना अभी जल्दबाज़ी होगी।

सिन्धी भाषा को प्रोत्साहन

6061. **श्री राम कापसे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व सिन्धी कांग्रेस ने सरकार को सिन्धी भाषा, साहित्य और संस्कृति की सुरक्षा तथा उसके विकास के लिए "सिन्धी विश्वविद्यालय" की स्थापना हेतु अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). वर्ष 1990 में विश्व सिंधी कांग्रेस द्वारा एक अभ्यावेदन दिया गया था जिसमें एक सिंधी विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग शामिल थी। किन्तु, सरकार केवल भाषायी मामलों के आधार पर सामान्यतौर से पृथक विश्वविद्यालयों को ग्स्थापित करने के पक्ष में नहीं है। सरकार का यह विचार रहा है कि विश्वविद्यालयों को भाषागत मामलों के संकीर्ण दायरे में काम करने के बजाये विभिन्न विषयों में उच्च अध्ययन तथा अनुसंधान मुहैय्या कराना चाहिए। इसे ध्यान में रखकर इस प्रयोजनार्थ एक अलग विश्वविद्यालय स्थापित करने की अपेक्षा विद्यमान शैक्षणिक संस्थाओं में सिंधी भाषा और साहित्य के अध्ययन के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराना अधिक उचित होगा।

रेल लाइनों का विद्युतीकरण

6062. **डा. के. वी. आर. चौधरी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1993–94 और 1994–95 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इन रेल लाइनों के नाम क्या हैं और कब तक इनका विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख). हुसैनसागर–सनतनगर/हैदराबाद खंड का विद्युतीकरण 1993–94 में पूरा कर दिया गया था। सामलकोट–काकिनाडा शाखा लाईन

(366 मार्ग कि. मी.) सहित विजयवाडा–विशाखापटनम तथा रेणिगुंटा–गुंतकल–हासपेट खंडों का एक भाग रेणिगुंटा–साकिबांदा खंड (328 मार्ग कि. मी.), जो आन्ध्र प्रदेश में पड़ते हैं, पर कार्य प्रगति पर है और इनको 1997–98 में पूरा करने का लक्ष्य है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

नडिकुडे और गुंटूर के बीच दोहरी लाइन

6063. **श्री एस. एम. लालजान बाशा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण मध्य रेलवे में नडिकुडे और गुंटूर के बीच दोहरी लाइन बिछाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस काम के कब तक आरम्भ होने की आशा है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन

6064. **श्री प्रभुदयाल कठेरिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन (उ.प्र.) के विस्तार और आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव लम्बित है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार यह कार्य कब तक पूरा करेगी ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जन्म शताब्दियां

6065. **डा. के. वी. आर. चौधरी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार जनवरी, 1950 से किन–किन महान विभूतियों की जन्म शताब्दियां मनाती आ रही है; और

(ख) इन पर अब तक कितनी धनराशि व्यय हुई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) उपलब्ध रिकार्ड के के अनुसार जिन महान् विभूतियों की शताब्दियां मनायी गयी हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं : रवीन्द्र नाथ टैगोर, मिर्जा गालिब़, महात्मा गांधी, गुरू नानक, लेनिन, देशबंधु चितरंजन दास, दीनबंधु सी. एफ. ऐन्ड्रूज़, श्री अरविंद घोष, सरदार पटेल, भगवान महावीर, सुब्रमण्यम् भारती, नंदलाल बोस, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, काका साहेब कालेलकर, मैथिलीशरण गुप्त, पं. गोविन्द बल्लभ पंत, डॉ. एस. के. सिन्हा, डॉ. एस. राधाकृष्णन्, डॉ. के. एम. मुंशी, आदि शंकराचार्य, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पं. जवाहर लाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खा़न, जमनालाल बजाज, महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन, बनारसी दास चतुर्वेदी और रफ़ी अहमद किदवई। इनके अतिरिक्त, पं. मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय की जयंतियां भी मनायी गयी हैं। भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण, स्वामी विवेकानंद की भारत परिक्रमा और उनके शिकागो भाषण तथा हिजरी संवत् की शताब्दियां भी मनायी गयीं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा आयोजित समारोहों के संबंध में अब तक निर्धारित धनराशि क्रमशः 10.30 लाख रूपये, 8.14 लाख रूपये, 78.8 लाख रूपये है।

चीनी मिलें

6066. **श्री लाल बाबू राय : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992–93 के चीनी मौसम के दौरान 24 चीनी मिलें बंद रहीं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो उसे क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इस संबंध में करायी गयी जांच के परिणामों के बाद सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख). 1992–93 मौसम के दौरान 24 चीनी फैक्ट्रियों ने पेराई का कार्य नहीं किया। इनमें से 9 चीनी मिलें पिछले कई वर्षों से बंद पड़ी हैं। अन्य चीनी मिलें भी वित्तीय कठिनाइयां, गन्ने का उपलब्ध न होना आदि विभिन्न कारणों से बंद पड़ी हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). प्रश्न ही नहीं उठता।

जानवरों की खालें

6067. **श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1994 में दिल्ली में जानवरों की खालों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनसे विभिन्न जानवरों की कितनी खालें जब्त की गयीं; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं। तथापि, दिल्ली पुलिस ने जनवरी, 1994 में तेंदुए की दो खालें और बाघ की एक खाल जब्त की है और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

उपेक्षित पशु

6068. **श्री गुरूदास कामत : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीयों और विदेशियों से पशुओं को पकड़ने, उनकी उपेक्षा करने और यहां तक कि उन्हें पर्याप्त भोजन और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न कराने के बादे में शिकायतें मिल रही हैं; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग): सरकार को शिकायतें मिली हैं कि गरीब लोगों द्वारा अपने पशुओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है जो इन पशुओं से अधिकतम लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और उनकी देखभाल अच्छी तरह से नहीं करते हैं। जीव जन्तुओं के प्रति क्रूरता के निवारण और उनकी पीड़ाओं को दूर करने के लिए जीव जन्तु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम के तहत भारत सरकार ने अधिनियम के उपबंधों का प्रवर्तन सुनिश्चित करने, जीव जन्तु कल्याण के मामलें में सरकार को सलाह देने, जीव जन्तुओं के उत्थान के लिए कदम उठाने, जीव जन्तु क्रूरता निवारण संघों सहित जीव जन्तु कल्याण संगठनों को वित्तीय सहायता बंटित करने तथा जीव जन्तुओं के कल्याण के बारे

में शिक्षा देने और जागरूकता पैदा करने के लिए भारतीय जीवजन्तु कल्याण बोर्ड का गठन किया है।

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश

6069. **श्री मोहन रावले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि संसद सदस्यों के लिए "स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम" के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्यालयों में बच्चों को प्रवेश देने हेतु केन्द्रीय संगठन ने क्या मानदंड अपनाये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : संसद सदस्यों की मॉनिटरिंग समिति ने प्रत्येक संसद सदस्य के लिये दो दाखिलों के कोटे और केन्द्रीय मंत्री परिषद् और परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के प्रत्येक सदस्य को पाँच दाखिलों के कोटे की सिफारिश की है।

केन्द्रीय विद्यालयों में कथित भाई भतीजावाद

6070. **श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश के बदवाह शहर में केन्द्रीय विद्यालयों में अध्यापकों के पद के लिए हाल ही में दिये गये विज्ञापन की जानकारी है;

(ख) क्या अध्यापक के कुछ पदों को खाली रखा गया था और बाद में उन पदों पर तदर्थ आधार पर कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति की गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर कोई जांच करायी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में और दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). प्रधानाचार्य/विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष तदर्थ/अंशकालिक अध्यापकों के पदों को भरने में समर्थ हैं जब तक कि विज्ञापन की प्रक्रिया अपनाकर या रोजगार केन्द्र के जरिए नियमित आधार पर इन पदों को भरा नहीं जाता । यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि नियमित कर्मचारियों की कमी की वजह से अध्ययन में बाधा न आए। 1 मई, 1994 से केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने ऐसी लघु अवधि रिक्तियों को भरने के लिए अनुबंधात्मक नियुक्ति शुरू की है और एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की है।

(ग) और (घ). केन्द्रीय विद्यालय संगठन को अध्यक्ष, विद्यालय प्रबन्ध समिति केन्द्रीय विद्यालय बरौली की पत्नी की अंशकालीन शिक्षक के रूप में नियुक्ति के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई है। निकट संबंधी की नियुक्ति में अनुपयुक्तता का स्पष्टीकरण होने पर उक्त अंशकालीन शिक्षक ने सेवा छोड़ दी है।

उपभोक्ता वस्तुओं पर मुद्रित मूल्य

6071. **श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता वस्तुओं पर मुद्रित मूल्य अधिकतर बढ़ाकर दिए जाते हैं;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है; और

(घ) बढ़ाए हुए मूल्यों से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाने का विचार किया है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के उपबंधों के अनुसार, पैकेज पर सभी करों सहित अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित करने आवश्यक हैं। छपा हुआ मूल्य वह अधिकतम सीमा होती है, जो कोई खुदरा व्यापारी उपभोक्ता से ले सकता है। किसी स्थान विशेष पर किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य प्रतिस्पर्धा तथा मुक्त बाजार–शक्तियों पर निर्भर करता है।

(ख) से (घ). मत्रालय का ध्यान कुछ प्रैस लेखों की तरफ आकृष्ट किया गया है जिनमें बताया गया है कि पैकजों पर अंकित मूल्य वास्तविक बिक्री मूल्य से अधिक होते हैं।

मंत्रालय ने पैकेजों पर विक्रय मूल्य घोषित करने की सबसे अच्छी विधि के बारे में सरकार को सिफारिश करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

भारतीय खाद्य निगम

6072. **श्री पी. सी. थामस : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के निदेशक मंडल के पद कब से खाली पड़े हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इस बोर्ड में जनता के लोगों/गैर सरकारी सदस्यों/संसद सदस्यों और भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 में यह व्यवस्था है कि निदेशक मंडल में अन्यों के अलावा "छः अन्य निदेशक" होंगे। इस व्यवस्था के अधीन, निदेशक के 4 पद दिसम्बर, 1990 से रिक्त पड़े हुए हैं।

(ख) से (घ). उपर्युक्त रिक्त पदों के प्रति इस समय 4 गैर–सरकारी निदेशकों के पदों पर नियुक्ति करने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है और सभी प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी कर लेने के बाद आवश्यक नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

इस अधिनियम में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को निगम के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की आपूर्ति

6073. **श्री गुमान मल लोढ़ा :**

श्री नीतीश कुमार :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अप्रैल, 1993 से जनवरी, 1994 के बीच माहवार कितनी मात्रा में गेहूं और चावल की आपूर्ति की गई; और

(ख) फरवरी, मार्च और अप्रैल, 1994 के दौरान माह–वार इन वस्तुओं की कितनी सप्लाई की गयी है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख). भारती खाद्य निगम द्वारा अप्रैल, 1993 से मार्च, 1994 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सप्लाई किए गए गेहूं और चावल की मात्राएं नीचे दी गई हैं :

(लाख मीटरी टन में)

	गेहूं (अ.)	*चावल (अ.)*
अप्रैल, 93	3.20	6.73
मई, 93	2.85	7.05

1	2	3
जून, 93	3.49	7.36
जुलाई, 93	3.81	7.11
अगस्त, 93	3.88	7.80
सितम्बर, 93	5.35	7.37
अक्तूबर, 93	5.86	8.03
नवम्बर, 93	5.74	7.86
दिसम्बर, 93	6.19	8.47
जनवरी, 94	7.00	7.82
फरवरी, 94	5.66	6.70
मार्च, 94	5.59	6.53
अप्रैल, 94	उ.न.	उ.न.

अ. : अनन्तिम

उ. न. : अभी उपलब्ध नहीं।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेंहू की आपूर्ति

6074. **श्री रामपाल सिंह : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकारों को किस मूल्य पर गेहूं की आपूर्ति करता है; और

(ख) गेहूं की खरीद मूल्य, विक्रय मूल्य और इस पर हुए खर्च में अन्तर का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख). गेहूं के वसूली मूल्य और भारतीय खाद्य निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली/मजबूत बनाई गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण करने के लिए जिन केन्द्रीय निर्गम मूल्यों (भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से) पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को गेहूं मुहैया करता है, वे इस प्रकार हैं :

(रूपये प्रति क्विंटल)

वर्ष	वसूली मूल्य	निम्न तारीख से	केन्द्रीय निर्गम मूल्य	
			सार्वजनिक वितरण प्रणाली (भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से)	समन्वित आदिवासी विकास परियोजना/ मजबूत बनाई गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली
1993–94 (4/93–3/94)	330 रूपये*	11.1.93	330/– रूपये	280/– रूपये
1994–95 (4/94–3/95)	350 रूपये	1.2.94	402/– रूपये	352/– रूपये

*25/– रु. प्रति क्विंटल के केन्द्रीय बोनस सहित

1994–95 के अनुमानों के अनुसार, गेहूं की वसूली की खर्चे, वितरण संबंधी खर्चे और इक्नामिक लागत नीचे दी गई है :

		(रु. प्रति क्विंटल)
(1)	वसूली खर्चे	98.33 रूपये
(2)	वितरण संबंधी खर्चे	125.06 रूपये
(3)	गेहूं की इक्नामिक लागत	571.71 रूपये

[अनुवाद]

चने का आयात

6075. **श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चने के आपूर्ति–कर्ताओं का पता लगाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि घरेलू बाजार में उसकी उपलब्धता बढ़ सके;

(ख) क्या सरकार का विचार विदेश से चने का आयात करने का है और क्या इस संबंध में नेफेड को कोई दिशा निर्देश जारी किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो कितनी मात्रा में और किन देशों से चने का आयात किये जाने की संभावना है; और

(घ) उस पर कितना धन व्यय होगा ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (घ). वर्तमान निर्यात–आयात नीति के अनुसार चना सहित दालों का आयात करने की इजाजत विनियंत्रण के आधार पर दी जाती है और इसलिए नेफेड अथवा किसी निजी व्यापारी द्वारा चने का आयात करने के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। अतः सरकार आयात किए जाने वाले चने की संभावित मात्रा, इसमें अन्तर्ग्रस्त सम्भावित लागत और जिन देशों से इसका आयात किया जाएगा, के बारें में अनुमान नहीं लगा सकती है।

सब्जियों के मूल्य

6076. **श्री बापू हरि चौरे :**

श्री बी. देवराजन् :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष सब्जियों के मूल्य में असमान्य वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा सब्जियों के मूल्यों में वृद्धि की इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने एवं लोगों को उचित दर पर सब्जियां उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार खुदरा फल एवं सब्जी विक्रय केन्द्र खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जनवरी, फरवरी और मार्च, 1994 के थोक मूल्यों ने केवल सामान्य मौसमी उतार–चढ़ावों को दर्शाया है।

(ख) सब्जियों के मूल्यों में विचरण का कारण जिन्सों की मांग और आपूर्ति के बीच असन्तुलन है।

(ग) सब्जियों के मूल्यों में अत्याधिक उतार–चढ़ाव को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से, सरकार ने अल्पावधिक और दीर्घावधिक दोनों प्रकार के उपाय किए गए हैं। अल्पावधिक उपायों में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ तथा दिल्ली के सुपर बाजारों द्वारा निर्धारित

मूल्यों पर सब्जियों की बिक्री शामिल है। दीर्घावधिक उपायों के रूप में सरकार ने देश में सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए केन्द्र क्षेत्रक योजना शुरू की है।

(घ) और (ङ). सरकार की दिल्ली में फलों और सब्जियों के 200 फुटकर केन्द्र खोलने की योजना है। इनमें से इस समय 189 फुटकर केन्द्र कार्य कर रहे हैं। शेष केन्द्रों को शीघ्र ही चालू कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

6077. **प्रो. रीता वर्मा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि धनबाद को वायु प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और वहां हजारों लोग वायु प्रदूषण से परेशान हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है अथवा कराने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए कौन सी योजनाएं शुरू की जा रही हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार धनबाद में वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत खनन गतिविधियां, कोयले की भट्ठी और ब्रिकेट संयंत्र, कोयला शोधनशालाएं, एफ सी आई के केप्टिव विद्युत संयंत्र और वाहन हैं। परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरी आंकड़ों से पता लगा है कि निलंबित धूलकणों का स्तर निर्धारित मानकों से अधिक हैं जबकि सल्फर डाई आक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के स्तर निर्धारित सीमाओं के अंदर हैं।

मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रभाव के बारे में स्वास्थ्य संबंधी कोई निर्णायक अध्ययन नहीं किए गए हैं।

(ग) धनबाद में वायु प्रदूषण की समस्या पर निगरानी रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं :

1. धनबाद क्षेत्र अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में से एक है और पर्यावरणीय स्थितियों का पता लगाने और इस क्षेत्र में पर्यावरण सुधार के लिए उपाय करने के बारे में एक विस्तृत सर्वेक्षण किया गया था।

2. बिहार सरकार ने यू एन आई डी ओ की सहायता से धनबाद में पर्यावरणीय गुणवत्ता प्रबंध के लिए क्षेत्र व्यापी मास्टर प्लान नामक एक स्कीम शुरू की है।

3. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने "प्रदूषण निवारण तथा कोयले की खानों और मानकों में नियंत्रण के लिए दिशा–निर्देशों का विकास" नामक परियोजना को हाथों में लिया है।

4. पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत कोयले की भट्टी संयंत्र, ब्रिकेट संयंत्र, सॉफ्ट कोयला संयंत्र और विद्युत संयंत्र जैसे उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं। परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरी स्टेशनों के एक नेटवर्क की स्थापना की गई है।

5. उद्योगों को समयबद्ध आधार पर निर्धारित मानकों के अनुपालन के निदेश दिए गए हैं।

6. सॉफ्ट कोयला निर्माण इकाइयों में वायु प्रदूषण को कम से कम करने के लिए केन्द्रीय खनन नियोजन और अभिकल्पन संस्थान द्वारा विकसित नई तकनीक को लागू किया गया है।

[अनुवाद]

औद्योगिक मूल्य निर्धारण आयोग

6078. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** औद्योगिक मूल्य निर्धारण आयोग की स्थापना के बारे में 22 जुलाई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2309 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग को विदेशी गठजोड़ से बचाने तथा निर्देशित कीमतों, विशेष रूप से सार्वजनिक रूप से उपभोगी क्षेत्र में निर्देशित कीमतें निर्धारित करने के लिए औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो को अब तक टेरिफ (शुल्क सूची) आयोग के रूप में गठित कर लिया गया है;

(ख) क्या इस पर कोई निर्णय ले लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं; और निर्णय कब तक लिया जायेगा और इसे लागू कब तक किया जाएगा ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग). औद्योगिक विकास विभाग ने सूचित किया है कि सरकार ने औद्योगिक लागत व मूल्य ब्यूरो को एक टैरिफ (शुल्क दर) आयोग में पुनर्गठित करने के लिए अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

रेलवे पुलिस और केन्द्रीय रिर्जव पुलिस को सुविधाएं

6079. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे पुलिस तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस कर्मचारियों से ली जाने वाली सेवाओं और उन्हें प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में कोई अंतर है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) राजकीय रेलवे पुलिस राज्य सरकार की एक एजेंसी है और यह संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन काम करती है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल गृह मंत्रालय के अधीन एक अर्द्ध–सैन्य संगठन है। इन बलों द्वारा की जाने वाली सेवाओं तथा इनको मुहैय्या की गयी सुविधाओं की तुलना नहीं की जा सकती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

12.00 मध्याह्न

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, अहमदाबाद में बंद कपड़ा मिलों के कामगारों के बकाया भुगतान की मांग को लेकर पिछले दो दिनों से महात्मा गांधी के अंतःसाथी श्री अरविंद जी सब कुछ त्याग कर फुटपाथ पर बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, कामगारों की समस्या आज गुजरात के जन–जीवन को अस्त–व्यस्त कर रही है। मैं इस समस्या के बारे में संक्षेप में इतना ही कहूंगा कि वहां पर 65 टेक्सटाइल मिलों में से सिर्फ 10–15 मिलें ही काम कर रही हैं और 50000 कामगार बेकार हो गए हैं। 15 मिले अंडर लिटीगेशन हैं और मजदूरी का 121 करोड़ बकाया है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 300 करोड़ रूपया रिनूवल फंड में एलोकेट किया है। 15 मिलों के असेट्स 191 करोड़ के हैं इसका मतलब है कि 191 करोड़ के बदले सरकार को 32000 कामगारों का 121 करोड़ रूपया अदा करना है। जिसे इस 300 करोड़ रुपए के रिनूवल फंड में से तत्काल किया जा सकता है और मजदूरों को राहत पहुंचाई जा सकती है। मजदूरों को पिछले 10 साल से स्टेचुटरी ड्यूज नहीं मिल रहे हैं, जिसके लिए आज महात्मा गांधी के अंतः साथी श्री अरविंद जी को फुटपाथ पर आना पड़ा।

अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से अनुरोध है कि मजदूरों की गंभीर समस्याओं को देखते हुए रिनूवल फंड से गुजरात सरकार को राशि दी जाए ताकि तत्काल मजदूरों की बकाया राशि के भुगतान की व्यवस्था हो सके और बेरोजगार कामगारों को स्टेचुटरी ड्यूज प्राप्त हो सकें।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने बताया था कि कोई मिल बंद नहीं की जाएगी और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इतनी मिलें बंद हो गई हैं। ... **(व्यवधान)** ...

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में हजारीबाग क्षेत्र में रामगढ़ कैंट है, जहां पर फौज भी रहती है और सिविलियन्स भी रहते हैं। यह वही रामगढ़ है जहां पर 1854 में स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया और जहां पर 1940 का ऐतिहासिक कांग्रेस सेशन हुआ था। आज आजादी के इतने वर्षों के बाद भी यहां के निवासी एक–एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और त्राहि–त्राहि मची हुई है। मैंने इस प्रश्न को कई बार इस सदन में उठाया है। पेयजल उपलब्ध कराने के लिए रक्षा मंत्रालय की ओर से 79 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए थे, जिनसे टंकी और पाइप लाईन का काम किया गया है, लेकिन अभी भी इस काम को पूरा करने के लिए और 69 लाख रुपयों की आवश्यकता है। मेरा सरकार से आग्रह है कि शीघ्र ही रक्षा मंत्रालय द्वारा यह राशि रामगढ़ कैंट में उपलब्ध कराई जाए, ताकि वहां की जनता की इस गंभीर समस्या का समाधान हो सके।

श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी (केसरगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित खादी ग्रामोद्योग के सेवाकर्मी एसोसिएश, जो कि भारतवर्ष में कार्यरत है, की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

इनका विषय बहुत दिनों से लंबित है। 1990 में तत्कालीन उद्योग मंत्री माननीय श्री अजित सिंह जी ने एक संस्था गठित की थी और श्री शोधिया की अध्यक्षता में जांच हुई थी और जांच होने के बाद 3 नवम्बर 1992 को इनके पक्ष में एक संकल्प पारित किया गया था। उस संकल्प में जो निर्णय किए गए थे और अधिसूचना जारी की गई थी, उस अधिसूचना के आधार पर न्याय नहीं मिला जिसके कारण 1.5.94 से ये सेवा–कर्मी दिल्ली में आंदोलन पर हैं। एक कर्मी की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले पर तत्काल ध्यान दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री उद्धव बर्मन (बारपेटा) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान असम राज्य के विभिन्न भागों में तूफान के कारण हुए भारी नुकसान की ओर दिलाना चाहता हूं। एक विधान सभा क्षेत्र, जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, अर्थात् दक्षिण अभयापुरी में स्थिति बहुत गंभीर है। अनेक गांव प्रभावित हुए हैं। खोरा गांव, माजपाड़ा, सिलीगुड़ी, कोटस बाड़ी, गोरीबाड़ी, सोरगोदवार, बेसीमारी जैसे गांव सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं, अनेक स्कूलों को भी नुकसान पहुँचा है। प्रभावित लोगों

को शरणार्थी कैम्पों में रखा गया है। राहत कार्यों के लिए वास्तव में काफी धन की आवश्यकता है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए राहत प्रदान के लिए राज्य सरकार की सहायता करें।

अध्यक्ष महोदय : अगली बार अगर आप नाम ले कर चिल्लाते रहेंगे तो मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : अध्यक्ष महोदय, आन्ध्र प्रदेश में कल ही बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। मदनापुरम गांव, नालगौंडा जिला, आन्ध्र प्रदेश के लोग ट्रैक्टर में बैठकर शादी में जार रहे थे। यह दुर्घटना नारायणाद्री एक्सप्रैस के साथ हुई है जिसके कारण तीस लोग मारे गए और नौ लोग काफी सीरियस हैं। इस तरह की घटना देश में अन–मैन्ड रेलवे क्रासिंग टैंक की वजह से हो रही है। रेलवे मंत्रीजी सदन में उपस्थित हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करता हूं कि जो लोग मारे गए हैं उनके कुटुम्ब को पांच लाख रूपए का कंपनसेशन देना चाहिए। जहां पर अन–मैन्ड रेलवे क्रासिंग हैं वहां पर गेट बनाया जाए और वाचमैन की व्यवस्था होनी चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इस सम्बंध में मंत्री महोदय को वक्तव्य देना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जी हां, क्या मंत्री महोदय वक्तव्य देने जा रहे हैं ?

(व्यवधान)

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : जी हां, महोदय, यह एक कर्मचारी रहित फाटक है तथा .... **(व्यवधान)** ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सूचना एकत्रित करके सदन में प्रस्तुत करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री सी. के. जाफर शरीफ : हम सूचना एकत्रित कर रहे हैं। परन्तु मैं नहीं जानता, मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या ये चालकों की लापरवाही है तथा क्या रेल मंत्रालय इस संदर्भ में वक्तव्य दे सकता है। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : आप यह कैसे कह सकते हैं कि यह चालकों की लापरवाही है ? हो सकता है ऐसा रेलवे कर्मचारियों अर्थात् गेटकीपर की लापरवाही से हुआ हो। **(व्यवधान)**

श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़ : आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँच सकते हैं कि यह रेलवे की गलती है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे हमेशा इस तरह चिल्लाते क्यों हैं और खड़े क्यों हो जाते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, आप कृपया अपनी सीट पर बैठिए। इस सम्बंध में मेरा विनिर्णय यह है। जब भी इस प्रकार की कोई दुर्घटना हो, हम इस सम्बन्ध में किसी पूर्व–निर्णय पर नहीं पहुँचेंगे कि गलती किसकी है; तथा रेल मंत्री अथवा मंत्रालय के लिए वक्तव्य देना आवश्यक होगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्रा (पडरौना) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में भारत सरकार की तीन मिलें हैं जैसे–पडरौना, कठकुईयां और गौरी। वहां पर पास में जिसका नाम मंत्री जी सदन में लेते हैं, ठीक उसके पास पडरौना, कठकुईयां और गौरी हैं।

करोड़ो रुपया गन्ना किसानों का बकाया है। अभी रात को ही टेलीफोन आया कि पर्चियां गिरवी रखी जा रही हैं। तीन–चार करोड़ रुपया पडरौना मिल पर है, एक करोड़ रुपया गौरी मिल पर है और अन्य मिलों पर भी है। मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि आप यह व्यवस्था करेंगे कि वहां के किसानों को जो पेमेंट नहीं हो रही है, वह हो, क्योंकि मिल्स डेढ़ महीने से बन्द पड़ी है। भारत सरकार की चीनी मिलें हैं, उसकी पेमेंट करवाई जाये। मंत्रीजी इस पर ध्यान दें तो किसानों का बहुत भला होगा।

श्री बी.एल. शर्मा प्रेम (पूर्वी दिल्ली) : माननीय अध्यक्षजी, पिछले कई महीनों से अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संगठन की ओर से संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर सत्याग्रह चल रहा है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संसद को गुमराह करने के सम्बन्ध में आयोग के अध्यक्ष को इस सदन में बुलाया जाये। संघ लोक सेवा आयोग जो अखिल भारतीय स्तर की दस परीक्षायें आयोजित करता है, जिनके माध्यम से उम्मीदवार चुनकर पूरे देश में उच्च प्रशासन पर नियुक्त किये जाते हैं, इन परीक्षाओं में सारे देश के भाषा–भाषियों को सही प्रतिनिधित्व मिले इसके लिए 18 जनवरी, 1968

को संसद के दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से एक संसदीय संकल्प पारित किया था। उसी संकल्प को 11 जनवरी 1991 को पुनः पारित किया गया जिसके पैरा 4 के भाग (क) में यह प्रावधान है कि परीक्षाओं में हिन्दी अथवा अंग्रेजी का एक प्रश्न पत्र वैकल्पिक रूप से अनिवार्य होगा एवम् भाग (ख) में यह प्रावधान है कि सभी परीक्षाओं में संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भारतीय भाषाओं का माध्यम होगा एवं अंग्रेजी की अनिवार्यता हर स्तर पर समाप्त होगी।

संघ लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 315 के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय (स्वच्छन्दशासी नहीं) में हुआ है तथा अनुच्छेद 325 में इसके लिए यह प्रावधान है कि आयोग अपने कार्यकलापों के बारे में प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रेषित करेगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में रखवाया जाता है।

यहां ध्यान देने योग्य विषय यह है कि संविधान के उक्त निर्देशों का संघ लोक सेवा आयोग ने घोर उल्लंघन करके न सिर्फ संविधान का अपमान किया है बल्कि संसद को विस्तृत जानकारी न देकर संसद के साथ–साथ देश को भी गुमराह किया है। क्योंकि :

1. संसदीय संकल्प के पैरा 4 (ख) में यह व्यवस्था है कि परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं का माध्यम देने के लिए आयोग अपने विचार देगा लेकिन संसदीय संकल्प के पारित होने के बाद 25 वर्षों में आज तक आयोग ने अपनी किसी रिपोर्ट में इस "संसदीय संकल्प" को लागू करने अथवा न करने के बारे में कोई सूचना नहीं दी।

2. अनेक सामाजिक संस्थाओं, सांसदों एवं अन्यों के द्वारा इस मांग के समर्थन में आयोग को लिखे पत्रों एवं दिये गये ज्ञापनों का भी उल्लेख अपनी किसी रिपोर्ट में नहीं किया।

3. वन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय ने अपनी उच्च परीक्षाओं को हिन्दी में कराने के लिये जो सिफारिश आयोग को भेजी थी उनका उल्लेख भी किसी रिपोर्ट में नहीं किया गया।

4. मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समितियों की सिफारिशों का उल्लेख भी किसी रिपोर्ट में नहीं किया गया।

5. सबसे गंभीर अपराध आयोग ने यह किया कि इन परीक्षाओं के बारे में भारतीय भाषाओं को लागू करने हेतु राष्ट्रपति के आदेश का भी उल्लेख अपनी किसी वार्षिक रिपोर्ट में नहीं किया।

इस प्रकार यह एकदम स्पष्ट हो जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग नहीं चाहता कि आयोग की परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं का मध्यम पूर्ण रूप से लागू हो और इसी षड़यन्त्र के तहत आयोग ने उपरोक्त उल्लिखित क्रम संख्या 1 से 5 तक के बिन्दुओं के बारे में अपनी किसी रिपोर्ट में उल्लेख न करके न सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 325 में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन करके संविधान का अमान किया है बल्कि इस देश के करोड़ों भाषा–भाषियों को उनके मौलिक एवं नैतिक अधिकारों

से वंचित करके इस देश के साथ महापाप भी किया है। इतना सब कुछ होने के बाद संघ लोक सेवा आयोग के बने रहने के वैधता पर एक गम्भीर प्रश्न चिन्ह लग जाता है जिसका इस देश को उत्तर देना अब आवश्यक हो गया है।

जिस तरह इस संवैधानिक निकाय ने पिछले 25 वर्षों में षड्यंत्र व अनियमितताओं के द्वारा संसद का घोर अपमान किया है उसके लिए भी यह अनिवार्य हो जाता है कि आयोग के अध्यक्ष को संसद में बुलाकर प्रताड़ित करने के साथ–साथ अन्य संवैधानिक दण्ड भी दिया जाये एवं संसदीय संकल्प को लागू कराने के लिए अधिनियम बनाया जाये क्योंकि सारा देश यही चाहता है।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्षजी, आज से कुछ महीने पहले जब जे. पी. सी. की रिपोर्ट पर गत 29–30 दिसम्बर को इस सदन में बहस हुई थी तो बाकायदा पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग्स के जो डिसइन्वेस्टमेंट शेयर हैं उनके बारे में केटेगोरिकली कहा गया था कि हम इस मामले में जल्दी से जल्दी बयान देकर कोई एक्शन टेकन प्रोग्राम बनायेंगे। यहां पर सिक्योरिटी स्कैम का मामला विस्तृत रूप से उठा था। सी. ए. जी. की रिपोर्ट में दो विभागों वित्त एवं उद्योग के बारे 3440 करोड़ रुपये का उल्लेख था कि इनके लोगों ने पब्लिक अंडरटेकिंग्स के डिसइंवेस्टमेंट शेयरों को मार्केट में बेचने का इंतजाम किया। इसके चलते सी.ए.जी. की रिपोर्ट आई। पी.ए.सी. की रिपोर्ट में भी यही था। यह ठीक है कि हम उसको यहां किसी भी नियम के तहत नहीं उठा सकते। मैंने सारे नियम खोजे, मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। केवल एक रास्ता दिखाई दिया कि सरकार उस पर बयान दे और यदि आप अनुमति दें तो ....

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने चेम्बर में आपसे बात करके बता दूंगा।

श्री शरद यादव : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर व्यापक तौर पर जो रिपोर्ट है, वह भयावह है। सीजीए और पीएसी ने कहा है कि 3 हजार करोड़ का मामला है। मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता हूं और न इस पर ज़ीरो आवर में बहस हो सकती है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकारी उपक्रमों के शेयर्स के बारे में जो नीति है कि शेयर मार्किट में कैसे ले जाना है और सरकारी उपक्रमों के सिक यूनिट्स हैं, उनके सुधार के लिये आपने जो प्रोग्राम बनाये हैं उसके चलते किस तरह से इस देश में 3 हजार करोड़ रुपये इन संस्थाओं के दलालों ने लेकर घाटा दिया है और इतना बड़ा नुकसान हुआ है, यह कोई छोटी बात नहीं है। देश के अखबारों में इसकी व्यापक चर्चा हुई है लेकिन फाइनेंशियल कमेटी में इसकी चर्चा करने के लिये परम्परा नहीं है। इस पर सरकार स्यो मोटो बयान दे।

अध्यक्ष महोदय इस पर आज 9 महीने से ज्यादा हो गये जब माननीय वित्त मंत्री ने कैटेगरिकली कहा था कि हम जल्द ही इस सवाल पर कोई रास्ता और ठीक व्यवस्था बनाने का काम करेंगे लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपने जैसा कहा कि चैम्बर में आकर बात करके कोई रास्ता निकल सकता है तो वह हम कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं बात करूंगा।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष जी, मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि जे.पी.सी. की रिपोर्ट पर जब चर्चा हुई थी तो माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन को आश्वासन दिया था कि की गई कार्यवाही रिपोर्ट के साथ वे सदन में प्रस्तुत होंगे।

उसमें 90 दिन से ज्यादा और अब 120 दिन हो गये हैं। एक बहुत बड़ी रिपोर्ट अपने आपमें आयी है जिस पर सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया कि एक्शन टेकन रिपोर्ट सदन में आयेगी लेकिन वह रिपोर्ट कब आयेगी और सदन उस पर कब विचार करेगी ? आप कम से कम डायरेक्शन्स तो दीजिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

श्री निर्मलकान्ति चटर्जी (दमदम) : वित्त मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में भी उन्होंने यह कहा है कि 30 दिसम्बर से तीन महीने के भीतर की गई कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जायेगी। महोदय, यह छपा हुआ है। फिर हम कहां जायेंगे ? क्या आश्वासनों सम्बन्धी समिति को इस पर कार्यवाही करने का निर्देश दिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : इन सब बातों पर मेरे कक्ष में हम अच्छी तरह चर्चा कर सकते हैं। मैं आपको वहां नियम दिखा सकता हूँ, जिसका आप अनुपालन कर सकते हैं; परन्तु यहां नहीं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, रूल्स की बात है तो सदन में एक नयी परम्परा बन रही है। आपके माध्यम से स्टैंडिंग कमेटिज़ बनी हुई है और इस पर बहस नहीं हो सकी। तो जब इतना गंभीर मामला आ जायेगा तो क्या हम इस पर बहस नहीं कर सकते हैं ? आपको मौलिक रूप से इसके बारे में देखना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : एक क्षण की परम्परा बनाने के लिये मत बोलिये। बाद में उसका दुरुपयोग हो सकता है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : लोक लेखा समिति की रिपोर्ट में भी, मैं नियम पुस्तिका के अन्तर्गत नियमों को ढूंढता रहा ....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको नियम दिखाऊंगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : ऐसा केवल नियम 184 के अन्तर्गत किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रक्रियात्मक मामलों पर यहां चर्चा नहीं हो सकती। ऐसा आप मेरे कक्ष में कर सकते हैं। मैं आपकी सहायता करूंगा।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पंजाब के बोर्डर के किसानों की समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। पंजाब के जो किसान पाकिस्तान सीमा पर रहते हैं वहां पाकिस्तान की सीमा के साथ कांटेदार तार लगी हुई है। वह कांटेदार तार कुछ स्थानों पर तो आधा किलोमीटर बॉर्डर को छोड़कर लगी हुई है और कुछ स्थानों पर एक किलोमीटर बॉर्डर के पीछे लगी हुई हैं। तो हज़ारों किसानों की हज़ारों एकड़ जमीन उस कांटेदार तार के आगे जाती है। वहां कांटेदार तार के दो–दो किलोमीटर पर गेट लगे हुए हैं। जब किसान अपनी खेती करने के लिए सुबह 8 बजे गेट पार करते हैं तो उसके बाद गेट बंद कर दिया जाता है। वह शाम को 5 बजे ही खोला जाता है। अगर किसी किसान को अपने खेत में दो घंटे के लिए काम करना है और वह वापस आना चाहे तो वापस नहीं आ सकता। अगर बी.एस.एफ. वाले गेट पार करने वाले व्यक्तियों की चैंकिंग करना चाहते हैं तो करें लेकिन यह नहीं कि गेट सारा दिन बंद रखा जाए। यह किसानों के लिए बड़ी समस्या है। अगर दो–तीन घंटे का किसी का काम है तो उसे सारा दिन बाहर बैठना पड़ता है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि किसान जो दो–चार घंटे काम करना चाहता है वह काम करके अगर वापस लौटना चाहे तो उसे वापस लौटने देना चाहिए। इसके लिए सरकार को बी.एस.एफ. वालों को निर्देश देने चाहिए ताकि किसानों की समस्या हल हो सके और किसानों को अपने खेत में काम करने के लिए कोई परेशानी न हो।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : जनाब स्पीकर साहब, दिल्ली की आबादी तकरीबन एक करोड़ है और इसमें लगभग 70 लाख आदमी गोश्तखोर है। आज बाज़ार में गोश्त की बेहद कमी है और गोश्त की कीमतें आसमान छू रही हैं। जहां तक हमारे सामने बात आई है गोश्त की कीमत 100 और 150 रुपए तक पहुंच गई है और इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो पुराना बूचड़खाना था वह बहुत ही गंदा था और कोर्ट ने यह फैसला किया कि उसको मॉडर्नाइज़ किया जाए। यहां तक कोई ऐतराज़ की बात नहीं है लेकिन यह बात बरसों से चली आ रही है कि यह दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी के लिए नाकाफ़ी है और दिल्ली में और कई मॉडर्न बूचड़खानों की ज़रूरत है। इसके बारे में कई गैर–मुल्कों से भी हमने बात की थी मगर मुझे याद आता है कि हंगरी से भी एक ज़माने में बात की थी मॉडर्न बूचड़खाना कायम करने के लिए मुझे सरकार से यह कहना है कि आज एक तरफ़ उस बूचड़खाने के बंद होने की वजह से स्ट्राइक हुई है और जितने लोग गोश्त के कारोबार से जुड़े हुए हैं, तकरीबन एक लाख परिवार उससे मुतास्सिर हैं और दिल्ली की सारी आबादी उससे

मुतास्सिर है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो मॉडर्नाइज़ेशन का काम वहां हो रहा है उसको जितनी जल्दी हो सके पूरा किया जाए और साथ–साथ केन्द्र सरकार इस मामले में दिल्ली सरकार की क्या मदद करने जा रही है कि कम से कम दिल्ली में ऐसे चार और बूचड़खाने कायम किये जाएं क्योंकि यहां पहले 10 हज़ार मवेशी काटे जाते थे, अब अदालत ने पाबंदी लगा दी है ढाई हज़ार की। अगर ये मॉडनाईज़ हो भी जाएंगे तो उससे दिल्ली की कमी पूरी नहीं होगी और गोश्त की कीमत कम नहीं होगी। तो सरकार अभी भी इस बात पर गौर करे कि कम से कम तीन और बूचड़खाने दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में मॉडर्न साइंटिफिक लाइन्स पर जल्द से जल्द खाले जाएं, यही कहने के लिए मैं खड़ा ... **(व्यवधान)** ...

[**अनुवाद**]

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी (खेड़ा) : पाकिस्तान के हिन्दू अल्पसंख्यक नागरिक जो कि लम्बी अवधि का वीसा लेकर भारत में रहने के लिए आते हैं उन्हें स्थानीय तथा केन्द्रीय प्राधिकारियों के हाथों काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब वे अपने आधिकारिक कार्य के लिए अधिकारियों के पास जाते हैं तो उनके साथ वास्तव में अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान में पिछले कुछ वर्षों से पाकिस्तान में अशांत राजनैतिक और सामाजिक स्थिति होने के कारण बड़ी संख्या में हिन्दू लम्बी अवधि के लिए भारत में रहने के लिए आ रहे हैं तथा उनमें से बहुत से लोग भारत की नागरिकता प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं।

अप्रैल 1950 में हुए नेहरू–लियाकत समझौते के अनुसार हिन्दू अल्पसंख्यकों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए था जैसाकि भारत के अल्संख्यंकों के साथ किया जा रहा है। यहां तक कि पाकिस्तान में उनके मानव अधिकारों का भी संरक्षण और बचाव नहीं किया जा रहा है।

इन नागरिकों के भारत में प्रवास के दौरान स्थानीय पुलिस अधिकारी उन्हें थोड़ा बहुत इधर–उधर जाने पर भी परेशान करते हैं। प्रत्येक वर्ष लम्बी अवधि के वीसा की अवधि में वृद्धि करवाने के लिए उन्हें अधिकारियों का दुर्व्यवहार झेलना पड़ता है। प्रक्रिया सम्बन्धी छोटी–मोटी गलती के कारण भी उन्हें वापस भेज दिया जाता है, विशेषकर गुजरात में, जिस पर कि नियन्त्रण किया जाना चाहिए। जो लोग यहां पर स्थायी तौर पर रहना चाहते हैं, उनके लिए नागरिकता प्राप्त करने हेतु पांच वर्ष की अवधि बहुत अधिक है।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि यहां वहां छोटी–मोटी त्रुटियों के लिए उन्हें इतनी जल्दी वापस नहीं भेजा जाना चाहिए जैसे कि गुजरात में अनेक मामले सामने आ रहे हैं। सरकार को लम्बी अवधि के वीसे तथा नागरिकता प्रदान करने के सम्बन्ध में अपनाई जा रही प्रताड़नापूर्ण औपचारिकताओं को समाप्त करना चाहिए। योग्य नागरिकों तथा तकनीकी व्यक्तियों के लिए आवश्यक अवधि कम करके दो या तीन वर्ष कर दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हां तो श्री फातमी, आप कौन सा मामला उठाना चाहते हैं ? यह नियमानुसार होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष जी, मैं एकॉर्डिंग टू रूल ही बोलूंगा। आज दूरदर्शन गैट के मामले में हिन्दुस्तान के लोगों को गुमराह कर रहा है। हर दिन दूरदर्शन से फिल्म डिवीजन द्वारा बनायी गयी कुछ फिल्में दिखायी जा रही हैं जिनमें सीधे तौर पर सरकार अपने पक्ष को देश की जनता के सामने रखने का काम कर रही है। मुल्क के सामने सरकार अपने पक्ष को रखे, इसमें कुछ बुरी बात नहीं है लेकिन इन फिल्मों में डायरेक्ट विपक्ष का नाम लेकर और कुछ पेपर्स की कटिंग दिखाते हुये कहा जाता है – बी.जे.पी. इज नॉट क्लियर एवाउट गैट – जैसे केवल बी.जे.पी. ही गैट के खिलाफ है। जिस तरह दूरदर्शन के माध्यम से बी.जे.पी. और अपोजीशन के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया जा रहा है, आक्रमण करने का काम किया जा रहा है उससे लगता है कि इस देश में दूरदर्शन कांग्रेस आई के स्पोक्समैन की हैसियत के काम कर रहा है।

मैं समझता हूं कि गैट आज भी मुल्क के अंदर एक विवाद का मामला है, डिस्कशन का मामला है। अध्यक्ष जी, आप स्वयं उन फिल्मों को मंगवा कर देख सकते हैं। इससे साफ परिलक्षित होता है कि सरकार दूरदर्शन का इस्तेमाल अपोजीशन के खिलाफ कर रही है, यह हमारा चार्ज है। आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि सरकार इसे गम्भीरता से ले और इसे ठीक करने का काम करे। सरकार दूरदर्शन का मिसयूज नहीं कर सकती और दूरदर्शन कांग्रेस आई के स्पोक्समैन की हैसियत से काम नहीं कर सकता। आम लोगों को गैट के दोनों पक्ष दिखाये जाने चाहिये, सरकार उसे सिर्फ अपने पक्ष को दिखाने के लिये इस्तेमाल नहीं कर सकती। आज सिर्फ सरकार के पक्ष को ही दूरदर्शन पर दिखाने का काम हो रहा है। गैट के मामले में पूरा विपक्ष एकमत है कि इसके जरिये देश को कमजोर करने का काम हो रहा है। यह बहुत ही सीरियस मामला है।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, इस मामले में दोनों पक्षों के विचारों का समावेश करके दूरदर्शन पर दिखाया जाना चाहिये, पक्ष और विपक्ष दोनों के विचारों को दूरदर्शन पर दिखाना चाहिये। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि आप हमें भी मौका दीजिये। सरकार ही अपने पक्ष को रखने का काम न करे, क्योंकि आज सरकार ही अपने पक्ष को रखने का काम कर रही है।

श्री नीतीश कुमार : आज बिल्कुल एकतरफा प्रचार दूरदर्शन के माध्यम से किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, आप स्वयं टेलीफिल्मों को मंगवाकर देख सकते हैं कि किस तरह एकतरफा प्रचार गैट के मामले में हमारा दूरदर्शन कर रहा है।

श्री राम विलास पासवान : उन फिल्मों में बी.जे.पी. का नाम लेकर कहा जाता है, जैसे केवल बी.जे.पी. ही गैट प्रस्तावों का विरोध कर रही है, कोई दूसरा दल विरोध नहीं कर रहा है जबकि

वास्तविकता यह है कि पूरा विपक्ष गैट के मामले में एकमत है। दूरदर्शन ने बड़ा निगेटिव एटीट्यूड अख्त्यार किया हुआ है जैसे गैट का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं और सिर्फ बी.जे.पी. ही इसका विरोध कर रही है। सरकार लोगों के दिमाग में दूसरी चीज भर देना चाहती है जैसे गैट के पक्ष में कांग्रेस पार्टी है, विपक्ष में बी.जे.पी. है और हम लोग जीरो हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : यदि उसमें नीतीश कुमार जी का नाम ले दिया तो पासवास जी को आपत्ति हो सकती है।

श्री नीतीश कुमार : लेकिन दूरदर्शन पर गैट के मामले में एकतरफा प्रचार क्यों किया जा रहा है। पहले दूरदर्शन पर डिबेट होती थी, गैट पर डिस्कशन होता था लेकिन अब डेढ़ साल से उसे बंद कर दिया गया है और पिछले तीन महीने से एकतरफा प्रचार चल रहा है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : दूरदर्शन पर जो दोतरफा डिस्कशन दिखाते हैं तो उसमें ऐसे आदमी को इन्होंने चुना है जो ठीक से डिफेंड भी नही कर सकता। उसमें जो लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि डंकेल प्रस्ताव क्या है। सवाल ही ठीक से नहीं पढ़े जाते हैं। जो आदमी डिफैंड करता हुआ बोलता है, उसकी पूरी बात को भी नहीं दिखाया जाता है। सब कुछ दूरदर्शन में वन–साईडेड हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिये। उस पर ऐसी डिबेट होनी चाहिये जिसे लोग पसन्द करें।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि दूरदर्शन अपना कर्त्तव्य निभा रहा है। .... **(व्यवधान)** ...... यह वास्तविकता को प्रस्तुत कर रहा है ... **(व्यवधान)** .... ताकि देश के हितों के विपरीत कोई भ्रांतिपूर्ण प्रचार न हो।

श्री नीतीश कुमार : दूरदर्शन कांग्रेस दर्शन के लिए नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : आज दूरदर्शन लोगों को गुमराह करने वाला इंस्ट्रूमेंट बनकर रह गया है।

श्री नीतीश कुमार : यह दूरदर्शन नहीं है, डंकेल–दर्शन हो गया है। इसे कांग्रेस दर्शन नहीं बनने दिया जा सकता। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। किसी को भी गलत प्रचार करने के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा तथा सही जानकारी देने से निरूत्साहित नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सभी पक्षों की बात दूरदर्शन पर आनी चाहिये।

श्री राम विलास पासवास : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि दिल्ली जहां हम बैठे हुए हैं पानी की इतनी बड़ी किल्लत है और बिजली नहीं मिलती है ......

अध्यक्ष महोदय : वह हम खुराना जी से पूछेंगे ।

श्री राम विलास पासवान : सर, कल यहां पर 15 मिनट के लिए बिजली गायब थी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं ?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में फर्स्ट फ्लोर में कहीं भी पानी नहीं पहुंच रहा है। गर्मी का मौसम है। जनता त्राहि–त्राहि कर रही है। सर, यह जनजीवन से संबंधित प्रश्न है। सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, वे इस मसले को गम्भीरता से लें और देखें तथा पानी और बिजली उपलब्ध करवाएं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पावन आधा घण्टा समाप्त होता है।

अब, सभा पटल पर रखे जाने वाले पंत्र।

[अनुवाद]

12.31 म. प्र.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रेलवे में भर्ती और पदोन्नति श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को उन्हीं उम्मीदवारों से भरने के बारे में प्रगति में संबंधित प्रतिवेदन

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : महोदय, मैं 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रेलवे में भर्ती और पदोन्नति श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए

आरक्षित रिक्तियों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से भरने के बारे में की गई प्रगति से संबंधित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल०टी० 5830/94]

नारियल विकास बोर्ड, कोचि का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखे तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 25 की उपधारा (4) के अंतर्गत नारियल विकास बोर्ड, कोचि के वर्ष 1992–93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 17 की उपधारा (4) के अंतर्गत नारियल विकास बोर्ड, कोचि के वर्ष 1992–93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नारियल विकास बोर्ड, कोचि के वर्ष 1992–93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल०टी० 5831/94]

उड़ीसा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण आदि

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : श्री एस. कृष्ण कुमार की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) :

(एक) उड़ीसा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1985–86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उड़ीसा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 1985–86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 5832/94]

हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे और कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण, आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 1992–93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) हैदराबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974 की धारा 29 की उपधारा (4) के अंतर्गत हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 1992–93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 1992–93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शान वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल०टी० 5833/94]

(3) (एक) रामपुर रज़ा लाइब्रेरी अधिनियम, 1975 की धारा 22 की उपधारा (2) के अंतर्गत रामपुर रज़ा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 1991–92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामपुर रज़ा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 1991–92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शान वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गया, देखिए संख्या एल० डी० 5834/94]

(5) (एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 1992–93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 1992–93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० डी० 5835/94]

(7) विश्व–भारती शांतिनिकेतन के वर्ष 1992–93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 5836/94]

(9) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1992–93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल०टी० 5837/94]

12.32 म० प०

याचिका समिति

बारहवां प्रतिवेदन

श्री पी. जी. नारायणन (गोबिचेट्टियालयम) : महोदय, मैं याचिका समिति का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.32 ¼ म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) केरल के पथानम्थिट्टा जिले में कोकाथोड्डू क्षेत्र के विद्युतीकरण के लिए केरल राज्य विद्युत बोर्ड के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अडूर) : कोकाथोड्डू केरल के पतनमथीटा जिले में स्थित है। यह पहाड़ी और सुदूरवर्ती क्षेत्र है। 2,000 से अधिक परिवार वहां रहते हैं। कोकाथोडू के आस–पास का क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ है। वहां सड़कें और अन्य मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। कोकाथोड्डू के 5000 से अधिक लोग बिजली की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। विद्युतीकरण की कोकाथोड्डू की जनता की लंबे समय से मांग रही है।

इस क्षेत्र में विद्युत प्रदान करने के लिए केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने लगभग 35 लाख रुपये का अनुमान लगाया है। यह प्रस्ताव विद्युत मंत्रालय को स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। लेकिन प्रस्ताव को अभी स्वीकृति नहीं दी गई है।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि केरल राज्य विद्युत बोर्ड के इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करे ताकि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत कोकाथोड्डू की जनता को यह सुविधा शीघ्रातिशीघ्र प्रदान की जा सके।

12-33 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(दो) उड़ीसा में सम्बलपुर-तालचेर रेल लाइन निर्माण को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सम्बलपुर तालचेर रेल लाइन की आधारशिला 1984 में रखी गई थी और पिछले एक दशक के दौरान इस परियोजना का निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। इस बात को देखते हुए कि यह निर्माण कार्य इतनी धीमी गति से किया जा रहा है यह डर है कि यह परियोजना 20वीं शताब्दी में पूरी नहीं हो सकेगी। अपर्याप्त बजट आबंटन और संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उपयुक्त निगरानी न किए जाने के कारण इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजना का कार्य अत्यंत धीमी गति से हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप जनता में असंतोष व्याप्त हो रहा है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना को उच्च प्राथमिकता देते हुए तत्काल आवश्यक कदम उठाए ताकि इसे एक वर्ष में पूरा किया जा सके और तेलचर के पास चेनपाल में एक रेलवे स्टेशन बनाया जाए तथा बर्नपाल–तेलचर सड़क पर एक उपरि पुल बनाया जाए।

(तीन) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना, जिससे खनन उद्योग के लिए समस्याएं पैदा हो रही हैं का निरसन करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अधीन सूचना पढ़ रहा हूं :–

"भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग की अधिसूचना के कारण राजस्थान राज्य के खनिज उद्योगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। खाने बन्द हो गई है और इस पर आधारित उद्योग, मजदूर वर्ग एवं ट्रक ऑपरेटर बेरोजगार हो गए हैं। राज्य की आय का बहुत नुकसान हो रहा है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस अधिसूचना को राज्य के हित में समाप्त करे।"

(चार) उन लोगों को, जिनकी भूमि रांची, बिहार के छावनी क्षेत्र में अर्जित की गई है, रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र रांची में मिलिट्री छावनी के लिए ग्राम गाड़ी, सुगनू, खटगा, डुमरवगा आदि के गांव के लोगों की जमीन ली गई किन्तु अभी तक उनके परिवार के लोगों को नौकरी नहीं दी गई है। उनके गांव में उन्हें आने–जाने से रोका जाता है। उनके आवागमन के जो रास्ते थे, उन्हें बन्द कर दिया गया है जिसके कारण लोगों को अपनी जीविका चलाने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि छोटे–छोटे बच्चों को भी आने–जाने से मना कर दिया है जिसके कारण वे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस मामले की जांच हो और जिन लोगों को उनकी भूमि का भुगतान नहीं हुआ है, उनको भुगतान किया जाए और प्रत्येक विस्थापित परिवार के लोगों को तत्काल नौकरी दी जाए और उनके आवागमन के रास्ते न रोके जाएं।

(पांच) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जिले में आलू उत्पादकों के हितों की सुरक्षा के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता।

श्री राम पूजन पटेल (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री का ध्यान देश के आलू उत्पादकों की जटिल समस्याओं की और आकृष्ट कर रहा हूं। उर्वरकों की मूल्य वृद्धि से आलू के उत्पादन पर लागत उसके विक्रय मूल्य से अधिक पड़ रहीं है। इसका मुख्य कारण सरकार द्वारा कोई सार्थक समर्थन मूल्य घोषित न करना है जिसके कारण व्यापारी मनमाने ढंग से आलू की खरीद करते हैं। देश में आलू का वार्षिक उत्पादन लगभग 150 लाख मीटरिक टन है जबकि खपत कुल

उत्पादन की 60 प्रतिशत ही हैं। इस प्रकार आलू के कुल उत्पादन का 40 प्रतिशत सड़कर बर्बाद हो जाता है क्योंकि देश में आलू का भंडारण तथा प्रसंस्करण करने की पर्याप्त सुविधा नहीं है। इलाहाबाद जनपद में ही वर्तमान समय में लगभग 5 लाख टन आलू का उत्पादन हो रहा है जिसमें अधिकांश आलू शीतालयों में रखने की पर्याप्त सुविधा नहीं है। जो आलू शीतालयों में रखा भी गया है, वह सड़ गया है। इसलिए यह आवश्यक है कि आलू का निर्यात प्रचुर मात्रा के किया जाए, प्रसंस्करण के माध्यम से ऐसी वस्तुओं का निर्माण किया जाए जो सहज रूप में पूरे वर्ष प्रयोग में लाई जा सके। शीतालय बनवाने के लिए कृषकों को प्रोत्साहित किया जाये, शीतालयों में आलू खराब होने पर कृषकों को मुआवजा दिलवाने की व्यवस्था की जाए।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि आलू आधारित कल कारखानों को स्थपित करने, निर्यात की व्यवस्था, शीतालयों में आलू सड़ने पर मुआवजा देने आदि की व्यवस्था करके आलू उत्पादकों को राहत की सांस लेने के लिए तत्काल साहसिक कदम उठाए जाएं।

12.38 म० प०

अनुदानों की मांगे (सामान्य) 1994-95 – जारी

(एक) मानव संसाधन विकास मंत्रालय – जारी

डा एस. पी. यादव (सम्भल) : उपाध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदान मांगो पर चर्चा हो रही थी। मैं उसमें आगे अपने वक्तव्य में कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सन् 1991-92 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नकल अध्यादेश लागू किया था। उसके पश्चात् 1993-94 में, जिस समय सत्ता परिवर्तन हुआ, उस अध्यादेश को वापिस ले लिया गया और जनता के अन्दर एक ऐसा संकेत भेजा गया, विद्यार्थियों के लिए ऐसे संकेत दिए गए जैसे नकल के लिए ऐलाऊ कर दिया गया है। मेरा कहना है कि यदि अध्यादेश को वापिस लेकर उत्तर प्रदेश की हायर सैंकंडरी ऐजूकेशन में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परिक्षाएं चल रही हैं, उनमें इस समय वातावरण बहुत ही खराब है। मेरा अपना अनुभव है, मैने स्वयं देखा है क्योंकि मैं बरेली के एक पोस्ट ग्रेजुएट कालेज से संबंधित हूं। मैं जानता हूं कि आज कालेजों में नकल हो रही है। यू.पी. बोर्ड की जो परीक्षाएं हो रही हैं, उनमें बराबर नकल हो रही है और शिक्षक उस नकल को रोकने में असमर्थ हैं क्योंकि जब वातावरण ही बिगड़ गया तो विद्यार्थियों ने यह महसूस किया कि हमारे लिए अध्यादेश वापिस लेकर नकल का रास्ता खोला गया है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि झांसी में एक लाईब्रेरी सर्टीफिकेट की परीक्षा हो रही थी तो विद्यार्थी किताबें लेकर पहुंचें। शिक्षक ने कहा कि किताबों से परीक्षा नहीं होगी तो विद्यार्थियों ने

साफ–साफ कहा कि नकल अध्यादेश वापिस ले लिया गया है, इसलिए हम किताबों से नकल करके परीक्षा देंगे।

तो इस तरह से सरकारों के बदलने पर, मैं यह समझता हूं कि विद्यार्थियों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। यहां हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री जी बैठे हुए हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि कोई भी प्रदेश हिन्दुस्तान का केन्द्रीय सरकार के इस विभाग के अन्तर्गत आता है, इसलिए वह विशेष तरह के ध्यान दे कि परीक्षाऐं सुचारु रूप से पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर एक ही वातावरण में एक ही प्रकार की स्थिति में सम्पन्न हों तो इस देश की शिक्षा का कुछ कल्याण हो सकता है।

मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज जो माध्यमिक शिक्षा है, उसमें ट्यूशन का इतना बड़ा बोलबाला है कि कालेजों के अन्दर पढ़ाई बिल्कुल ठप्प हो गई है। ट्यूशन में पहले एक या दो विद्यार्थी बैठा करते थे लेकिन अब 20.20, 25.25 विद्यार्थी ट्यूशन पर एक साथ बैठते हैं और कालेजो में शिक्षा का कार्य एक तरह से चौपट हो गया है।

शिक्षकों की नियुक्तियों के बारे में कहना चाहता हूं कि नियुक्तियों का कोई आधार नहीं है। उत्तर प्रदेश में नियुक्तियों के लिए माध्यमिक शिक्षक कमीशन बना था। वह कमीशन बिल्कुल पंगु हो गया है। कमीशन में कोई भी नियुक्ति नहीं हो रही है और सरकार ने नियुक्तियों पर पाबन्दी लगा दी है। न तो प्राइवेट मैनेजमेंट शिक्षकों की नियुक्ति कर सकते है और न कमीशन से ही नियुक्तियां होकर आ रही है। इस तरह से 1.1 कालेज के अन्दर 15.17, 20.20 वेकेन्सीज खाली पड़ी हुई हैं और शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं हो रही हैं और पर्याप्त शिक्षक कालेजो के अन्दर उपलब्ध नहीं है।

उत्तर प्रदेश के शिक्षा के मामले में प्राईवेट मैनेजमेंट और सरकार के बीच में कोई तालमेल नहीं है। सरकार ने शिक्षा को फ्री कर दिया है। फ्री करने का प्रभाव यह है कि कालेज में कोई फीस नहीं आती है जिससे कालेज का रखरखाव, कालेज की साज–सजा, कालेज का मेण्टीनेंस कुछ नहीं हो पा रही है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा, वह दूसरी तरफ बातों में इस समय बहुत ही ज्यादा संलग्न हैं, मैं चाहूंगा कि वह कुछ बातें सुने ताकि शिक्षा की तरफ कुछ ध्यान दे सकें।

मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस समय परीक्षाओं का समय है लेकिन केवल एक विश्वविद्यालय रुहेलखण्ड, बरेली के परीक्षाऐं चल रही है। बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी विश्वविद्यालय में परीक्षाऐं नहीं चल रही हैं। परीक्षाओं का कार्यकाल इस तरह से अनियमित कर दिया गया है कि जुलाई के महीने में जिस समय एडमीशन हुआ करते थे और जो पढ़ाई का कार्यक्रम चलता था, उस समय अब विश्वविद्यालयों में परीक्षाऐं होती हैं। जो देश का सबसे प्रख्यात विश्वविद्यालग इलाहाबाद विश्वविद्यालय था, जहां से अधिकांश आई.ए.एस., आई.पी.एस. हुआ करते थे, आज इस विश्वविद्यालय का क्या हाल हो गया है कि उसकी परीक्षाऐं भी अनियमित हैं और उस तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर दो विश्वविद्यालय हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वावधान में आते हैं। एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और दूसरा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय है। दोनों विश्वविद्यालयों में मैंने यह देखा है .....

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है, उपाध्यक्ष महोदय। मुझे देखने से लगता है कि सदन में कोरम पूरा नहीं है। इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और सदन में कोरम नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः घंटी बजाई जाए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः सदन में कोरम है।

श्री यादव आप अपना भाषण जारी करें।

डा. एस.पी. यादवः उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बता रहा था कि उत्तर प्रदेश में इस समय परीक्षाओं का समय है और केवल एक ही विश्वविद्यालय रुहेलखन्ड में परीक्षायें चल रही हैं, बाकी सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षायें अनियमित हो गई है। परीक्षाओं का समय मार्च–अप्रैल से हटकर जुलाई–अगस्त पहुंच गया है। इस दिशा में सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, काशी विश्वविद्यालय में अभी तक किसी वाइस–चांसलर की नियुक्ति नहीं की गई है। वहां के विद्यार्थी यहां पर घूमते रहे और मंत्री जी से भी मिले होंगे, उसके बाद जाकर नियुक्ति हुई है। अब वहां पर स्ट्राइक और अन्य प्रकार की स्थितियां पैदा हो गई हैं, जिसके कारण विश्वविद्यालय बन्द हो गया है। सरकार का ध्यान विश्वविद्यालय की जो व्यवस्था है, उनकी ओर नहीं है। मैं यह भी कहना चाहता हूं, हायर एजुकेशन कमीशन के द्वारा उत्तर प्रदेश में एप्वाइंटमेंट किए जाते हैं। उन एप्वाइंटमेंट्स के अन्दर भी बड़ी अनियमिततायें हैं। यू.जी.सी. के द्वारा दिया हुआ नॉर्मस है कि +बी कैटेगरी के तहत ही एप्वाइंटमेंट होगी। उसमें दी हुई व्यवस्था है कि इन्टरमीडिएट और बी.ए. क्लास में अलग से 50% मार्क्स या दोनों को मिलाकर 55% मार्क्स, एम.ए. में 55% मार्क्स, तब जाकर +बी. में वह क्वालिफाइड होता है। उत्तर प्रदेश में एन के पी एम बी चन्दौसी, में एक प्रिसिपल का एप्वाइंटमेंट हुआ है। वह प्रिसिंपल हाई स्कूल में थर्ड डिवीजन, इन्टरमीडिएट में थर्ड डिवीजन, बी.ए. में सप्लीमेंटरी और एम.ए. में 55% मार्क्स हैं। ऐसे व्यक्ति की हायर एजुकेशन कमीशन के द्वारा प्रिसिंपल की पोस्ट पर नियुक्ति हुई है। मैं फिर वही बात कहूंगा, चूंकि शिक्षा के मामले में कॆन्द्रीय सरकार का दखल नहीं है, इसलिए चाहे उत्तर प्रदेश हो या कोई अन्य प्रदेश, ये अनियमिततायें हो रही हैं। जब तक इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता है और यही वजह है कि प्रदेशों में मनमानी की जाती हैं।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र सम्भल, जो कि शिक्षा के मामले में बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यह क्षेत्र दिल्ली राजधानी से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन वहां पर कोई भी सरकारी कालेज

या कोई भी सेन्ट्रल स्कूल या नवोदय विद्यालय नहीं दिया गया है। इस बात को मैने नियम 377 के अधीन भी उठाया, इसके अलावा जीरो–आवर में भी मांग की और माननीय मंत्री जी को भी पत्र लिखा है। मेरे क्षेत्र में बदाऊं ओर मुरादाबाद, दो जिले पड़ते हैं, यदि आप इन दोनों के लिए कोई भी सेन्ट्रल स्कूल, नवोदय विद्यालय देते हैं, तो हम सौ बीघा जमीन फ्री देने के लिए तैयार हैं। आप इसकी व्यवस्था करें।

एक बात मैं प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। यह शिक्षा प्रौढ़ नहीं है, बल्कि फ्रॉड हो गई है। चूंकि हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, हम लोग फील्ड वर्कर हैं, देखते हैं कि यह फ्रॉड एजुकेशन है, इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। इसमें सिर्फ झूठे आंकड़े भरकर पैसे का गोलमाल किया जा रहा है। उस पैसे का पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, कोई उपयोग नहीं हो रहा है। मै माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसकी व्यापक रूप से जांच करायें और इस कार्यक्रम की वैधता को सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

इस पैसे को कहीं प्राइमरी एजूकेशन, सैकेंड्री एजुकेशन या डिग्री एजूकेशन में दे देंगे तो कुछ लाभ हो जायेगा लेकिन प्रौढ़ शिक्षा से कोई लाभ होने वाला नहीं है। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मेडीकल और इन्जीनियरिंग कॉलेज का जो वितरण है वह भी समान नहीं है। रोहेल खंड विश्वविद्यालय बरेली में काई भी मैडीकल या इंजीनियरिंग कॉलेज आज तक नहीं खोला गया है। सन 74 में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी लेकिन आज तक वहां कोई भी मेडीकल या इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोला गया है। मै आपसे अनुरोध करूंगा कि इस दिशा में भी सैंट्रल गवर्नमेंट कुछ पहल करे।

महोदय, कल यहां पर हमारे खेल मंत्री वासनिक साहब कुछ बात कर रहे थे। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि खेल से शायद खेल विभाग का कोई मतलब ही नहीं है। आज हमारे यहां बहुत अच्छे–अच्छे इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी श्री चेतन चौहान और श्री असलम शेर खां सांसद हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैने 17 साल तक खेल खिलाए। मैंने सन् 70 से 87 तक लगातार गेम्स के फील्ड में काम किया है। मैं लान टेनिस ओर बैडमिंटन का एक बढ़िया खिलाड़ी रहा हूं और बचपन में वालीबॉल और हॉकी का खिलाडी रहा हूं। मैने खेल जगत में ऑल इंडिया लेवल के खिलाड़ी पैदा किए हैं। आज कुलदीप सिंह नाम के जो खिलाड़ी हैं वे मेरे द्वारा ही बनाए हुए खिलाड़ी हैं जिनका बहुत नाम है। हमने बहुत से विद्यार्थियों को खेल में अच्छी ट्रेनींग दी जो आज उत्तर प्रदेश में स्पार्ट्स के ऑफिसर बने हुए हैं। मै पूछना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान की खेलों में क्या स्थिति है? वासनिक साहब क्या इसे एक्सप्लेन करेंगे या युवा केन्द्रों की बात करते रहेंगे? इन युवा केन्द्रों में क्या हो रहा है आप उसकी जांच कराएं। खेल के मैदान में जो लोग खेल से संबंधित रहे हैं वही खेल की गरिमा को समझ सकते हैं दूसरे राजनीतिक लोग उसकी गारिमा को नहीं समझ सकते हैं। खेल की भावना बहुत ही पवित्र हुआ करती है जिसमें हार–जीत को मायने नहीं रखती है लेकिन फिर भी एक इतना बड़ा 95 करोड़ की आबादी का देश और औलिम्पिक में एक भी पदक न जीत सके यह हमारे देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है। इसका क्या कारण है, इसके पीछे कौन सी चीज छिपी हुई है

इसकी जांच हमारे मंत्री जी को करनी चाहिए। मंत्री जी बता नहीं सकते कि फुटबाल के फील्ड की लम्बाई–चौड़ाई क्या होती है, बैडमिंटन की गैलरी कितनी चौड़ी होती है तो जो लोग इस चीज को जानते हैं उनकी सेवाओं को सरकार कभी राजनीतिक कारणों से प्राप्त करने का प्रयास नहीं करती है ओर उस दिशा में कोई विकास नहीं हो पाता है। हमारां जब भी कभी कोई गेम होता है तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है क्योंकि हिन्दुस्तान का नंबर पीछे ही रहता है, कहीं पर भी खेल मे कोई विकास नहीं होता है चाहे इसके कुछ भी कारण रहे हों।

महोदय, अगर मंत्री जी इस दिशा में कुछ करना चाहते हैं तो वे एक ऐसी कमेटी बना सकते हैं। इस सदन मे जो जानकार माननीय सदस्य हैं उनकी कमेटी बना सकते हैं और वे जब तक फील्ड में जाकर देखेंगे नहीं तब खेलों के साथ न्याय नहीं होगा । खिलाड़ियों को जो भत्ता दिया जाता है उसमें उनके साथ पूरी तरह से न्याय नहीं होगा। कहीं ऐसा भी होता है कि जैसे कपिलदेव ने एक तरफ तो विश्व रिकार्ड बनाया और दूसरी तरफ उसका नाम टीम से काट दिया गया तो इस तरह से अपमान हिन्दुस्तान में ही होता है। जो खिलाडी चोटी पर पहुंचा और उसको फिर गिरा कर नीचे रख दिया इस तरह से खिलाड़ियों का मनोबल टूटता है कि पता नहीं कब किस को ड्राप कर दिया जायेगा। मै कहना चाहता हूं कि खेल शिक्षा से जुड़ी हुई एक अनूठी चीज है।

मैं आपको दिल्ली का एक उदाहरण बताना चाहता हूं। अभी 2-3 दिन पहले अखबार में लिखा था कि छोटे–छोटे बच्चे पार्क में खेल रहे थे उन्हें पुलिस वालों ने पीटा और घर वालों ने भी उन्हें परेशान किया कि पार्क में क्यों जाते हो और लोगों ने भी कहा तो उन्होंने बड़े गिड़गिड़ा कर कहा कि अंकल फिर हम कहां खेलें।

आज बच्चे खेलने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में प्रतिभाओं का अभाव नहीं है, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने की आवश्यकता है, जिनके तहत 15 वर्ष की उम्र तक का बच्चा किसी भी खेल में लग जाएगा तो उसमें वह चोटी पर पहुंच सकता है, लेकिन 20 वर्ष की उम्र में यदि कोई खेलना शुरू करेगा तो वह कभी चोटी पर नहीं पहुंच सकता। इसलिए उत्तम खेल परिस्थितियां प्रदान करें। ... **(व्यवधान)** ...

मैं इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमारे देश के ग्रामीण अंचल में टाट–पट्टी पर स्कूल लगते है, जबकि शहरों में पब्लिक स्कूल्स में प्राइमरी और हाई–स्कूल की शिक्षा दी जाती है, जहां पर बच्चे को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध होती है। शहरों में सरकारी स्कूल भी हैं। मेरा निवेदन है कि इन सब स्कूलों को समाप्त करके देश में एक ही तरह के अवसर प्रदान करने वाली एक तरह की शिक्षा प्रदान की जाए। जो नींव स्कूली शिक्षा में रख दी जाती है, वह अंत तक काम करती है। खेल और योगा को शिक्षा में अनिवार्य किया जाए तथा विश्वविद्यालय की शिक्षा को खेलों से जोड़ कर एक अच्छा माहौल बनाने का प्रयास किया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. गिरिजा व्यास (उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, जॉन ड्यू ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि शिक्षा का अर्थ है समाज मे स्थिरता लाने के साथ–साथ परिवर्तन लाना। शिक्षा का अर्थ है मनुष्य का सर्वांगीण विकास। मैं समझती हूं कि शायद इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए 1985 मे मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की गई, ताकि आजादी के इतने वर्षो के पश्चात मनुष्य को मनुष्य का दर्जा मिल सके। जिससे मनुष्य को शिक्षा जैसी अतिआवश्यक चीज मुहैय्या हो जाए और उसका संपूर्ण विकास हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मै माननीय मंत्री जी को बधाई और धन्यवाद दोनों देना चाहती हूं कि 6 दिसंबर 1993 को उन्होंने शिक्षा के संबंध में एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया, जोकि 1993-94 की एक ऐतिहासिक घटना रही। इस शिखर सम्मेलन में दूरस्थ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, 2000 तक की शिक्षा, 1998 की शिक्षा नीति आदि विषयों पर चर्चा की गई। इस संबंध में नए स्कूल खोलने, बेहतर प्रक्रियाएं शुरू करने आदि विषयों पर भी विचार किया गया। इस सम्मेलन में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी उभर कर सामने आए, जिसकी तरफ मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, बार–बार अनेक योजनाएं बनाई गईं, अनेक कमीशन विठाए गए, लेकिन स्थिति वही की वही रही। आज शिक्षा की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ दी गई है। केन्द्र इस बारे में जो निर्णय लेता है, उनके आधार पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं और प्रक्रियाओं का दायित्व केन्द्र का रहता है। इस स्थिति में अलग–अलग तरह के मुद्दे सामने आते हैं और इसी निर्णय पर सब पहुंचते हैं कि बहुद्देश्यीय शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा का यह स्वरूप नहीं आ पाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब भी बच्चों की शिक्षा की बात होती है तो मुझे अष्टावक्र की कहानी याद आती है। राजा जनक के दरबार में जब अष्टावक्र पहुंचे तब उनकी उम्र 8 वर्ष की थी और सभी सभासद उनको देखकर हंसने लगे। राजा सकपकाया और सभासदों को कुछ कहने के बारे में सोचने लगे, इतने में ही अष्टावक्र ने कहा कि 'राजा, इनको मत टोकिए। यदि ये मेरे शरीर की बनावट को देखकर हंस रहे हैं तो ये चर्मकार है। दूसरी बात यह है कि यह शरीर न तो मैने बनाया है और न ही मेरे माता–पिता ने बनाया, यह तो ईश्वर ने बनाया है।'

1.00 म.प.

ईश्वर इसके लिए उत्तरदायित्व है। दूसरे श्लोक मे उन्होंने कहा, आप हंसे तो उन लोगो पर जिन्होंने मेरा बचपन मुझसे छीना है। मेरे वे गुरुजन, माता–पिता और ईश्वर है जिन्होंने मुझे जीवन दिया। मैं सोचती हूं कि भारत का बच्चा बार–बार हमसे अपने बचपन की दुहाई मांगता है कि मुझे अपना बचपन दे दे ओर जो मेरे अधिकार हैं वे दे दे। उस अधिकार का पहला प्रारूप और स्वरूप शिक्षा है जो उसे मिलनी चाहिए। मै मंत्रालय को बधाई देती हूं जिन्होंने सन् दो हजार तक सभी को शिक्षा मुहैया कराने की शुरूआत की है और उसके लिए अपने प्रतिबद्धता भी दिखाइ है। कल

हमारी तरफ से और दूसरी तरफ से बोलने वालों का मुद्दा यही था कि पूर्ण साक्षरता के लिए जो राज्य सरकार चुनाव कर रही है क्या उससे पूर्ण साक्षरता हो जाएगी? मैने अजमेर की अपनी हाल की यात्रा के दौरान यह पाया था कि जो जिले राजस्थान में पूर्ण साक्षरता वाले घोषित कर दिए गए हैं वहां 20-25 प्रतिशत महिलाएं आज भी निरक्षर है। केवल आंकड़ों मे ही साक्षरता दिखा देना एक बात है। आपकी रिपोर्ट के अनुसार एम पी के केवल 19 जिले हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है। दूसरे राज्यों की स्थिति इसमें नहीं आई है, कृपया उन्हें भी जोड़ने का कष्ट करें। प्रौढ़ निरक्षरता कैसे समाप्त हो यह मूलभूत प्रश्न है। आजादी के 40 वर्ष बाद प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में बहुत कुछ योजनाएं बनीं और बहुत कुछ काम हुआ। लेकिन वह केवल कागजों पर ही रहा और प्रौढ़ निरक्षरता आज वहीं पर कायम है। इस संबंध में कुछ निर्णय लेने पड़ेगें। महिला शिक्षा योजना पर भी मैं कहना चाहती हूं। जो हमारी प्रतिबद्ध संस्थाएं हैं, उनको सरकार कार्य दे अन्यथा केवल आंकड़े बनकर रह जाएंगे।

एक मुद्दा शैक्षिक बोझ को कम करने का है। मै आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने डा. यशपाल जी को इस काम के लिए लगाया है। इस संबंध मे हमे निर्णय लेना पड़ेगा कि एक तो बस्ते का बोझ जो अंग्रेजी स्कूलों में है और दूसरा उससे अधिक मानसिक और शैक्षणिक बोझ हैं जिसको गांव का बच्चा उठाता है वह कैसे कम किया जाए। गांवों के स्कूलों में यदि नामांकन और ड्राप–आऊट की संख्या देखे जो यह बात उभरकर सामने आ जाती है कि नामांकन 80 प्रतिशत हो जाता है और पांचवी कक्षा तक आते–आते 50 प्रतिशत पुरुष बच्चे स्कूल छोड़ देते है। उसका यह कारण होता है विषय को वह ग्राह्य नहीं कर सकता क्योंकि बच्चा उस बोझ को ढोने मे असमर्थ हो जाता है। शारीरिक बोझ तो ढो लेता है लेकिन मानसिक और शैक्षणिक बोझ को कैसे उठवाया जाए, यह मूलभूत प्रश्न है। इस संबंध मे एक सब–कमेटी बनाकर आपको विचार करना चाहिए। आपके सेन्ट्रल स्कूलों की पुस्तकों की भाषा को देखें तो विषय की गुढता के साथ भाषा इतनी क्लीष्ट है कि गांव का बच्चा उस भाषा को ग्राह्य नहीं कर सकता। मैं माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए आपको बधाई देना चाहती हूं। व्यवसाय से पहले जो स्कूल हमने खोले थे उन स्कूलों से जो बच्चे पास करके गए है, उनका डैटा मंत्रालय मंगा लेता तो अच्छा होता। किसी भी स्कूल के किसी भी बच्चे को आज तक उसके माध्यम से नौकरी नहीं मिली है। आपने एक हजार नए स्कूलों पर व्यवसाय से संबधित नए प्रोग्राम को जोड़ा है तो हम कितने बच्चों को नौकरी दे पाएंगे इसका आपने आंकलन कर लिया होता जो हमें नयी दिशा मिलती। शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि हुई कि महिलाओं की शिक्षा के संबंध में काफी विचार हुआ।

जो भी देश उसमें अपने आप को शामिल कर सके, उनकी लगभग एक जैसी समस्या थी। मुझे बेनजीर भुट्टोजी की बात याद आती है, जिन्होने अपने पत्र में लिखा था कि हम सबकी एक जैसे स्थिति है। आज सभी देशों में स्त्री शिक्षा न के बराबर है। पाकिस्तान की स्थिति तो हम लोगो से भी खराब है, लेकिन दूसरे देशों के स्थिति भी कुछ कम नहीं है। इस स्थिति में महिला शिक्षा के बारे मे विचार करना निश्चित रूप से माननीय मंत्रीजी, प्रधान मंत्रीजी और हमारे मंत्रालय की वृद्धि चातुर्य का परिणाम है, मैं उनको इसके लिए बधाई देना चाहती हूं।

आज हम 21वीं सदी में दस्तक दे रहे हैं। आपने महिला आयोग का गठन किया, राष्ट्रीय महिला कोष का गठन किया, महिला समृद्धि योजना चलाई, राष्ट्रीय बालिका कार्य योजना चलाई और दूसरे कार्यक्रम भी डब्ल्यू.डी.पी. आदि चल रहे हैं। लेकिन उसके साथ-साथ एक प्रश्न उठना जरूरी है कि इतने सारे कार्यक्रमों के बावजूद भी महिला शिक्षा वहीं की वहीं है। मैं राजस्थान के उस इलाके से आती हूं जहां महिला शिक्षा का प्रतिशत तीन या चार है। ऐसी स्थिति में हमे नई दृष्टि से सोचना होगा कि हम कैसे महिला शिक्षा को आगे बढ़ाये। मैं जब राजस्थान में शिक्षा मंत्री थी तो वहां पर हमने एक योजना उपस्थिति बजीफे के रूप में शुरू की थी। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि वहां की नई सरकार ने अब उसको बन्द कर दिया है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि इस प्रकार की योजना उन जिलों में लागू करें। केवल पांच दस रुपये की वह योजना थी। जिसके द्वारा बच्ची का ड्रापआउट कम कर सकते थे। क्योंकि गांव मे सबसे बड़ी बाधा बच्ची को स्कूल भेजने की यह होती है कि उसके लिए पैसिल और स्लेट कहां से खरीदी जाये, ऐसी स्थिति में दस रुपये प्रति माह दे दिये जायें तो ड्रापआउट कम हो जायेगा और महिलाओं का प्रतिशत भी शिक्षा का बढ़ता चला जायेगा। लेकिन आज भी वही स्थिति है।

हम उस इलाके से आते हैं जहां देवराला जैसे जघन्य घटनायें हो चुकी हैं। जहां स्त्री आज भी एक व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक बस्तु की तरह समझी जाती है। जब इस बात का जिक्र आता है तो मैं एफीजिनीया का उदाहरण देती हूं कि जब ग्रीक में दुर्भिक्ष पड़ा तो उसके कारणों को खोजा जाने लगा कि कैसे हमें दुर्भिक्ष से मुक्ति मिल सकती है। इस पर वहां के पंडितों ने कहा कि अगर सबसे सुन्दर कन्या एफीजिनीया को ढूंढ़ा गया और उसे जब बलि वेदी की ओर ले जाया गया जो उस दृश्य का चित्रण मैं आपके सामने करना चाहूंगी। पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच उस कन्या को बलि के लिए ले जाया जाता है तो पंडितों ने उससे कहा कि तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारी बलि दी जा रही है। तुम्हारे लिये मंदिर बनेंगे, अल्लार बनेंगे, अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो कहो। पहले तो उसने मना कर दिया, फिर उसने सहसा कहा कि मुझे सिर्फ यही कहना है कि मेरे आने वाली बहनों को एक वस्तु की तरह नहीं, बल्कि एक व्यक्तित्व का दर्जा दिया जाये।

मै मंत्रालय की ओर मंत्री महोदय की बहुत आभारी हूं कि 2000 का उन्होंने एक पर्सपिक्टिव प्लान बनाकर महिलाओं के उत्थान के लिये बहुत कुछ किया। लेकिन आज भी गांव की स्थिति वहीं की वहीं है। जब तक शिक्षा के सम्बन्ध में नहीं सोचा जायेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। आपके मंत्रालय ने एक निर्णय लेने का सेाचा है कि 50 प्रतिशत महिला शिक्षक रखी जायें, 90 प्रतिशत महिलाओं से सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं को अनुदान दिया जाये। लेकिन इसमें मेरा और एक निवेदन है। माननीय मंत्री यहां बैठी है आपके आई.सी.डी.एस. के और द्वाकरा के कार्यक्रम चल रहे हैं यदि सुबह आई.सी.डी.एस. के कार्यक्रम और दोपहर को द्वाकरा कार्यक्रम हो आंगनवाड़ी के वर्कर्स को शाम को प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम दे सकते हैं। इसमें उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और हमें एक चौपाल मिल जायेगी तथा अलग से प्रौढ़ शिक्षा के लिए नये मकान खोजने की जरूरत महसूस नहीं होगी। आंगनवाड़ी के वर्कर्स के वेतनमान के सम्बन्ध में राजीवजी के समय से काफी सोच अभी तक चल रही है। आप

जब सम्पूर्ण रूप से बच्ची ओर प्रसूति वाली महिला के प्रति प्रतिबद्ध है तो उन्हे चार–पांच–सौ रुपये पर नहीं रख सकते। आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए उनको पूर्ण वेतनमान दिया जाना लाजिमी है। जहां आप निर्णय ले रहे हैं कि 50 प्रतिशत महिला शिक्षक हो, वहीं पर जापान और दूसरे कम्यूनिस्ट देशों के देखते हुए यदि हम 100 प्रतिशत जिम्मेदारी महिला शिक्षक को दें तो दूर–दराज के गांवो तक महिला शिक्षा को ही नहीं बल्कि जो कुछ हम उनको पढ़ा पाये हैं या जो कुछ पढ़ पायी हैं, उनको बहुत कुछ करने का संसाधन उसमें मिल जायेगा तो मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार की नीति है और यदि उसमे थोड़ी बहुत सोच की जरूरत हुई तो हम लोग आगे बढ़ सकेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री को संस्कृति विभाग के बारे में बधाई देना चाहती हूं कि पहली बार राष्ट्रीय संस्कृति के संबंध में कुछ नये कानून बनने जा रहे हैं, लेकिन एक बात पर मैंरा विभेद है। ज़ो कुछ नया मसौदा तैयार हो रहा है, उसके प्रारम्भ में कहा गया है कि देश की आर्थिक और तकनीकी विकास अब ऐसे मकाम पर पहुंच गया है जहां संस्कृति पक्ष को सशक्त करने और उस पर अधिक ध्यान दिये जाने की जरूरत है। मैं उनकी बात से सहमत हूं लेकिन 21वीं सदी के लिये एक सपना स्व, राजीव जी ने देखा था और उसके मुताबिक कल्चरल जोन आदि की स्थापना की थी। इसके लिये देश में आर्थिक और तकनीकी विकास के साथ सांस्कृतिक विकास तक करना है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सांस्कृतिक विकास नहीं हो रहा है। दूरदराज के गांवो में जाइये और उन भोले–भाले आदिवासियों के बीच में जाकर देखिये कि वे कैसे रोते हुये, झुलसती हुई धूप में और मूसलाधार बर्षा में भी गा रहे हैं। हमें तो उस संस्कृति की रक्षा करनी है। इस संदर्भ में यह निवेदन करना चाहती हूं कि कलाकारों के संबंध में जा नया मसौदा तैयार किया है उसमें कहा गया है कि उन कलाकारो, चित्रकारों की कृतियों का संग्रह एकत्रित किया जाये जिनका अपने समकालीनों पर प्रभाव रहा है। मैं आपको बधाई देना चाहती हूं लेकिन मंत्री जी को मैं याद दिलाना चाहती हूं कि जब अमरीका ने केवल इन बड़े बड़े कलाकारों के संबंध मे बात कही तो वहां का स्ट्रीट कलाकार खो गया था और हम लोगों को फिर से उस स्ट्रीट कलाकार को खोजना है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भारत भवन के द्वारा जो कला के बीच में पहुंचाने का मसौदा तैयार किया गया था वह इसलिये गिर गया कि उसे राज्याश्रित बना दिया गया था। मैं इसी संदर्भ में निवेदन करना चाहती हूं कि इस तरह के भवन और कला को संग्रहीत करने वाली संस्थायें हैं, उन्हें राज्याश्रित न बनाये बल्कि उनको आटोनमी देने की कोशिश करे तो निश्चित रूप से नयी संस्कृति का निर्माण हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में यही कहना चाहती हूं कि आज के माहौल में जब आर्थिक भूमंडलीकरण के साथ सांस्कृतिक भूमंडलीकरण भी लाज़मी हो रहा है तो जरूरत इस बात की नहीं है कि संस्कृति का संस्थाकरण किया जाये। उसे अद्वितीय मानकर उसका परीक्षण किया जाये और संग्रहालयों को वस्तुमात्र बना दिया जाये बल्कि जरूरत दो स्तरों पर काम करने की है। एक तो औद्योगिक और दूसरे तकनीकी क्रांन्ति के साथ उसे जोड़ा जाये। खासकर यह देखते हुये कि इलैक्ट्रानिक मीडिया आज परम्परागत कला रूपी की अभिव्यक्ति को विशेष रूप से दर्शा रहे हैं। हमें एक नयी सोच देनी

होगी। मुझे विश्वास है कि यदि केवल ऐकेडमिक सोच के अलावा कलाकार की सोच भी सम्मिलित की जाये तो निश्चित रूप से एक नयी प्रणाली और एक नये यूग का शुभारम्भ हो सकेगा। हम नयी राष्ट्रीय संस्कृति नीति का नया रूप ले पायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, खेल के संबंध में कुछ अधिक नहीं कहना है। मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं कि खिलाड़ियों के लिये कैपिटल और हाऊसेस की मदद कर रहे हैं। उनको आयकर छूट दी है। यह एक साहसी कदम है। आप्रेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में कहना चाहूंगी कि यह देखा गया था कि आज देश में बहुत अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं लेकिन कितने स्कूलों में खेल के मैदान हैं? आज जरूरत इस बात की है कि छोटे छोटे गांवो में छोटे छोटे खेल के मैदान देने चाहिये, दूसरा हम अपने विद्यार्थियों का खेल के रूप मे सही चयन कर सके तो इन दोनो बातों के लिये नयी नीति दे सकेगें।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जब हम 21वीं सदी को दस्तक दे रहे हैं तब मूलभूत प्रश्न सामने आ रहा है। डा. डी. एस. कोठारी की बार बार याद आ रही है। उनके कमीशन के बाद अनेक कमीशन बने लेकिन जब से मृत्यु शैय्या पर थे तब भी वे असमंजस में थे.और दुखी थे। उन्होंने दुखी मन से कहा थाः

"मुझे दुख है इस बात का कि सरकारों ने और राजनीति ने मेरी अनेक बातों को मानते हुए भी उस पर अमल नहीं किया।" आज उस पर अमल करने की जरूरत है। इस देश की और क्या दुर्दशा हो सकती है कि 10+2+3 की स्कीम 20 सालों बाद लागू हो और आज भी संपूर्ण रूप से लागू नहीं हो रही है। आज भी उसमें भेदभाव है मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि राज्यों में जो कुछ घटित हो रहा है वह उसके संबंध में भी कुछ सोचें।

मै अंतिम रूप से संस्कृति के संबंध में कुछ कहना चाहती हूं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि जो हमारी संस्कृति की पोषक हैं उस संस्कृति को हमने भुला दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी मंत्री होने के नाते.उस सर्वोच्च समिति की सदस्य हुआ करती थी और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि केवल दो दिन में हम शिक्षा नीति तैयार कर देते हैं। एक मंत्री चेयरमैन बन जाए, कहीं का सेक्रेटेरी बन जाए और किसी में प्राइमरी स्कूल की समस्याएं और माध्यमिक स्कूल की समस्याएं या प्रौढ़ शिक्षा, इसी के संबंध में हम मसौदा तैयार करते हैं। इसमें सोच की जरूरत है और मुझे फिर कोठारी साहब की याद आ रही है कि उनका जैसा व्यक्तित्व बहुत समय तक सजग और जीता रहता है। आज उनके जैसे शिक्षकों को निश्चित रूप सै मंत्रालय में कुछ समय बुलाकर शिक्षा का मसौदा तैयार करना चाहिए। इस संबंध मे मैं यह कह सकती हूं कि त्रिभाषा सूत्र के संबंध को उछालकर बाहर फेंक दिया जाता है और कभी शामिल कर लिया जाता है। जिन राज्यों के मंत्री सोचते हैं कि यह उनके लिए फायदेमंद है वह उसे शामिल कर लेते हैं और जिन्हें जरूरत महसूस नहीं होती वे उसे शामिल नहीं करते। आज संस्कृत को फिर से लागू करने की जरूरत है और यही वजह है कि

इस मंत्रालय के उदासीनता के कारण राजस्थान के एक भी आयुर्वेद महाविद्यालय में बच्चा नहीं है क्योंकि संस्कृत को आयुर्वेद से भी हटा दिया गया है। जब संस्कृत की ऐसी तौहीन कर दी जाए जो वहां संस्कृति के संबंध में हम क्या सोच सकते हैं या क्या आशा कर सकते हैं यह प्रश्न मैं माननीय मंत्री महोदय के समक्ष रखना चाहती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज त्रिगुण सेन जी की कमेटी की याद है जिसे इंदिरा जी ने लागू करने की बात की थी और उन्होनें मुस्तैदी के साथ कहा था कि भारतीय भाषाओं में शिक्षा अनिवार्य है। आज एक प्रश्न हम राज्यों से पूछे या उन शिक्षण संस्थाओं से पूछे जो केवल अंग्रेजी के बल पर अंग्रेजी की शिक्षा देना चाहती है तो हमें क्या उत्तर मिलेगा यह प्रश्न भी मैं इस संसद से पूछना चाहती हूं। हाल ही में बंबई के एक पब्लिक स्कूल की झटना मैं नहीं भूली हूं जिसमें बच्चों को स्कूल से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया कि उनके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। हमें फिर इस बारे में सोचना पड़ेगा।

मैं अंत में यह निवेदन करना चाहती हूं कि जहां पर दो प्रकार की शिक्षा प्रणाली हो, एक गरीब के लिए और एक अमीर के लिए वहां पर हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? लोकतंत्र कैसे बनेगा इन बातों के रहते हुए? इस सोच को मंत्रालय को अपनाना होगा। हाल ही में जो शिखर सम्मेलन आपने किया उसमें मैं सोचती हूं कि मंत्री महोदय की कुशाग्रबुद्धि और उनकी दूरदर्शिता तथा उनके मंत्रालय की कार्यकुशलता का हमें परिचय मिलता है। इसलिए मैं एक शेर अर्ज करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं –

"कौन कहता है कि आत्मा से छेद नहीं हो सकता,
एक पत्थर जो ज़रा दिल से उछालो यारो।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.20 म प पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

1.17 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.20 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.31 म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.31 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अनुदानों की मांगे (सामान्य) 1994-95 – जारी

(एक) मानव संसाधन विकास मंत्रालय - जारी

उपाध्यक्ष महोदयः मै श्री अन्ना जोशी को बोलने के लिए कहने से पूर्व सभा को सूचित करना चाहता हूं कि इस चर्चा के लिए 6 घंटे निर्धारित किए गए थे और इसमें से मुश्किल से एक घंटा बचा है।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : अपाध्यक्ष जी, पहले मेरा भाषण होने दीजिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः यह आपके लिए ही नहीं बल्कि पूरी सभा की जानकारी के लिए है।

श्री अन्ना जोशीः महोदय, माननीय प्रधानमंत्री पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि शिक्षा विभाग के लिए बजट आवंटन 3.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री की यह घोषणा 1994-95 में बजट में प्रदर्शित नहीं हो रही। निःसन्देह यह कहा गया कि आवंटन में वृद्धि विभिन्न चरणों में होगी लेकिन इस वर्ष में बजट में शुरूआत तो की जानी चाहिए थी, इसके विपरीत ऐसा प्रतीत होता है कि इस विभाग के लिए बजटीय आवंटन पहले जितना ही है अथवा यह कम कर दिया गया है। अगर यह आवंटन पहले जितना ही है तो भी अन्ततः यह कमी करना ही है क्यों कि हर बार कर्मचारियों मूल्य वृद्धि या अन्य कारणों के विभिन्न बजटीय आवंटन की आवश्यकता में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है।

अतः यदि किसी आवंटन में कम से कम 10 प्रतिशत की वृद्धि होती है, तभी यह कहा जा सकता है कि यह समतुल्य है। इसलिये कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि प्रधानमंत्रीजी की घोषणा और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विभिन्न विभागों के लिए बजट संबंधी आवंटन, ये दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खातीं।

अधिकतम प्रशिक्षित मानव शक्ति की दृष्टि से हमारे राष्ट्र को विश्व में नया स्थान है लेकिन यदि आप कुल आबादी में से साक्षर आबादी के अनुपात को देखें, तो हम विश्व के साक्षर राष्ट्रों में से सबसे पीछे हैं। इस पृष्ठ भूमि में इस शताब्दी के अंत तक सभी कि लिये शिक्षा के लक्ष्य को लेकर चल रहे है।

इस प्रकार, एक तरफ तो हम विश्व के साक्षर राष्ट्रों में से सबसे पीछे हैं और इसके साथ हम छः वर्ष की अवधि में 'सभी के लिये शिक्षा' सुलभ करना चाहते है। अब इस वर्ष 1994 में चल रहे हैं और हम 2000 तक अपना वायदा पूरा करता चाहते हैं। यदि ऐसी स्थिति रहती है तो हम इस

अन्तर को किस तरह से पूरा कर सकते हैं और हमारा संकल्प या होना चाहिये। अतः इस बर्ष के बजट में कुछ भी नहीं दर्शाया गया है।

महोदय, 2000 ईस्वी तक सभी के लिये शिक्षा के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में दो मुख्य बाधाएं हैं। हम जनसंख्या में हो रही वृद्धि को कम करने के लिये कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, यह बाधा कई वर्षों तक बनी रहेगी। और इसकी बड़ी बाधा संसाधनों की सीमित उपलब्धता है। इन दो बाधाओं के स्वरूप ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे लिये अपने इस लक्ष्य को पूरा कर पाना कठिन होगा।

जहां तक शिक्षा तक विभाग का संबंध है इसके अन्तर्गत कई योजनाएं हैं। उदाहरण के लिए ब्लैक-बोर्ड को ही ले लीजिये। इसकी बुरी हालत है। इस योजना के अन्तर्गत कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है। हमे इस योजना से जो आशा थी, उसे हम पूरा नहीं कर सके।

महोदय, प्राथमिक शिक्षा के संबंध में हमें यह बताया गया था कि इसके दो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, जिनके नाम है :

1. शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना; और

2. 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के लोगो में निरक्षरता को दूर करना। इन प्रयोजनों के लिये इन सभी योजनाओं की शुरूआत की गई थी। आपरेशन ब्लैक-बोर्ड योजना 1986 में बनाई गई थी। यह योजना वर्ष 1987-88 में आरंभ की गई थी। क्या आप जानते हैं कि इस अपारेशन ब्लैक बोर्ड योजना से कम-से-कम क्या उम्मीद की गई थी? शिक्षा के अच्छे स्तर के लिए कम-से-कम दो अध्यापक होने चाहिये और कम से कम दो कमरे होने चाहिये जिन में सभी उपकरण उपलब्ध हों। इस प्रयोजन के लिये, धनराशि की व्यवस्था की गई थी इसके अतिरिक्त, अन्य बातें भी थीं जैसे कि स्कूल के बास्तों का वजन आदि। लेकिन निगरानी अथवा पर्यवेक्षण प्रणाली की उचित व्यवस्था नहीं की गई थी। इसके कारण धन राशि का दुरुपयोग किया गया। यहां तक की धनराशि वितरित की नहीं की गई। शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का अर्थ है कि हमें लोगों के पास जाना चाहिये और उन्हें स्कूल में लाना चाहिये। लेकिन स्कूल की शिक्षा को बीच में छोड़कर चले जाने वालों का प्रतिशत काफी भयावह हैं और विशेषकर ऐसे बच्चे गांवो से पिछड़ी जातियों से और आदिवासी हैं। स्कूल की शिक्षा के बीच में छोड़कर चले जाने वाले इन बच्चों विशेषकर बालिकाओं की स्थिति बहुत ही भयावह है।

इस प्रकार एक तरफ तो हम शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ स्कूल की शिक्षा को बीच में छोड़कर जानेवालों की प्रतिशत को कम नहीं कर सके हैं। इसलिये, उस से हम आपरेशन ब्लैक-बोर्ड के उद्देश्य में विफल हो रहे हैं। स्कूल की शिक्षा की बीच में छोड़कर जाने का दो कारण हैं। एक तो गरीबी को होना है। इसके बारे में आपको पता ही होगा, दूसरा कारण, निरक्षरता है। आज मां-बाप यह चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके साथ रहें और फैक्ट्री अथवा खेल अथवा होटल अथवा रेस्तरां अथवा गलियों में भी, उनके साथ काम करें ताकि परिवार में गरीबी के कारण वे भी कुछ कमाई कर सकें, वे अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजना चाहते।

गत सप्ताह ही हमने बाल श्रमिकों की समस्या पर चर्चा की थी। हमारे यहां 50 लाख से भी अधिक बाल–श्रमिक हैं जो किन्ही फैक्ट्रियों अथवा किन्हीं होटलों, अथवा किन्हीं रेस्ताराओं में अथवा किन्ही खेतों में, जहां भी उन्हें काम मिलता है, काम कर रहे हैं। अभी परसों ही, हमने एक मई दिवस मनाया है। सिर पर मैला ढोने वाले एक वर्ग के साथ एक बच्चे के काम करने का चित्र 'दि इण्डियन एक्सप्रेस' समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है। ऐसा राजधानी शहर दिल्ली में ही हुआ है। गांवो और दूसरी स्थानों का तो कहना ही क्या दिल्ली में ही बाल श्रमिकों की ऐसी स्थिति है।

आपरेशन ब्लैक–बोर्ड योजना के कारण यह सब विफलता मिली है। उसके लिये कई उदाहरण दिये जा सकते हैं। उनको भी एक बात छोड़िये। आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत हमारा उद्देश्य एक कमरे से दो कमरे और दो अध्यापक से तीन अध्यापक तक बढ़ाने और उपकरण तथा अन्य सभी चीजों में वृद्धि करने का था। दो अध्यापक के स्थान पर वे पुनः एक अध्यापक की ओर, पीछे की तरफ जा रहे हैं। मै नहीं जानता कि राज्य में क्या हो रहा है, मैं साचता हूं कि प्रत्येक राज्य में यही स्थिति होगी। मै आपको कुछ प्राथमिक विद्यालयों के बारे में बता सकता हूँ जहां पर ऐसा ही हो रहा हैं हमारे साथी प्रो. यादव ने कहा है कि ऐसे भी विद्यालय हैं जहां पर केवल एक ही अध्यापक एक ही कमरे में चार कक्षायों को पढ़ाता है। एक तरफ एक कक्षा, दूसरी तरफ दूसरी कक्षा तीसरी तरफ तीसरी कक्षा और चौथी तरफ चौथी कक्षा होती है और एक ही अध्यापक सभी विषय पढा रहा है। मैं सोचता हूं कि यह बात गिन्नीज रीकार्ड में दर्ज की जानी चाहिये कि एक अध्यापक चार कक्षाओं को सभी विषय पढा रहा है। और हम इस बात को सहन कर रहे हैं मेरी यह अपील है कि इसमें सुधार किया जाना चाहिये। हम दो अध्यापक नहीं चाहते लेकिन प्रत्येक कक्षा के कम से कम एक अध्यापक तो होना चाहिये। मैं प्रतिशत की समस्या पर बारीकी में नहीं जाना चाहता।

बच्चों के स्कूल को छोड़कर जाने के पीछे एक कारण शिक्षा की लागत भी है। आज हमें केवल अधिक शुल्क ही नहीं देना पड़ता, बल्कि प्रवेश शुल्क भी देना पड़ता है। के.जी. कक्षा के लिये यह शुल्क 5000 रु से 10,000 रुपये तक है, बी.एड. और डी.एड. के लिये यह शुल्क 30,000 रुपये है। मैं कैपीटेशन फीस की बात कर रहा हूं।

एम बी.बी.एस. के लिऐ हमे सामान्यतः 6 लाख रूपये देने पड़ते है और इंजीनियरिंग कालेज में प्रवेश के लिये हमे दो तीन लाख रूपये देने पड़ते हैं और इस तरह की व्यवस्था इन्होंने कर रखी है । कई लोग अदालतों में गए हैं और अभी भी तथ्य यह है कि स्वतंत्रता के 45 वर्षा के बाद भी हमारे यहां गरीब लोग शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते और आम गरीब लोगों की बात करते हैं।

एक कहानी है कि एकलब्य को शिक्षा प्रदान करने से मना कर दिया गया था क्यों कि वह उच्च जाति से संबंध नहीं रखता था। और यहां पर आप लोगों को और विद्यार्थियों को, खिक्षा देने से मना कर रहे हैं और इस बात का कोई महत्व नहीं है कि आप कितने प्रतिशत अंक लेते है, इसका कोई महत्व नहीं कि वे किस जाति से हैं और इसका कोई महत्व नहीं कि वे किस स्थान से हैं। आज केवल धन का ही महत्व है। यदि आपके पास कैपीटेशन फीस देने के लिये पैसा है, तब आपको प्रवेश

मिल सकता है। यह बात सत्ताधारी दल की जानकारी में है। स्कूल की शिक्षा को छोड़का जाने वाले बच्चों को नहीं रोका जा सकेगा। मै आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के आग्रह करूंगा कि कृपया इस पर विचार करें।

इसका एक अन्य पहलू भी है कि हम प्राथमिक शिक्षा को कितनी गंभीरता से लेते हैं। महोदय, क्या आप जानते हैं कि हमारे विद्यालयों में पहली चार कक्षाओं में् कोई भी परीक्षा नहीं होती। हम जानते हैं कि हमारे समय में परीक्षा के दिनों में हमें काफी पढ़ना पड़ता था, भले ही पूरा साल हम नहीं पढ़ते थे। लेकिन अंतिम दो–तीन महीनों में, हम पढ़ा करते थे।

लेकिन, आजकल पहली चार कक्षाओं में आपने समय पूरा करना है। इस बात का काई महत्व नहीं कि आप सफलता प्राप्त करते है – अथवा नहीं, आपको अगली कक्षा में बिठा दिया जाता है। कोई परीक्षा नहीं होती। इस चीज़ को किस तरह से सहन किया जाता है?

मैं इसे समझ नहीं सकता। जब मैं यह देखता हूं कि कोई परीक्षा नहीं ली जाती, तो मेरा दिमाग दहल जाता है। जब आप एक बच्चे को एक कक्षा से दूसरी कक्षा के लिये प्रोन्नत करते हैं, तो आप कौन सी परीक्षा लेते हैं।

ऊपरी स्तर पर हमने नकल को रोकने की कोशिश की है और इसके लिये हमने कड़े कानून बनाये हैं। लेकिन अब श्री मुलायम सिंह जी ने नकल–विरोधी अधिनियम को समाप्त कर दिया है। क्या आप यह चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी नकल करें? निचले स्तर पर आप परीक्षा नहीं लेते और ऊपरी स्तर पर आप उन्हें नकल की छूट देते हैं। आप किस दर्जे के नागरिक बनाने जा रहे हैं।

व्यावसायिक क्षेत्र की शिक्षा में, आप 5–6 लाख रुपया लेते हैं और तब आप एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश देते हैं। आप इनसे समाज के प्रति, लोगों के प्रति, समूचे राष्ट्र के प्रति किस तरह की निष्ठा और ईमानदारी की उम्मीद करते है? आप मुझ से एक लाख रुपये लें और मुझे इंजीनियरिंग कालेज में प्रवेश की अनुमति दें, तो क्या मैं राष्ट्र के लिये निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा।

राष्ट्र की निष्ठा और ईमानदारी से सेवा करना हमारी शिक्षा का उद्देश्य है और हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति है तो मुझे डर है कि इम 2000 ईस्वी तक लक्ष्य को प्राप्त करने में ही असफल नहीं होंगें बल्कि हमने शिक्षा के बारे में जो कुछ सोचा है और विद्यार्थियों से इसकी जो उम्मीद करते हैं, उसे भी प्राप्त करने में असफल रहेंगे।

महोदय बहुत सी योजनाएं हैं लेकिन मैं उन सब पर चर्चा नहीं करना चाहता। मैं केवल कुछ बातों का उल्लेख करूंगा। एक तो संस्कृति के बारे में है।

वर्ष 1994 के लिए भारत सरकार के कुल परिव्यय में से इसके लिए कुल आबंटन 1,57,00,419 रु. का किया गया है।

उसमें से संस्कृति विभाग को केवल .1 प्रतिशत धनराशि आबंटित की गई है। जिस संस्कृति के बारे में आप बात करने जा रहे है, जिसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं और फिर जिस पर हम नीति बनायेंगे, जिस पर आगे चर्चा होगी, इस देश की संस्कृति के लिए सरकार केवल .1 प्रतिशत धराशि आबंटित कर रही है। तो यह कैसे विकसित हो सक्ती है। यह कैसे समृद्ध हो सकती है?

सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि संस्कृति विभाग तथा सभी विभागों को जो कुछ भी राशि आबंटित की गई हो–यह सूची है उसका कम उपयोग किया जा रहा है। सर्वप्रथम आबंटन की राशि बहुत कम हैं। दूसरी बात यह है कि जो कुछ भी नाममात्र राशी आबंटित की गई है उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है।

मेरे पास सूची है। मैं उस पर समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। सचिवालय और सांख्यिकीय कार्य प्रणाली को मज़बूत करने के लिए 17 लाख सरकार प्रावधान किया गया है और व्यय 14 लाख रु का है। जोनल सांस्कृतिक केन्द्रों के लिए 250 लाख रु. का प्रावधान किया गया है और केवल 74 लाख रु. उपयोग में लाए गए थे। हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के विकास और संरक्षण के लिए 10 लाख रु. का प्रावधान किया गया था और खर्च 8.48 लाख रु. किया गया है। बहुउद्देश्यीय सास्कृतिक भवनों को गठित करने के लिए 50 लाख रु. का प्रावधान किया गया है जबकि 20 लाख रु. खर्च किए गए हैं। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के लिए 300 लाख रु की राशि का प्रावधान किया गया था जबकि 136 लाख रु. व्यय किए गए हैं। तन्जावर की टी एम एस एस लाइब्रेरी के लिए 25 लाख रु. की राशि आबंटित की गई थी जबकि 11.25 लाख रु. व्यय किए गए। सैन्ट्रल रैफरैन्स लाइब्रेरी, कलकत्ता के लिए 15 लाख रु. आबंटित किए गए थे जबकि 6.52 लाख रु. खर्च किए गए। केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय नई दिल्ली के लिए 25 लाख रु. का प्रावधान था लेकिन केवल (7.59 लाख रु. खर्च किए गए। राष्ट्रीय संग्रहालय, कला–इतिहास संरक्षण संस्थान नई दिल्ली के लिए 40 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया था लेकिन 22.39 लाख रु. खर्च किए गए। इतनी धनराशि विभागों से आबंटित की गई और उन्होंने क्या खर्च किया। यह खेदजनक बात है। यह दोगुनी खेद की बात है। एक तो .1 प्रतिशत धनराशि का प्रावधान बहुत कम है और दूसरा यह है कि जो कुछ भी नाममात्र के लिए इन्हें आबंटित किया गया, उन्होंने उसका भी उपयोग नहीं किया। इस सांस्कृतिक विभाग को कौन देख रहा है?

मैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का उदाहरण दूंगा। .

उपाध्यक्ष महोदय: आपने 20 मिनट ले लिए हैं।

श्री अन्ना जोशी: महोदय, यह बहुत खतने की बात है। हम इस पर 10 मिनट और लगा सकते है।

उपाध्यक्ष महोदय: यह सच है। प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए आंबटित समय सीमित है। आपने उससे अधिक समय ले लिया है।

श्री अन्ना जोशी: मैं दो मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

आप भी मुझसे सहमत होंगे कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय पंरातत्व सर्वेक्षण विभाग को ही लीजिए। यह देश धनी सम्पदा वाला देश है। हमारे देश में अनेक ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्मारक हैं। इस विभाग को उन सब स्मारकों की देख–रेख करनी होती है। आपको यह देख कर हैरानी होगी, कि हमारे देश में 8600 ऐतिहासिक स्मारक हैं और उसमें से केवल 3000 स्मारकों की ही देख–रेख की जाती है। शेष 56,00 राष्ट्रीय स्मारकों का क्या होगा ? क्या कोई भी उनकी देख–रेख नहीं करेगा? केन्द्र सरकार भी उनकी देख–रेख करने को तैयार नहीं है। वे केवल 3000 स्मारकों की ही देख–रेख कर रहे हैं। यदि हम इन 3000 स्मारकों की देख–रेख करने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की कुल संख्या की गणना करें तो प्रत्येक स्मारक के लिए डेढ़ व्यक्ति के बराबर कार्य–शक्ति लगी हुई है। अर्थात दो स्मारकों के लिए तीन व्यक्तियों को काम पर लगाया गया है। वे इन सब की देख–रेख किस तरह से करेंगे? क्या अपनी संस्कृति को विकसित करने का यही तरीका है जिस पर कि हमें बड़ा गर्व है?

हम इस संबंध में काफी बातें कर रहे हैं लेकिन हम धनराशि आंबटित नहीं कर रहे हैं और न ही उस धनराशि का उपयोग कर रहे हैं जोकि हमें आबंटित की जा रही है। हम अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। जहां तक कि ऐतिहासिक स्मारकों का संबंध है, हम उनकी दख–रेख नहीं कर रहे हैं।

अब मैं खेलों के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। इस बार के ओलम्पिक खेलों ने हमें बता दिया है कि हमारी स्थिति क्या है। कुछ खेलों में तो हम प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के पात्र भी नहीं रहे हैं कोई पुरस्कार लेना या किसी स्थिति पर आना तो दूर की बात है। पर खेल विभाग कैसा कार्य कर रहा है और उमसे कुछ नहीं कहा जा रहा है। सब राजनीति है। हमारे भारतीय विशेषज्ञों को 2000 रु. प्रति माह दिया जाता है जबकि विदेशी विशेषज्ञ, जिनको हम बुला रहे हैं, उनकी 2000 डॉलर प्रति माह अदा किया जाता है। इसलिए यही खेलों में हमारी असफलता का मुख्य कारण है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि वे सांस्कृतिक स्मारकों, खेलों, योग और संस्कृत के लिए गतिविधियों को बढ़ायें। मैं उनका आभारी होऊंगा यदि वे यह सब कार्य करेंगे।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : महोदय, मै माननीय सभापतिजी का तथा स्थायी संसदीय समिति के सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने शिक्षा तथा सांस्कृतिक विभाग की मांगो की ध्यान से जांच की है और बहुत उपयोगी सुझाव तथा सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। मै सभी माननीय सदस्यों की आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और इन दो विभागों में काफी रुचि दिखाई। महोदय, मैं आपको आश्वासन दे सकती हूं कि आपके द्वारा व्यक्त विचार हमारे कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे और आने वाले समय में वे हमारी नीतियों को काफी प्रभावित करेंगे।

महोदय, जैसा कि इस सभा को मालूम है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के नेतृत्व मे 1986 में तैयार की गयी थी जबकि माननीय बर्तमान प्रधान मंत्री मानव संसाधन विकास मत्री थे। इस नीति से देश की शिक्षा प्रणाली के लिए प्राथमिकताओं में परिवर्तन लाने में काफी सहायता मिली। अब हमारी प्राथमिकता प्रारम्भिक शिक्षा हो गयी है जिसे संविधान के अनुच्छेद 45 में उल्लिखित नीति निदेशक तत्वों में उल्लिखित किया गया है।

जब नई दिल्ली में बहुत कम साक्षरता दर वाले परन्तु अधिक जनसंख्या वाले 9 देशों का सम्मेलन दिसम्बर 1993 में हुआ था, तब सभी को शिक्षा देने के समन्वित प्रयास को बढ़ावा मिला था। यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य था क्योंकि इन 9 अधिक जनसंख्या वाले देशों की इस समस्या पर अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय दोनों स्तर पर ध्यान केन्दित किया गया था। इस सम्मेलन के बाद इसका अनुकरण करने के लिए प्रधान मंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई। वह भी बहुत उपयोगी रही क्योंकि सभी मुख्यमंत्रियों ने शीघ्रातिशीघ्र सम्पूर्ण साक्षरता हासिल करने और शिक्षा के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया था।

2.59 म.प.

[श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुईं]

महोदय, जहां तक साक्षरता का संबंध है, वर्ष 1991 की जनगणना के बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए है। पहली बार यह पता चला है कि निरक्षरों की तुलता में साक्षरों की संख्या अधिक है क्योकि साक्षरता का स्तर 52 प्रतिशत हो गया है। इसी जनगणना से यह महत्वपूर्ण तथ्य भी स्पष्ट होता है कि पहली बार हमने पुरुषों की साक्षरता दर के मुकाबले महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि देखी गई है।

3.00 म. प.

पुरुषों की 7.6% की साक्षरता दर की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर 9.54% थी। हम देखते हैं कि अब महिलाओं तथा लड़कियों को साक्षर करने पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। अब हमने सभी को शिक्षा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से अनेक नीतियां बनाई हैं और इनमें से एक महत्वपूर्ण नीति देश में पूर्ण रूप से साक्षरता लाने के लिए अभियान चलाना है। इसके लिए 267 जिलों में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान चलाया गया है और लगभग 80 जिलों में साक्षरता के उपरान्त कार्यवाही के लिए अभियान चलाया गया है। मुझे विश्वास है कि श्री धूमल इसमें बहुत रुचि लेंगे क्योंकि उन्होंने पूर्ण साक्षरता अभियान पर टिप्पणी की थी। इसके साथ हों प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से समन्वित प्रयास किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम एक के बारे में बात करें लेकिन दूसरे के बारे में नहीं। जहां पूर्ण साक्षरता अभियान सफल हुए हैं वहां मैं देखती हूं कि प्रारम्भिक अथवा प्राथमिक शिक्षा के लिए मांग बढ़ रही है। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक सफल है और

दूसरा सफल नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि दक्षिण में केरल में आरम्भ हुआ। लेकिन अब हिन्दी बोलने वाले राज्यों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है जहां पर पूर्ण साक्षरता अभियान चलाए जा रहे हैं। क्योंकि हिन्दी बोलने वाले राज्यो समस्याप्रद राज्य है जिनमें हमारी सबसे अधिक अशिक्षित जनसंख्या रहती है। इसलिए हमें शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े राज्यो का विशेष ध्यान रखना है।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड भी हमारी इसी नीति का अंग है। अनेक सदस्यों ने इसके बारे में चिन्ता व्यस्त की है इस संबंध में मैने कुछ दिन पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया है। वस्तुतः आपरेशन ब्लैक बोर्ड को आलोचना नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इस के संदर्भ में हमने काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। जहां तक केन्द्र के प्रयासों का संबंध है 99 प्रतिशत से अधिक स्कूलों में यह कार्यक्रम आरम्भ किया जा चुका है और अब हम इसे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी आरम्भ कर रहे हैं और हमें दिए गए 1986 के आंकडों के अनुसार तीन कमरे तीन अध्यापक के मानक को तैयार किया जा रहा है। महोदय, यह एक योजना चल रही है और इसमें निरक्षरता कम करने में मदद मिलेगी ...

(व्यवधान)

श्री अन्ना जोशी: अब महोदया पीठासीन हैं।

कुमारी शैलजा: मा‍ऽ कीजिए। मुझे खुशी है उन्होंने ध्यान नहीं दिया।

सभापति महोदय: आप पीठासीन अधिकारी को किसी भी नाम से पुकार सकते हैं क्योंकि उनमें कोई लिंगभेद नहीं होता।

कुमारी शैलजा: वर्तमान नीति का उद्देश्य स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में कमी लाना तथा रोक लगाना है और ऐसा कई प्रकार से किया जा रहा है जैसे उनके व्यवहार में परिवर्तन लाकर, उन्हें इसके लिए तैयार करके तथा कम से कम समय में सबको शिक्षा उपलब्ध करा कर इसे प्राप्त किया जा रहा है। इसलिए हम एक निश्चित समय में एक स्वीकार्य स्तर तक स्कूल छोड़ने वालों की दर को कम करने की योजना बना रहे हैं।

एक अन्य नीति हिस्से हमने अपनाया है वह है अनौपचारिक शिक्षा क्योंकि अनेक बच्चे इरा औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बंचित रहते हैं। उन्हें भी शिक्षा प्रदान करने के लिए हमने अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली तैयार की है। यहां भी बालिकाओं को शिक्षित करनें पर विशेष बल दिया जा रहा है क्योंकि स्कूल छोडने वालों तथा निरक्षरों की दर लड़कियों के बीच अधिक है। इसलिए यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि बालिकाओं की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

इसी सदर्भ में हमने एक और पहल की है और वह है जिला स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रम विकसित किया गया है। यह नई योजना हमारी प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में काफी काम आएगी। आरम्भ में, हम यह कार्यक्रम आठ राज्यों के 46 जिलों में आरम्भ करने की योजना बना रहे हैं यह कार्यक्रम विदेशों से प्राप्त धनराशि की सहायता से चलाया जा रहा है। श्रीमती गिरिजा देवी में विदेशों से प्राप्त होने वाली धनराशि पर चिन्ता व्यक्त की है । मेंरा विचार है कि वह 'ऑपरेशन ब्लैक–बोर्ड' अथवा

किसी अन्य योजना के बारे में था । उन्होंने कहा था कि हमें धनराशि की सहायता देने वाली विदेशी एजंसियों की शर्तें की नहीं मानना चाहिए । यह सभा की आश्वासन देना चाहती हूं कि हम जो भी सहागता बाहर से लेते हैं उसका उपयोग हम अपनी शर्तों पर करते हैं ।

किसी भी स्थिति में हमारी मानीटरिंग एजेंसी हमारे स्तर की है न कि उनके स्तर की।

यह मुझे उस शिक्षा प्रणाली पर लाता है जिसमें अध्यापक हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली का आधार हैं और इससे इन्कार कहीं किया जा सकता है। कई बार जो समस्याएं सामने आ जाती हैं उनमें से एक समस्या यह है कि अध्यापकों लिए समुचित प्रशिक्षण का अभाव है। मैं इस संबंध में सभा को सूचित करना चाहता हूं कि डी.आइ.टी.एस. के अनुसार हम अध्यापकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमारे पास अब एक नया विधेयक नेशनल काउन्सिल फॉर रीसर्च एडूकेशन बिल है, जिसे संसद ने पारित किया है। नियम एवं विनियम बनाए जा रहे हैं। यह विधेयक शैक्षणिक संस्थाओं में घटिया स्तर के अध्यापन कार्य को रोकने में समर्थ होगा। इस नीति से समुचित प्रशिक्षण प्राप्त सही अध्यापक आएंगे जो हमारे बच्चों को सही शिक्षा दे सकते हैं। स्कूलों में बच्चों पर किताबों के बोझ पर केवल चिन्ता ही व्यक्त नहीं की गई थी बल्कि रोष भी प्रकट किया गया था, मै इस बात को अच्छी तरह से समझ सकता हूं क्योंकि मेरी स्कूल जाने वाली छोटी भतीजियां हैं। मुझे मालूम है कि बच्चों को कितना बोझा स्कूल ले जाने के लिए मजबूर किया जाता है। एक कक्षा से दसवीं कक्षा तक जो भार बढ़ रहा है उसमें अज्ञानता भी एक है। यशपाल समिति में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि बच्चों द्वारा स्कूल ले जाए जा रहे इस भार को किस तरह से कम किया जाना है। इस रिपोर्ट पर हमारे केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में विस्तार से चर्चा की गई थी और हम राज्यों से आग्रह कर रहे हैं कि वे इस समस्या पर सम्मेलन आयोजिन करे और व्यापक चर्चा करें, ताकि छोटे बच्चों के शरीर और दिमाग पर पड़ रहे इस बोझ को दूर किया जा सके और अज्ञानता के कारण उन पर बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। शिक्षा निश्चित रूप से रुचिकर अनुभव होन चाहिए।

क्या मैं आपकी अनुभति से संस्कृति विभाग के बारे में कुछ कह सकता हूं? यहां पर भी संसदीय स्थाई समिति ने सिफारिश की है हमें संस्कृति विभाग के लिए आवंटन से वृद्धि करनी चाहिए और बहुत से माननीय सदरयों ने भी यहां पर यह बात कही है तथा मैं उनकी बात से सहमत हूं। वास्तव में हम संरकृति विभाग के लिए और अधिक निधियां प्राप्त करने की कोशिश करते रहे हैं।

जेड.सी.सी. के बोट में और उसकी समीक्षा के बारे में अनेक प्रश्न उठाए गए हैं, यह बात माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री के और मेरे स्तर, दोनों स्तरों पर की जाती रही है और हमने गह सुनिश्चित करने की कोशिश की है उनका कार्यकरण ठीक हों।

एक सुझाव विशेष जिसके बारे में हम सभी चिन्तित हैं वह यह है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में कलाकारों, विद्वानों और पुरातत्वाविदों का और अधिक सार्थक पूर्ण ढंग से आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जाए तथा इस के साथ साथ दुर्लभ और समाप्त हो रहे कला रूपों का दस्तावेजीकरण किया जाये। देश में विभिन्न क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों के बीच राष्ट्रीय आदान-प्रदान के कार्यक्रम भी हमारे

पास है और वे इन कार्यक्रमों को स्वीकार कर रहे हैं तथा इन केन्द्रों के बीच कलाकारों और छोटी आयु के लोगों, युवाओं का नियमित आदान–प्रदान हो रहा है। इससे यह लोग दूसरे क्षेत्रों में जा सकेंगे वहां की संस्कृति को सीख सकेंगे और अन्य क्षेत्रों के लोगों के साथ विचारों का आदान–प्रदान कर सकेंगे।

दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो सामने आता है वह इन केन्द्रों के विकेन्द्रीकरण और ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में इन पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता का है। मैने आज सुबह की एक बहुद्देशीय सांस्कृतिक परिसर के बारे में एक प्रश्न का उत्तर दिया है।

पिछले वर्ष हमने मुख्य रूप से पूर्वोतर क्षेत्र पर ध्यान दिया था लेकिन जैसे ही हमें अन्य राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त होंगे उनको भी हाथ में लिया जाएगा और उनमें भी ये केन्द्र उपलब्ध करवाए जाएंगे।

दूसरी योजना क्षेत्रीय और स्थानीय सग्रहालयों को मजबूत बनाने के लिए है। यह एक नई योजना है और इसमें एमबिट फाइनेंसिंग, पंचायत स्तर पर भी स्वैच्छिक प्रयास शामिल है ताकि पूरे देश में कई पैमाने पर छोटे संग्रहालय बनाए जा सकें।

दूसरी प्रायोगिक परियोजना जो सामने आई है वह ग्रामीण पुस्तकालयों में तंत्र के बारे में है। इसे इस वर्ष प्रायोगिक योजना के रूप में प्राथमिकता के आधार पर लिया गया है लेकिन इसे बाद में निरन्तर मजबूत किया जाएगा। हम इस काम के लिए गांवो में उपलब्ध विद्यालय भवनों और अध्यापकों जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का प्रयोग करेंगे। यह उस क्षेत्र में युवाओं और नवसाक्षरों के लिए फायदेमंद होगा, इससे इन लोगों के लिए शिक्षा की एक नई दुनियां का प्रादुर्भाव होगा।

इस सभा और स्थाई समिति में हमारे स्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण के वारे में अनेक बार विशेष चिन्ता प्रकट की गई है। मैं सभा को बताना चाहती हूं कि हमारे संस्कृति विभाग में बजट का पच्चीस प्रतिशत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को दिया गया है। हम महसूस करते हैं कि वित्तीय और मानव संसाधन सहायता दोनों में संबंध में और बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे अधिकार में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में जो संसाधन, विशेष रूप से जो मानव संसाधन हैं वह अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं। जैसा कि सभा को ज्ञात है उन्होंने बहुत अधिक काम किया है जिसका कम्बोडिया में अंकोरवाट मंदिर में अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वागत हुआ है। इस संदर्भ में हमारा एक कोष बनाने का विचार है जिससे राष्ट्रीय स्तर पर इन स्मारक कार्यों के लिए निजी पार्टियों से अधिक धन मिल सकेगा।

साथ ही स्थायी समिति ने भी जिला स्तर पर स्टेडियम बनाने की सिफारिश की है जो खेलकूद और सांस्कृतिक परिसरों के रूप में कार्य करेंगे, हमने उसके इस सुझाव का स्वागत किया हैं। इस उद्देश्य के लिए इस योजना को शुरू करने हेतु इसी वर्ष कदम उठाए जाएंगे।

एक सदस्या, मैं समझती हूं कि प्रो. मालिनी भट्टाचार्य ने बताया कि लोक कलाकारों और जनजातीय कलाकारों की ठीक से देखभाल नहीं की जा रही है और उन्हें अपनी आवश्यकताओं की

पूर्ति में सक्षम होना चाहिए। मैं सभा को बताना चाहती हूं कि हमने यह सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों के साथ इस मामले को उठाया है कि ये कलाकार स्वयं अपना जीवन यापन कर सकें।

हम इस वर्ष महात्मा गांधी की 125वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की इस वर्ष पहले ही बैठक हो चुकी है और समारोह के ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गांधी स्मृति और गांधी दर्शक यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि समारोह बहुत अच्छे ढंग से आयोजित हों।

जलियांवालाबाग नरसंहार की स्मृति का 75वां वर्ष इस वर्ष शुरू हो गया है। जैसाकि आपको मालूम है अनेक मुख्य मंत्री और राष्ट्रीय नेता 13 तारीख को जलियांवालाबाग गए और उन्होंने वहां जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की इस प्रकार उन्होंने हमारे महान देश की एकता और अखण्डता को बनाए रखने के लिए एकजुट होने की आवश्यकता पर जोर दिया।

श्री अन्ना जोशी : वहां पर हुए लाठीचार्ज के बारे में क्या हुआ ?

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : जिन्होंने इसमें भाग लिया उन्हे यह मालूम है।

कुमारी शैलजा : ऐसी कोई बात नहीं थी। खैर लोगों को केवल श्रद्धाजलि देने के लिए कहा जाए। इस तरह की बातें ठीक नहीं हैं। ...**(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम धूमल : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि प्रभाष जोशी वहां गए थे और उन्होंने अपने लेख में यह लिखा है कि वहां पर लाठीचार्ज हुआ था और उसका खंडन अभी तक नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बाधा मत पहुंचाइए।

...**(व्यवधान)**...

कुमारी शैलजा : एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि सरदार वल्लभभाई पटेल दीक्षांत समारोह के बारे में भी कुछ ऐसी बात होनी चांहिए। मैं आपको आश्वासन भी दे सकती हूं कि विभाग द्वारा विशेषज्ञों की शीघ्र ही गठित की जाने वाली समिति द्वारा सरदार बल्लभभाई पटेल की चुनिन्दा कृतियों का प्रकाशन किया जाएगा।

जब कि हमने दोनों विभागों अर्थात् शिक्षा और संस्कृति विभाग में बहुत ही उपलब्धियां हासिल की हैं; मुझे यह बात भी मालूम है कि विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना है; जिसके लिए हमें केवल सभा के सदस्यों के ही नहीं बल्कि पूरे देश के उन नेताओं के सहयोग की आवश्यकता है जो आगे आकर किसी भी तरह से इस प्रशंसनीय कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं। मैं सभी सदस्यगणों का धन्यवाद करती हूं। ....**(व्यवधान)**.....

[**हिन्दी**]

प्रो. प्रेम धूमल : सभापति महोदया, मैं क्लैरीफिकेशन चाहता हूं। मैंने अपने भाषण में कहा था और आपने गिरिजा देवी के भाषण के समय में भी कहा था कि विदेशों से जो सहायता आती है उसके साथ जो शर्तें होती हैं, वे टर्म्स एंड कंडीशन्स जो हम तय करते हैं वही होती हैं, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि अभी यूरोपीय देशों ने जो 600 करोड़ रुपया दिया है, उसमें $\frac{1}{3}$ भाग, अर्थात् एक–तिहाई धन उन अधिकारियों पर खर्च करने की शर्त है जो इस सारे शिक्षा कार्यक्रम को आगे चलाएंगे, तो क्या यह शर्त आपकी तरफ से लगाई गई है या जिन यूरोपीय देशों ने पैसा दिया है, उन्होंने लगाई है ? ...**(व्यवधान)**....

[**अनुवाद**]

सभापति महोदय : उन्होंने कहा कि निगरानी कार्य किया जा रहा है।

[**हिन्दी**]

प्रो. प्रेम धूमल : मैं समझता हूं कि मंत्री महोदया ने गलत सूचना देकर सदन को गुमराह करने का प्रयास किया है। ...**(व्यवधान)**....

[**अनुवाद**]

सभापति महोदय : उन्होंने भी इसके बारे में कहा है।

...**(व्यवधान)**...

श्री अन्ना जोशी : मैंने राष्ट्रीय स्मारकों को सुरक्षित रखने का उल्लेख किया था। आपने केवल 3000 के लिए व्यवस्था की है लेकिन इनकी कुल संख्या 8000 है। क्या आप शेष 5000 के लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं ?

सभापति महोदय : मैं समझती हूं कि उन्होंने कहा था कि इसके लिए पर्याप्त राशि की जरूरत है। इसलिए वह बाहर से सहायता ले रहे हैं। मैं कहना चाहती हूं कि अभी मंत्री महोदय को बोलना है। आप उनसे उस समय स्पष्टीकरण क्यों नहीं मांगते हैं ?

...(व्यवधान)....

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : सभापति महोदया, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि आज देश में अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां काफी दूर–दूर तक प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं। मंत्री महोदय इस बात से परिचित हैं। मेरे क्षेत्र में ही ललितपुर और टीकमगढ़ आदि क्षेत्रों में 40–40 किलोमीटर दूर तक कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है। हालांकि यह विषय राज्य सरकार है, लेकिन राज्य सरकार का ध्यान वहां नहीं गया है। तो क्या ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए केन्द्रीय सरकार कोई अपनी नीति बनाएगी ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं समझती हूं कि इसका उत्तर अन्ततः मंत्री महोदय देंगे। अब श्री सुधीर राय बोलेंगे।

.... (व्यवधान) ....

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदया, छोटे दलों के सदस्यों के नाम नहीं पुकारे गए हैं। उन्हें भी अवसर दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : जितना भी समय बचा है मैं उसका पालन करूंगी। मैं समय संबंधित व्यक्तियों के अनुसार नाम पुकारूंगी।

...(व्यवधान)....

सभापति महोदय : आपका नाम सूची में है।

... (व्यवधान) ...

श्री ई. अहमद : नाम तो है मगर उसे पुकारा नहीं जाएगा। .... (व्यवधान)....

श्री सुधीर राय (बर्दवान) : सभापति महोदया, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा स्तर को बनाये रखना है।

इस समय देश भर में 8000 कालेज हैं और 200 से अधिक विश्वविद्यालय हैं। हम जानते हैं कि इन 8000 कालेजों में से अनेक कालेजों में शिक्षा का स्तर बहुत घटिया है। ऐसे अनेकों कालेज हैं जिनकी स्थिति वाणिज्यिक शिक्षा केन्द्रों से अच्छी नहीं है। ऐसे कालेजों में चाहे जब अध्यापकों

को नियुक्त कर लिया जाता है और चाहे जब उन्हें निकाल दिया जाता है। उनको नाम मात्र का वेतन दिया जाता है और उनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान नहीं मिलता है। लगभग 50 प्रतिशत कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से बिल्कुल अनुदान नहीं मिलता है। संसाधनों की कमी के कारण सरकारी विश्वविद्यालय और कालेज भली भांति नहीं चल रहे हैं यदि विश्वविद्यालय और कालेज पुस्तकों की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो हम उच्चतर शिक्षा के स्तर को कैसे बनाये रख सकेंगे ? विश्वविद्यालय और कालेज उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रीय पत्र–पत्रिकाएं नहीं खरीद सकते हैं; ग्रंथालय में ठीक व्यवस्था नहीं है ओर प्रयोगशालाओं में उपकरण अथवा रसायनों की व्यवस्था नहीं है। अतः उच्चतर शिक्षा की स्थिति पूरी तरह से डांवाडोल है। इतना ही नहीं हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बजट की अधिकांश राशि केन्द्रीय विश्वविद्यालय खा जाते हैं। मुट्ठीभर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान की अधिकांश राशि हड़प कर जाते हैं।

हर वर्ष हमें मंत्रालय द्वारा यह आश्वासन मिलता रहा है कि देश के दूरस्थ क्षेत्रों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाएंगे। लेकिन अभी तक कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं खोला गया। यदि इस प्रकार के क्षेत्रीय कार्यालय खुल गये होते तो अध्यापकों की कई कठिनाइयां दूर हो जातीं।

मंत्रालय ने बड़े जोर शोर से प्रचार करके स्वायत्त कालेज खोलने की योजना बनाई थी। मंत्रालय का विचार था कि स्वायत्त कालेज इन कालेजों की संरचना में क्रांति लाएंगे, लेकिन 'आल इन्डिया फेडरेशन आफ यूनिवर्सिटी एण्ड कालेज टीचर्स आरगेनाइजेशन' के कड़े विरोध के कारण स्वायत्त कालेज खोलने की योजना अधिक सफल नहीं हो सकी है। वर्ष 1990 में 500 स्वायत्त कालेज खोले जाने का लक्ष्य था। वर्ष 1994 तक केवल 107 स्वायत्त कालेज ही खुल सके हैं। हमें विश्वास है कि विश्वविद्यालयों की देखरेख में चल रहे कालेजों की स्थिति इन स्वायत्त कालेजों की स्थिति से बहुत अच्छी है क्योंकि स्वायत्त कालेज अधिकांशतः ऐसे प्रमोटरों एवं न्यास प्रबंधकों द्वारा चलाये जाते हैं जो अध्यापकों के हित का ख्याल नहीं रखते। उनके पाठ्यक्रम ठीक नहीं हैं और उनके द्वारा आयोजित परीक्षाएं उपहास बन कर रह गई हैं। अतः स्वायत्त कालेजों को शुरू करने का विचार त्याग देना चाहिए।

मानद विश्वविद्यालयों का मामला भी कुछ इसी प्रकार का है। अनेक शिक्षण संस्थाओं को मानद विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान अनन्तपुर स्थित सत्य सांई इन्स्टीट्यूट की ओर आकर्षित करना चाहूँगा, जिसमें स्नातकोत्तर रसायन विभाग में केवल दो अध्यापक कार्यरत हैं और वर्ष 1990 में भी रीडर का वेतनमान रू 1,200 - रू.1,900 था। हमारे विरोध को देखते हुए, अब वहां पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान लागू किये गये हैं। ऐसे मानद विश्वविद्यालयों में अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए अध्यापकों का अपना कोई मंच नहीं है और यह सब कुछ तानाशाही ढंग से चल रहा है। अतः हमारी मांग है कि शिक्षा संस्थाओं में प्रबन्ध का स्वरूप लोकतांत्रिक होना चाहिये भले ही वह विश्वविद्यालय, कालेज अथवा स्कूल स्तर पर हो।

शिक्षा संस्थाओं में प्रबन्ध का स्वरूप लोकतांत्रिक होना चाहिये। लोकतंत्र का अर्थ सरकार का चुना जाना नहीं है। लोकतंत्र, जीवन का एक रूप है। लोकतंत्र को हर क्षेत्र में आना चाहिए। किन्तु दुख की बात है कि शिक्षा संस्थाओं में जो कुछ भी लोकतांत्रिक व्यवस्था बची है उसे भी धीरे-धीरे समाप्त करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। तमिलनाडु को देखिये। वहां मुख्यमंत्री को सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में घोषित किया गया है। केरल में भी सभी विश्वविद्यालयों के लिए समान कानून बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे विश्वविद्यालय की स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी।

मैं आपका ध्यान आई.आई.टी. और आई.आई.एम. की ओर भी आकर्षित करता हूँ। निस्सन्देह, ये प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, लेकिन सरकार आई.आई.टी. और आई.आई.एम. सस्थानों पर भारी खर्च करती है लेकिन इसका परिणाम यह निकलता है कि इन संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त करके निकलने वाले 80 प्रतिशत स्नातक विदेश गमन कर जाते हैं। ऐसे स्नातक, देश के करदाताओं की कीमत पर अपनी शिक्षा पूरी करते हैं। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करें कि क्या विदेश गमन करने वाले छात्रों से बंध-पत्र (बॉन्ड) भरवा लिये जाने चाहिए। सरकार को उस धनराशि का ब्यौरा प्रस्तुत करना चाहिये, जो कि समाज उन छात्रों पर व्यय करता है क्योंकि 80 प्रतिशत छात्र विदेश गमन कर जाते हैं।

मैं अपने विद्वान मित्र श्री अन्ना जोशी की इस बात से सहमत हूँ कि कैपिटेशन फीस लेने वाले कालेज बुराई के केन्द्र बन गये हैं। हम बार-बार कैपिटेशन फीस वसूल करने वाले कालेजों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन आप जानते ही हैं कि कालाधन जमा करने वाले लोग, नये धनाढ्य ऐसे कालेजों के प्रवर्तक, आश्रयदाता बन गये हैं और वे लोग जनता को लूट रहे हैं। जैसाकि सही कहा गया है कि डोनेशन के रूप में दो लाख से 5 लाख रु. तक वसूल किया जाता है। दुर्भाग्य से उच्चतम न्यायालय के निर्णय से भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ बल्कि यह समस्या और भी उलझ गई है। अतः मैं माननीय शिक्षा मंत्री से यह अनुरोध करता हूँ कि वह सुनिश्चित करें कि डोनेशन का भुगतान करने के लिए क्या बैंकों से ऋण की व्यवस्था की जा सकती है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा है कि 50 प्रतिशत सीटों पर प्रतिभाशाली छात्रों को लिया जाये और 50 प्रतिशत सीटों को भुगतान के आधार पर भरा जाये। मैंने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के लोगों से बातचीत की है और यह सुझाव दिया है कि इंजीनियरिंग अथवा मेडिकल कालेजों में शिक्षा प्राप्त करने के लिये उन छात्रों के वास्ते बैंकों से ऋणों की व्यवस्था करने पर विचार किया जाये जिन्हें इंजीनियरिंग अथवा मैडिकल कालेजों में पढ़ने के लिये काफी धनराशि देनी पड़ती है।

मैं इस बात की ओर भी संकेत करना चाहूँगा कि सरकार ने वचन दिया है कि 1990 तक 10 प्रतिशत छात्र व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में होंगे। लेकिन अब यह योजना स्थगित कर दी गई है। अब सरकार का कहना है कि 1995 तक, 10 प्रतिशत विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत आ सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि व्यावसायिक शिक्षा अद्यतन हो और बैंकों, बीमा

कम्पनियों अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं का इन व्यावसायिक संस्थाओं से संपर्क हो ताकि छात्रों को अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद स्वरोजगार प्राप्त हो सके।

जहां तक स्कूल का संबंध है, मुझे यह कहना चाहिए कि सरकार को गंभीरता से यह विचार करना होगा कि क्या सामान्य स्कूल प्रणाली शुरू की जा सकती है क्योंकि सामान्य स्कूल प्रणाली का अभिप्राय उस स्कूल से है जहां एक कतिपय क्षेत्र के सभी छात्रों को एक विशेष स्कूल में प्रवेश मिलता है और इस प्रकार की सामान्य स्कूल प्रणाली संरक्षकों को उस सामान्य स्कूल के हितों का ख्याल रखने की प्रेरणा देती है। आजकल हमारे देश में शिक्षा की दो तरह की संस्थायें प्रचलित हैं। एक तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के लिये देहाती स्कूल हैं और दूसरा अमीर लोगों के लिये पब्लिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और सेंट स्टीफेन्स, प्रसिडेन्सी अथवा एल्फीनस्टोन आदि कालेज हैं। अतः हमारे लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सामान्य स्कूल प्रणाली की आवश्यकता है। हमने नवोदय विद्यालय का विरोध किया है। मैं उस पर विस्तार से नहीं बोलूंगा। मैं अपनी सहयोगी कुमारी ममता बनर्जी की बात का विरोध करता हूँ कि यदि पश्चिम बंगाल में नवोदय विद्यालय शुरू किये जाते तो वहां दस से अधिक विद्यालय नहीं होते क्योंकि नवोदय विद्यालय के अन्तर्गत केवल 50 प्रतिशत जिलों को ही लिया गया है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि इस समय तक पश्चिम बंगाल में 40 नवोदय विद्यालय खुले गये होते।

मेरा यह भी अनुरोध है कि स्कूल और कालेज स्तर पर खेलों को अनिवार्य बनाये जाने की आवश्यकता है। हमने सलाहकार समिति के समक्ष इस मुद्दे को कई बार उठाया है। स्वस्थ शरीर–स्वस्थ मस्तिष्क शिक्षा का सिद्धांत होना चाहिये क्योंकि स्कूल और कालेजों में खेल–कूद अनिवार्य रूप से होने से निस्सन्देह, देशवासियों की शारीरिक क्षमता/स्वस्थता बढ़ सकती हैं। अतः मंत्रालय को यह योजना अविलम्ब शुरू करनी चाहिये। वास्तव में, 'राष्ट्रीय साक्षरता अभियान' की तरह इसके लिए भी आन्दोलन चलाना चाहिए था। इसलिए खेलों को एक आन्दोलन के रूप में लिया जाना चाहिये तभी हम अपनी शारीरिक स्वस्थता और क्षमता कायम रख सकते हैं।

मैं 268 जिलों में साक्षरता अभियान चलाने के उपलक्ष्य में मंत्रालय की सराहना करता हूँ। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक अथवा क्लास रूम शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है। अतः हमें पांचवीं कक्षा तक अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने की व्यवस्था करनी चाहिये। हाल ही में, अमेरीका के प्रसिद्ध लेखक, श्री माइरम वाइनर ने इस विषय पर 'लिटरेसी एण्ड चाइल्ड लेबर इन इन्डिया' (भारत में साक्षरता एवं बाल मजदूर) नामक एक पुस्तक की रचना की है। यदि अनिवार्य रूप से शिक्षा की व्यवस्था होगी तो इससे बच्चों को आगे कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन आज वे बीड़ी कारखानों मे, घरों में, चाय की दुकानों में और अन्य कई कारखानों में काम करते हैं। लेकिन इसको रोका जा सकता है, उनको उज्जवल भविष्य के लिये तैयार किया जा सकता है जिससे उनका विकास अवरुद्ध नहीं होगा, यह सब कुछ तभी संभव होगा जब यदि हम पांचवीं कक्षा तक अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था करेंगे। मैं राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के महत्त्व को कम नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने राष्ट्रीय साक्षरता अभियान आरम्भ करके देश के लिए बहुत बड़ा

उपकार किया है। इस राष्ट्रीय साक्षरता अभियान से कई जिले, कई राज्य पूर्ण रूप से साक्षर हो गये हैं।

इसमें एक और बात शामिल है। सभी श्रेणी के छात्रों एवं अध्यापकों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिये था; पूर्ण साक्षरता के इस कार्यक्रम में कालिजों एवं विश्वविद्यालयों के अध्यापकों तथा हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को शामिल किया जाना चाहिये था। समन्वित बाल विकास परियोजनाओं संबंधी (आई. सी. डी. एस.) कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए भी, मैं मंत्रालय की सराहना करता हूँ। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि क्योंकि देश में खाद्यान्नों का पर्याप्त मात्रा में भंडार है, अतः आई.सी.डी.एस. के इस कार्यक्रम को समूचे ग्रामीण तथा शहरी गंदी बस्ती क्षेत्रों में लागू किया जाना चाहिए।

मेरे मित्र, श्री मनोरंजन सुर, लोक सभा सदस्य ने मुझे सूचित किया है कि उन्होंने दो मदरसों को मान्यता प्रदान करने के लिए अनुरोध किया था तथा इन दो मदरसों को यह मान्यता प्रदान कर दी गई थी। वास्तव में, इस शासनकाल के दौरान अनेक मदरसों को मान्यता प्रदान की गई है। लेकिन, आप स्कूलों को तब तक मान्यता प्रदान नहीं कर सकते जब तक कि वे वांछित शर्तें पूरी नहीं करते।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदया, मैं चंद सैकिंड का समय लूंगी। मैंने यह कहा था कि मदरसे पहले ही निर्धारित मापदंड पूरे कर चुके हैं तथा उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि ऐसे मदरसों को मान्यता प्रदान कर दी जाये।

श्री बी. राजरवि वर्मा (पोल्लाची) : मैं अखिल भारतीय अन्ना मुनेत्र कजगम पार्टी की ओर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कार्यकरण पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ।

मेरा यह कहना है कि यह मंत्रालय सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, क्योंकि यह मंत्रालय इस देश के युवकों का भावी–निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिन पर भारत का भविष्य निर्भर करता है। इस मंत्रालय के अधीन शिक्षा विभाग, एक प्रमुख विभाग है, जिसकी नींव पर लोकतंत्र खड़ा होता है। लेकिन यह खेद की बात है कि भारत सरकार ने सभी को शिक्षा प्रदान करने की सुविधा की आवश्यकता की गम्भीरता को अनुभव नहीं किया है। यह कहने के लिए कि केन्द्र सरकार ने देश में से निरक्षरता को दूर करने के लिए विभिन्न कदम उठाये हैं, निस्संदेह मंत्री महोदय के पास विभिन्न योजनाओं की विषय सूचियां मौजूद हैं। लेकिन सच तो यह है कि हमारी आधी से अधिक जनता निरक्षर है। वास्तव में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहे जाने की आवश्यकता पड़ी कि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। मोहिनी जैन के मुकदमें में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए न्यायालय ने यह आदेश दिया कि शिक्षा प्राप्त करने का स्वरूप मौलिक है तथा यह कहा कि यदि लाखों लोगों को निरक्षर रखा जाता है तथा शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान नहीं किये जाते हैं, तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय प्रदान करने के

संवैधानिक वायदे का हमारा लक्ष्य मात्र कल्पना बन कर रह जायेगा। कुल भारतीय जनसंख्या के लगभग 30 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, जबकि इनमें से अधिकतर लोग अत्यंत खराब परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यद्यपि, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रवेश–शुल्क लिये जाने से प्रत्यक्ष रूप से असमर्थता उत्पन्न होती है तथा श्रेणीगत–पूर्वग्रह का निमाण होता है तथा यह स्थिति बेतुकी एवं अनुचित तथा अन्यायपूर्ण हो जाती है, तथा इससे हमारे नागरिकों को प्रदान किये गये समान अवसर के मूलाधार को ठेस लगती है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हरेक नागरिक को जीवन के अधिकार की गारंटी तथा किसी व्यक्ति की गरिमा के अधिकार को तब तक सुनिश्चित नहीं किया जा सकता जब तक कि इसमें शिक्षा का अधिकार शामिल न हो।

लेकिन सरकार ने क्या किया है ? पुनः उच्चतम न्यायालय को ही प्रवेश–शुल्क लेने वाली तथाकथित स्वयं वित्तपोषित संस्थानों को सही करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा था। कोई भी व्यक्ति यह समझने में असमर्थ है कि केन्द्र सरकार शिक्षा के इस तरीके के वाणिज्यीकरण को समाप्त करने के लिए कोई कानून क्यों नहीं बना सकती। देश के अनेक भागों मे स्थित मैडिकल तथा इंजीनियरिंग संस्थान 2 से 10 लाख रुपये तक की राशि प्रवेश–शुल्क के रूप में लेते हैं। केवल धनी वर्ग के छात्र ही इन संस्थानों में प्रवेश पा सकते हैं। गरीब परिवारों से संबंधित छात्र इन संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने का स्वप्न भी नहीं देख सकते। औसत एवं औसत से कम स्तर के छात्रों को एम.बी.बी.एस. और बी.ई. पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिल जाता है, क्योंकि वे प्रवेश शुल्क दे सकते हैं इस स्थिति को जारी रहने की अनुमति देकर, सरकार न केवल प्रतिभाशाली छात्रों जोकि निराश हो जाते हैं के साथ अन्याय कर रही है, बल्कि एक ऐसी स्थिति को जन्म दे रही है, जिसमें कुछ वर्षों के बाद मैडिकल एवं इंजीनियरिंग व्यवसाय उन लोगों के हाथों में चला जाएगा, जो इन व्यवसायों के लिए अधिकाधिक खर्च करेंगे।

संघीय भावना के विरुद्ध, केन्द्र सरकार ने "शिक्षा" संबंधी विषय को समवर्ती सूची में अंतरित कर दिया था। राज्य सरकारों द्वारा विरोध किये जाने के बावजूद भी, केन्द्र सरकार ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं नेशनल कमीशन फार टीचर एजूकेशन जैसी एकल संस्थाएँ स्थापित करने के लिए संसद में एक कानून भी पारित कर दिया। केन्द्र सरकार राज्यों की शक्तियों को छीनने में समय नहीं लगाती। लेकिन जब प्रवेश–शुल्क वसूल करने वाली संस्थाओं के साथ निबटने की आपातकाल जरूरत पड़ती है, तो सरकार शान्त बैठी है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का इन संस्थाओं से निबटने का कोई प्रस्ताव है।

महोदया, देश में शिक्षण दुकानों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। ये दुकानें अधिकतर वे लोग चलाते हैं, जोकि योग्य नहीं हैं। वे न केवल मनमाने शुल्क वसूल करते हैं, बल्कि गलत जानकारी देकर शिक्षा की प्रक्रिया को नष्ट कर देते हैं। अध्ययन के लिए निर्धारित भारी भरकम पुस्तकों में से ये शिक्षण दुकानें पांच से दस प्रश्न चुनते हैं और छात्रों को यह सलाह देते हैं कि परीक्षा को ध्यान में रखते हुए केवल इन प्रश्नों की ही तैयारी करें। इस प्रथा से शिक्षा के प्रसार को धक्का लगता है। अतः, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह राज्यों के मुख्य मंत्रियों एवं राज्य के शिक्षा

मंत्रियों की एक बैठक बुलाएं तथा युवा पीढ़ी को इन शिक्षण दुकानों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए समुचित कार्रवाई करें।

महोदया, देश में अनेक केन्द्रीय विद्यालय हैं। विभिन्न राज्यों के लोग इन विद्यालयों में अनेक वर्षों से अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। किसी भी राज्य के योग्य उम्मीदवार अध्यापक के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन वर्ष 1986 से, केन्द्रीय स्कूलों में अध्यापक के प्द के लिए हिन्दी का ज्ञान होना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे बेहतर समानता के अधिकार की अवहेलना नही देखी जा सकती। वर्ष 1986 तक कोई समस्या नहीं थी। तमिलनाडु के लोग बिना हिन्दी के ज्ञान के अध्यापकों के पदों के लिए आवेदन कर सकते थे तथा उनका इन पदों के लिए चुनाव भी कर लिया गया था। तमिलनाडु के ऐसे कई अध्यापकों को श्रेष्ठ अध्यापन के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। लेकिन अचानक केन्द्रीय विद्यालय संगठन में इस प्रकार की विकृत विचारधारा का उद्भव हुआ तथा हिन्दी को अनिवार्य कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप गत आठ वर्षों से तमिलनाडु से कोई भी अभ्यर्थी केन्द्रीय विद्यालयों में इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सके। मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री महोदय इससे अवगत हैं अथवा नहीं। लेकिन यह त्रासदी जारी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह हिन्दी का थोपना नहीं तो और क्या है। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के मद्रास में हुए दीक्षान्त समारोह के अवसर पर अपनी टिप्पणी पर विरोध कर उत्तर देते हुए माननीय मंत्री महोदय, श्री अर्जुन सिंह जी ने दूसरे सदन में यह कहा था कि सरकार पंडित जवाहर लाल नेहरू के इस आश्वासन कि अहिन्दीभाषी राज्यों पर हिन्दी को नहीं थोंपा जाएगा, इस वायदे को पूरा करने के प्रति वचनबद्ध है, लेकिन उनके अधीन के एक विभाग में हिन्दी को अनिवार्य बनाकर संविधान की भावना को नष्ट कर दिया गया है। हर वर्ष सम्पूर्ण भारत वर्ष से केन्द्रीय विद्यालयों के लिए अध्यापकों का चयन किया जाता है। लेकिन तमिलनाडु के दुर्भाग्यशाली उम्मीदवार गत आठ वर्षों से इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। उनकी क्या गलती है? तब, क्या हमें यह नहीं कहना चाहिए कि तमिलनाडु में देश के किसी अन्य हिस्से से आये व्यक्ति के लिए तमिल भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। चाहे वह सरकारी कर्मचारी अथवा मंत्री ही क्यों न हो ? यदि हम ऐसा करेंगे, तो आप क्या करेंगे। यह एक अत्यंत गम्भीर स्थिति है, जिसमें हमारे प्रांत के उम्मीदवार जोकि अध्यापक बनने के योग्य हैं के साथ देश के द्वितीय श्रेणी के नागरिकों जैसा व्यवहार किया गया है। मैं मंत्री महोदय से यह मांग करता हूँ कि वह केन्द्रीय विद्यालयों में अध्यापकों के पदों के लिए हिन्दी भाषा को अनिवार्य बनाने संबंधी खण्ड को रद्द करने का आश्वासन दें। कम से कम इतना तो वह अब कर सकते हैं।

मेरी नेता पुराची थालैबी ने निरक्षरता को समाप्त करने की आवश्यकता महसूस करके शिक्षा के लिए अत्यधिक धनराशि आवंटित की है। उन्होंने विशेषरूप से महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं भी शुरू की हैं। हमारी नेता के प्रयासों के फलस्वरूप मद्रास में अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सभी आधुनिक मूलभूत ढांचे के साथ विशाल नेहरू स्टेडियम बनाया गया है। यह न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि भारत के खिलाड़ियों के लिए भी वरदान है। उन्होंने महिलाओं द्वारा खेलों में भाग लेने को प्रोत्साहन करने के लिए हाल ही में पर्वतारोहण पर गई प्रत्येक महिला को 15,000 रुपये का अनुदान भी दिया।

सभापति महोदय : कृपया मूल पाठ से मत पढ़िए। आपका समय भी समाप्त हो गया है।

श्री बी. राजरवि वर्मा : महोदया, सरकार बहु प्रचारित भारत महोत्सव पर करोड़ों रुपये व्यय कर रही है। 1993–94 के दौरान इस कार्य पर 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाते थे। यह महोत्सव अभी तक ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, स्वीडन, रूस, फ्रांस और जर्मनी में आयोजित किया जा चुका है। इस समय चीन में यह महोत्सव चल रहा है। इस महोत्सव का उद्देश्य यह है कि परस्पर समझ बूझ तथा सद्भावना को बढ़ाने के लिए उस देश के लोगों में जहां यह महोत्सव हो रहा है, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में अधिक जानकारी दी जाए। लेकिन दुर्भाग्य से यह महोत्सव अमीरों की कलाविधाओं तथा संस्कृति का संरक्षण मात्र बन कर रह गया है। केवल भरतनाट्यम् और नाथस्वरम् ही तमिल संस्कृति के प्रतिनिधि नहीं हैं। पम्पई और उरूमी जैसे देशी साज और कुम्मी और कोल्लाट्टम जैसे लोक नृत्य हैं जिन्हें ऐसे महोत्सव में प्रवेश नहीं मिल सका। वास्तव में, कला के रूप वास्तविक प्रतिनिधिक चरित्र रखते हैं क्योंकि इन्हें तमिलनाडु के ग्रामीण बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अपनाया जाता है जहां पर संस्कृति का निवास है और जहां पर यह पनपती है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि भारत महोत्सव के इस प्रतिनिधि रूपी चरित्र पर गौर करें और देखें कि ग्रामीण कला स्वरूपों का प्रतिनिधित्व वे लोग करें जो इन्हें आज तक संरक्षण देते आए हैं।

महोदया, सरकार खुदाई पर काफी राशि व्यय करती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग तमिलनाडु में खुदाई का कार्य केवल ममल्लापुरम में कर रहा है और बहुत छोटे स्तर पर कर रहा है। तमिलनाडु सरकार ने बाढ़ में समा गए चोल युग के पुमपुहर बन्दरगाह शहर के अवशेषों की खुदाई के लिए करोड़ो रुपए की लागत से एक परियोजना शुरू की है। हमारे मुख्यमंत्री ने बंगाल की खाड़ी में चल रही योजना के लिए कई करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अभी तक हुई खुदाई से उस समय विद्यमान निर्माण यांत्रिकी और प्रौद्योगिकी के बारे में चकित करने वाले तथ्यों का पता चला है। केन्द्र को बिना संकोच ऐसी परियोजनाओं के लिए वित्त प्रदान करने के लिए पहल करनी चाहिए।

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदया, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

सभापति महोदय : मैंने आपका नाम नहीं पुकारा। आप कृपया बैठ जाइए।

[**हिन्दी**]

श्री एस. एम. लालजान बाशा (गुन्टूर) : सभापति महोदय, आजादी के इतने वर्षों के पश्चात् और करोड़ों रुपए खर्च करने के पश्चात् भी हमारे देश में शिक्षा का प्रतिशत केवल 52.4 है, जबकि कई अन्य देशों में यह प्रतिशत बहुत अधिक है, 100 प्रतिशत है। इसका बड़ा कारण इस काम के लिए दिए गए पैसे का सदुपयोग न होना है, इसी वजह से हम शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में पिछड़े रह गए हैं। पैसे का सदुपयोग हो, इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

शिक्षा की ओर ध्यान देते समय हमें सबसे पहले माइनारिटीज, वीकर सेक्शन तथा बैकवर्ड क्लासेस और इनके अंदर भी महिलाओं की शिक्षा पर सबसे पहले और सबसे अधिक ध्यान देना है, ताकि इनका

पिछड़ापन दूर हो सके। मेरा सरकार से आग्रह है कि इस ओर अधिक ध्यान दे। इन वर्गों और इनमें भी महिलाओं को शिक्षित करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए और अधिक खर्च करना चाहिए।

अभी हाल ही में अखबारों में रूस में एमबीबीएस तथा डेंटिस्ट की शिक्षा प्राप्त करने के लिए विज्ञापन देखने में आए हैं। इस बारे में भी सरकार की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि इन विज्ञापनों में क्या तथ्य है, किस तरह से शिक्षा प्रदान की जाएगी और उसको कितनी मान्यता मिलेगी। इन सारी चीजों को सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों के साथ धोखा न हो सके।

इसी तरह से प्राइवेट स्कूलों की मंहगी शिक्षा की तरफ भी मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हू जहां पर एलकेजी और फर्स्ट क्लास में 20–40 हजार रुपया लेकर एडमीशन दिया जाता है तथा प्राइवेट कालेजों में भी भारी रकम वसूल की जाती है, जिसको देना आम आदमी के बस की बात नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए, गरीब और पिछड़े लोगों के लिए भी शिक्षा सस्ती और सुलभ होनी चाहिए, तभी हम शिक्षा के प्रतिशत को बढ़ा सकते हैं और देश को उन्नति के रास्ते पर आगे ले जा सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि सरकार इस ओर भी ध्यान दें। सरकार शिक्षण संस्थाओं का उचित प्रबंध करे और हर चीज का सख्ती से पालन करवाए, तभी गरीब लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते है।

इसी तरह से स्पोर्ट्स की बात है। देश की अधिकतर आबादी गांव में रहती है, लेकिन रूरल एरियाज में खेलों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता और इस दिशा में बच्चों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। यदि इस दिशा में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी तरह से ध्यान दिया जाए तो हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स में भी पदक हासिल कर सकते हैं और देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि सेकुलरिज्म की भावना बढ़ेगी, क्योंकि स्पोर्ट्समैन हमेशा सेकुलर होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार खेलों की दिशा में अधिक से अधिक ध्यान दे।

सभापति महोदय, कहने को तो अभी बहुत कुछ था, लेकिन आपके इशारे को समझते हुए और आदर करते हुए मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : सर्वप्रथम, मैं माननीय मंत्री द्वारा अपनाए जा रहे तरीके के प्रति संतोष व्यक्त करता हूं जिसके तहत वे इस व्यापक विषय पर कार्यवाही कर रहे हैं। समय कम होने के कारण, मैं केवल दो या तीन मुद्दों तक ही सीमित रहूंगा।

जैसाकि हर सदस्य ने यहां पर कहा है, शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसका लोगों के जीवन की उच्च गुणवत्ता और बेहतरी सुनिश्चित करने के महत्व पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता। लोगों

के सामाजिक –आर्थिक जीवन में सुधार लाने में इसका अत्यधिक प्रभाव है और इसलिए यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र में विकास सन्तुलित होना चाहिए।

मैं चाहता हूं कि इस समस्या पर ऐसा रवैया अपनाया जाए कि यह सुनिश्चित हो सके कि शिक्षा के क्षेत्र में सभी वर्गों को बराबर अवसर मिले। फिर भी, आज वास्तविकता यह है कि समाज के एक बड़े वर्ग को शिक्षा के अवसर और लाभ से वंचित रखा गया है और इसके परिणामस्वरूप सामाजिक–आर्थिक विकास भी कम है। कुछ वर्ग तो मुख्य लाभार्थी हैं जबकि अन्य वंचित रह गए हैं।

मेरा मुस्लिम समुदाय वंचित श्रेणी में आता है। गत दशकों के दौरान, इस स्थिति के फलस्वरूप मुसलमानों में पिछड़ापन आ गया है। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है जबकि मुसलमानों का पिछड़ापन दूर करना होगा जो कि हमारे शैक्षिक प्रशासन और शिक्षाविदों द्वारा अपनाई गई गलत नीतियों के कारण है। इसके कारण दो वर्गों के बीच बनावटी अलगाव उत्पन्न हो गया है। इस असन्तुलन को तेजी से ठीक करने के लिए उपचारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है और इसके लिए तुरन्त शैक्षिक संस्थाओं में विभिन्न स्तरों पर मुसलमानों के लिए स्थान आरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है ताकि उनके छात्र अन्य अधिक सौभाग्यशाली साथियों के बराबर आ सकें। इस देश में हर मुसलमान की यह मांग है। मैं आरक्षण की माग कर रहा हूं क्योंकि ऐतिहासिक कारणों और प्राथमिक और माध्यमिक से उच्च स्तर तक शैक्षिक संस्थाओं के सर्वेसर्वा कुछ साम्प्रदायिक विचाराधारा वाले तत्वों द्वारा पक्षपात करने के कारण मुसलमान शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रह गए हैं। यह त्रुटि परस्पर हो सकती है लेकिन मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में असमान विकास का कारण इस समुदाय की वित्तीय तंगी के कारण असमान प्रतिस्पर्धा तथा जानबूझकर अपनाई जा रही नीति है जिसका अनुकरण सभी के लिए नहीं है बल्कि यह कुछ अधिक प्रभावशाली वर्ग के लिए ही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर देश के शिक्षा क्षेत्र पर गौर किया जाए और शिक्षा क्षेत्र में पिछड़े वर्ग पर भी गौर करें, तो पाएंगे कि मुसलमान समुदाय की स्थिति सबसे खराब है और सरकार को यही कार्य करना चाहिए कि लोगों के सभी वर्गों में से शैक्षिक दृष्टि से सबसे पिछड़े वर्ग पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि यह वर्ग लोगों के अन्य वर्गों के बराबर आ सके।

इस संबंध में, मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को बधाई देता हूं कि गत महीनों के दौरान उन्होंने विशिष्ट विचार पेश किए हैं। एक उपाय तो अल्पसंख्यक क्षेत्र शिक्षा विकास योजना है अर्थात् खण्ड को एक इकाई के रूप में लिया गया है। सरकार अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए भौतिक बुनियादी ढांचे की सुविधाएं जैसे अतिरिक्त भवन, शिक्षा सामग्री, स्कूल इत्यादि उपलब्ध कराती है। यह बहुत लोकप्रिय योजना है इस बारे में मुझे पता लगा है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और अन्य राज्यो को 2.15 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। लेकिन केरल की मांग अभी भी माननीय मंत्री के पास स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी है। अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार से कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है।

एक अन्य कार्यक्रम मदरसा प्रणाली का आधुनिकीकरण करना है। लेकिन यह केवल छोटी शुरूआत है। निःसन्देह मैं इसका स्वागत करता हूं। इस आधुनिकीकरण के तहत सरकार शिक्षक को मानदेय उपलब्ध कराती है ताकि वह मदरसे में विज्ञान और अन्य सामाजिक विषय पढ़ा सकें। महोदया, अगर सरकार इस संबंध में और सहायता प्रदान करे तो यह समुदाय मदरसा प्रणाली का आधुनिकीकरण करने के लिए बेहतर स्थिति में होगा और इस समय वे जो कुछ शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उसके साथ अन्य आधुनिक शिक्षा भी प्रदान करेंगे। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस प्रणाली को बढ़ावा दिया जाए और इसके लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाए।

एक और योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा और ऐसी अन्य परीक्षाओं के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को तैयार करने के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों में कुछ प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैं। ऐसे लगभग 50 केन्द्र हैं जबकि आवश्यकता 500 केन्द्रों की है। हाल ही में की गई समीक्षा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निष्कर्ष निकाला है कि व्यावसायिक रूप देकर और इन प्रशिक्षण केन्द्रों को विशेषज्ञ प्रदान करके और अधिक प्रयाग किए जाएं और छात्रों को आने, उपस्थित रहने और परीक्षा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए जाएं। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार इस योजना के लिए कोई धनराशि प्रदान नहीं कर रही।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने कोष में से यह व्यय वहन कर रहा है। यहां भी, माननीय मंत्री और सरकार पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लाभ हेतु योजना को लोकप्रिय बनाने की बेहतर स्थिति में होंगे।

महोदया, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हमारा देश प्रगति करना चाहता है तो सभी वर्गों को एकजुट रहना चाहिए और अगर एक वर्ग पिछड़ जाता है, तो हम इस बात पर गर्व नहीं कर सकते कि देश प्रगति कर रहा है। इस देश में दिल्ली में एक बहुत महत्वपूर्ण संगोष्ठी अर्थात् 'सभी के लिए शिक्षा संगोष्ठी' का आयोजन किया गया है जिसमें नौ अधिक आबादी वाले देश ने भाग लिया है।

सभापति महोदय : कृपया दूसरे विषय को न लें, अब भाषण समाप्त करें।

श्री ई. अहमद : महोदया, इन शब्दों के साथ मैं अनुदान मांगों का पूरा समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि वह इस संबंध में कुछ उपचारात्मक तथा सुधारात्मक उपाय करेंगे।

***श्री के.एच.मुनियप्पा** (कोलार) : सभापति महोदया, मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री ने देश भर में ब्लैकबोर्ड योजना को लागू करने

* मूलतः कन्नड में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

में गहन रुचि ली है। गांवों में स्कूल भवन बनाए गए हैं। वास्तव में, वह प्राथमिक शिक्षा में क्रान्ति लाए हैं और मैं उनके प्रति आभारी हूं।

4-00 म० प०

मैं दुख के साथ यह कहता हूं कि हमारी शिक्षा प्रणाली में अत्यधिक असंतुलन है। ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ रहे छात्रों को शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा कम सुविधाएं और अवसर मिल रहे हैं। कान्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को सभी सुविधाएं मिलती हैं और वे वरीयता सूची में शीर्ष पर होते हैं। उन्हें उच्चशिक्षा के लिए प्रवेश आसानी से मिल जाता है जबकि ग्रामीण स्कूलों से आने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा का कोई अवसर नहीं मिलता। चिकित्सा शिक्षा, इंजिनियरिंग कालेज, स्नातकोतर और अन्य उच्च शैक्षिक केन्द्र कान्वेंट में पढ़े छात्रों का स्वागत करते हैं क्योंकि उन्हें परीक्षा में हमेशा बहुत अधिक अंक प्राप्त होते हैं। दुर्भाग्य से किसानों, कृषि मजदूरों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के बच्चों को इन शैक्षिक केन्द्रों में कोई स्थान नहीं मिलता। सभी अवसर ऐसे छात्र प्राप्त कर लेते हैं जो हमारे समाज के ऐसे वर्ग से आते हैं जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से समृद्ध हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के बच्चों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छात्रों का क्या होगा ? हम ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों की प्रतिभा की तुलना शहरी छात्रों से कैसे कर सकते है ? यह एक गंभीर मामला है और मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हू कि वह हमारी शिक्षा प्रणाली में सन्तुलन कायम रखने के लिए इस दिशा में तत्काल कदम उठाएं।

हमारे देश की लगभग 80% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और इसलिए शैक्षिक संस्थाओं (विशेषकर उच्च शिक्षा संस्थाएं) में कम से कम 50% स्थान ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छात्रों के लिए आरक्षित रहने चाहिए। हम केवल तब ही ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों से न्याय कर सकते हैं।

वैदिक काल में शिक्षक को ईश्वर माना जाता था। लेकिन अब शिक्षक का दर्जा क्या है ? वेदों के समय में अच्छी शिक्षा दी जाती थी और शैक्षिक संस्थाओं को मंदिर समझा जाता था। शैक्षिक संस्थाओं से अच्छे नागरिक आते थे। आजकल शिक्षा कक्षों में क्या हो रहा है ? हमारी शिक्षा प्रणाली में गिरावट का मुख्य कारण शिक्षकों को सुविधाएं न देना है। संभवतः हमारे देश में शिक्षक को सबसे कम वेतन मिलता है। आवास, परिवहन इत्यादि अन्य सुविधाएं भी शिक्षकों को प्राप्त नहीं हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम यह अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि शिक्षक अपने व्यवसाय के प्रति न्याय करें जो आमतौर पर एक पवित्र व्यवसाय माना जाता है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि शिक्षकों को बेहतर वेतन दिया जाए। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि देश भर में शिक्षकों को आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाए। हमने देखा है कि शिक्षक काफी दूरी से आते हैं। उन्हें स्कूल पहुंचने के लिए 5 से 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। इसलिए, हमारे शिक्षकों के लिए आवास सुविधा परम आवश्यक है।

हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने वर्ष 1986 में नई शिक्षा नीति की घोषणा की थी। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री पी. वी. नरसिंह राव उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री थे।

उस नीति में सभी विद्यार्थियों को समान अवसर के उद्देश्य को, बड़े स्पष्ट रूप से निरूपित किया गया है। हमें अपने राष्ट्र के बेहतर भविष्य के लिए यह उद्देश्य प्राप्त करना होगा।

महोदया, अब मैं नैतिक शिक्षा पर बल देना चाहूँगा। आजकल स्कूल के बच्चे सिनेमाघरों में जाने में व्यस्त हैं। हमारे पास स्टार टेलीविज़न, जी. टेलीविज़न तथा बहुत से अन्य मनोरंजन कार्यक्रम हैं। हमारे केन्द्र द्वारा नियंत्रित टेलीविजन के भी कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी के लिए अनुपयुक्त हैं। सैक्स, डकैती, हत्या इत्यादि उसमें दिखाये जा रहे हैं और विद्यार्थी इन सभी कार्यक्रमों को यह जाने बगैर देख रहे हैं कि किस प्रकार ये उनके भविष्य को प्रभावित कर रहे हैं। हमारी संस्कृति और विरासत की उपेक्षा हो रही है। महात्मा गांधी का सपना विश्व–बंधुत्व और सभी धर्मों के लिए समान आदर का था।

विद्यालयों में युवा पीढ़ी के चरित्र को ढालना होगा। इस देश का भविष्य कक्षाओं में है। मैं माननीय मंत्री से माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री से चर्चा करने तथा दूरदर्शन के कार्यक्रमों में उपयुक्त परिवर्तन करने का अनुरोध करता हूँ अन्यथा जातीय मूल्यों के पतन के लिए हमे जिम्मेदार ठहराया जायेगा। फिल्मों और टी.वी. सीरियलों की सेंसर समिति को भी इस संबंध में निर्देश दिए जाने चाहिये। हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करनी होगी। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री, इस सम्बंध में उपयुक्त कदम उठायेंगे। मुझे यह उम्मीद भी है कि भविष्य में हमारी शिक्षा व्यवस्था में समरूपता होगी।

महोदया, इन शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री याइमा सिंह युमनाम (आतरिक मणिपुर) : महोदया, मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नियंत्रणधीन अनुदान मांगों का समर्थन करता हूँ।

अनुदान की माँगों का समर्थन करते हुए मैं यह माँग भी करता हूँ कि मणिपुर में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। मणिपुर में केन्द्रीय विश्वविद्यालय का होना बहुत आवश्यक है क्योंकि पूर्वोत्तर में कोई विश्वविद्यालय उपलब्ध नहीं है। केन्द्र को छोटे राज्यों में विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए। मैं इस बात की सराहना करूँगा कि सरकार ने दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय असम में, एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय मिजोरम में, एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय अरूणाचल में तथा एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय नागालैंड में स्थापित करने का वचन दिया है। लेकिन मुझे यह मालूम चलने पर बहुत निराशा हुई कि मणिपुर के मामले में इस सुविधा को उपलब्ध कराने से इन्कार कर दिया गया है। इसलिए, मैं यह माँग करता हूँ कि सरकार को मणिपुर में भी एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करनी चाहिए। यह हमारी तर्कसंगत माग है।

इसमें कोई शक नहीं है कि एक मणिपुर विश्वविद्यालय है जिसकी देखरेख राज्य तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की जाती है। जैसाकि आप जानते हैं कि राज्य अपने विश्वविद्यालयों को विकसित करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि जैसाकि मैंने अभी उल्लेख किया है यह राज्य अर्थक्षम राज्य नहीं है। उसे अधिकतर केन्द्र सरकार के अनुदान तथा ऋणों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि या तो वह इस मणिपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिणत कर दें अथवा इसके अतिरिक्त मणिपुर में एक पृथक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाये। यह सरकार से मेरी तर्कसंगत माँग है क्योंकि जब से मणिपुर भारतीय संघ में शामिल हुआ है वह आपके बच्चे की तरह बन गया है और आपको उसका ध्यान रखना है। इसलिए, मैं यह मुद्दा उठा रहा हूँ।

चूँकि, आप मुझे बोलने के लिए कुछ मिन्टों का समय दे रहे हैं इसलिए मैं केवल कुछ मुद्दों को उठा रहा हूँ। मैं उन मुद्दों की व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। वर्तमान मणिपुर विश्वविद्यालय की स्थिति बहुत दयनीय है। मात्र अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए ही उसके पास धनराशि है। वह राज्य की माँगों को पूरा नहीं कर सकता। उनके पास विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए यह केवल नाममात्र के लिए है।

अब मैं, अपने दूसरे मुद्दे पर आता हूँ।

सभापति महोदय : नहीं, आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री याइमा सिंह युमनाम : मेरा समय समाप्त हो गया है। छोटे राज्यों की यही किस्मत है। आपके अन्य अनेक सदस्यों को 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट का समय क्यों दिया ? आप मुझे केवल दो मिनट दे रहे हैं लेकिन केवल दो मिनट में कोई कैसे इतना सब कुछ व्यक्त कर सकता है ?

सभापति महोदय : मैंने आपको अतिरिक्त समय दिया है क्योंकि यह एक छोटा राज्य है।

श्री याइमा सिंह युमनाम : महोदया, खेलकूद के क्षेत्र में, एक छोटा राज्य होने के बावजूद इस राज्य ने महाराष्ट्र में पुणे में हुए राष्ट्रीय खेलों में तेरह स्वर्ण पदक और कुछ अन्य रजत तथा कांसे के पदक जीते हैं। आप मणिपुर जैसे छोटे राज्य में खिलाड़ियों की कल्पना कीजिए। वह राज्य जो पिछड़े क्षेत्र के अन्तर्गत आता है उसमें पिछले वर्ष पुणे में सम्पन्न राष्ट्रीय खेलों में 13 पदक प्राप्त किए। अन्तर्राष्ट्रीय खेलों और एशियाई खेलों में भी उन्होंने पदक प्राप्त किए। यह सही है कि हमें कोई राजनीतिक समर्थन प्राप्त नहीं है। यदि राज्य को राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो तो अन्य अनेक खिलाड़ी पैदा हो सकते हैं। राज्य में कोई अच्छा खेल का मैदान नहीं है। कोई अच्छा स्टेडियम तथा कोई अच्छा इन्डौर स्टेडियम नहीं है। यह इतना गरीब राज्य है। फिर भी, राज्य में अनेक खिलाड़ी पैदा हुए हैं। इसलिए, मैं मंत्रीजी से अनुरोध करता हूँ कि वे उनका भी ध्यान रखें क्योंकि वे आपके खिलाड़ी हैं। आप वहाँ जायें और देखें कि क्या वहाँ कोई स्टेडियम है अथवा क्या कोई अच्छा खेल

का मैदान है। राज्य की स्थिति बहुत दयनीय है फिर भी उन्होंने 13 स्वर्ण पदक एशियाई खिताब तथा अन्य खिताब प्राप्त किए। मैं इसकी व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि मेरे लिए केवल एक या दो मिनट शेष रह गए हैं।

सभापति महोदय : नहीं, आपने अपने विचारों को व्यक्त कर दिया है और मेरा विचार है कि सभी आपसे सहमत हैं।

श्री याइमा सिंह युमनाम : महोदया, मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों अथवा मुझे कहना चाहिए कि स्वंयसेवी संगठनों की भूमिका की सराहना करता हूँ। आप इन स्वयंसेवी संस्थाओं, इन गैर–सरकारी संगठनों के योगदान, सहयोग तथा सहायता के बिना 'सब के लिए शिक्षा' कार्यक्रम को कार्यान्वित करना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं होगा। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करूँगा कि वे इन स्वयंसेवी संगठनों की पहचान को बढ़ायें।

इनकी सहायता से, अनेक बच्चों को शिक्षा मिल सकती है। उनके सहयोग से अनेक स्कूल तथा कालेज खुल सकते हैं। हमें इन संगठनों के माध्यम से राष्ट्रसेवा की भावना प्रदान करनी चाहिए। उन्हें लाभ की दृष्टि से ही कार्य नहीं करना चाहिए।

अन्त में, मानव संसाधन विकास विभाग ने ही राष्ट्र के निर्माता आप जैसे नेता, कलाकार खिलाड़ी, दार्शनिक, वैज्ञानिक तथा अच्छी माताओं का सृजन करना है। इस विभाग के लिए पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता है। मैं राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा शिक्षा उपकर लगाने के प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करता हूँ। यदि मुझे एक अवसर दिया गया होता, तो मैंने शिक्षा उपकर लगाने के इए प्रस्ताव को तर्कसंगत बनाने के लिए तर्कों की व्याख्या की होती।

मुझे सभा को यह बताते हुए शर्म महसूस हो रही है कि दिल्ली के एक केन्द्रीय विद्यालय में क्या हो रहा है।

सभापति महोदय : हम दिल्ली के केन्द्रीय विद्यालय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री याइमा सिंह युमनाम : मैं इस बात को माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूँगा कि इस स्कूल में भारी कुप्रबंध व्याप्त है। मुझे इस मामले पर बोलते हुए शर्म आ रही है। मैं इस स्कूल में स्वयं गया था और मुझे यह सब स्कूल से ही पता चला है। मैं उस मामले के बारे में विस्तार से नहीं बता रहा हूँ। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे केन्द्रीय विद्यालय दिल्ली में एक जांच दल भेज और तथ्यों का पता लगायें।

उन शब्दों के साथ मैं अनुदान की माँगों का समर्थन करता हूँ।

सभापति महोदय : आपने बहुत तर्कसंगत मुद्दे प्रस्तुत किए हैं। माननीय मंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा।

[हिन्दी].

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : मैडम चेयरमैन, आपने तो हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया। हमारा उर्दू का मसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं मायनारिटी कम्युनिटी से हूं। जब मैंने कहा था, तो मुझे बताया गया कि आपको बोलने के लिए बाद में समय दिया जाएगा। मायनारिटीज की बहुत प्राब्लम है। आर्टीकल 30(ए) के तहत आया है। मैंने मंत्री जी को इसके बारे में लिखकर दिया है। मैं तो समझ रहा था कि औरत रहम दिल होती है और वह भी कम्युनिस्ट औरत, लेकिन यहां पर हालत यह है कि हमें बोलने ही नहीं दिया जाता है। यह तो हमारे ऊपर इंतिहाई जुल्म है। आखिर मुसलमानों के भी मसाइल है। हम उनको कहां उठाएंगे ? ... **(व्यवधान)** ....

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने माननीय मंत्रीजी को बोलने के लिए पहले ही बुला लिया है।

4.19 म.प.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (अकोला) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी पीठ (चेयर) पर आरोप लगाया है। पीठ ने कहा कि अर्जुन सिंह जी बोलेंगे, लेकिन इन्होंने आरोप लगाया है कि औरत रहमदिल होती है, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया जाता है और वह भी कम्युनिरट औरत तथा ये कैसी कम्युनिस्ट औरत है ? अध्यक्ष महोदय, यहां चेयर को क्या ऐसा कहा जाएगा और क्या चेयर पर बैठे हुए माननीय सदस्य को कम्युनिस्ट या बी.जे.पी. यानी पार्टियों के रूप में देखा जाएगा ? यही मेरा पाइंट आफ आर्डर है। मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरा निर्णय यह है कि उन्होंनें महिलाओं पर टिप्पणी की है।

... **(व्यवधान)** ....

श्री मोहन रावले (मुम्बई-दक्षिण मध्य) : इसमें 15 मिनट से अधिक का समय नहीं लगेगा।

अध्यक्ष महोदय : हम आपके बोलने के लिए ही सुविधा करते हैं, लेकिन टाइम ऐसी चीज है जिसे लम्बा नहीं खींचा जा सकता।

.... **(व्यवधान)** ....

अध्यक्ष महोदय : हम आपको ही बोलने देते हैं, यहां पर बैठने वाला कोई नहीं बोलता। लेकिन दूसरे भी विषय हैं जिनपर थोड़ी सी चर्चा हो जाए तो अच्छा होगा। आप वहां बैठकर सोचते है कि आपका बोलना ही अहमियत रखता है लेकिन हम यहां बैठकर यह सोचते हैं कि दूसरी चीजों पर बोलना भी जरूरी हो जाता है। इसलिए प्लीज़ कोपरेट कीजिए। ....**(व्यवधान)** .... आप दो–दो मिनट में बोल दीजिए।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : मैं सिर्फ दो मिनट ही लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत अच्छी बात थोड़े से समय में कह दीजिए।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, माईनीरिटीज़ इन्स्टीटयूशन्स के लिए जब दस्तूर में आर्टिकल 30(ए) रखा गया है तो वह किसलिए रखा गया है। आप पुराना रिकार्ड देखें, जिस समय दस्तूर बन रहा था और असैम्बली में बहस हो रही थी तो मौलाना अबुल कलाम ने इसको रखा था और कहा कि हम सैपरेट इलैक्टोरेट नहीं मांगते तो सरदार पटेल ने उसे कबूल किया था। आज वह खत्म किया जा रहा है। कांग्रेस की चार रियासतों में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ही नहीं दिया, कहा कि 50 प्रतिशत माईनीरिटीज़ इन्स्टीटयूशन्स में नॉन–मुस्लिम्स को लेना पड़ेगा। जब आप एक पैसा ग्रांट नहीं देते, हमारे लिए एजुकेशन नहीं है, हम अपने पैसे से अपने लिए करते हैं। उसके बाद जब 50 प्रतिशत लेते हैं। हम तो कहते हैं कि हम 75 प्रतिशत आपको दे देंगे लेकिन आप 25 प्रतिशत सरकार के कालेजों में हमको दे दीजिए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं ? आप ऐसा नहीं कर सकते लेकिन हमारे पास से लेना चाहते हैं। फिर कहते हैं कि माईनौरिटीज़ के लिए रियायत देना चाहते हैं।

हम यदि जमीन मांगते तो एक टुकड़ा जमीन नहीं मिलती। हम अपने पैसे से करते हैं तो आप उसे खत्म करते हैं। अर्जुन सिंह जी, मैंने आपके पास आकर कहा था कि यह मसला, सरकार सुप्रीम कोर्ट में आए। नौ जजों ने सुप्रीम कोर्ट में माईनारिटीज़ के राइट्स के लिए कहा लेकिन आज फिर उसे खत्म किया जा रहा है। आपका एक लैटर आया कि हमदर्दाना गौर करेंगे।

की मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा
अरे, मेरे मरने के बाद आप क्या फातया पढ़ेंगे
या आप मेरी हमदर्दी का इजहार करेंगे।

युनाइटेड नेशन में 152 में से सिर्फ 7 रियासतें अंग्रेजी जानती हैं। लेकिन आंध्र में हमारी माधुरी ज़बान उर्दू को खत्म किया जा रहा है। थ्री लैंग्वेज़ फार्मूला में उर्दू है ही नहीं। हमने आपसे कहा कि सरकार की तरफ से स्कूल खोलिए। स्कूल खुल गए लेकिन वहां उर्दू नहीं है। हम ऐजूकेशन के लिए अपने प्राईमरी स्कूल कायम करते हैं तो आप इतनी पाबन्दियां लगाते हैं कि हम खत्म होकर रह जाते हैं। आंध्र में गांधी मैडिकल कालेज है लेकिन उनके पास कार पार्किंग के लिए जगह नहीं है। हम मैडिकल कालेज के लिए कहते हैं तो कहा जाता है कि 30 एकड़ जमीन लाइए। सीलिंग है तो 30 एकड़ जमीन कहां से लाएं, आपको ही देनी पड़ेगी।

मैं आपका बड़ा मशगूर हूं कि आपने मुझे वक्त दिया।**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। मुझे इस पर आपत्ति है।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान अहमद ओवेसी : मैंने यहां आकर कसम खायी है कि जो कुछ बोलूंगा सच ही बोलूंगा। मैंने सच कहा, आपने मुझे शुक्रिया अदा किया ..... **(व्यवधान)** ..... अगर नहीं किया तो आपको सलाम।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको आवश्यकता से अधिक बुद्धिमान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

** ** ** **

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। मुझे इस पर आपत्ति है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको आवश्यकता से अधिक बुद्धिमान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने मुझे कुछ बातें रखने का मौका दिया। मानव संसाधन मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हम चर्चा कर रहे हैं। यह विभाग बहुत बड़ा विभाग है और इसके उद्देश्य भी बहुत बड़े हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से, महिला तथा बाल विकास के दृष्टिकोण से, खेलों के दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, मानव संसाधन विभाग अपनी एक अहमियत रखता है। इस पर काफी खर्च भी किया जाता है लेकिन असली उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही हो और गरीबों तक इसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। यह एक सोचने का विषय है। आज देश की 70 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। गांवों के वे गरीब बच्चे जो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहां कमजोरियां और खामियां दिखायी देती हैं। आबादी के 47 वर्षों के बाद भी आधे से अधिक लोग हमारे यहां अशिक्षित हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिये, गरीबी दूर करने के लिये, पिछड़ापन दूर करने के लिये सबसे जरूरी बात यह है कि देश के लोग शिक्षित हों लेकिन आज भी हम अपने बच्चों और नौजवानों को सही ढंग से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान गांवों में बने हुए स्कूलों की ओर ले जाना चाहूंगा। वहां बच्चों को पढ़ाने के लिये झुग्गी भी नहीं बनी हुई है। वहां बहुत से स्कूल पेड़ के नीचे चल रहे हैं। किसी प्राथमिक स्कूल में दीवारें हैं तो छत नहीं हैं, किसी की छत है तो वहां खिड़कियां नहीं हैं। अगर ये सब हैं तो मास्टर नहीं हैं। जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलायी, उन नेताओं ने यह सपना देखा था कि आने वाली सन्तानों को अच्छी शिक्षा देने की व्यवस्था करेंगे मगर उनका वह सपना अधूरा ही रह गया। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम एक ऐसी नीति और ठोस कार्यक्रम बनायें ताकि गांव के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था हो सके, हमारे देश का विकास हो सके और बच्चों के भविष्य का निर्माण हो सके।

शिक्षा में विषमता को दूर करना आवश्यक है। इसे समान दृष्टि से देखना चाहिये ताकि समता मूलक समाज की स्थापना का जिन्होंने सपना देखा था, वह पूरा हो सके। बड़े घर के लोग जो कि शहरों में रहते हैं, उनके बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं, वे चाहे शहरों में रहें या गांवों में रहें, उनके बच्चे सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं। शहर के बच्चे जो कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, वे बड़े-बड़े अधिकारी बनते हैं। मगर हमारे जो गरीब तबके के बच्चे हैं, वह प्राइमरी स्कूल में जाकर मजदूर बनने का काम करते हैं। माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि कई ऐसे बच्चे हैं, जो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाते हैं और दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवीं कक्षा तक आते-आते उनको अपनी पढ़ाई बीच में ही खत्म कर देनी पड़ती है। इसके लिए सरकार ऐसी नीति बनाये कि बच्चे पूरी शिक्षा ग्रहण कर सकें। कम से कम मैट्रीकुलेशन जरूर कर पायें, ऐसी सरकार की नीति बननी चाहिए। शिक्षा में जो असमानता है, उस असमानता की खाई को हम जब तक नहीं पाटेंगे, देश में शिक्षा के प्रति हमारी जो कटिबद्धता है, वह हम पूरी नहीं कर पायेंगे।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उच्च शिक्षा की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा। आज यू.जी.सी. के माध्यम से कालेजों को हम पैसा देने का काम करते हैं। बिहार प्रदेश में मैंने देखा है कि कई ऐसे कालेज हैं, जो यू.जी.सी. से सांठ गांठ करते हैं, उनको मोटी रकम देते हैं, उनके अधिकारियों की खुशामद करते हैं और वैसे कालेजों को पैसा मिल जाता है, जिनका मकान तक नहीं है, जिनके पास जमीन तक नहीं है। इन सब चीजों पर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान रखना होगा। यू.जी.सी. भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें आपको सख्ती करनी चाहिए। देश में बहुत सी परियोजनाएं यू.जी.सी. के माध्यम से बनती हैं। उन परियोजनाओं को जांचने पर पता चलेगा कि परियोजना बिल्कुल फेक थी लेकिन परियोजना के लिए लाखों करोड़ों रुपया यू.जी.सी. देने का काम करता है। इस पर आपको ठोस ध्यान देना होगा।

मैं निवदेन करना चाहूंगा कि आज हमारे देश में खेलकूद की स्थिति बड़ी ही दयनीय होती जा रही है, जितना अधिक ध्यान हम इस ओर दे पा रहे हैं, उतने ही हम पिछड़ते जा रहे हैं। इसलिए खेलकूद के मामले में भी हमें अधिक ध्यान देना होगा। हमें उन प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना होगा, जो प्रतिभाशाली हैं। उनके लिए हमें प्रोपर ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी होगी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि बिहार प्रदेश में पिछले 4–5 सालों में आपने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ट्रेनिंग सैण्टर की सुविधा के लिए कितना पैसा दिया है, जिसके माध्यम से उनकी प्रतिभा को हम ऊपर उठा सकें, उभार सकें ? आप जो पैसा भी देते हैं, उसमें आप प्रदेशों के प्रति भेदभाव रखते हैं, इसमें आपको एकरूपता रखनी होगी। खेल खिलाड़ी सब के लिए समान होते हैं। मेरा निवेदन होगा कि हमारे प्रदेश में जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं, उनको प्रोपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, प्रोपर गाइडेंस नहीं दी जाती है...

अध्यक्ष महोदय : इस प्राइण्ट पर दूसरे सदस्यों ने बहुत बोला है।

श्री राम कृपाल यादव : मेरा निवेदन होगा कि वैसे खिलाड़ियों को भी आप प्रोत्साहित करने की कृपा करें।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि आर्ट एण्ड कल्चर डिपार्टमेंट मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत ही आता है। ऐसे बहुत सारे हमारे प्रतिभाशाली कलाकार हैं, जिनकी पूछ हम नहीं कर पाते हैं। उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं हैं मगर जिन कलाकारों की पैरवी रहती है, वह अपनी पैरवी और प्रभाव के बल पर आगे बढ़ जाते हैं, उनको प्रतिष्ठित किया जाता है और कई प्रतिभा रखने वाले कलाकारों के साथ हम सही ढंग से न्याय नहीं कर पाते हैं। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध होगा कि वैसे प्रतिभा रखने वाले जो हमारे आर्टिस्ट हैं, उनको आप प्रतिष्ठित करने का काम कीजिए। हमारे संविधान में प्रावधान है कि जो हमारे प्रतिभाशाली कलाकार हैं, उनको हम राज्य सभा में मनोनीत करने का काम कर सकते हैं पर आज क्या हो रहा है। राज्य सभा में उसे तोड़ा जा रहा है और राज्य सभा में उनकी

जगह पोलिटिकल लोग आ रहे हैं। जो उनकी सीट है, उसे उनको नहीं दिया जा रहा है। पिछले दिनों जो मनोनीत हुए हैं, उसमें आर्टिस्ट नहीं हुए हैं बल्कि पोलिटिकल लोग हो गये हैं। ऐसी हकमारी करने वाले लोगों पर भी ध्यान देना होगा और उनकों प्रोत्साहित, प्रतिष्ठित करना होगा तभी हम सही ढंग से उन प्रतिभा रखने वाले आर्टिस्टों को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

मैं एक दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। खासकर बिहार सरकार ने जो काम किये हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं, जो देश के पैमाने पर लागू होने चाहिए। जैसा मैं बता रहा था कि हमारी बिहार सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी ने चरवाहा विद्यालय का निर्माण किया। चरवाहा विद्यालय किसी जाति विशेष या वर्ग विशेष के लिए नहीं है।

चरवाहा विद्यालय उन तमाम गरीबों के लिए है, जो आज तक खेत खलिहानों में काम करते आए हैं, जो खेतों में काम करने के बजाए सो जाते हैं। चरवाह विद्यालय में यह कान्सैप्ट लिया गया है कि वहां पढ़ाने की व्यवस्था है, उद्योग चलाने के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था है। वहां हर तरह की व्यवस्था है। वे बच्चे वहां पढ़ने का काम करेंगे, जो गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। चरवाह अपनी गाय–भैंस भी चरायेंगे और शिक्षा भी प्राप्त करेंगे। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस कान्सैप्ट को बड़े पैमाने पर ले और पूरे भारत के पैमाने पर लें। चरवाह विद्यालय के कान्सैप्ट को देश में फैला कर गरीबों में शिक्षा फैलाने का काम करना चाहिए। उन घरों में रोशनी पहुंचाने का काम करना चाहिए, जिन घरों में आज तक रोशनी नहीं पहुंच पाई है। जिनके बच्चे आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। जब इन बच्चों का जीवन सुधरेगा, तभी हमारा देश सुधर सकता है। कहा गया है, शिक्षा समाज में स्थिरता लाने का भी साधन है। आशा की जाती है शिक्षा समाज को सही दिशा प्रदान करेगी। समता एवं न्याय के साधनों के आधार पर समाज का पुनर्निर्माण करने में सहायता करेगी। परन्तु आज की शिक्षा समानता के स्थान पर असमानता को बढ़ावा दे रही है। समाज को जोड़ने के स्थान पर उसमें दरारें पैदा कर रही हैं। अगर इस तरह की शिक्षा रहेगी, तो निश्चिततौर पर समाज टूटेगा, देश टूटेगा और हम भी टूटेंगे तथा देश बर्बादी के कगार पर पहुंचेगा। इसलिए माननीय मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन बातों को देखेंगे, गौर करेंगे और जो मैंने सुझाव दिए हैं, उन सुझावों पर निश्चिततौर पर अपने मन में रखकर देश में शिक्षा में एकरूपता लाने का प्रयास करेंगे। शिक्षा में जो विषमता है, उसको दूर करके समाज को नई दिशा देंगे। हर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का मौका देंगे, हर जिले को आगे बढ़ने का मौका देंगे, तभी हमारे देश में मानव संसाधन मंत्रालय की जो मंशा है, वह पूरी हो सकेगी।

इन शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अच्छा अवसर प्रदान किया।

श्री मोहन रावले (मुम्बई–दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, हमारी शिक्षा अत्यन्त गतिशील होनी चाहिए। जिस प्रकार विज्ञान में, साइंस में आविष्कार हो रहे हैं और आगे दस बरस में क्या ...